12 मई 1994

वैशाख, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

नौवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

विषय सूची

दसवीं माला, खण्ड 31 — नौवां सत्र, 1994 / 1915 - 1916 (शक)

अंक 37 — गुरुवार, 12 मई, 1994 / 22 वैशाख, 1916 (शक)

विषय		पृष्ठ
मालदीव के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
* **तारांकित प्रश्न संख्या :**	661-665	1-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
* **तारांकित प्रश्न संख्या :**	666-680 और स्थगित प्रश्न 566	24-46
अतारांकित प्रश्न संख्या :	7287-7448	46-187
संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं को माध्यम के रूप में प्रयोग करने के बारे में		187-203
सभा पटल पर रखे गये पत्र		204-208
राज्य सभा से संदेश		209
याचिका समिति		209
चौदहवां प्रतिवेदन - **प्रस्तुत**		
नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली का अर्जन और अंतरण) विधेयक - पुरःस्थापित		209-210
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) नेपाल के सहयोग से कोसी नदी पर एक बांध के निर्माण की आवश्यकता		210
	श्री सूर्यनारायण यादव	
(दो) उड़ीसा के गजपति जिले की लांजिया सौरा जनजाति के उत्थान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना की आवश्यकता		211
	श्री गोपीनाथ गजपति	
(तीन) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 को बढ़ाकर अरुणाचल प्रदेश में रोइंग पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 से जोड़ने की आवश्यकता		211
	श्री लाईता ढम्बो	
(चार) राजस्थान में कोटा-नीमच रेलवे लिंक लाइन पर और अधिक सुविधाएं कराने की आवश्यकता		212
	श्री शिव चरण माथुर	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित * चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(पांच) असम की बराक घाटी में एक गैस टरबाइन के निर्माण की आवश्यकता २

श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ

(छः) दिल्ली में मेट्रो रेल प्रणाली शुरू करने की आवश्यकता 213

श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम"

(सात) बिहार के कोडरमा क्षेत्र में अभ्रक उद्योग के विकास हेतु उपाय किये जाने की आवश्यकता 213

डा. मुमताज अंसारी

प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित 214-241

विचार करने के लिए प्रस्ताव 246-288

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर 214
श्री चन्द्रजीत यादव 216
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य 219
श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी 221
श्री सुशील चन्द्र वर्मा 224
श्री सैयद शहाबुद्दीन 226
श्रीमती गीता मुखर्जी 229
श्री आर. अन्बारासु 232
श्री शांभनाद्रीश्वर राव वाड्डे 236
श्री बलराज पासी 239
श्री रमेश चेन्नित्तला 240
श्री जार्ज फर्नान्डीज 246
श्री चित्त बसु 252
श्री सोमनाथ चटर्जी 256
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 257
श्री ई. अहमद 262
श्री सत्यनारायण जटिया 265
श्री उमराव सिंह 269
श्री के.पी. सिंहदेव 271

खंड 2 और 1 यथा-संशोधित रूप में,
पारित करने के लिए प्रस्ताव 288-289

श्री के.पी. सिंह देव

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पृथ्वी परिवेक्षण 242-246

श्री मल्लिकार्जुन

लोक सभा

गुरूवार, 12 मई, 1994/ 22 वैशाख, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मालदीव के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आरम्भ में मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे अपनी और से और सभा के माननीय सदस्यों की और से भारत की यात्रा पर आये अपने माननीय अतिथियों मालदीव गणराज्य की सिटीजन्स मजलिस के अध्यक्ष महामहिम श्री अब्दुल्ला हमीद तथा मालदीव संसदीय शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है।

शिष्टमंडल के अन्य सदस्य निम्नलिखित हैं :

1. श्री के. ध. अहमद मानिकू
2. श्री मोहम्मद वहीद
3. श्री हुसैन मानिकुकान

शिष्टमंडल 11 मई, 1994 की शाम को दिल्ली पहुंचा। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम अपने देश में उनके सुखद और लाभदायक प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम मालदीव गणराज्य के महामहिम प्रेजीडेंट, सिटीजन्स मजलिस सरकार और वहां की मित्र जनता को बधाई तथा शुभ कामनाएं भेजते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

जल का वितरण और भंडारण

***661. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा देश के प्रमुख जलाशयों में जल के भंडारण और वितरण के संबंध में कराए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन जलाशयों में उनकी अधिष्ठापित क्षमता से कम का जल भण्डारण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) से (घ) विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय जल आयोग देश भर में फैले 61 महत्वपूर्ण जलाशयों में भंडारण का प्रबोधन करता रहा है।

अध्ययन में चालू मौसम, पिछले मौसम के दौरान जलाशय-वार साप्ताहिक भंडारण स्थिति तथा पिछले वर्ष के साथ इस वर्ष की स्थिति का विश्लेषण एवं इसी तारीख को पिछले 10 वर्षों का औसत शामिल हैं। इसी प्रकार विभिन्न महत्वपूर्ण नदी बेसिनों के दूसरे अध्ययन भी किए गये हैं जिनमें पिछले 10 वर्षों के औसत के साथ-साथ चालू वर्ष की, पिछले वर्ष की क्षमता और उनसे हुई निकासी का प्रतिशत शामिल है।

ऐसे आंकड़ों के संकलन के आधार पर अभिकल्पित क्षमता के प्रतिशत के रुप में विभिन्न वर्षों के दौरान किए गए भंडारण का विश्लेषण किया गया है। किया गया भंडारण जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षापात तथा इससे बहने वाले जल पर निर्भर करता है। पिछले 10 वर्षों के दौरान किए गए सक्रिय भंडारण का बेसिनवार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है तथा वर्ष 1983-92 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण जलाशयों में किए गए भंडारण का ब्यौरा अनुबंध - II में दिया गया है।

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए विश्लेषण के निष्कर्षों का प्रयोग करके संबंधित राज्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपलब्ध जल का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए तदनुसार प्रचालन योजनाएं बना सकते हैं।

अनुबन्ध-I

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्रबोधन किए गए जलाशयों (1983-92) में बेसिन-वार किया गया अधिकतम सक्रिय भंडारण

क्रम सं	बेसिन	सक्रिय क्षमता (घन किलो मी.)	पिछले 10 वर्षों का औसत प्रतिशत के रुप में	पिछले दस वर्षों में अधिकतम		पिछले 10 वर्षों में न्यूनतम	
				वर्ष	प्रतिशत	वर्ष	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गंगा	24.25	67	1990	88	1992	50
2.	सिंधु	13.77	85	1988	100	1987	61

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	नर्मदा	1.94	90	1989 1990	100	1983	78
4.	तापी	7.62	74	1988	84	1985	34
5.	माही	3.34	73	1990	96	1983	35
6.	साबरमती	0.78	67	1990 1992	100	1987	1
7.	गोदावरी	11.35	57	1990	93	1985	26
8.	कृष्णा	27.67	86	1991	98	1987	56
9.	महानदी एवं पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	10.13	86	1990	99	1984	61
10.	कावेरी एवं पूर्व की और बहने वाली नदियां	8.43	54	1992	75	1987	25
11.	पश्चिम की और बहने वाली नदियां	7.25	70	1992	99	1987	33

अनुबन्ध –II

भारम में (1983–92) में कुछ महत्वपूर्ण जलाशयों में किया गया भण्डारण

क्रम सं.	जलाशय का नाम	राज्य	उन वर्षों की संख्या जिनमें अभिकल्प सक्रिय क्षमता प्राप्त की गई
1	2	3	4
1.	नागार्जुनसागर	आन्ध्र प्रदेश	5
2.	श्रीसैलम	आन्ध्र प्रदेश	7
3.	उकई	गुजरात	3
4.	गोबिन्द सागर	हिमाचल प्रदेश	1
5.	तुंगभद्रा	कर्नाटक	9

1	2	3	4
6.	इदुक्कि	केरल	1
7.	गान्धीसागर	मध्य प्रदेश	1
8.	जयकवाड़ी	महाराष्ट्र	1
9.	हीराकुंड	उड़ीसा	6
10.	मैट्टूर	तमिलनाडु	1
11.	रिहन्द	उत्तर प्रदेश	2

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 61 महत्वपूर्ण जलाशयों में इनकी क्षमता से लगभग 30 प्रतिशत जल कम संग्रह किया जा रहा है। यहां तक कि पिछले 10 वर्षों में गंगा, ताप्ती तथा कावेरी जैसी महत्वपूर्ण नदियों में भी, इनसे सम्बन्धित जलाशयों को शतप्रतिशत पानी नहीं मिल पाया हैं। इसका कारण सामान्यतया यह बताया जाता है कि इन नदियों में उपेक्षा से कम या अपेक्षा से अधिक जल प्रवाह करने के कारण पर्याप्त जल संग्रह नहीं हो पाया।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जलाशय में उनकी क्षमता के अनुरूप जल संग्रह हो सके, इसके लिए वह क्या उपाय कर रहे हैं? जलाशयों में तेजी से गाद जमा हो रही है, जिससे इनके जल संग्रहण क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ता है, इनकी क्षमता को सुधारने के लिए सरकार ने कौन से उपाय किये हैं?

श्री पी. के. थुंगन : महोदय, जलाशयों के पूरा न भरने के कारण जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा की कमी होना न भरने का कारण है और इसके साथ-साथ यह जलग्रहण क्षेत्र की स्थालाकृति और उस क्षेत्र के पेड़-पौधों तथा नदी के ऊपरी क्षेत्र में जल के उपयोग पर निर्भर भी करता है। इसलिए, सरकार ने समय-समय पर जलग्रहण क्षेत्रों के विकास और नदियों के ऊपरी क्षेत्र में पानी के उपयुक्त उपयोग के लिए कार्यक्रम बनाए हैं। इस प्रकार सरकार यह कदम उठा रही है।

जहां तक कि दूसरे प्रश्न का संबंध है कि जलाशय में उनकी क्षमता का केवल 70 प्रतिशत जल संग्रहण होता है। मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहूंगा कि कुछ हद तक वे सही हैं कि औसतन 61 जलाशयों में इनकी क्षमता का केवल 71 प्रतिशत जल भरा होता हैं। लेकिन इसे हम बहुत खराब स्थिति नहीं कह सकते क्योंकि सामन्यतया यह स्थिति ठीक ही है। हमारे पास लगभग 14 जलाशय ऐसे हैं जिनके ठीक से न भरे जाने की समस्याएं काफी समय से चली आ रही है। शेष जलाशयों की स्थिति लगभग ठीक है। आज स्थिति यह है कि 23 जलाशयों में इनकी क्षमता का 80 प्रतिशत से कम जल भरा होता है ओर शेष 38 जलाशयों में इनकी क्षमता का 80 प्रतिशत से अधिक जल भरा होता है।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : अध्यक्ष महोदय, जलाशयों में जो काई जमा हो रही है उसके संबंध में मंत्री

महोदय क्या कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री पी.के. थुंगन : जहां तक कि गाद इत्यादि जमने का संबंध है, कई बार जहां संभव है, तल की सफाई करने और गाद को हटाने के कार्यक्रम बनाए जाते हैं। लेकिन इस स्थिति में मुझे कहना चाहिए कि ऐसे कार्यक्रम सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा ही चलाए जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर भारत में मुख्य नहरों तथा उसकी शाखाओं से यथोचित स्थान पर जल पहुंचाने में 17 प्रतिशत तथा सिंचाई के लिए कुल जल वितरण में 55 प्रतिशत जल की बर्बादी हो जाती है। कृषि क्षेत्र में जल की इस बर्बादी को रोककर यदि सिंचाई की उचित व्यवस्था कर दी जाए, तो देश में बहुत अधिक सिंचाई क्षमता बढ़ जाएगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा इस प्रकार से हो रही जल की बर्बादी को रोकने के लिए वे क्या उपाय कर रहे हैं?

श्री पी. के. थुंगन : महोदय, जहां तक कि सिंचाई के लिए पानी की कमी का संबंध है हमने सरकार की तरफ से भी अनेक कदम उठाए हैं जबकि यह राज्य सरकारों का कार्य हैं। हम उन्हें परामर्श देते हैं और तकनीकी मार्ग निर्देश देते हैं कि इसे कैसे कम किया जा सकता है। हमारे पास.किसानों और राज्य सरकारों के ऐसे कार्यक्रम अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय प्रयोजित सी.ए.डी. कार्यक्रम हैं जहां तक कि पानी के उपयोग .. ..**(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : पानी की बरबादी को कम करने के लिए आपने जो सुझाव दिए है, वे कौन से हैं ?

श्री पी. के. थुंगन : महोदय, मैंने सिंचाई के लिए पानी की बरबादी को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया हैं अब मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि पानी की बरबादी को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है।

श्री पी. के थुंगन : मैं इसी बारे में कह रहा था।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप आंकड़े दे रहे हैं।

श्री पी.के. थुंगन : मैं बता रहा था कि पानी के उपयोग को कैसे कम किया जाए ताकि पानी बरबाद न हो। अब, पानी बरबाद कैसे होता है?

अध्यक्ष महोदय : नहरों द्वारा और अन्य माध्यमों से

श्री. पी. के. थुंगन : चैनल का रिसाब, अधिक जल का इकट्ठा होना आदि पानी की बर्बादी के मुख्य कारण हैं। अतः पानी इकट्ठा होना रोकने के लिए हमारे पास सी. ए. डी. कार्यक्रम हैं जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को अनुदान दिया जाता हैं

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान उत्तर के अन्तिम वाक्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें यह कहा गया है:

"केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए विश्लेषण के परिणामों का प्रयोग करते हुए संबंधित राज्य विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपलब्ध जल का विवेक सम्मत प्रयोग करने हेतु प्रचालन योजनाएं तैयार कर सकती हैं।"

महोदय, यह एक राष्ट्रीय महत्व का मामला है। जल एक राष्ट्रीय प्राथमिकता हैं इसकी अत्यधिक मांग है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सिंचाई मंत्रियों के किसी भी सम्मेलन में कभी भी इस प्रणाली पर चर्चा हुई है और यदि हां, तो इसकी क्या सिफारिशें हैं। क्या भारत सरकार को इस बारे में निवेदन किया गया है। राज्य सरकारें गाद की सफाई अथवा अन्य कार्यों संबंधी इन उपायों को करने के लिए धन अभाव की शिकायत करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई अध्ययन किया गया है जिसके आधार पर किसी प्रकार का कार्यक्रम लिया जा सके जिसके अन्तर्गत जलाशय की अधिकतम भराई की जा सके। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसी योजना बनाई गई है और क्या राज्य सरकारों द्वारा कोई सहायता मांगी गई है और क्या कोई सहायता दी जा रही है .....

अध्यक्ष महोदय : कृपया, आपका वक्तव्य असमंजसता फैला रहा है। कृपया बैठ जाइये।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कोई उदाहरण नहीं। प्रश्न पूछने के लिए अन्य माननीय सदस्य हैं। अब कोई उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। इस समय केवल प्रश्न रखे जाएं।

श्री पी. के. थुंगन : महोदय, मैंने यहां जो बात कहीं है, वह यह है कि संबंधित राज्य सरकारें जलाशय के बारे में 'आपरेशन' योजनाएं तैयार कर सकती हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई सहायता मांगी गई है अथवा नहीं।

श्री पी.के. थुंगन : मैं इस मुद्दे पर भी आऊंगा। उदाहरणार्थ, रेहान टैंक में उपलब्ध जल आपूर्ति .....

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, हस्तक्षेप करने के लिए मुझे खेद है। साधारण सा प्रश्न है : क्या यह मालूम करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है कि कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी। हम उनसे और आपसे कोई उदाहरण नहीं चाहते।

श्री पी. के. थुंगन : महोदय, ठीक है। अध्ययन समय-समय पर और लगभग प्रत्येक सप्ताह किया जाता है और यह अध्ययन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किया जाता हैं **(व्यवधान)** मुझे अपनी बात स्पष्ट करने दें।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास सूचना नहीं भी हो सकती है। आप इसे इकट्ठा कर सकते हो और उन्हें दे सकते हो।

श्री पी. के. थुंगन : महोदय, यह जलाशयों के बारे में है। मैं जलाशयों के बारे में बोल रहा हूं। जलाशयों के लिए, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा साप्ताहिक आधार पर अध्ययन किया जाता है। वह बड़े अध्ययन की बात कर रहे हैं। ऐसे अध्ययन हमने नदी बेसिलें के लिए किए हैं। हमने अध्ययन किए है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : इसके उपचारात्मक उपाय क्या हैं ओर कितनी धनराशि की आवश्यकता हैं

और क्या सहायता मांगी गई है और यदि हां, तो भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न अच्छे हैं। मंत्री महोदय को भ्रमित मत कीजिए। वह उचित रुप से जवाब दे रहे हैं।

मंत्री महोदय, माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि सृजित क्षमता का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा सकता है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी। वह यह नहीं जानना चाहते हैं कि बेसिनों में कितना पानी इकट्ठा हो रहा है।

श्री पी. के थुंगन : महोदय, मैं सर्वप्रथम जलाशयों के प्रश्न पर आ रहा था क्योंकि प्रश्न जलाशयों के बारे में था। यदि वह बेसिनवार अध्ययन के आंकड़े चाहते हैं तो मैं इसके लिए पृथक नोटिस चाहूंगा। मैं यहां इस अवस्था में यह कह सकता हूं कि केन्द्रीय जल आयोग ओर राष्ट्रीय जल विकास संघ के माध्यम से बेसिन वार अध्ययन किए जाते हैं। यदि आंकड़े चाहिए तो मैं दे सकता हूं लेकिन इसके लिए मैं पृथक नोटिस चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे बाद में भेज सकते हैं।

श्री पी. के. थुंगन : प्रश्न के दूसरे भाग में, मंत्री महोदय यह जानना चाहते हैं कि इस कार्य के लिए क्या कोई वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकारों द्वारा अभी तक कोई सहायता नहीं मांगी गई है। सामान्यतः हमारे पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है लेकिन हमारे पास बराबरी का अनुदान देने वाले कार्यक्रम हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात बहुत ही ध्यान से सुन रहा हूं।

श्री पी.के. थुंगन : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारे पास केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम और जलग्रहण क्षेत्र कार्यक्रम आदि हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत हम कार्यक्रमानुसार जो भी सहायता दे रहे हैं वह भारत सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराई जाएगी। अध्ययन हेतु इस प्रकार का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 61 ऐसी रिजर्वायर्स हैं जो सीधे सैंट्रल वाटर कमीशन के अधीन हैं और इनकी जांच पड़ताल सेंट्रल वाटर कमीशन करता है। माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि कुछ वेजीटेशन की प्राब्लम है, टोपोग्राफी बदल रही है, जिसकी वजह से रिजर्वायर्स की क्षमता में कमी आ रही हैं जब देख भाल सेंट्रल वाटर कमीशन करता है तो क्या इस बात की पूरी स्टडी की गई है कि कम हो रही क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन परियोजनाओं पर अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, किसानों को नुकसान हो रहा है, तो क्या इन परियोजनाओं की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या सरकार को कुछ सुझाव दिए गए हैं और क्या सरकार उन सुझावों पर अमल करने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है, ताकि पूरी क्षमता का पानी इस्तेमाल हो सके।

[अनुवाद]

श्री पी.के. थुंगन : महोदय, जहां तक जलाशयों के रख-रखाव का संबंध है, यह सीधे केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रणाधीन नहीं है। इनके बारे में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ध्यान रखा जाता है। केन्द्रीय जल आयोग का

संबंध इस अध्ययन से है कि किस वर्ष में कितना पानी भरा गया है। मेरे पास गत दस वर्षों के आंकड़े हैं। अध्ययन करने के बाद हम राज्य सरकारों को जल स्तर के ऊपर आने अथवा नीचे जाने के बारे में सलाह दे सकते हैं। इस अध्ययन के आधार पर संबंधित राज्य सरकारें अपने कार्यक्रम बना सकते हैं। उनके लिए जो भी तकनीकी सहायता अथवा दिशा निर्देश मांग जाते हैं, केन्द्रीय जल आयोग को दिए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : सिर्फ जांच पड़ताल करने का काम सेंट्रल वाटर कमीशन का है ओर यह बता देना काम है कि पानी घट रहा है। यह काम तो वहां पर बैठा हुआ इंजीनियर भी कर सकता है।

श्री पी.के. धुंगन : यही काम तो सेंट्रल वाटर कमीशन कर रहा है।

प्रो. प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सिल्ट का है, उसके बारे में मंत्री महोदय बार-बार कह रहे हैं कि सिल्टी हटाना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय, भाखड़ा डैम मेरे चुनाव क्षेत्र में है, लेकिन वहां से एक इंच सिंचाई भी हिमाचल प्रदेश की जमीन में नहीं होती है, हिमाचल प्रदेश को कोई हिस्सा उसमें से नहीं मिलता। गोविन्द सागर बांध भी सिल्ट की वजह से भरता जा रहा है, लेकिन केन्द्र सरकार इसकी ओर भी ध्यान नहीं दे रही है। जब पानी दूसरे प्रदेशों को जा रहा है, प्रदेश के पास साधन नहीं है और प्रदेश की तरफ से कोई अनुरोध नहीं आया है, लेकिन ये राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं, इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ऐसे कदम उठाएगी और केन्द्र सरकार इस काम को अपने हाथ में लेकर सिल्ट हटाने का प्रबंध करेंगी?

[अनुवाद]

श्री पी.के. धुंगन : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि योजना बनाते समय कदम उठाए जाते हैं ये कतिपय तकनीकी मामले हैं जिन्हें हमें समझना होगा। जहां तक गाद भरने का संबंध है, बांध की योजना बनाते समय पहले कदम यही उठाया जाता है। इस बात का उचित ध्यान रखा जाता है। दूसरे, बांध के निर्माण के बाद, तलकर्षण अथवा अन्य जो भी आवश्यक पद्धतियां होती हैं, के लिए कदम उठाए जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, चीन और नेपाल से जो पानी पूर्वांचल प्रदेशों में आता है तो आने के बाद वह कोसी नदी में परिवर्तित हो जाता है। उस कोसी नदी के जल का उपयोग कृषि के लिए या पीने के पानी के लिए होता था तो केन्द्रीय जल आयोग ने इसकी छानबीन की है और बिहार सरकार ने इसकी जांच कराकर प्रस्ताव भेजा है चूंकि जल के लिए अरबों-खरबों रुपयों का प्रति वर्ष नुकसान हो रहा है, क्योंकि वह जल नदी में गिरता है जिसका कोई उपयोग नहीं होता है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय जल आयोग का कोई ऐसा प्रस्ताव है कि शीघ्र व्यवस्था करके जमीन की सिंचाई हो सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। अगर आपके पास जानकारी हो तो उसे पेश कीजिये।

श्री पी.के. थुंगन : महोदय, यही बात में कहने वाला था। यह प्रश्न जल वितरण तथा देश के मुख्य जलाशयों में पानी के भंडारण के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किये गये अध्ययन के ब्यौरे के बारे में हैं। यह कोई पूर्ण अध्ययन नहीं है। यह पहले से ही मौजूद जलाशयों का अध्ययन है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, आपका प्रोटेक्शन चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं मिनिस्टर को प्रोटेक्शन दे रहा हूं।

[अनुवाद]

मंत्री जी, आप सदस्यों की बात सुन चुके हैं। हमें इस प्रश्न को बहुत अधिक तकनीकी रुप नहीं देना चाहिये। वास्तविक मुद्दे बताये जा चुके हैं। अगर संभव हो, तो उनकी जांच कर लीजिये वे वास्तविक मुद्दे हैं।

श्री ए. चार्ल्स : अध्यक्ष महोदय, भंडारण तथा वितरण दो अलग-अलग बातें हैं। भंडारण पानी में जमी गाद के कारण प्रभावित होता है और सारे देश में जल का वितरण इसलिए प्रभावित होता है क्योंकि पाइप लाइनों का समुचित ढंग से निर्माण नहीं किया गया है।। आधुनिकीकरण के लिए एक प्रस्ताव था। जल का लगभग 45 प्रतिशत भाग बेकार हो रहा हैं इस समस्या का एकमात्र समाधान आधुनिकीकरण है। अगर हम कुल निर्माण लागत का 10 प्रतिशत आधुनिकीकरण पर खर्च करें तो 45 प्रतिशत पानी को बचाया जा सकता हैं अतः क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि जल वितरण नेटवर्क के लिए इस आधुनिकीकरण की योजना को, जो वर्षों से लंबित पड़ी है, शीघ्र प्राथमिकता दी जायेगी?

श्री पी.के. थुंगन : महोदय, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि राज्य सरकार के कार्यक्रम हैं और केन्द्र की सहायता से चलने वाले कार्यक्रम भी हैं। इन बातों का जिनका माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ध्यान रखा जाता है।

भाषायी अल्पसंख्यक

***662. श्री एन. डेनिस :** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में भाषायी अल्पसंख्यकों को क्या सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किए हैं;

(ख) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपनी मातृभाषा में विद्या ग्रहण कर सकें, क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) उन्हें सरकारी क्षेत्र में रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु क्या व्यवस्था की गई है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कबालू) : (क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए प्राप्त सुरक्षापायों का प्राधिकार दो स्रोतों से प्राप्त होते हैं :

(1) संविधान में निहित अनुच्छेद 29, 30, 347, 350, 350, क तथा 350 ख में निहित उपबंध; ये उपबंध संक्षेप में निम्न प्रकार है :

(1) अनुच्छदे 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति के परिरक्षण का अधिकार देता है;

(2) अनुच्छेद 30 उन्हें अपनी पसन्द के शैक्षिक संस्थानों को स्थपित तथा उनका प्रशासन चलाने का अधिकार देता है;

(3) अनुच्छेद 347 में भाषा की शासकीय मान्यता के लिए राष्ट्रपति के निर्देश का उपबंध है;

(4) अनुच्छेद 350 शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में किसी भी भाषा के प्रयोग का अधिकार प्रदान करता है;

(5) अनुच्छेद 350 में शिक्षा के प्राथमिक स्तरर पर मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाने की सुविधाएं प्रदान करता है; और

(6) अनुच्छेद 350 ख में पूर्व में भारत के भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त के रुप में पदनामित भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद की व्यवस्था है।

(2) विभिन्न सम्मलेनों, जैसे 1949 में प्रान्तीय शिक्षा मंत्री सम्मेलन, भारत सरकार का 1956 का ज्ञापन, भाषा संबंधी वक्तव्य, 1958, दक्षिणी क्षेत्र परिषद् निर्णय 1959, मुख्य मंत्री सम्मेलन, 1961, क्षेत्रीय परिषदों की बैठक, 1961 आदि में समय-समय पर अखिल भारतीय स्तर पर लिए गए रक्षोपायों की योजना।

भाग (ख) संविधान मे अनुच्छेद 350 में यह निर्धारित किया गया है कि "प्रत्येक राज्य और राज्य के अंदर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह- प्रयास होगा कि भाषा जात अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर से मातृभाषाओं में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। तद्नुसार जहां किसी स्कूल में कम से कम 40 छात्र अथवा किसी कक्षा में 10 छात्र हो तो वहां भाषायी अल्पसंख्यक छात्रों के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करना सरकार की नीति रही है।

भाग (ग) संविधान में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जिसके अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में भाषीयी अल्पसंख्यकों को रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाए। तथापि, राज्य के अन्तर्गत रोजगार के सम्बन्ध में भाषायी अल्पसंख्यकों के ऐसे उम्मीद्वारों को भारत के नागरिकों को उपलब्ध सभी मौलिक अधिकार प्राप्त है।

1961 में हुए राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा जारी किए गए विवरण में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकारों के अंतर्गत राज्य सेवाओं की भर्ती में भाषा कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इस संकल्प में यह व्यवस्था है कि राज्य की राजभाषा के अतिरिक्त, अंग्रेजी या हिन्दी को परीक्षा के माध्यम के रुप में प्रयोग करने के लिए विकल्प दिया जाए और राज्य की राजभाषा में प्रवीणता का टैक्स चयन किए जाने के बाद होना चाहिए तथा यह राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए पूर्वापेक्षा नहीं होगी।

[अनुवाद]

श्री एन. डेनिस : अध्यक्ष महोदय, भाषायी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र द्विभाषीयी हैं और वहां पर भाषायी अल्पसंख्यक काफी बड़ी संख्या में रहते हैं। माननीय मंत्री ने बताया है कि भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षोपाय तथा संरक्षण की व्यवस्था है तथा उन्होंने अखिल भारतीय निकाय द्वारा लिये गये निर्णयों के बारे में भी बताया है। लेकिन प्राय: इन संवैधानिक प्रावधानों और लिये गये निर्णयों का उल्लघंन किया जाता है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि सरकार ने भाषायी अल्पसंख्यकों द्वारा अपना अध्ययन अपनी मातृ भाषा में जारी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में विद्यालय खोलने तथा ऐसे क्षेत्रों में कक्षाओं और अध्यापकों की नियुक्ति के लिए कौन -कौन से कदम उठाये हैं।

श्री के. वी. तंग्कावालू : महोदय, अपनी शिकायतों और सामस्याओं के बारे में अल्पसंख्यकों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन्हें भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त द्वारा संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के भेजा जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 350 (ख) (1) (2) के अनुरुप है। आयुक्त के राष्ट्रपति महोदय को पेश की गई अपनी रिपोर्ट में भाषायी अल्पसंख्यकों की शिकायतों और उनको दूर करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में सूचित करता है। इस प्रकार भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में एक तन्त्र के रुप में भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त, जो एक संवैधानिक प्राधिकारी हैं, पहले से ही मौजूद हैं। वह सदैव ऐसे मामलों की सूचना राज्यों देते रहते हैं और राज्यों से इस नीति को लागू करने का अनुरोध करते हैं।

प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के संबंध में मुझे यह कहना है कि सरकार द्वारा निर्धारित की गई नीति में भाषायी अल्पसंख्यकों के सन्दर्भ में यह निर्दिष्ट किया गया है कि उनके लिए उनकी मातृभाषा में पढ़ाई जारी रखने के लिए प्राथमिक स्तर तक स्कूल खोले जाने की व्यवस्था होनी चाहिये। राज्यों से इस नीति का पालन करने की तथा पर्याप्त विद्यालयों कक्षाओं तथा अध्यापकों की व्यवस्था करने की उम्मीद की जाती है। ऐसा माना जाता है कि राज्य ये सुविधायें प्रदान करते हैं।

तथापि, अगर माननीय सदस्य के पास इस तरह का कोई उदाहरण हो, जहां ऐसी सुविधायें प्रदान नहीं की जाती हों, तो हम उस पर निश्चित रुप से विचार करेंगे तथा ऐसी व्यवस्था करेंगे।

श्री एन. डेनिस : रोजगार के अवसरों के सम्बन्ध में भाषायी अलसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जाता है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या भर्ती करने वाली संस्थाओं में भाषायी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जायेगा तथा क्या नियुक्ति के मामले में राज्य की भाषा का ज्ञान होने की पूर्व-शर्त को भी हटा दिया जायेगा।

इस मामले मे संबंधित अल्पसंख्यकों की शिकायतों पर एक निगरानी कक्ष द्वारा निगरानी रखी जा सकती है और जब भी भाषायी अल्पसंख्यकों की शिकायतें मिलें, निर्देश भेजा जाना चाहिये।

श्री के.वी. तेंग्कावालू : नियुक्ति के मामले में वर्तमान में सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं है। भाषा के ज्ञान संबंधी शर्त को हटाने के सम्बन्ध में भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श

कर रहे हैं कि राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए राज्य की राजभाषा की जानकारी होना पूर्वापेक्षित नहीं होना चाहिये। इसी बात के लिए उन्होंने कहा है। इस संबंध में, मैं यह कहूंगा कि कुछ राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र जैसे दादरा नागर हवेली, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश ने इस योजना को पहले से ही लागू कर दिया है।

अन्य राज्यों के सम्बन्ध में भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त उनके साथ इस मामले पर विचार कर रहे हैं।

निगरानी के सम्बन्ध में, भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त संवैधानिक प्राधिकारी हैं, जो नियमित रुप से इन प्रस्तावों पर राज्यों से विचार-विमर्श कर रहे हैं। और निरन्तर रिपोर्ट भी प्राप्त कर रहे हैं।

डा. मुमताज अंसारी : हाल ही में हुए राज्य अल्पसंख्यक सम्मेलन में इस बात की सूचना मिली है कि ऐसे अल्पसंख्यक संस्थान हैं जो दाखिलों के मामले में, अन्य नीतिगत मामलों में तथा संविधान के अनुच्छेद 29 तथा 30 के अन्तर्गत दी गई अल्पसंख्यक पहचान को बनाये रखने के सम्बन्ध में बहुत सी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ये सब बातें आवश्यक नहीं हैं। आप कोई विशेष प्रश्न रखिये।

श्री डा. मुमताज अंसारी : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या अल्पसंख्यकों द्वारा चलाये जाने वाले इन सभी संस्थानों को और अधिक अत्यधिक शक्ति प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 29 और 30 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है।

श्री के. वी. तंग्कावालू : भाषायी अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह सुविधा प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन करेंगे ?

श्री के.वी. तंग्कावालू : अभी हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है।

डा. जी. एल. कनोजिया : मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है :

[अनुवाद]

संविधान में ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है जो भाषायी अल्पसंख्यकों को रोजगार के अवसर प्रदान करता हो।

[हिन्दी]

क्या सरकार की जानकारी में यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि वह जो सुरक्षा बल बनाने जा रही है उसमें उर्दू जानने वालों को प्राथमिकता दी जायेगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको उत्तर पढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा। अब श्री पासवान बोलेंगें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह लिंग्विस्टिक माइनरटीज का मामला नेशनल इंटिग्रेशन

से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि आज दिल्ली में कोई तमिल भाषा सीखना चाहे या मद्रास में हिन्दी सीखना चाहे तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसका नतीजा यह होता है कि वहां यहां पर अंग्रेजी-हिन्दी का टकराव होता है। जैसा कि सरकार ने अपने भाषण में कहा है कि सरकार के पास फण्ड की कठिनाई है और हम सब समझते हैं लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि 1961 में सरकार ने इस संबंध में एक मुख्यमंत्री सम्मेलन बुलाया था तो क्या सरकार निकट भविष्य में कोई इस प्रकार का मुख्य मंत्री का सम्मेलन बुलाकर लिंग्वस्टिक प्राब्लम को साल्व करने के लिए कोई .....

[अनुवाद]

श्री के.वी. तंग्काबालू : महोदय, विगत में हमने अनेक कदम उठाये हैं। इस मामले पर मुख्य मंत्रियों तथा क्षेत्रीय परिषदों के उप सभापतियों ने इस मामले पर व्यापक रुप से विचार विमर्श किया है और इस मामले में सरकार से विभिन्न कदम उठाने की सिफारिश की है। तदनुसार सरकार राज्यों से इस मामले पर बात-चीत कर रही है और हम इस नीति को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं।

मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के सम्बन्ध में अभी विचार किये जाने लायक यह एक अच्छा सुझाव है।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : महोदय, दिल्ली तथा हरियाणा, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश राज्यों में अल्पसंख्यकों को पंजाबी भाषा पढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इन सभी राज्यों में पंजाबी जो दूसरी भाषा के रुप में पढ़ाने के फार्मूले के रुप में अथवा अल्पसंख्यकों की भाषा के रुप में लागू करने पर विचार कर रही है ताकि पंजाबी भाषी लोग हरियाणा, मध्य प्रदेश, तथा पंजाब में अपनी भाषा का विकास कर सके।

श्री के.वी. तंग्काबालू : इस मामले पर विचार करना राज्य सरकारों का काम है।

[हिन्दी]

सैयद शहाबुद्दीन : जनाबे स्पीकर साहब, भी आपकी इजाजत से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी सहल्सिानी अकलियतें, जिनकी मादरी जबान अपने अपने इलाके में अकलियत की हैसियत रखती हैं, उनकी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसमें खासकर- 3 लैंग्वेज फार्मूला सहलिसानी फार्मूला की तरफ ध्यान दिला रहा हूं कि हिन्दुस्तान में हर जबान कहीं न कहीं अकलियत की हैसियत रखती है और हिन्दी भी रखती है मगर हिन्दी जबान 3लैग्वेज फार्मूला में परमानेंट है। इसलिये हिन्दी बच्चों को हिन्दी पढ़ने का मौका मिल जाता है और दूसरी वे जबानें हैं जो कहीं न कहीं स्टेट लैंग्वेज हैं लेकिन वे स्टेटस जो बाहर है, कहीं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं वहां उस इलाके की रियायती जबानें हिन्दी और अंग्रेजी पढ़ती हैं लेकिन सब रियायतों में नहीं हैं और तीसरी कैटेगरी में उर्दू और सिन्धी वाले बच्चे हैं, जिनकी कहीं कोई रियासती जबान नहीं है और हर नान - हिन्दी स्टेट में उनको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है जिनके लिये 3-लैंग्वेज फार्मूला में कोई गुंजायश नहीं है यानि वे हिन्दी, अंग्रेजी, रियासती भाषा पढते हैं। लेकिन अपनी मादरी जबान पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। मैं समझता हूं कि 3-लैंग्वेज फार्मूला में सबसे बड़ा दोष है। मैंने सरकार की तवज्जह दिलायी है कि नान-हिन्दी लैंग्वेज माइनरटीज को नान-हिन्दी स्टेट में जो परेशानियां उठानी पड़ रही

हैं, उसको साल्व करने के लिए क्या ध्यान दे रही हैं और इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री के.वी. तंग्कावालू : यहां 130 भाषायी क्षेत्र हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं केवल राष्ट्रीय भाषा की बात सोच रहा हूं। संविधान में जिन भाषाओं का उल्लेख किया गया है, वे आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं। मुझे देश की 200 भाषाओं से कोई मतलब नहीं हैं।

श्री के.वी. तंग्कावालू : इस प्रश्न का संबंध स्पष्ट तौर पर भाषायी अल्पसंख्यकों से है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कहना है कि जिन भाषाओं का उल्लेख संविधान में किया गया है, वे कुछ क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की भाषाएं भी हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं?

श्री के. वी. तंग्कावालू : मैं इस बात से सहमत हूं कि यह एक समस्या है। समय-समय पर हमें समाज के विभिन्न वर्गों और विशेष तौर पर गैर-हिन्दी भाषी लोगों अथवा अन्य क्षेत्रों से यह शिकायत मिलती है। हमने राज्य सरकारों को इस मामले पर विचार करने और इस समस्या को सुलझाने का प्रयास करने को कहा है।

[हिन्दी]

तेल की खोज

***663. +श्रीमती भावना चिखलिया :**

श्री राजेश कुमार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल के विशाल भंडार की संभावना वाले क्षेत्रों में तेल की खोज का कार्य विदेशी कम्पनियों के लिए छोड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके पीछे क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) क्या यह निर्णय सरकार की नीति के अनुरुप है?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टल सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) भारत सरकार विनिर्दिष्ट अन्तरालों पर विनिर्दिष्ट ब्लाक का भारतीय और विदेशी कम्पनियों को तेल और गैस के अन्वेषण हेतु प्रस्ताव करती है। ये ब्लाक भारत सरकार द्वारा ओ एन जी सी/ओ आई एल के साथ परामर्श करके चुने जाते हैं और इनमें वे क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं जहां निकट भविष्य में ओ एन जी सी/ओ आई एल का कोई निश्चित अन्वेषण कार्यक्रम नहीं होता।

पूरे वर्ष सतत बोली योजना के अन्तर्गत फिलहाल सातवें दौर का कार्य जारी हैं इसका उद्देश्य राष्ट्रीय तेल कंपनियों के अन्वेषण क्रियाकलापों का संवर्धन करना और भारत के विभिन्न तलछटी बेसिनों में अन्वेषण प्रयासों को गहन बनाना है। हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण में निजी निवेश को आकर्षित करने संबंध सरकार की नीति का

यह एक महत्वपूर्ण घटक है।

श्रीमती भावना चिखलिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या यह सही है कि हमारे यहां संसाधनों की कमी के कारण और सीमित साधनों के कारण जहां तेल के विशाल भंडारों की संभावना है, ऐसे क्षेत्रों में तेल की खोज के कार्य के लिए विदेशी कंपनियों को बुलाते हैं और उसके कारण उसका जो चयन होता है उसमें हमारी भारतीय कंपनियां ओ एन जी सी और ओ आई एल, इन दोनों के साथ चर्चा करके उसको कार्यक्रम दिया जाता है? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि बड़ी -बड़ी कंपनियां जैसे ऑक्सॉन एवं सॅवरॉन है, वह यहां ड्रिलिंग करने के लिए क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि जैसे आंध्र में एक कंपनी है....।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार के प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा। आप एक कंपनी की सिफारिश कर रही हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : मैं यह जानना चाहती हूं कि बड़ी-बड़ी कंपनियां जिनकी क्षमता बहुत ज्यादा है, उनके यहां आने के लिए क्या कठिनायां हैं? क्या हमारे देश में आने के लिए वह राजी नहीं हैं?

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं इस पहलू के बारे में माननीय सदस्या की चिंता का भागीदार होना चाहता हूं। एक ओर गवेषणा संबंधी प्रयास पर्याप्त रुप से नहीं किये जा रहे हैं और दूसरी ओर बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में आ रही हैं। माननीय सदस्या की बात ठीक है। मैं यह कहना चाहूंगा कि विश्व का कोई भी देश -चाहे वह भारत हो अथवा चीन हो अथवा सी.आई.एस. स्टेट्स हो - स्वयं अपने बलबूते पर गवेषणा के क्षेत्र में इस प्रकार की पूजी लगाने में समर्थ नहीं है क्योंकि यह एक प्रकार से पूंजी को जोखिम में डालना है। अतः, उसके अलावा जो कोई देश अपने बलबूते पर कर सकता है, प्रत्येक देश विदेशी कंपनियां, विदेशी पूंजी को लाने का प्रयास करता है और अपने प्रयासों को बढ़ाता है। यही सब कुछ यहां किया जा रहा है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड अपनी ओर से जो प्रयास कर सकते हैं, उसके अलावा हम विदेशी पूंजी प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को यहां लाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब प्रवृत्ति बदल रही हैं ऐसा प्रतियोगिता के कारण हुआ है कोई अन्य कारण नहीं है। ऐसा सी.आई.एस. स्टेट्स, चीन, वियतनाम, मलेशिया तथा इंडोनेशिया के साथ भारत की प्रतियोगिता के कारण हुआ है। अतः, हमारे लिए वहां कठोर प्रतियोगिता है। लेकिन मैं माननीय सदस्या को आश्वासन देना चाहता हूं कि पांचवे दौर से शुरू करके, छठा दौर और अभी हम सातवे दौर में हैं - उसके आगे जनवरी और जून में सतत बोली का दौर है। हम उन्नति कर रहे हैं हमारे आंकड़ों में सुधार आ रहा हैं चौथे दौर में सफलता का अनुपात 18 प्रतिशत था। पांचवें दौर में यह सारे विश्व में मेरे जाने और व्यक्तिगत रुप से उसमें भाग लेकर विदेशी पूंजी आमंत्रित करने का प्रयास करने के कारण यह बढ़कर 22 प्रतिशत हो गया।

छठे दौर में यह बढ़कर 26 प्रतिशत हो गया। सातवां दौर अब चल रहा है। अतः, जिन बड़ी कंपनियों का आपने उल्लेख किया है, वे धीरे-धीरे भारत में प्रवेश कर रही हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या यह सत्य है कि गुजरात में तेल का बहुत बड़ा भंडार होने की संभावना का पता लगा है? क्या सरकार इसके बारे में अच्छी तरह से कार्रवाई कर रही है? क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र जूनागढ़ में भी ऊना तहसील में तेल अनुसंधान किया गया था, उसका कोई ब्यौरा हमको नहीं मिला है और इसी तरह से अहमदाबाद में भावला और ढोलका का लाइन में वहां भी अनुसंधान हुआ है उसका भी हमें ब्यौरा नहीं मिला है। उसके बारे में भी जानना चाहती हूं।

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : हम सभी को मालूम है कि गुजरात हाइड्रोकार्बन की अत्यधिक संभावना वाला क्षेत्र है। हमें वहां गैस और तेल मिला है। मेरा अपना विश्वास यह है कि उस क्षेत्र में खोज करने के लिए अभी बहुत कुछ है। गुजरात में बहुत अधिक संभावनाएं हैं गवेषणा संबंधी कार्यों के लिए प्रयास जारी है। गुजरात में वे सभी क्षेत्र और ब्लॉक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और हमारी अपनी कंपनियों को सौप दिये गये हैं, जहां गवेषणा संबंधी गतिविधियाँ शुरू होंगी **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सर, यह तो इनका पर्सनल बिलीफ है, इस पर तो आपकी रूलिंग होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरी रूलिंग यह है कि बीच-बीच में आप मत बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या इसे कार्यवाही में शामिल किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, इसे कार्यवाही में वृत्तांत में ही शामिल किया गया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, देश में तेल की खोज करने के लिये, तेल का पता लगाने के लिये, सरकार विदेशी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट कर रही है और उनको ठेके दिये जा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद देश में तेल की कमी है। जैसा कि आंकड़े दिए गये हैं - 1992-93 में आपका उत्पादन 269.5 लाख टन था और इस वर्ष आपका लक्ष्य 305 लाख टन उत्पादन का है लेकिन मुझे शंका है कि आप इतना तेल का उत्पादन कर सकेंगें। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तेल के कुओं की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिये और लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सरकार क्या करने जा रही है इसके साथ साथ हमारे नौर्थ बिहार में सरकार

ने सर्वे कराया था और उस सर्वे में आपको यह जानकारी प्राप्त हुई है कि वहां तेल के भंडार हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि नौर्थ बिहार में कुएं खोदकर तेल बाहर निकालने के लिये सरकार कौन सी कार्यवाही करने जा रही है।

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : मैं प्रश्न के पहले भाग का जिसका सम्बन्ध तेल के उत्पादन से है, उत्तर देता हूं। बात को साफ करना चाहता हूं। चूंकि लघु और मध्यम प्रकार के उपाय किये गये हैं, इसलिए इस वर्ष तेल का उत्पादन कम से कम पांच मिलियन टन बढ़ने का अनुमान है। अगले वर्ष, यह दस मिलियन टन अधिक होगा और आठवीं योजना के अंतिम वर्ष में यह उत्पादन वर्तमान स्तर से 15 मिलियन टन तक बढ़ जाएगा। हम उत्पादन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी, इस मंत्रालय की तथा देश की चिन्ता यह है कि तेल भण्डार का क्षेत्र एक साथ बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए गवेषणा संबंधी प्रयास बहुत महत्वपूर्ण हैं । वास्तव में, गवेषणा संबंधी प्रयास तेज करना, चाहे वह बिहार के संबंध में हो या देश के किसी अन्य क्षेत्र के संबंध में हो, मेरे मंत्रालय का अति गंभीर मुद्दा है।

प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध बिहार से है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 1956 से गवेषणा संबंधी गतिविधियाँ चला रहा हैं अब तक, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग वहां ऐरो-मेगनेटिक, ग्राउण्ड-मेगनेटिक तथा आवधिक सर्वेक्षण करने के अतिरिक्त 7,396 लाइन एस एल के/एल भूकम्पीय के सर्वेक्षण कार्य कर के चुका है। 6 कुओं की खुदाई की जा चुकी है लेकिन कोई वाणिज्यिक सफलता नहीं मिली है। 31 मार्च, 1993 तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने बिहार में तेल की खोज संबंधी कार्यकलापों पर 70 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरा बिहार को छोड़ने का कोई इरादा नहीं हैं मेरे पास बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए और अधिक व्यापक और तकनीकी रुप से और अधिक विकसित 3-डी भूकम्प संबंधी कार्य की योजनायें हैं ताकि अगर वहां हाइड्रो कार्बन का पता लगाने की संभावनाए हैं, तो इसे ऐसे ही न छोड़ दिया जाए।

श्री मुरली देवरा : माननीय मंत्री ने कहा है कि संसाधनों और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग पिछले दस वर्षों के दौरान पर्याप्त मात्रा में तेल और तेल क्षेत्रों की खोज नहीं कर सका है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को बोलियां दी जाती हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सरकार को अगले चार-पांच वर्षों में इन विदेशी तेल कंपनियों से कितना तेल प्राप्त होने की संभावना है? इन विदेशी कंपनियों को तेल क्षेत्रों में गवेषणा की अनुमति देने के लिए आपका समझौता करने का क्या आधार है -यह लाभ बांटने के आधार पर किया गया है अथवा वे रायल्टी अदा करेंगे?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, मेरे मित्र श्री मुरली जी ने अभी-अभी एक अति मौलिक मुद्दे के बारे में पूछताछ की है। पुनः, इस प्रश्न में दो भाग हैं। पहला महत्वपूर्ण भाग जिसे समझा जाना चाहिए, हमारे शेष बचे हुए भंडारों के बारे में है जिनकी संख्या 1.4.93 को इस प्रकार है : तटीय क्षेत्रों में 313 मिलियन मीट्रिक टन तथा अपतटीय क्षेत्र में 465 मिलियन मीट्रिक टन। यह कुल 779 मिलियन मीट्रिक टन बैठता है। हमारे पास केवल यही ऐसे भंडार हैं जहां से अभी तेल प्राप्त किया जाना है। जब मैं यह कहता हूं कि हमारे भंडारों की स्थिति में सुधार होना चाहिये तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि खोज संबंधी कार्यकलापों में सुधार आना

चाहिए। खोज संबंधी कार्यों को तेज किया जाना चाहिए ताकि शेष भंडारों की स्थिति में सुधार हो। केवल ऑयल इंडिया लिमिटेड अथवा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अथवा हमारे अन्य प्रयास जो अभी किये जा रहे हैं, पर्याप्त नहीं हैं। हमें ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग जो प्रयास अभी कर रहे हैं, उनको तेज करने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश की अनुमति देने के लिए सारे वर्ष सतत बोली के प्रयासों को तेज करना चाहिए। यह भी पर्याप्त नहीं है। तीसरे, हम घरेलू कंपनियों को गवेषणा के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी बात की आवश्यकता भारत को उस उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए है जो, 1997-98 से शुरू होने वाला है। हमने पिछले वर्ष 27 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन किया था और अब हम 44 मिलियन मीट्रिक टन तक उत्पादन करेंगे।

यदि हमें 44 मीलियन मीट्रिक टन अथवा इससे अधिक कायम रखना है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे दोहन के प्रयासों से वृद्धि होनी चाहिए ताकि हमारी शेष प्रत्यादेह भण्डारण स्थिति में सुधार हो सके । इसी कारण से अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियां प्रवेश कर रही हैं और स्पष्टतः जैसाकि मैंने कहा है और भी बहुत से देश हैं जो इस क्षेत्र में भारत के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं। अतः हम जिस वित्तीय एक मुश्त प्रस्ताव की पेशकश कर रहे हैं, वह भी उतना ही आकर्षक है जितना कि अन्य कोई।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, एक संसद सदस्य कर्मचारी दीर्घा में अधिकारियों से बात कर रहे थे। अभी अभी वह पीछे हट गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कृपया ऐसा न करें ऐसा करना उचित नहीं है।

[हिन्दी]

एंटी-रेबीज के टीके :

***664.+श्री छेदी पासवान :**

श्री राम कृपाल यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या गुणवत्ता नियंत्रण में प्रशिक्षण देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से एक ''एंटी रैबीज'' टीका केन्द्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कहां स्थित है;

(ग) क्या केन्द्र द्वारा ''रैबीज'' के उपचार के लिए कोई नया टीका और तकनीक विकसित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) रैबीज वेक्सीन उत्पादन तथा गुणवत्ता नियंत्रण में प्रशिक्षण के लिए भारतीय पाश्चूर संस्थान, कून्नूर को विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोग केन्द्र के रुप में निर्दिष्ट किया गया है।

(ग) और (घ) कुक्कुर -संबंधी उपयोग के लिए व्युत्पादित रैबीज वेक्सीन इनैक्टिवेटिड (अब्सॉर्बड) सैल कल्चर 1988 में रिलीज की गई थी। इसके बाद सतत् सैल लाइन वेरों पर तैयार की गई बी.पी.एल. इलेक्टिवेटिड रैबीज वैक्सीन की और परिष्करण विधियां तैयार की गईं।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं भूमिका में न जाते हुए सीधे प्रश्न पर आता हूं कि क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से एंटी रैबीज बनाने का कोई कार्यक्रम शुरू किया गया है या नहीं, यदि किया गया है, तो क्या यह कार्यक्रम सरकारी क्षेत्र में है अथवा निजी क्षेत्र की कंपनियों को दिया गया है और यदि निजी क्षेत्र की कंपनियों को दिया गया है, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे सरकार तथा जनता को क्या लाभ होगा?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, सरकारी क्षेत्र से सम्बद्ध इस संस्थान को विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोग केन्द्र निर्दिष्ट किया गया है। अन्य किसी भी निजी क्षेत्र की संस्था के साथ ऐसा गठबन्धन नहीं है। यह सहायता केवल भारतीय पाश्चुर संस्थान, कून्नूर के मामले में दी जा रही है।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से स्थापित एंटी रैबीज टीका केन्द्र ने कौन-कौन सी दवाइयां विकसित की हैं और उनके मूल्य क्या-क्या हैं तथा बुजुर्गों, लावारिसों व अपाहिजों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए कोई कार्यक्रम है अथवा नहीं, यदि है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, यह प्रश्न एंटी-रैबीज टीके से संबंधित है। यह सहयोग हमारे कुन्नूर संस्थान के साथ किया जा रहा है। वे एंटी रैबीज टीके के लिये एक आधुनिक औषधि तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में पहले से दो तरह के टीके उपलबध हैं। इस सहयोग के माध्यम से वे हमें हर तरह की वित्तीय और वैज्ञानिक सहातया प्रदान कर रहे हैं जिससे इस तरह के और अधिक टीके तैयार किये जा सकें।

डा. (श्रीमती) पदमा : रैबीज के उपचार के लिये एक तो कुक्कुर भ्रूण टीका है और दूसरा मानव द्वारा तैयार कोशणु टीका है। उन्होंने बताया है कि दोनों ही आम उपलब्ध हैं लेकिन यहां तक कि सी.जी.एच.एस. केन्द्रों पर भी यह उपलब्ध नहीं हैं। वास्तव में गरीब लोगों के कुत्ते द्वारा काटे जाने की संभावना अधिक होती है। मंत्री महोदय को इसको कम से कम सभी सरकारी अस्पतालों में तो उपलब्ध कराना ही चाहिए।

श्री पवन सिंह घाटोवार : यह टीका संगठन द्वारा चुने गये केन्द्रों पर उपलब्ध है। इस समय 13 सरकारी क्षेत्र की और निजी क्षेत्र की संस्था इस टीके का निर्माण कर रही हैं। हम इस मामले में आत्मनिर्भर हैं और इन्हें संबंधित सरकार अथवा संबंधित संगठन से जो क्रय आदेश प्राप्त होता है, उसके अनुसार ये संस्थाएं इसकी आपूर्ति करती हैं। देश में इस टीके की कोई कमी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सत्य देव सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज ऐंटी-रैबीज इंजेक्शन्स की पूरे देश में बहुत कमी है और यह प्राणघातक है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डेवलपमेंट और विदेश से सहायता के साथ-साथ जब तक ऐंटी-रैबीज इंजेक्शन्स की देश में कमी है और उत्पादन में वृद्धि या नई तकनीक विकसित नहीं हो पाती है, क्या ये इंजेक्शन्स विदेश से आयात करेंगे?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : वर्तमान समय में इस टीके के उत्पादन की स्थापित क्षमता 40 मीलियन है। हमने यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है क्योंकि ये संस्थाएं राज्य सरकार की मांग के अनुसार ही टीकों की आपूर्ति करती हैं। उन्हें कुछ कीमत देनी पड़ती है और फिर ये संस्थाएं टीकों की आपूर्ति करती हैं इसकी कोई कमी नहीं है और इसे देश से बाहर कहीं से लाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

डा. कृपा सिन्धु भोई : माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के भाग (ग) का पूरा उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने इसका अंशतः उत्तर दिया है। रैबीज का उपचार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में, एनेस्थिसिओलोजी विभाग में पहले से ही उपलब्ध है जोकि डा. गोवडे के समय से है जिन्होंने इस पर एक करोड़ रुपया व्यय किया है। उस उपचार केन्द्र की क्या हालत है। माननीय सदस्य ने रेबीप्यार और मानव द्वारा तैयार कोषणु टीके की सीधी एच. एस. द्वारा आपूर्ति के बारे में उल्लेख किया है।

डा. नकजीमा बता रहे थे कि जब तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इन टीकों के बचाव के लिये आगे नहीं आया था, जिनका जब निर्माण किया जा रहा है, ये टीके एलर्जीमुक्त नहीं थे मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय मेरे साथी मानव द्वारा तैयार कोषणु टीके तथा रेब्रिप्योर टीके में सुधार करने के लिए डा. पदमा के सुझाव पर विचार करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष डा. नकजीमा इस मामले में हमारे देश की सहायता करने को तैयार है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : दो तरह के टीके होते हैं, एक को एम.टी.वी और दूसरे को सेल्फ टिशु कल्चर टीका कहा जाता है। इसके नाम ह्यूमन डिपलायड सेल वैक्सीन मानव के कोषाणु से तैयार किया गया टीका? और प्यूरीफाईड चिक इम्ब्रयो फाइब्रो ब्लास सेल वैक्सीन है ये दो नये किस्म के टीके हैं। इनका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है और टीके विकसित करने के लिये हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ सहयोग की बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, सब लोग भली भांति जानते हैं कि पागल कुत्ते का काटा हुआ

व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता और इस नाते कुचला अर्थात् बिर्शातनदुग्ध (स्टिकनिंग) सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक औषधि है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कभी आपके विभाग ने प्रयत्न करके कुचला पर कोई संशोधन किया है? यदि किया है, तो कृपा करके स्पष्ट करें नहीं तो बताएं कि क्यों नहीं किया है ? **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, पहले कुत्ते से कटवाने का प्रयोग करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा सवाल यह है कि किस पर प्रयोग करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार घाटोवार : भारतीय चिकित्सा पद्धति काफी समृद्ध है और इसमें कई तरह की औषधियां हैं। कार्यवाही के लिये यह बहुत ही अच्छा सुझाव है।

डा. के. वी. आर. चौधरी : रैबीज एक लाईलाज बीमारी है। लेकिन रैबीज की रोकथाम के लिये रैबिप्योर तथा मानव के कोषाणु से तैयार किया गया टीका बहुत अधिक मंहगा है जोकि लगभग 2,000 रुपये का है। सी.यू.आर.ओ. द्वारा आपूर्ति किये गये ए.आर. बी. के बारे में मंत्री जी ने बताया है कि यह स्वतः पर्याप्त है। लेकिन यह स्वतः पर्याप्त नहीं है क्योंकि मैंने पांच वर्ष पूर्व कुछ पैसे जमा कराये थे। लेकिन आज तक उन्होंने औषधि की आपूर्ति नहीं की है। यह स्थिति है केवल जिला मुख्यालय स्थित अस्पतालों को यह टीका सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह उपलब्ध नहीं है। क्या मंत्री जी इसके उत्पादन में वृद्धि करायेंगे? लोमड़ी और कुत्तों में इस तरह का संक्रमण आम तौर पर होता है। इसे रोकने के लिये, हमें कुत्तों और ऊंटों से दूर रहना पड़ेगा। इस संबंध में क्या उपाय किये जा रहे हैं।

श्री पवन सिंह घाटोवार : इन टीकों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने बहुत ही सटीक प्रश्न पूछा है। इन्होंने कहा है कि इस दवाई की कीमत बहुत ही अधिक है और इस कारण से इसकी मांग नहीं की जा रही है।

[अनुवाद]

इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। क्या हम इस संबंध में कुछ कर सकते हैं?

श्री पवन सिंह घाटोवार : हमें इस पर गौर करना होगा।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : मेरे माननीय सहयोगियों ने ''रैबीज'' की रोकथाम के लिए औषधि के बारे में पूछा है। लेकिन किसी व्यक्ति को कुत्ते या किसी जानवर द्वारा काट लिए जाने के बाद हमें जो टीका लगवाना होता है वह बहुत मंहगा है। मुझे हाल ही में यह अनुभव हुआ है। हमारे मंत्री महोदय कह रहे है कि दो तरह के टीके अर्थात् हुमन डिप्लायेड सेल वैक्सीन और चिक इब्रयां वैक्सीन आसानी से उपलब्ध है और उनकी कीमत 200 रुपये से 300 रुपये तक है। 'हुमन डिप्लोयड सेल वैक्सीन' की कीमत 600 से 700 रुपये प्रति वैक्सीन है अतः हमारे मंत्री महोदय ऐसा कैसे कह सकते है कि यह गरीब लोगों को भी आसानी से उपलब्ध है? इनका उत्पादन काफी हो रहा है लेकिन ये औषधियां गरीब लोगों की पहुंच से बाहर हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह इस बात पर गौर करने के लिए तैयार हैं।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात पर विचार करेंगे कि इनऔषधियों को गरीब लोगों को भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

श्री पवन सिंह घाटोबार : मैं पहले ही कह चुका हूं कि संबंधित राज्यों की सरकारों को यह औषधि उन्हें प्राप्त करने हेतु मांग पत्र भेजना पड़ता है और इसका मूल्य चुकाना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सही तकनीकी उत्तर होगा लेकिन सदस्यगण यह समस्या उठा रहे हैं इसकी कीमतें बहुत अधिक है। क्या हम कीमतों को कम करने के लिए कुछ कर रहे हैं।

श्री पवन कुमार सिंह घाटोबार : यह कार्रवाई के लिए अच्छा सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : आप कह चुके हैं कि आप इस पर गौर करेंगे।

कोयला खानें

***665.+श्री मोहन रावले :**

श्री वसुदेव आचार्य :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. ने पचास कोयला खानों की, विशेषरुप से ताप विद्युत संयत्रों के लिए, कोयले की सीधी बिक्री करने संबंधी लागत अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया लि. ने इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट्स एण्ड वर्क्स एकाउन्टेट्स ऑफ इंडिया (आई.सी. डब्ल्यू.ए.आई.) से भी ऐसा अध्ययन कराने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैर-सरकारी पार्टियां कोयला खानों का प्रबंधन ठीक से नहीं करतीं और अन्धाधुन्ध खनन करती हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं। कोल इंडिया लि. (को.ई.लि) ने अपनी किसी भी कोयला खान के मामले मे सीधी बिक्री से संबंधित कोई लागत अध्ययन नहीं कराया हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) से (च) : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ग) और (घ) : सरकार ने कोयला खान विवरण (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में, अन्य बातों के अलावा, विद्युत का उत्पादन किए जाने के लिए कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दिए जाने हेतु, वर्ष 1993 में संशोधन कर दिया था।

इसके अनुसरण में कोल इंडिया लि. (को.ई.लि.) ने ग्रहीत खनन किए जाने के लिए 40 अप्रयुक्त अथवा उत्खनित न किए गए खान ब्लॉकों को विनिर्दिष्ट किया है। इस संबंध में भावी पट्टेदारों से अन्वेषण संबंधी लागत की वसूली किए जाने की दृष्टि से कोल इंडिया लि. ने इस संबंध में अध्ययन किए जाने तथा उपयुक्त सिफारिशें करने हेतु भारतीय लागत एवं निर्माण लेखाकार संस्थान (आई.सी.डब्ल्यू.ए.आई.) को नियोजित किया था।

(ड़) और (च) राष्ट्रीयकरण किए जाने से पूर्व अंधाधुंध रुप से उत्खनन किए जाने के कुछ मामले नोटिस में आये थे किन्तु अब उत्खनन को वैज्ञानिक रुप में विकसित किए जाने का और भावी निजी क्षेत्र के भागीदारों द्वारा कोयले के संरक्षण का सुनिश्चिय किए जाने के लिए पर्याप्त रुप में एहतियाती कदम उठाए जा रहे है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 50 कोयला खानों को बेचने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सेंट्रल माइनिंग, प्लानिंग और डिजाईन इंस्टीट्यूट, जहां योग्य और सक्षम अधिकारी हैं, उसने कॉस्ट स्टडी क्यों नहीं की? आप इसे ज्यौंट सेक्टर क्यों नहीं करते हैं जिससे सरकार का भी पार्टिसिपेशन रहेगा।।

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : जैसा कि मैंने उत्तर दिया कि कुछ भी हो किसी भी कोयला खान को एक कदम बेच दिए जाने का प्रश्न ही नहीं है। जहां तक संयुक्त क्षेत्र का संबंध है यह बात खुली है। यदि राज्य के साथ या कोल इंडिया लिमिटेड के साथ कोई संयुक्त क्षेत्र बनाया जाता है तो उसका भी स्वागत है। यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों के द्वारा की गई व्यक्तिगत दरखाश्त है। कुछ लोग व्यक्तिगत रुप से इस सभा द्वारा कोयला राष्ट्रीयकरण अधिनियम में किए गए संशोधन के बारे में बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था कि केन्द्र सरकार इसमें अपना सहयोग क्यों नहीं देती है? केन्द्र सरकार का भी इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्या कोयला खानों को निजी हाथों में बेचने से कोयले के दामों में अंधाधुंध वृद्धि नहीं हो जायेगी?

पार्टिसिपेशन न होने की वजह से कोयले के भी दाम बढ़ सकते हैं और बिजली के दाम बढ़ सकते हैं, यह सच है या नहीं ? दूसरे मैंने जो पूछा था, उसका आपने जवाब नहीं दिया, सैण्ट्रल माइनिंग, प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट से आप कास्ट स्टडी क्यों नहीं करा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : निजी उद्यम को अनुमति देने का एक कारण संसाधन की कमी है। यदि केन्द्र सरकार के पास पैसा होता तो संसाधन की कमी के नाम पर निजी उद्यम को पट्टे पर देने का प्रश्न ही नहीं उठता। संसाधन की उपलब्धता और शीघ्र कार्यान्वयन के लिए यह किया गया है क्योंकि हमें इस देश में उद्योग के विकास के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है और इसीलिए व्यवस्था की जा रही है। कैटिटव कोयला खान केवल ऊर्जा और लोहा तथा इस्पात के संबंध में दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : बसुदेव आचार्य जी क्षमा कीजिए प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नो के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति

***666. श्री वी.श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री तारा सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो चालू योजनावधि के दौरान इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और कितनी राशि का नियतन किया गया है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का इस पद्धति को बढ़ावा देने हेतु क्या ठोस कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ङ) देश में योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद्, जिसमें सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हैं, ने सिफारिश की है कि योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा में प्रतिष्ठादित उपयुक्त जीवन चर्चा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसंधान के संवर्धन के लिए केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक परिषद् को 3 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान को एक करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं।

गैस पाइपलाइनें

***667. श्री ए. वेंकटेश नायक :**

श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान गैस पाइपलाइनें बिछाने के लिए मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जहां मध्य प्रदेश सरकार से पाइपलाइन हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है वहीं कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक और अन्य दक्षिणी राज्यों के लिए एवं दक्षिणी गैस ग्रिड बिछाने हेतु अनुरोध किया है।

(ख) से (घ) सरकार ने पश्चिमी तट से किसी उपयुक्त स्थान से दक्षिणी राज्यों के लिए एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने के विचार को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है।

[हिन्दी]

रक्त दान

***668. श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमूल्य रक्त की कमी के कारण प्रतिवर्ष अनेक जरूरतमंद रोगियों की मृत्यु हो जाती है;

(ख) क्या सरकार का विचार स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह योजना कब तक लागू कर दी जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) इस विषय में कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) सरकारी संस्थाओं, इंडियन रेडक्रास सोसायटी, तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अन्य तरीकों के साथ-साथ जन प्रचार तथा शिविरों के माध्यम से स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कोयले का भंडार

***669. डा. महादीपक सिंह शाक्य :**

श्री नवल किशोर राय :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च,1994 के अंत में देश में कोयले की खानों के मुहानों पर भारी मात्रा में कोयला पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मात्रा और मूल्य कितना है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों की तुलना में 1993-94 में इस कोयला भंडार में कोयले की औसत मात्रा अधिक रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस औसत मात्रा की कोई सीमा निर्धारित की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) देश में 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार कोयले का पिटहैड स्टाक 50.89 मिलियन टन (अंनतिम) था। इसकी कीमत का पता वर्ष 1993-94 की लेखा-परीक्षा पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।

(ग) से (घ) दिनांक 31.3.1991, 31.3.1992, 31.3.1993 और 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार कोयले के पिटहैड स्टाक के संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(मिलियन टन में)

निम्न तारीख को	कोयले का स्टाक
31.3.1991	42.56
31.3.1992	48.58
31.3.1993	51.30
31.3.1994	50.89

(ङ) और (च) : जी, हां। तत्कालीन कोयला विभाग द्वारा कोल इंडिया लि. को दिनांक 12.8.1985 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार एक सहायक कंपनी समग्र रुप में अपने एक महीने के कोयले के उत्पादन के बराबर कोयले का स्टाक रख सकती है।

[अनुवाद]

''बाम्बे हाई'' क्षेत्र

***670. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक** गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ''बाम्बे हाई'' क्षेत्र से अधिक तेल प्राप्त करने संबंधी उनके प्रस्तावों पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया था;

(ख) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को पेशकश का उत्तर देने वाली कंपिनयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) से (ग) ओ.एन.सी.जी. ने बम्बई हाई क्षेत्र के अतिरिक्त विकास के लिए पर्याप्त प्रौद्योगिकीय और वित्तीय क्षमता वाली

कम्पनियों की रूचि का पता लगाया था। बोलियां प्राप्त होने की अन्तिम तिथि अर्थात् 10 अप्रैल, 1994 तक पांच बोलियां प्राप्त हो चुकी हैं।

जिन कंपनियों ने रूचि दिखाई है उनमें आमोको, शेवरॉन, आक्सीडेंटल और आर्को (सभी यूएसए की) तथा फ्रांस की टॉडल है।

बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

आयल इंडिया लिमिटेड

***671. श्रीमती शीला गौतम :**

श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑयल इंडिया लिमिटेड ने आगामी कुछ वर्षों के लिए तेल की खोज और उसके उत्पादन संबंधी कार्यक्रम का कार्यान्वयन आरंभ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तेल और रसोई गैस के उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) ऑयल इंडिया लि. को वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान क्रमशः 2.95 मि.टन, 3.08 मि.टन और 3.25 मि.टन क्रूड तेल के उत्पादन की आशा है। इन तीन वर्षों के दौरान 50,000 टन प्रति वर्ष एल.पी.जी. के उत्पादन की आशा की जाती है।

[अनुवाद]

बाल्यावस्था में दमा

***672. श्री सी.पी. मुदालगिरियप्पा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बच्चों में अन्य देशों के बच्चों की तुलना में बाल्यावस्था में दमा अधिक होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य में कितने बच्चे इस रोग से पीड़ित हैं; और

(घ) बच्चों में दमा की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जांएगें?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) : कोई तुलनात्मक सूचना उपलबध नहीं है।

(ग) कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) स्वास्थ्य शिक्षा, स्वच्छता में सुधार तथा प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों से दमा की घटनाओं में कमी लाने में सहायता मिलती है।

[हिन्दी]

सतही जल

***673. श्री गुमान मल लोढ़ा :**

श्री नीतीश कुमार :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष अनुमानत: कितना सतही जल उपलब्ध होता है;

(ख) क्या पचास प्रतिशत से अधिक सतही जल का उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ग) सिंचाई और अन्य प्रयोजनों के लिए अलग-अलग कितने सतही जल का उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) सतही जल के अधिकतम उपयोग हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) देश में 4000 घन किलो मीटर वार्षिक वृष्टिपात होता है जिसमें से नदियों में उपलब्ध औसत वार्षिक प्रवाह 1869 घन किलोमीटर है। स्थलाकृतिक, जल वैज्ञानिक और अन्य बाधाओं के कारण केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किये गए आकलन के अनुसार उपयोज्य सतही जल लगभग 690 घन किलोमीटर है। इसमें से, सिंचाई और अन्य प्रयोजनों के लिए सतही जल का वर्तमान (1990) उपयोग निम्नवत है :

प्रयोजन	सतही जल (घन किमी. में)
सिंचाई	310
घरेलू औद्योगिक ऊर्जा आदि जैसे अन्य प्रयोग	52

सतही जल के अधिकतम उपयोग के लिए उठाए गये कदम इस प्रकार हैं :

(1) वर्ष 1992 तक 194 वृहद और 81। मध्यम परियोजनाएं पूरी की गई है, जिनसे लगभग 166 घन किलोमीटर की सक्रिय भण्डारण क्षमता सृजित की गई है।

(2) 158 वृहद और 226 मध्यम परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जिनमें लगभग 76.7 घन किलोमीटर की अतिरिक्त सक्रिय भण्डारण क्षमता सृजित होगी।

(3) आठवीं योजना नीति में निर्माणाधीन वृहद और मध्यम परियोजनाओं को पूर्ण करना सुनिश्चित करने के लिए निधियों को सख्ती से प्राथमिकता देना है।

(4) वृहद और मध्यम परियोजनाओं के पुनर्स्थापना के लिए कुल 146 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण

योजनाएं शुरू की गयी हैं जिनमें से 1992 तक 51 पूर्ण हो गयी हैं तथा सृजित भण्डारण का उपयोग बढ़ाने के लिए 95 का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

(5) बड़ी संख्या में निर्माणाधीन सतही जल लघु सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करना।

(6) लघु सिंचाई सरोवरों की मरम्मत और सुधार करने को प्रोत्साहन देना।

(7) सरकार ने अधिशेष जल वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल अन्तरित करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी तैयार किया है जिसमें दो घटक नामशः हिमलायी नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक शामिल हैं। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 17 तथा हिमालयी घटक के अंतर्गत 19 अर्थात् कुल 36 जल अन्तरण सम्पर्क अभिज्ञात किए गए हैं। प्रायद्वीपीय घटक में 13 जल अन्तरण सम्पर्कों के लिए प्राथमिक व्यवहार्यता रिपार्टें तैयार की गयी हैं जिन्हें सहमति के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

औषधियों की आपूर्ति

***674. श्री हरिकेवल प्रसाद :**

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को औषधियों की आपूर्ति कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष प्रत्येक राज्य सरकार ने कितनी मात्रा में और कितनी कीमत की औषधियों की मांग की है और उसे कितनी औषधियों की आपूर्ति की गई है;

(ग) क्या संबंधित राज्यों को औषधियों की आपूर्ति समय पर की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) मलेरिया, कुष्ठ और क्षय रोग नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत औषधियों की मात्रा और मूल्य संलग्न विवरण -I, II, और III में दिए गए हैं।

(ग) औषधियों की आपूर्ति सम्बन्धित केन्द्रीय चिकित्सा सामग्री भण्डारों के माध्यम से व्यवस्था के अनुसार की गई हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष 1993-94 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मलेरिया रोधी औषधियों की आपूर्ति

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्लोरोक्विन गोलिया		एमोडियाक्विन		एस.फि.कॉम्ब गो.		प्राइमाक्विन (7.5)		प्राइमाक्विन(2.5)		क्वीनैन	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	215.00	102,55,500	–	–	–	–	5.10	61,100	1.30	10,400	–	–
2.	अरूणाचल प्रदेश	15.00	7,15,500	1.00	37,400	0.05	5,000	1.50	17,700	0.50	4,000	0.50	41,900
3.	असम	70.00	33,39,900	7.10	2,65,540	1.20	1,40,000	5.50	64,900	2.70	21,600	0.60	50,280
4.	बिहार	120.00	57,24,000	–	–	–	–	7.70	90,860	22.60	20,800	–	–
5.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	0.20	1,600	–	–
6.	गुजरात	135.00	64,39,500	2.00	74,900	–	–	23.00	2,71,400	–	–	–	–
7.	हरियाणा	115.00	54,85,500	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	0.50	5,900	–	–	–	–
9.	जम्मू व कश्मीर	10.00	4,77,000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	कर्नाटक	125.00	59,62,500	–	–	–	–	0.10	1,180	–	–	–	–
11.	केरल	–	–	–	–	–	–	5.70	67,260	1.60	12,800	–	–

1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	मध्य प्रदेश	220.00	104,94,000	8.00	2,99,200	1.00	1,00,000	11.90	1,40,420	3.00	24,000	–	–
13.	महाराष्ट्र	300	143,10,000	4.00	1,49,600	0.80	80,000	23.10	2,72,580	11.00	88,000	–	–
14.	मणिपुर	18.00	8,58,600	2.00	74,800	–	–	2.07	24,426	0.03	240	0.50	41,900
15.	मेघालय	–	–	7.00	2,61,800	0.62	64,000	0.70	8,260	0.20	2,400	0.50	41,900
16.	मिजोरम	0.50	23,850	1.00	37,400	0.10	10,000	2.70	31,860	0.30	2,400	0.70	58,660
17.	नागालैंड	–	–	1.50	56,100	0.10	10,000	1.09	12,862	0.11	880	0.20	16,760
18.	उड़ीसा	195.00	93,10,500	7.00	2,61,800	1.25	1,25,000	38.10	4,49,580	17.00	1,36,000	–	–
19.	पंजाब	143.00	68,21,100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	राजस्थान	95.00	45,31,500	–	–	–	–	8.94	1,05,492	–	–	–	–
21.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	0.01	118	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	80.00	38,16,000	–	–	–	–	24.20	2,85,560	8.40	67,200	–	–
23.	त्रिपुरा	10.00	4,77,000	–	–	–	–	1.30	15,340	0.70	5,600	0.50	41,900
24.	उत्तर प्रदेश	348.00	165,99,600	–	–	1.00	1,00,000	7.64	90,152	3.50	28,000	–	–
25.	पश्चिम बंगाल	90.00	42,93,000	1.00	37,400	–	–	3.10	36,580	–	–	0.139	11,646
	कुल राज्य	2304.50	1099,24,650	41.60	15,55,850	6.12	6,34,000	173.95	20,52,610	53.24	4,25,920	3,639	3,04,946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	विधा. मंडल वाले												
	सं.रा.क्षे. पांडिचेरी	1.50	71,550	–	–	–	–	0.17	2,006	0.03	640	–	–
	बिना वि.म.वाले सं.रा.क्षेत्र												
1.	अंडमान और निको.	2.00	95,400	3,50	1,30,900	0.60	70,000	–	–	0.05	400	0.50	41,900
2.	चंडीगढ़	10.00	4,77,000	–	–	–	–	2.00	23,600	–	–	–	–
3.	दादरा और न.हवे.	1.50	71,550	–	–	–	–	0.30	3,540	0.20	1,600	–	–
4.	दमण और दीव	1.00	47,700	–	–	–	–	0.07	926	0.03	240	–	–
5.	दिल्ली	22.00	10,49,400	–	–	–	–	1.60	18,880	0.30	2,400	–	–
6.	लक्ष्य द्वीप	–	–	–	–	–	–	0.01	118	–	–	–	–
	कुल बिना वि.म.वाले												
	राज्य	36.50	17,41,850	3.50	1,30,900	9.60	70,000	3.38	46,964	0.58	4,640	0.50	41,900
	महायोग	2342.50	1117,37,250	45.10	16,86,740	6.72	7,04,000	178.10	22102,580	53.90	4,31,200	4,139	3,46,846

विवरण-।।

वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई कुष्ठरोधी औषधें (लाखों में) और उनका मूल्य (लाखों में)

क्र.सं.	राज्य	रिफम्पिसिन कैपसूल 300मि.ग्रा.	क्लोफजिमाइन केप, 500 मि.ग्रा.	डेप्सोन गोली 100 मि.ग्रा.	मूल्य लाख रू.में
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	49.05	12.00	365.23	141.34
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.32	0.45	2.00	0.42
3.	असम	1.90	1.00	1.50	2.49
4.	बिहार	31.18	41.00	523.59	141.59
5.	·· वा	0.20	0.00	0.00	0.45
6.	गुजरात	7.75	10.00	0.00	93.69
7.	हरियाणा	0.40	0.00	1.00	1.02
8.	हिमाचल प्रदेश	0.70	3.00	0.00	1.18
9.	जम्मू व कश्मीर	0.20	0.00	1.00	1.51
10.	कर्नाटक	12.19	0.00	0.00	27.29
11.	केरल	16.50	0.00	0.00	36.91
12.	मध्य प्रदेश	37.85	72.47	424.60	154.60
13.	महाराष्ट्र	24.25	25.00	0.00	60.95
14.	मणिपुर	0.39	0.20	0.00	0.93
15.	मेघालय	0.32	0.00	1.00	0.76
16.	मिजोरम	0.52	0.50	1.50	1.74
17.	नागालैंड	0.52	0.25	1.00	1.64
18.	उड़ीसा	35.60	4.50	213.00	109.40
19.	पंजाब	0.90	1.00	1.00	1.53

1	2	3	4	5	6
20.	राजस्थान	2.25	2.50	0.00	6.40
21.	सिक्किम	0.42	0.25	1.00	1.35
22.	तमिलनाडु	32.80	0.00	0.00	141.32
23.	त्रिपुरा	0.92	2.20	2.00	2.97
24.	उत्तर प्रदेश	93.90	79.00	991.70	237.13
25.	पश्चिम बंगाल	48.50	45.00	310.15	133.26
26.	अंडमान निकोबार	0.12	0.20	1.00	0.16
27.	चण्डीगढ़	0.20	0.00	2.00	3.45
28.	दादर और न.हवेली	0.30	2.00	0.00	1.01
29.	दमन व द्वीप	0.10	1.00	0.00	0.49
30.	दिल्ली	0.75	3.00	2.00	3.66
31.	लक्षद्वीप	0.40	0.00	0.31	1.15
32.	पांडिचेरी	0.66	2.00	2.00	2.90

विवरण-III

राष्ट्रीय क्षय रोक नियंत्रण कार्यक्रम के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इंडेंट की गई औषधियों की मात्रा

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य	एस.एम. वायल्स	आई.एन. एच. 100	आई.एन. एच. 300	कम्बविग विग 200	इथमब्यूटान 200	इथमब्यू० 200	रिफैक्पि. 100	पाइजिना. 500	रिफैक्पि 450	आपूर्ति की गई औषधियों का मूल्य (आंकड़े लाखों में-अंनन्तिम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	6.13	39.11	61.95	73.40	22.25	34.20	18.35	17.85	-	68.94
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.05	6.70	9.75	6.75	3.05	4.25	6.10	2.20	-	7.43
3.	असम	21.55	28.75	45.50	56.75	34.40	44.30	21.50	23.65	-	48.51
4.	बिहार	25.75	57.80	73.20	52.95	39.00	60.90	19.85	12.35	-	9.90
5.	गोवा	0.95	-	7.00	-	0.15	-	3.00	2.50	-	1.21
6.	गुजरात	18.25	39.55	12.00	109.50	51.40	81.20	67.00	38.25	-	111.84
7.	हरियाणा	9.95	34.50	39.50	53.80	13.30	25.80	0.9	1.7	0.45	23.12
8.	हिमाचल प्रदेश	4.95	30.80	36.80	19.10	12.30	19.90	6.00	3.25	-	55.51
9.	जम्मू व कश्मीर	3.10	22.50	45.60	12.55	6.35	27.85	4.20	2.55	2.65	7.58
10.	कर्नाटक	6.15	36.73	98.10	48.70	25.30	66.50	15.15	16.45	-	102.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	केरल	6.10	81.98	82.27	6.90	56.15	70.30	19.50	13.25	–	37.18
12.	मध्य प्रदेश	16.40	86.90	158.90	96.15	64.40	104.40	35.47	43.07	6.28	142.15
13.	महाराष्ट्र	36.95	426.50	434.20	91.75	246.00	274.80	65.30	77.66	23.88	161.51
14.	मणिपुर	1.57	1.60	3.80	3.80	2.85	3.60	1.19	3.20	–	4.52
15.	मेघालय	2.10	1.30	8.50	2.60	3.00	3.50	2.00	1.50	1.00	7.66
16.	मिजोरम	0.44	1.50	4.10	0.45	1.02	2.70	0.56	0.65	–	24.10
17.	नागालैंड	0.70	1.85	2.20	0.30	1.00	1.80	0.80	0.50	0.30	2.19
18.	उड़ीसा	8.38	49.54	68.30	22.00	25.16	49.30	10.95	7.50	–	56.82
19.	पंजाब	12.38	29.25	35.15	21.15	16.47	32.00	2.85	4.50	–	28.12
20.	राजस्थान	15.75	20.95	78.50	62.95	20.85	48.70	4.05	6.40	4.90	36.08
21.	सिक्किम	1.00	1.00	3.00	2.25	1.00	1.00	0.50	0.50	–	0.74
22.	तमिलनाडु	10.90	181.40	212.40	46.50	69.00	130.00	24.75	20.30	–	114.25
23.	त्रिपुरा	1.05	2.50	12.30	11.70	2.25	5.50	1.25	0.50	8.25	6.14
24.	उत्तर प्रदेश	41.60	40.20	441.70	340.90	206.30	235.10	81.45	54.05	34.04	234.96
25.	पश्चिम बंगाल	39.80	31.00	56.50	70.00	57.25	68.30	30.70	18.80	–	139.14
26.	अंडमान निकोबार	0.25	2.00	3.00	0.25	2.50	3.00	1.50	0.50	–	1.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	चण्डीगढ़	0.50	0.50	1.50	1.50	1.00	1.00	0.50	0.30	0.30	1.94
28.	दा.नगर हवे.	0.40	1.00	2.00	-	0.80	1.70	-	-	-	0.09
29.	दमण दीव	0.40	-	1.50	0.10	0.40	1.50	-	-	-	0.01
30.	दिल्ली	1.00	30.00	80.00	30.00	30.00	40.00	8.00	10.00	-	110.03
31.	लक्षद्वीप	-	1.00	0.75	-	0.30	0.25	-	-	-	0.58
32.	पांडिचेरी	0.75	10.00	10.00	-	5.00	8.00	-	-	-	4.59
कुल योग											1551.45

[अनुवाद]

चिकित्सा शिक्षा

*675. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का विचार चिकित्सा शिक्षा में व्यापक परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पाठ्यक्रम में प्रमुख परिवर्तन कब से लागू किए जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी.शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गैस संयंत्र

*676. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के कितने संयंत्र कार्यरत हैं;

(ख) 1992-93 और 1993-94 के दौरान इन संयंत्रों द्वारा किए गए उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात में कुछ नए संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) देश में 13 रिफाइनरियां, 80 एलपीजी भराई संयंत्र, 3 एलपीजी संसाधन संयंत्र और अनेक अन्वेषण और उत्पादन परियोजनाएं कार्यरत हैं।

(ख) उपर्युक्त संयंत्रों के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

	1992-93	1993-94
	(000 टनों में)	
(1) कच्चे तेल का उत्पादन	26950	27015
(2) रिफाइनरी (क्रूड थ्रू पुट)	53482	54344
(3) एलपीजी भराई	2743	2794

संयंत्रों का उत्पादन (क्षमता)	(यथा 1.4.93) को	(यथा 1.1.94) को
(4) एलपीजी संसाधन संयंत्र	347.13	417.69

(ग) से (ड़) गुजरात में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा निम्नलिखित संयंत्र/परियोजनाएं खोले जाने का प्रस्ताव है :-

(1) अहमदाबाद में दो भराई संयंत्र और भावनगर में एक जिनकी कुछ क्षमता 110 टीएमटीए होगी।

(2) 8 एमएमएससी एम डी गैस थ्रूपुट के लिए गंधार में एक संयुक्त उद्यम गैस संसाधन काम्पलैक्स।

(3) कांडला में एलपीजी आयात सुविधाओं की स्थापना।

शरणार्थी

***677. डा. कार्तिकेश्वर पात्र :**

श्री अन्ना जोशी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न देशों से आये कितने-कितने शरणार्थी रह रहे हैं;

(ख) क्या सरकार कुछ श्रेणी के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता संबंधी अधिकार देने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री एस.बी.चव्हाण) : (क) से (ग) इस समय श्रीलंका, तिब्बत, बंगलादेश (चकमा और हाजोंग) तथा म्यानमार के 2,67,370 शरणार्थी, भारत के विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों में रह रहे हैं, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

जहां तक श्री लंका के शरणार्थियों का संबंध है, चूंकि वे श्रीलंका के नागरिक हैं, अतः उनको भारत की नागरिकता प्रदान करने का कोई प्रश्न नहीं है। तिब्बत शरणार्थियों के संबंध में, चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा कर लेने और दलाई लामा के भारत में आने के बाद, उनको तिब्बत शरणार्थियों के रुप में भारत में रहने की अनुमति दी गई तथा उनको विदेशी माना जाता है बशर्ते कि उनका पंजीकरण हो चुका हो तथा उन्हें निवासी परमिट प्रदान कर दिया गया हो। मार्च,1959 से पहले भारत में आए उन तिब्बती शरणार्थियों को जो उस समय से सामान्य रुप से भारत में रहे हैं, व्यक्तिगत आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान करने पर विचार किया जाता है। सरकार अरूणाचल प्रदेश के ऐसे चकमा और हाजोंग शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने पर विचार कर रही है जो 25.3.1971 से पूर्व भारत में आ गए थे। म्यानमार के शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

अद्यतन सूचना के अनुसार, प्रत्येक राज्य में, विभिन्न देशों से आए शरणार्थियों की संख्या नीचे दी गई है :-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शरणार्थियों की संख्या			
		श्रीलंका	म्यानमार	तिब्बत	बंगलादेश (चकमा तथा हाजोंग)
1.	तमिलनाडु	1,01,918	-	-	-
2.	जम्मू और कश्मीर	-	-	4,817	-
3.	हिमाचल प्रदेश		-	14,427	-
4.	उत्तर प्रदेश	-	-	12,252	-
5.	पंजाब	-	-	7	-
6.	हरियाणा		-	10	-
7.	चंडीगढ़	-	-	75	-
8.	दिल्ली	-	-	895	-
9.	बिहार	-	-	39	-
10.	पश्चिम बंगाल	-	-	3,396	-
11.	सिक्किम	-	-	4,967	-
12.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	5,911	30,000
13.	मेघालय	-	-	183	-
14.	उड़ीसा	153	-	3,249	-
15.	मध्य प्रदेश	-	-	1,798	-
16.	महाराष्ट्र	-	-	1,023	-
17.	पांडिचेरी	-	-	78	-
18.	कर्नाटक	-	-	26,823	-
19.	त्रिपुरा	-	-	-	54,710
20.	मणिपुर	-	37	-	-
21.	मिजोरम	-	17	-	-
22.	नागालैंड	-	545	-	-
		1,02,071	599	79,960	84,710

भूतपूर्व पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आए उन विस्थापित व्यक्तियों के आंकड़े इनमें शामिल नहीं हैं जो सरकारी सहायता से या अपने आप बस गए, क्योंकि राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ मान लिया गया है और उन्हें, अब शरणार्थी नहीं समझा जाता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोयला खनन

***678. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ :** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र से राज्य वार खनन किए गए कोयले का ब्यौरा क्या है;

(ख) असम से प्राप्त हाई-सल्फर और राखघटक की कम मात्रा वाले कोयले की उपयोग की क्या योजना है;

(ग) असम कोल से अन्य कौन-कौन से रसायनों का उत्पादन किया जाएगा; और

(घ) क्या सरकार का विचार असम कोल में सल्फर डाई-आक्साइड नैप्थैलीन और बेंजोल के उत्पादन की योजनाओं को कार्यान्वित करने का है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) 1993-94 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों में असम, मेघालय और अरूणाचल प्रदेश, राज्यों में 35 लाख टन कोयले का उत्पादन किया गया था। पिछले तीन वर्षों के nkSjku gq, dks;ys ds mRiknu dk jkT;okj C;kSjk lHkk iVy ij fooj.ki= I में रख दिया गया है।

(ख) और (ग) एक विवरण पत्र II सभा पटल पर रख दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

विवरण - I

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र द्वारा किए गए कोयले के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(लाख टन में)

राज्य	1991-92	1992-93	1993-94
असम	9.51	11.00	11.99
*मेघालय	-	-	23.00
अरूणाचल प्रदेश	-	-	0.01
जोड़	9.51	11.00	35.00

*मेघालय सरकार ने सूचित किया है कि स्थानीय आदिवासी मेघालय में खनन क्रियाकलापों में कार्यरत हैं, जोकि ऐसे खनन क्रियाकलापों को अपने पारंपरिक तथा रीति-रिवाजों के अधिकारों के अंतर्गत किए जाने का दावा करते हैं

विवरण-II

पूर्वोत्तर क्षेत्र से उत्पादित कुछ कोयले की किस्मों में उच्चतम पकाई तत्व प्रदर्शित होते हैं और ये उच्च सल्फर तत्व के साथ निम्न राख वाले हैं प्रत्येक वर्ष लगभग 3.0 लाख टन का इस तरह के कोयले को इस्पात सयंत्रों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है।

असम में ग्रेफाइट उद्योग के लिए, मुख्यत: निम्न राख वाले कोक का उत्पादन किए जाने हेतु, एक कोक ओवन संयंत्र की स्थापना की गई है।

इस क्षेत्र का कोयला उच्च मात्रा में निहित कार्बन, उच्च हाइड्रोजन और निम्न राख के साथ सेप्रोप्लिक मूल का होने के कारण असम के कोगले को तरल ईंधन में परिवर्तित किए जाने की संभावना अधिक है। एक प्रायोगिक संयंत्र (प्रतिदिन 25 कि.ग्रा. की आगत), जोकि निरन्तर रुप से दो चरणीय द्रवीकरण पर आधारित है, आयॅल इंडिया लि., दुलियाजान के स्थान पर अग्रिम चरण में निर्माणाधीन है।

भूमिगत जल

***679. श्री एस.एम. लालजान बाशा :**

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूमिगत जल का स्तर निंरतर घटता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) भूमिगत जल की कृत्रिम तरीकों से भरपाई करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यवार और संघराज्य क्षेत्रवार क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार को राज्य सरकार से जल की कृत्रिम रुप से भरपाई करने हेतु कुछ प्रस्ताव मिले हैं;

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने देश में भूमिगत जल की उपलब्धता के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या राज्य सरकारों को उनके भूमिगत जल भरपाई कार्यक्रम के लिए कोई वित्तीय सहायता दी गई है, और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) देश के स्थानीय पाकेटों में भूजल स्तर में धीरे-धीरे गिरावट आई है।

(ख) जनवरी, 1994 में किए गए प्रेक्षणों के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा,

हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के स्थानीय भागों में जनवरी, 1993 में किए गए इसी प्रकार के प्रेक्षणों की तुलना में भूजल स्तर में चार मीटर से अधिक की गिरावट पाई गई है। भूजल स्तर में गिरावट मुख्यतः बहुत अधिक भूजल निकासी और अपर्याप्त वर्षा के कारण हुई है।

(ग) केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में भूजल पुनर्भरण की एक माडल योजना शुरू की है। बोर्ड ने राज्य सरकारों द्वारा कृत्रिम पुनर्भरण योजनाएं तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश भी तैयार किए हैं और ऐसी योजनाओं को तैयार करने के लिए दिशा-निर्देशों की नियम पुस्तिका का मसौदा बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया गया है।

(घ) जी हां।

(ङ) मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(च) जी हां।

(छ) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भूजल संसाधनों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ज) जी नहीं।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत की भूजल संसाधन क्षमता

अनन्तिम

क्र.सं.	राज्य व संघ शासित क्षेत्र का नाम	कुल पुनर्भरणीय भूजल संसाधन मिलियन घन मीटर/प्रतिवर्ष
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	43365.87
2.	अरूणाचल प्रदेश	1438.50
3.	असम	21670.87
4.	बिहार	33521.00
5.	गुजरात	22551.71
6.	गोवा	605.33

7.	हरियाणा	8523.58
8.	हिमाचल प्रदेश	356.58
9.	जम्मू व कश्मीर	4425.85
10.	कर्नाटक	16186.94
11.	केरल	7900.28
12.	मध्य प्रदेश	59718.00
13.	महाराष्ट्र	38835.60
14.	मणिपुर	3154.00
15.	मेघालय	1226.00
16.	मिजोरम	आकलित नहीं
17.	नागालैंड	724.00
18.	उड़ीसा	23279.22
19.	पंजाब	17832.01
20.	राजस्थान	12707.64
21.	सिक्किम	आकलित नहीं
22.	तमिलनाडु	26391.25
23.	त्रिपुरा	2512.00
24.	उत्तर प्रदेश	83815.00
25.	पश्चिम बंगाल	22050.24
	कुल राज्य	452791.47
	संघ शासित क्षेत्र	
1.	अंडमान निकोबार	आकलित नहीं
2.	चण्डीगढ़	35.00
3.	दादर व नगर हवेली	42.00
4.	दिल्ली	292.00
5.	दमन व दीव	13.00
6.	लक्षद्वीप	आकलित नहीं

7.	पॉडिचेरी	244.00
	सभी संघ शासित क्षेत्र	626.00
	संपूर्ण भारत	453417.47

स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम

***680 श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 में ''यूनीसेफ'' की सहायता से देश में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आरंभ किए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1994-95 में और अधिक कार्यक्रम आरंभ किए जाएंगे; और

(घ) इन कार्यक्रमों को किन-किन राज्यों में आरंभ किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री.बी.शंकरानन्द) : (क) और (ख) शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम यूनीसेफ और विश्व बैंक की सहायता से अगस्त, 1992 में आरंभ किया गया था जिससे कि वर्ष 1996-97 तक चरणबार ढंग से सभी जिलों को कवर किया जा सके। यूनीसेफ कुष्ठ, मलेरिया, एड्स, आयोडीन अल्पताजन्य रोग नियंत्रण तथा कालाजार नियंत्रण जैसे अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए भी सहायता प्रदान करता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

भू-कटाव-रोधी योजनाएं

***566. श्री रुप चन्द पाल :**

श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गंगा बेसिन राज्यों, विशेषरुप से पश्चिम बंगाल के संबंध में किन्हीं कटाव रोधी योजनाओं को अंतिम रुप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) कटावरोधी योजनाओं का अन्वेषण, आयोजन और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा बाढ़ नियंत्रण क्षेत्रों की अपनी स्वयं की योजनागत निधियों में से तथा अपनी स्वयं की प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्रीय सरकार उन कार्यों में सहायता प्रदान करती है जो तकनीकी, उत्प्रेरक, तथा विकासोन्मुख प्रकृति के होते हैं। तथापि, राज्य

सरकारों द्वारा अनुभव की गयी निधियों की कमी के कारण राष्ट्रीय महत्व के गांवों कस्बों और स्मारकों के लिए क्रान्तिक कटावरोधी उपाय शुरू करने क वास्ते समान आधार पर गंगा बेसिन राज्यों की सहायता हेतु आठवीं योजना में 30 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गयी है।

(ग) वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान गंगा बेसिन राज्यों में क्रान्तिक कटाव रोधी योजनाओं के लिए प्रदान की गयी केन्द्रीय सहायता क्रमशः शून्य, 1.2 करोड़ रुपए तथा एक करोड़ रुपये थी।

बच्चों का अपहरण

7287. श्री अमर राय प्रधान : क्या गृह मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 के दौरान तथा 1994 में अब तक दिल्ली में अस्पतालों से 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों का अपहरण किए जाने के कितने मामले दर्ज हुए हैं ;

(ख) इन मामलों के संबंध में अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) कितने मामले हल कर लिये गये हैं और लंबित मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) ऐसे मामलों की रोकथाम के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) से (ग). वर्ष 1993 और 1994 (8.5.1994 तक) के दौरान बच्चों के अपरहण के मामलों की संख्या, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या तथा सुलझाए गए मामलों की संख्या और लम्बित पड़े मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :-

वर्ष	अपहरण के मामलो की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	सुलझाए गए मामलों की संख्या	लम्बित पड़े मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनका पता न लग सका
1	2	3	4	5	6
1993	1	-	-	-	1
1994 (8.5.1994 तक)	2	1	1	1	-

(घ) ऐसे मामलों की रोकथाम करने के लिए किए गए उपाए निम्न प्रकार हैं :-

(1) अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात किए गए बीट/डिवीजन स्टाफ को अधिक सतर्क और चौकस करने के लिए ब्रीफ किया गया है ताकि अस्पतालों से बच्चों के अपहरण की घटनाएं रोकी जा सकें।

(2) अस्पताल के स्टाफ को सलाह दी गई है कि वे असामान्य समय पर बाहरी व्यक्तियों का अस्पताल में बार-बार आना कम करें।

टूथपेस्ट में फलूराइड

7288. डा. सुधीर राय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अभी भी अधिक फ्लूराइड धारित वाला टूथपेस्ट बेच रही हैं;

(ख) यदि हां, तो टूथपेस्ट में कितना फ्लूराइड मिलाने की अनुमति दी गई है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे टूथपेस्ट की बिक्री रोकने हेतु कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (घ) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में यह व्यवस्था है कि टूथपेस्ट में फ्लूराइड की मात्रा 1000 पी.पी.एम. से ज्यादा नहीं होगी। निर्धारित सीमा से अधिक फ्लूराइड वाले टूथपेस्ट के विपणन पर औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के अधीन दण्डात्मक कार्रवाई होगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से प्राप्त शिकायतें

7289. श्री राम विलास पासवान : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत अत्याचार की शिकायतें दर्ज की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कावालू) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अस्पताल उद्योग के रुप में

7290. श्री माणिक राव होडल्पा गावीत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पतालों को उद्योग के रुप में मान्यता और कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के इनके द्वारा विश्व-स्तरीय स्वास्थ्य सुरक्षा संभव होने के संबंध में एक अस्पताल मंच द्वारा सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी.शंकरानन्द) : (क) से (ग) इस बारे में कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं मिले हैं।

[हिन्दी]

तेल का आयात

7291. श्री अंगबीर सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान तेल के आयात हेतु किन-किन देशों के साथ क्या-क्या समझौते किए गए हैं, और

(ख) प्रत्येक देश से समझौते के अंतर्गत कितना तेल आयात किया जायेगा और उसका क्या मूल्य होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) 1993-94 के दौरान इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने साऊदी अरब, आबू धाबी, कुवैत, ईरान, मलेशिया, कटार, यमन तथा रूस की राष्ट्रीय तेल कंपनियों से देश विशेष द्वारा घोषित सरकारी विक्रय मूलय पर आवधिक संविदाओं के तहत लगभग 17.50 एमएमटी क्रूड ऑयल आयात किया है।

[अनुवाद]

सिंगरेनी कोयला खानें

7292. श्री राम नाईक : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के पूंजीगत पुनर्गठन की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में हुए लाभ/घाटे का ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि कोई घाटा हुआ तो उसका क्या कारण है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (सि.को.कं.लि.) जिसे एक रूग्ण कंपनी घोषित किया गया था के पूंजीगत संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन की योजना को अंतिम रुप दे दिया गया है तथा इस बारे में 31.3.1994 को आदेश जारी कर दिये गये है। योजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(1) आन्ध्र प्रदेश सरकार 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान पहले से ही निवेशित 32.95 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त 8वीं योजना की अवधि के दौरान 487 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

(2) 402 करोड़ रु. तक की राशि के भारत सरकार के बकाया ऋण को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया जाएगा ताकि इसे आन्ध्र प्रदेश सरकार की इक्विटी के समान कर दिया जाए।

(3) 1993-94 के दौरान सि.को.क.लि. में इक्विटी के रुप में निवेशित करने के लिए भारत सरकार, आन्ध्र प्रदेश सरकार को 96 करोड़ रु. की राशि का ऋण देगी।

(4) भारत सरकार द्वारा 31.3.93 तथा सिं.को.कं.लि. की ओर देय 260.43 करोड़ रु. की ब्याज की

राशि तथा 107.73 करोड़ रु. की दण्डनीय ब्याज की राशि को बट्टे खाते डाल दिया जाएगा।

(5) भारत सरकार आठवीं योजना की शेष अवधि के दौरान ब्याज के भुगतान पर परिशोधन भी देगी तथा नौवीं योजनावधि के दौरान 5 समान किश्तों में उसका भुगतान करने के लिए पुनः समयबद्ध करेगी।

(6) भारत सरकार दिनांक 1.4.1994 से 30.00 रु. प्रति टन की सीमा तक कोयले की बिक्री कीमत में तदर्थ आधार पर एक बार वृद्धि किए जाने की भी कंपनी को अनुमति देगी।

(ग) से (घ) सिं.को.कं.लि. को वर्ष 1990-91 से 1992-93 के दौरान घाटा हुआ। इस संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(लाख रुपये में)

	1990-91	1991-92	1992-93
कोयला रसायन परिसर जिसमें क्रियाकलापों के परिणाम भी शामिल हैं	(-) 16572.18	(-) 20484.00	(-)12211.02

घाटे के मुख्य कारण निम्न थे - विपरीत कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, उत्पादन का नीचा स्तर, ऋण इक्विटी का बिगड़ता हुआ अनुपात, आदि।

कुष्ठ रोगी

7293. श्री डी.वेंकटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या

श्री सुल्तान सलाउद्दीन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में इस समय कुष्ठ रोगियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने डा. स्वामीनाथन समिति की सिफारिशें लागू करने का अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के लागू होने पर आंध्र प्रदेश में कुष्ठ रोगी कहां तक लाभान्वित होंगे; और

(घ) देश में कुष्ठ रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी. शंकरानन्द) : (क) आंध्र प्रदेश में 79701 रोगी (फरवरी, 1994)।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को डा. स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों पर आधारित

है आन्ध्र प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में चलाया जा रहा है। परिणामस्वरुप राज्य में 1981 तथा फरवरी 1994 के बीच पहले ही कुष्ठ रोगियों की व्यापतता में 89 प्रतिशत से अधिक की काफी कमी हुई है।

(घ) देश में कुष्ठ रोगियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में, 1981 तथा फरवरी, 1994 के बीच रोगियों की संख्या में 75 प्रतिशत से अधिक कमी हुई है।

चिकित्सीय सुविधाएं

7294. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को अपने कर्मचारियों के पति/पत्नियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सीय सुविधाएं बन्द करने का परिपत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसी प्रकार का परिपत्र सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों/बैंकों/स्वायत्तशासित निकायों को भी जारी किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो केवल भेल कर्मचारियों को ही परिपत्र जारी करने के क्या कारण हैं; और

(च) उक्त परिपत्र को वापस लेने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी.शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) से (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

"यूनीसेफ" द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाएं

7295. श्री हरीश नारायण प्रभु झांटये : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार "यूनीसेफ" की सहायता से कितनी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) इन परियोजनाओं पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च की जाएगी; और

(ग) इन परियोजनों के अंतर्गत राज्यवार/संघराज्य क्षेत्रवार कितनी सफलता मिली है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगकाबालू) : (क) सहयोग संबंधी सम्मत भारत देश कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के साथ यूनीसेफ के सहयोग की शुरूआत 1991-95 के लिए प्रचालन संबंधी संयुक्त मास्टर प्लान में की गई है। कार्यक्रम के वे क्षेत्र जिनके लिए 1991 से यूनीसेफ का सहयोग प्राप्त हो रहा है, निम्न प्रकार है :-

1. विशेष कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे।

2. किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन में लगे सरकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण

3. किशोर न्याय अधिनियम तथा बेसहारा बच्चों के संबंध में पुलिस को दिशा-निर्देशन।

4. बेसहारा तथा काम करने वाले बच्चों के लिए गैर सरकारी संगठन मंच।

5. गैर सरकारी संगठनों के नवीकरण संबंधी परियोजनाएं।

6. बेसहारा बच्चों विशेषकर कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों से संबंधित मुद्दों की वकालत और सार्वजनिक चेतना।

परियोजनाओं का कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आंबटन नहीं किया जाता।

(ख) 1994 में अखिल भारतीय व्यय के लिए अनुमानित आबंटन 900.000/- अमेरिकी डालर हैं जिसमें से 650.000/- अमेरिकी डालर कल्याण मंत्रालय के सहयोग से चलाये जाने वाले कार्यकलापों के लिए है।

(ग) ये परियोजनाएं सामान्यतः सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सफल हैं।

कच्चे तेल की खरीद

7296. प्रो. एम. कामसन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्चे तेल की उत्पादन स्थल से खरीद के लिए कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कच्चे तेल की उत्पादन स्थल से खरीद नामनिर्दिष्ट एजेन्सियों के माध्यम से की जायेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 1993 के दौरान इस प्रणाली से कितने तेल की खरीद की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादन स्थल से खरीद के लिए ऐसी ही प्रक्रिया निर्दिष्ट करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (छ) क्रूड आयल की स्थलगत खरीद इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा नियंत्रित की जाती है। तेल कंपनियों के पास पहले से पंजीकृत पार्टियों की निविदाएं जारी करने तथा अधिकतम लाभों के आधार पर दी गई संविदाओं के माध्यम से खरीद की जाती है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने 1993 के दौरान स्थलगत बाजार से लगभग 9.661 एमएमटी क्रूट ऑयल की पुष्टि कर दी थी। सिवाय इसके कि प्राप्त किए गए निम्नतम प्रस्ताव पर संविदाएं दी जाती हैं पेट्रोलियम उत्पादों की स्थलगत खरीद भी उपर्युक्त प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है।

कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थ

7297. श्री सनत कुमार मंडल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद या किसी अन्य विशेषज्ञ निकाय द्वारा कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थों की पहचान के लिए कोई अध्ययन या नए परीक्षण किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम रहा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी. शंकरानन्द) : (क) जी नहीं

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

7298. श्री एन.जे. राठवा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के आयात की किन शर्तों पर अनुमति दी जा रही है;

(ख) क्या सरकार पैट्रोल और प्राकृतिक गैस का आयात करने के लिए कंपनियों को कोई वित्तीय सहायता दे रही है;

(ग) यदि हां, तो कंपनियों को यह सहायता किन शर्तों पर दी जा रही है; और

(घ) इन कंपनियों को बाजार में इन उत्पादों की बिक्री किन शर्तों पर करने दी जा रही है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) लागू आयात-निर्यात नीति के अंतर्गत सभी नियंत्रणमुक्त पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किसी भी पार्टी द्वारा किया जा सकता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) निजी पार्टियों नियंत्रणमुक्त पेट्रोलियम उत्पादों का बाजार सापेक्ष कीमतों पर देश भर में विपणन करने को स्वतंत्र हैं। परन्तु नेफ्था के आयातकर्ता को ''रिटर्न स्ट्रीम'' केवल तेल शोधनशालाओं को ही बेचना होता है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य योजनाएं

7299. श्री पी.सी. थामस : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजनाओं हेतु सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान केरल के लिए स्वीकृत की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत दी गई सहायता तथा केरल द्वारा उपयोग की गई सहायता राशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां। केरल राज्य को विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रत्येक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अनुसार औषधों, कीटनाशकों की सप्लाई के रुप में सहायता तथा नकद सहायता दी गई थी।

(ख) और (ग) केरल राज्य को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्य द्वारा खर्च/समुपयोग की गई राशि की सूचना भी दी गई है।

विवरण

केरल राज्य में 1991-92, 1992-93, 1993-94 के वित्तीय आबंटनों/व्यय लाख रुपये में

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	1991-92		1992-93		1993-94	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1.	फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम सहित राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	8.50	8.50	42.59	42.59	17.74	17.74
2.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	38.00	30.64	47.00	91.85	77.00	37.18
3.	राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम	105.00	87.10	105.00	146.15	135.00	140.76
4.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	40.70	21.73	29.69	20.42	52.78	15.89

महिलाओं के विरुद्ध अपराध

7300. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 और 1994 में अब तक प्रतिमाह दिल्ली में बलात्कार, दहेज, हत्या और महिलाओं के विरुद्ध हुए अन्य कितने अपराधों की जानकारी मिली है;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) कितने मामलों को निपटाया गया है और कितने लम्बित हैं; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) वर्ष 1993 और 1994 (31.3.1994 तक) के

दौरान दिल्ली में महिलाओं के प्रति हुए बलात्कार, दहेज, मृत्यु और अन्य अपराधों के दर्ज मामलों की माह-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) और (ग) हल किए मामलों की संख्या, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और उनके खिलाफ की गयी कार्रवाही का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(घ) इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानतीय बनाया गया है।

2. भारतीय दंड संहिता में एक नयी धारा जोड़ी गयी है, जिसमें पति द्वारा या सुसराल वालों द्वारा किसी महिला को तंग किए जाने और क्रूरता बरतने संबंधी अपराधों को संज्ञेय अपराध बनाया गया है।

3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नई उप धारा 113-क और 113-ख जोड़ी गयी है, जिसमें यह व्यवस्था है कि यदि दहेज के लिए तंग किए जाने या क्रूरता बरतने का मामला सिद्ध हो जाता है तो न्यायालय इसे, विवाहित महिला को आत्महत्या करने/दहेज मृत्यु के लिए उकसाने का अपराध मान सकता है।

4. जब किसी महिला की मृत्यु संदेहास्पद परिस्थितियों में होती है तो उस मामले में एस.डी.एम द्वारा मरणोपरान्त जांच करना अनिवार्य बना दिया गया है।

5. महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के लिए एक विशेष एकक गठित किया गया है। दिल्ली पुलिस के प्रत्येक जिले में भी ऐसे एकक-गठित किये गये हैं।

6. महिलाओं के साथ छेड़छाड़ इत्यादि के मामलों को रोकने के लिए कन्या महाविद्यालय और स्कूलों, चलती हुई बसों और प्रमुख बाजारों में जहां महिलाएं अक्सर आती हैं, पुलिस कार्मिकों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है।

विवरण - I

वर्ष माह	दहेज मृत्यु	बलात्कार	महिलाओं का उत्पीडन	भा.द.सं. 406 (दहेज से संबंधित)	भा.द.सं. 498-क (पति और ससुराल वालों द्वारा क्रूरता)	दहेज निषेध अधिनियम	महिलाओं के साथ छेड़छाड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1993							
जनवरी	5	28	15	16	46	-	148
फरवरी	9	39	14	30	41	1	158

1	2	3	4	5	6	7	8
मार्च	5	26	20	32	70	1	169
अप्रैल	15	37	24	22	61	–	165
मई	12	27	26	19	58	1	184
जून	18	28	35	26	75	1	226
जुलाई	10	22	33	26	76	2	189
अगस्त	8	18	25	23	79	–	223
सितम्बर	10	32	22	28	91	1	173
अक्तूबर	13	20	20	17	58	–	199
नवम्बर	11	15	11	21	49	–	131
दिसम्बर	6	14	15	47	88	1	143
1994							
जनवरी	9	19	22	34	66	1	142
फरवरी	4	18	18	22	71	1	166
मार्च	7	21	22	24	72	2	214

विवरण - II

वर्ष	सूचित मामलों की संख्या	रद्द किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	न्यायालयों में दायर मामलों की संख्या	मामले समाप्त हुए		मामलों की संख्या		पता न लगे मामले	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध न्यायालय में मामले दायर किए गए	व्यक्तियों की संख्या		व्यक्तियों की सं. जिनके विरुद्ध मामले		रिहा किए गए व्यक्तियों की संख्या
					दोष सिद्ध में	दोष व्यक्ति में	विचारण के लंबित	जांच के लंबित				दोष सिद्ध	बरी हुए	विचारण के लिए लंबित पड़े हैं	जांच पड़ताल के लिए लंबित पड़े हैं	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
दहेज मृत्यु																
1993	122	–	119	91	–	–	91	31	–	327	257	–	–	257	70	–
1994	20	–	18	1	–	–	1	19	–	49	4	–	–	4	45	

(31.3.1994 तक)

बलात्कार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1993	306	17	274	201	–	2	199	82	6	423	315	–	2	313	97	11
1994 (31.3.94 तक)	58	–	54	4	–	–	4	54	–	89	4	–	–	4	85	–

महिलाओं के साथ छेड़छाड

1993	260	4	247	206	4	–	202	46	4	331	275	5	–	270	53	3
1994 (31.3.94 तक)	62	–	56	20	–	–	20	42	–	67	26	–	–	26	41	–

भा.द.सं. 406 (दहेज से संबंधित)

1993	307	14	185	113	–	–	113	178	2	441	257	–	–	257	180	4
1994 (31.3.94 तक)	80	–	32	–	–	–	5	73	2	51	8	–	–	8	43	–

भा.दं.सं. 498-क (पति या ससुराल वालों द्वारा क्रूरता)

1993	792	5	669	440	1	1	438	344	3	2004	1389	1	1	1387	612	3
1994	209	1	126	26	–	–	26	180	2	297	83	–	–	83	210	4

(31.3.94 तक)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									दहेज निषेध अधिनियम							
1993	8	1	5	4	-	-	4	3	-	12	10	-	-	10	2	-
1994	4	-	2	-	-	-	-	4	-	12	-	-	-	-	12	-
(31.3.94 तक)																
									महिलाओं के साथ छेड़खानी							
1993	2108	-	2106	2101	1995	17	89	6	1	3458	3452	3321	18	113	6	-
1994	522	-	522	516	505	3	8	6	-	835	824	810	4	10	11	-
(31.3.94 तक)																

कोयला उत्पादन

7301. श्री एस.वी. सिदनाल : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के लिए कोयला उत्पादन का वर्षवार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस अवधि के दौरान वास्तव में कितना मात्रा में कोयले का उत्पादन किया गया; और

(ख) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वेस्टर्न कोलफील्ड लि. के संबंध में निर्धारित किए गए कोयले के उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया था। इस संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(मि. टन में)

वर्ष	कोयले का उत्पादन	
	लक्ष्य	वास्तविक
1991-92	24.60	24.73
1992-93	25.00	25.75
1993-94 (अंनतिम)	26.00	26.51

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोयले की खानें

7302. श्री उद्धव बर्मन : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोयला खानों के दोहन की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में "डीसल्फराईजेशन प्लांट" लगाने का विचार किया गया है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि) पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहले ही कोयले की खानों का प्रचालन कर रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में को.ई.लि. की खानों से वर्ष 1993-94 में 1.2 मि.टन (अंनतिम) कोयले का उत्पादन प्राप्त हुआ।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के उत्पादित कोयले में उच्च सल्फर की समस्या का समाधान निकाले जाने की दृष्टि से को.ई.लि. ने इन कोयले को सल्फर रहित किए जाने के लिए एक उपयुक्त प्रौद्योगिकी का एक अनुसंधान कार्य

शुरू किया था। अभी तक आर्गेनिक सल्फर को हटाए जाने के संबंध में किसी भी उपयुक्त प्रौद्योगिकी को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

7303. श्री चितेन्द्र नाथ दास : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान जेल में रहे स्वतंत्रता सेनानियों को अपने राज्यों की जेलों में रहें। स्वतंत्रता सेनानियों से अधिक पेंशन मिल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) भूतपूर्व अंडमान राजनैतिक कैदियों द्वारा, सेल्यूलर जेल में भोगी गई यातनाएं अनन्य प्रकार की थीं और उनकी तुलना अन्य जेलों में भोगी गयी यातनाओं से नहीं की जा सकती।

पुरूषों के लिए गर्भ निरोधक

7304. श्री शशि प्रकाश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुरूष गर्भ निरोधक के विकास के लिए किसी समिति या कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में पुरूष प्रजनन जीव विज्ञान पर इस समय कोई अनुसंधान कार्य चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रजनन जीवन विज्ञान का कोई अलग विभाग है जिसमें पुरूष प्रजनन जीवन विज्ञान पर अनुसंधान करने तथा पुरूष गर्भ निरोधक उपायों को विकसित करने के कार्य को प्राथमिकता दी जाती है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या अनुसंधान किए गए हैं और किए जायेंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने पुरूष गर्भ-निरोधक के अनुसंधान की मानीटरिंग करने के लिए ख्याति प्राप्त चिकित्सा वैज्ञानिकों का एक कृतिक बल गठित किया है।

(ग) से (च) जी हां। चल रहे अनुसंधान में पुरूष गर्भ निरोधक इम्युनो-गर्भ निरोधक के शुक्राणु विशिष्ट एंटीजनों का विकास और पुरूष अप्रजननता पर अध्ययन करना शामिल है।

कोयला खान

7305. प्रो0 सावित्री लक्ष्मण : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कोयला खानों की संख्या कितनी है जिन्हें या तो लाभ अर्जित करने वाली खानों के रुप में पुनर्गठित किया जा सकता है या जिनमें होने वाली हानि को कम किया जा सकता है; और

(ख) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोयला कंपनियां, नामतः ईस्टर्न कोलफील्ड लि., साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लि.. सेंट्रल कोलफील्डस लि. तथा वेस्टर्न कोलफील्ड लि. में, उन कोयला खानों जिनकी लाभकारी बनाने के ध्येय से उनके लिए पुर्न संगठनात्मक योजनाएं आरंभ की गई है, उनकी संख्या 61 है।

उपर्युक्त कोयला कंपनियों तथा भारत कोकिंग कोल लि., नार्दन कोलफील्ड लि. और महानदी कोलफील्ड लि. में कोयला खानों जिसमें घाटा कम करने के लिए उद्देश्य से कार्रवाई योजना बनायी गई है, की संख्या 86 है।

(ख) इस संबंध में उठाए गए विभिन्न कदम, संक्षिप्त रुप में, नीचे दिए गए हैं :

1. विभिन्न आर्थिक उपायों को अपनाना, जैसे श्रमशक्ति का युक्तिकरण, नियंत्रणीय लागत में कमी, समीपस्थ खानों के साथ अधसंरचनात्मक सुविधाओं को संविवरण तथा बेहतर बिक्री वसूली के लिए गुणवत्ता पर नियंत्रण करना।

2. कार्य जिलों की संख्या में वृद्धि करके, हॉलेज क्षमता आदि में वृद्धि करके, खनन की सुधरी हुई प्रणाली के द्वारा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना।

3. ऐसी खानें जिनका कोई भविष्य नहीं है, उन खानों मे निवेश करने की बजाय सुधार के लिए गुंजाइश वाली खानों में संसाधनों का अच्छा उपयोग करना।

4. ऐसी खानों को बंद करना जिसमें न्यूनतम भंडार है तथा जिनमें चरणों में सुधार किए जाने की कोई आशा नहीं है।

दिल्ली पुलिस द्वारा भिखारियों के विरुद्ध अभियान

7306. श्री अमर राव प्रधान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने राजधानी में विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए भिखारियों के विरुद्ध कोई अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अभियान को कितनी सफलता मिली है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि अन्य बातों के साथ साथ यह पता लगाने के लिए कि भीख मांगने के उद्देश्य से इन बालकों का उपयोग करने वाला कोई गिरोह तो काम नहीं कर रहा है, दिल्ली के विभिन्न भागों में बाल भिखारियों के

खिलाफ महीने भर तक चलने वाला एक विशेष अभियान 1.4.1994 से शुरू किया गया है। अब तक 1248 बाल भिखारियों से पूछताछ की गई और उन सभी को किशोर कल्याण बोर्ड में भेज दिया गया।

आदिवासियों का विलोपन

7307. मेजर जनरल (रिटायर्ड) श्री भुवनचन्द्र खन्डूरी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिरहोर जनजाति (बिहार के छोटानागपुर क्षेत्र के वनवासी) विलोपन के खतरे का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो 1981 और 1991 की जनगणना के अनुसार इस जनजाति की जनसंख्या कितनी थी; और

(ग) सरकार के द्वारा इसके विलोपन को रोकने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए है यां उठाने जा रहे हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी.तंग्कावालू) : (क) जी, नहीं। भारत के महापंजियक के अनुसार बिहार के छोटानागपुर क्षेत्र के बीरहोर की जनसंख्या 1971 में 3262 से बढ़कर 1981 में 4330 हो गई है।

(ख) भारत के महापंजियक द्वायरा 1991 की जनगणना के अनुसार बीरहोर आदिवासियों के जनसंख्या आंकड़ों को तालिकाबद्ध नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पाइपलाइन पुल

7308.श्री जी.एम.सी. बालयोगी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण आंध्र प्रदेश के के.जी. परियोजना क्षेत्र के परिवहन के लिए किसी फुटपाथ पाइपलाइन पुलों का निर्माण करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) के.जी. बेसिन के क्षेत्र में गैस पाइपलाइन के बिछाने हेतु निर्मित किए जाने वाले पुलों के साथ साथ फुटपाथ की व्यवस्था करना प्रस्तावित नहीं है।

उड़ीसा में रसोई गैस की एजेंसियां

7309. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में रसोई गैस की कितनी एजेंसियां थीं;

(ख) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस राज्य में रसोई गैस की एजेंसियों में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1.1.1994 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में एलपीजी को 85 डिस्ट्रीब्यूटरशिपे कार्यरत थीं।

(ख)और (ग) 1992-94 की चालू एलपीजी विपणन योजना में उड़ीसा के लिए 6 और एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिपे शामिल की गई हैं। विद्यमान नीति के अनुसार, आर्थिक व्यवहार्यता होने पर 20,000 और उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर चरणों में एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने का विचार किया जाता है। उड़ीसा सहित सम्पूर्ण देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूरशिपों में और वृद्धि करना उत्पादन की उपलब्धता तथा स्थानों की आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

बांध का निर्माण

7310. श्री भगवान शंकर रावत : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास राज्य में बहने वाली नदियों पर बांध के निर्माण हेतु किसी प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वीकृति कब तक दे दी जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

उत्तर प्रदेश सरकार के वराज प्रस्तावों की स्वीकृति की स्थिति

क्रम सं.	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	अनुमानित लागत (लाख रु.)	लाभान्वित क्षेत्र (हेक्ट.)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
वृहद सिंचाई					
1.	बेवार पोषक परियोजना	9/88	2791	9,800 (अतिरिक्त)	राज्य सरकार को पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी है।

1	2	3	4	5	6
मध्यम परियोजनाएं					
2.	हिंडन कृष्णी दोआब में खरीफ चैनल प्रदान करना।	4/93	1553	3,000	राज्य सरकार को अपने वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करनी है।
जल आपूर्ति योजनाएं					
3.	गोकुल बराज	7/87	2975	आगरा और मथुरा को जल आपूर्ति	केन्द्रीय जल आयोग ने तकनीकी रुप से फरवरी, 89 में इस शर्त पर स्वीकृति की कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए। बाढ़ डिजाइन गावों की पुनरीक्षा कर ली जाए एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा की जाने वाली आपूर्ति संबंधी घटक की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए
4.	कानपुर	9/93	17291	कानपुर को जल आपूर्ति	भू आकृति अध्ययन, बराज से विस्तृत अन्वेषणों, पर्यावरणीय स्वीकृति क अध्यधीन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नवंबर, 1993 में तकनीकी रुप से स्वीकृत।
5.	आगरा बराज	12/93	6042	आगरा को जल आपूर्ति	जल विज्ञान, अंतर्राज्यीय मामलों तथा डिजाइनों पर मार्च, 94 में भेजी गई केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना राज्य सरकार द्वारा की जानी है।

टिप्पणी : परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मुल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालन करती है एवं पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करती है।

[अनुवाद]

नया नगर निगम कानून

7311. श्री पवन कुमार बंसल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के लिए नए नगर निगम कानून में संविधान के भाग 9-ए के प्रावधानों के प्रतिकूल प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कानून कब तक अधिनियमित हो जाएगा और चण्डीगढ़, मे नगर निगम विधि कब तक लागू किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) से (ग) संघ शासित क्षेत्र, चंडीगढ़ प्रशासन ने ''पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966'' की धारा 87 के अधीन, संघ शासित क्षेत्र, चंडीगढ़, में भी अद्यतन संशोधित पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1976 को लागू करने का प्रस्ताव किया है।

संविधान के अनुसार सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए यह आवश्यक है कि वे 31, मई, 1994 तक अपने कानूनों की संगति संविधान के भाग 9-क के साथ बैठाएं। यह बात चंडीगढ़ पर भी लागू होती है।

मूलभूत द्रविड पेट्रोलियम

7312. डा. विश्वनाथन कैनिची : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एल.पी.जी. के उत्पादन का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो खाना पकाने के प्रयोजन से प्राकृतिक गैस के मिश्रण के संबंध में किये गये अनुसंधान और विकास कार्य का क्या परिणाम निकाला है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) देश में पेट्रोलियम कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस संसाधित करके तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का उत्पादन किया जाता है तथा इसका उपयोग अन्य प्रयोजनों के साथ साथ खाना पकाने के लिए भी किया जाता है।

[हिन्दी]

बोगस एजेंसियां

7313. श्री वृशिण पटेल :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा अन्य बड़े शहरों में बोगस एजेंसियां स्थापित करके दूसरे देशों में नौकरियां दिलाने

के नाम पर नागरिकों से करोड़ों रुपये लूटे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले सरकार की जानकारी में आये; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि ऐसे कई मामले ध्यान में आये हैं। दिल्ली में वर्ष 1991,1992,1993 और 1994 (31.3.1994 तक) के दौरान सूचित किए गए ऐसे मामलों तथा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई, संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष	सूचित किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिनके विरूद्ध न्यायालय में मामले दायर किए गए	दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या	दोष मुक्त व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिनके विरूद्ध मामले, मुकदमें के लिए लम्बित हैं।	उन व्यक्तियों की संख्या जिनके विरूद्ध मामले जांच के लिए लम्बित हैं	छोड़ दिए गए व्यक्तियों की संख्या
1991	16	18	18	-	2	16	-	-
1992	10	11	9	-	-	9	2	(3 व्यक्तियों को घोषित करार दिया गया)
1993	33	48	38	-	-	38	10	-
1994. (31.3.1994 तक)	4	6	3	-	-	3	3	-

स्वास्थ्य रक्षा और पर्यावरण पर सम्मेलन

7314. श्री बारे लाल जाटव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 मार्च, 1994 को पर्यावरण और स्वास्थ्य रक्षा पर विशेषज्ञों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्मेलन में की गयी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए की गई अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (घ) भारतीय विधि संस्थान ने हाल ही में दिल्ली में 21 से 25 मार्च,1994 तक एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए कानून के प्रभावी प्रयोग के पहलू पर विचार-विमर्श किया गया।

[अनुवाद]

तिहाड़ के कैदी

7315. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 मार्च, 1994 के हिन्दुस्तान टाइम्स में 26 तिहाड़ इनमेटस थ्रेटन स्यूसाइड शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आजीवन कारावास का दण्ड भोग रहे तिहाड़ जेल के कैदियों ने दण्ड समीक्षा बोर्ड की बैठकें आयोजित करने में विलम्ब के लिए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है;

(घ) यदि हां, तो बोर्ड की अन्तिम बैठक कब आयोजित की गई थी और बैठकें आयोजित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) समय-समय पर बैठकें आयोजित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि पात्र मामलों की पुनरीक्षा करने के लिए दंड समीक्षा बोर्ड, की बैठक 29.3.1994 तथा 12.4.1994 को हुई थी।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) अंतिम बैठक 12.4.1994 को हुई थी।

(ङ) दिल्ली जेल मैनुअल के उपबंधों के अनुसार, 19.12.1978 को या उसके बाद ऐसे अपराधों में जिनमें मृत्यु दण्ड भी दिया जा सकता है, दोष सिद्ध हुए कैदी के 14 वर्ष के कारावास के मुख्य भाग के पूरा होने से कम से कम 6 महीने पहले, जेल अधीक्षक, कारावास की सजा पूरी होने पर कैदी को रिहा करने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रशासक को लिखेगा। जब कभी पात्र दोषी व्यक्तियों को सजा की अवधि पूरी हो जाती है तो दंड समीक्षा बोर्ड की बैठक निश्चित की जाती है।

[हिन्दी]

लापता झण्डे के मामले की जांच

7316. श्री आनन्द अहिरवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी की स्वर्गीय रानी लक्ष्मी बाई के लापता ऐतिहासिक झण्डे से संबंधित मामले की जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच कब तक पूरी कर ली जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, दिल्ली ने सूचित किया है कि पूरी तरह से छानबीन करने के बावजूद मामले को हल नहीं किया जा सका।

(ग) मामले को समाप्त करने की एक रिपोर्ट दिनांक 11.4.1991 को चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रस्तुत कर दी गयी है। रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सरकारिया आयोग

7317. श्री रवि राय :

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारिया आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए अंतर राज्यीय परिषद की एक उप समिति की स्थापना की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस उप समिति के कौन-कौन से सदस्य हैं;

(ग) सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर उप समिति ने कितनी बार चर्चा की है;

(घ) उप समिति ने क्या सुझाव दिए है; और

(ड.) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उप समिति के संयोजक केन्द्रीय गृह मंत्री हैं और केन्द्रीय वित्त मंत्री और केन्द्रीय कल्याण मंत्री उप समिति के सदस्य हैं। असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मुख्य मंत्री भी उप समिति के सदस्य हैं।

(ग) उप समिति ने अभी तक, 26 सितम्बर, 1991, 7 दिसम्बर, 1991, 15 जनवरी, 1991, 15 सितम्बर, 1992, 11 फरवरी, 1993 और 24 अप्रैल, 1993 को 6 बैठकें की।

(घ) और (ड़) 247 सिफारिशों में से, 191 पर विचार कर लिया गया है। इनमें से 119 को बिना किसी संशोधन के, 36 को संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है और 24 को स्वीकार नहीं किया गया है।

11 सिफारिशों पर कोई सहमति नहीं हुई और 1 सिफारिश पर आंशिक रुप से विचार किया गया। सरकारिया आयोग की सभी सिफारिशों पर अपना विचार-विमर्श पूरा कर लेने के बाद उप-समिति अपने विचार अन्त-राज्यीय परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करेगी। अन्त-राज्यीय परिषद के विचार प्राप्त होने के बाद सरकार विभिन्न सिफारिशों पर निर्णय लेगी।

फार्मेसी कोर्स

7318. श्री राम कापसे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्मेसी कोर्स में डिप्लोमा के लिए शिक्षा विनियम, 1991 को लागू नहीं करने के संबंध में 1993 में सरकार को कोई अभ्यावेदन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय फार्मेसी परिषद से कहा गया है कि वे यदि निर्धारित श्रेणियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो वर्ष 1993-94 के लिए फार्मेसी पाठ्यक्रम में डिप्लोमा भाग-। में दाखिले के लिए न्यूनतम अर्हताओं के संबंध में शिक्षा विनियम, 1991 के उपबंधों को शिथिल करें।

बकाया राशि की वसूली

7319. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री एम.वी.वी. एम. मूर्ति :

श्री डी.वेंकटेश्वर राव:

श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा गैस के मूल्यों पर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पक्ष की पुष्टि तथा इस मुद्दे पर उसका आदेश तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को दोषी उद्योगों से भारी बकाया राशि की वसूली की पुष्टि करने में सहायक हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने दोषी उद्योगों से कुल कितनी धनराशि वसूली है;

(ग) क्या वसूल की गई धनराशि का उपयोग नये क्षेत्रों की खोज करने और उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कई नये तरीके अपनाने के लिए किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) ओएनजीसी ने गत तीन वर्षों में दोषी उद्योगों से 9.57 करोड़ रुपये वसूल किए हैं

(ग) और (घ) ऐसी आय ओएनसीजी की कुल स्रोतों का एक हिस्सा है जिसका उपयोग अन्वेषण और विकास हेतु किया जाता है।

[हिन्दी]

रसायनों की बिक्री

7320. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने किसी रसायन की बिक्री के लिए सत्तर लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि खर्च की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) दोषी पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन किसी भी रसायन की बिक्री नहीं करता है। तथापि, जुलाई, 1989 में संसद को प्रस्तुत की गई सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति की 59वीं रिपोर्ट के अनुसार 300 मी.टन पी.पी.डी. नामक रसायन की मात्रा को एअर इंडिया के माध्यम से वाय भाड़ा पर तथा 200 मी. टन पीपीडी की मात्रा को पैकड़ कंटेनर में जहाज के जरिए लाने के कारण 70.31 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ था। यह व्यय परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता के आधारपर सामग्री को प्राप्त करने के कारण हुआ था। सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति की उपर्युक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार मामले की जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन के 6 अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए सिफारिश की थी और उस आधार पर बोर्ड स्तर के केवल एक अधिकारी को छोड़कर जिसके विरूद्ध विभागीय जांच में कोई लोप संबंधी आरोप सिद्ध होने योग्य नहीं पाया गया था, अन्य सभी अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

[अनुवाद]

पाइप लाइन बिछाने संबंधी मानदण्ड

7321. **श्री अनन्तराव देशमुख :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जुलाई, 1993 के दैनिक इंडियन एक्सप्रैस में भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के पर्यवेक्षण में बिछाई गई डेसू-मारूति उद्योग लिमिटेड और डेसू-सोनीपत पाइप, लाइनों में पाइप बिछाने संबंधी मानदण्डों की अवहेलना करने से संबंधित "कोटिंग डेथ, कर्टसी गेल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष है; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). संविदात्मक विशिष्टि से-विपणन की जांच के लिए आदेश दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक फर्म द्वारा इन पाइपलाइनों की तकनीकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

विकसित देशों के शरणार्थी

7322. श्री बीर सिंह महतो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित देश लगातार भारत में शरणार्थी भेज रहे हैं;

(ख) 1992, 1993 और 1994 के दौरान अब तक इन देशों द्वारा कितने-कितने शरणार्थी भारत में भेजे गए हैं; और

(ग) इससे भारत को क्या लाभ मिल रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेल की खोज के लिए ब्रिटेन के साथ संयुक्त उद्यम

7323. डा. असीम बाला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल की खोज के लिए ब्रिटेन के साथ कोई संयुक्त उद्यम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी शर्त क्या है; और

(घ) तेल की खोज के लिए किन क्षेत्रों का चयन किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

जल लग्नता

7324. प्रो. डम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आंध्र प्रदेश में जल-लग्नता, मिट्टी के कटाव लवणता और क्षारीकृत भूमि की समस्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में जलजमाव, मृदा कटाव, लवणता और क्षारीय भूमि की समस्या के अंतर्गत क्षेत्र ये हैं:

(1) जलजमाव -	3.39 लाख हेक्टेयर
(2) मृदा कटाव -	115.02 लाख हेक्टेयर
(3) तटीय रेतीले क्षेत्रों सहित लवणता -	1.76 लाख हेक्टेयर
(4) क्षारीय मृदा -	0.64 लाख हेक्टेयर

(ग) इस संबंध में, आंध्र प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। मुख्य कार्यक्रमों में ये शामिल हैं।

(1) जल संसाधन मंत्रालय के कमान क्षेत्र विकास प्रभाग द्वारा संचालित केन्द्रीय प्रयोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम।

(2) विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना।

(3) कृषि मंत्रालय के मृदा एवं जल संरक्षण प्रभाग द्वारा संचालित की जा रही ''नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण में मृदा संरक्षण'' की केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

विश्व स्वास्थ्य संगठन को प्रतिनियुक्त व्यक्ति

7325. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन को प्रति नियुक्त पर भेजे गए भारत सरकार के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) क्या ऐसे अधिकारी पेंशन पाने के योग्य हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन को प्रतिनियुक्ति पर भेजने की प्रणाली समाप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) शून्य।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

--

[हिन्दी]

बिहार में तेल शोधक कारखाना

7326. श्री प्रेम चन्द राम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक की जायेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उच्च रक्तचाप और मधुमेह के रोगी

7327. श्री प्रभूदयाल कठेरिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में मधुमेह और उच्च रक्तचाप के रोगियों की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो इस समय उक्त रोगों के रोगियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन रोगों के उपचार के लिए देहरादून में ''धन्वन्तरि स्वास्थ्य संस्थान'' के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है। बहरहाल बढ़ती हुई जीवन प्रत्याशा और बदलती हुई जीवन शैलियों के साथ साथ, मधुमेह एवं रक्तचाप के रोगियों की संख्या के बढ़ने की आशा है।

(ग) जी नहीं, महोदय।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

''नॉन एसोसिएटेड'' गैस

7328. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री 6 अगस्त, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4532 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम तट से दूर क्षेत्र तथा तटीय क्षेत्र (गुजरात) में 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान ''नॉन एसोसिएटेड'' गैस का कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां इस गैस का वितरण किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) नान एसोसिएटेड गैस का उत्पादन निम्नवत था :

(एम.एम.एस.सी.एम.)

	1992-93	1993-94
1. पश्चिम अपतट	7497	8341
2. पश्चिम तट पर	909	1179

(ख) जबकि पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में उत्पादित ''नॉन एसोसिएटेड'' गैस हजीरा लाई जाती है तथा हजीरा पर और एच.बी.जे. पाइप लाइन के सन्निपट विविध उपभोक्ताओं को वितरित की जाती हे, वहीं पश्चिमी तट पर उत्पादित ''नान एसोसिएटेड'' गैस गुजरात राज्य में ही विविध उपभोक्ताओं को वितरित की जाती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

7329. श्री राम कृपाल यादव:

श्री लाल बाबू राय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार को विशेष सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बिहार को विशेष सहायता प्रदान की गई;

(ग) बिहार में मलेरिया उन्मूलन के कार्य में कितनी प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम बिहार और अन्य राज्यों में अनुमोदित पैटर्न पर केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित किया जाता है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई सहायता इस प्रकार है :

1991-92	70.70 लाख रुपये
1992-93	374.41 लाख रुपये
1993-94	1099.45 लाख रुपये

(ग) कार्यक्रम मलेरिया के मामलों में किसी महत्वपूर्ण वृद्धि पर काबू पाने में सफल हुआ है।

[अनुवाद]

आतंकवाद को रोकने पर हुआ व्यय

7330. श्री संत राम सिंगला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंजाब, जम्मू व कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में आतंकवाद का मुकाबला करने में अपनी जान से हाथ धोने वाले नागरिकों, पुलिस अथवा सेना कर्मियों के संबंध में मुआवजा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो मृतकों की विधवाओं और बच्चों के लिए कितनी अनुग्रह राशि का भुगतान निश्चित किया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब, जम्मू व कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद को रोकने के लिए सरकार ने कितना व्यय किया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) यह विषय संबधित राज्य सरकारों का है।

विवरण

(ख) पंजाब

पंजाब सरकार, आतंकवादी हिंसा में मारे गए निर्दोष व्यक्तियों के निकट संबंधियों को 1,00,000 की राशि अनुग्रह पूर्वक अनुदान दे रही है। मारे गए व्यक्तियों की विधवाओं को तब तक 1,000/- रुपये माहवार (जिसे 1.4.1992 से बढ़ाकर 1500/- कर दिया गया है) का गुजारा भत्ता भी दिया जाता है जब तक कि परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं लग जाता । सम्पत्ति की हानि के लिए 1,00,000/- रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है। मारे गए व्यक्ति की पुत्री तथा बहन की शादी के लिए 10,000/- रुपये का विवाह अनुदान दिया जाता है। आतंकवादी हिंसा में शिकार हुए व्यक्तियों के बच्चों की रियायती दरों पर ऋण तथा मुफ्त शिक्षा भी दी जा रही है।

आतंकवादियों द्वारा मारे गए सुरक्षा कार्मिकों के आश्रितों निकट संबंधियों को 2,00,000/- रुपये का अनुग्रहपूर्वक अनुदान दिया जाता है। आतंकवादी हिंसा के परिणामस्वरुप हुए अनाथ, निराश्रित और शत-प्रतिशत रुप से विकलांग हुए सुरक्षा कार्मियों को 1,000/- रुपये माहवार (जिसे 1.4.1992 से बढ़ाकर 1,500/- रुपये कर दिया गया है।) का गुजारा भत्ता ग्राहय है। मारे गए सुरक्षा कार्मियों की लड़की और आश्रित बहन, प्रत्येक की शादी के लिए 10,000/- रुपये की राशि का विवाह अनुदान भी दिया जाता है।

जम्मू एवं कश्मीर

(क) सुरक्षा कार्मिक :	
(1) मृत्यु के लिए	1.25, लाख रुपये
(2) स्थायी विकलांगता के लिए	0.25 लाख रुपये
(3) आंशिक विकलांगता के लिए	0.10 लाख रुपये
(ख) सिविलियन :	
(1) मृत्यु के लिए	1.00 लाख रुपये

(2)	स्थायी विकलांगता के लिए	0.25 लाख रुपये
(3)	गम्भीर रुप से जख्मी होन पर (अर्थात् 24 घन्टे से अधिक समय के लिए भर्ती होने पर)	0.05 लाख रुपये
(4)	जख्मी होने पर (24 घन्टे से कम अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर)	0.01 लाख रुपये
(5)	मामूली रुप से जख्मी होने पर (प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी होने पर)	500/- रुपये
(ग)	केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारी	
(1)	मृत्यु के लिए	1.00 लाख रुपये
(2)	स्थायी रुप से विकलांग होने पर	0.25 लाख रुपये
(3)	गंभीर रुप से जख्मी होन पर (अर्थात् 24 घन्टे से अधिक समय के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर)	0.05 लाख रुपये
(4)	जख्मी होने पर (24 घन्टे से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर)	0.01 लाख रुपये
(5)	मामूली रुप से जख्मी होने पर (प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी होने पर)	500/- रुपये

उपरोक्त लाभों के अलावा, ऊपर उल्लिखित श्रेणियों के आश्रित, संबद्ध नियमों के अंतर्गत, अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के पात्र भी हैं।

पूर्वोत्तर

असम

(1)	मारे गए सिविलियन एक पात्र सदस्य को नौकरी	1.00 लाख रुपये और परिवार के
(2)	मारे गए सुरक्षा कार्मिक	प्रत्येक को 1.00 लाख रुपये
(3)	सरकार द्वारा भाड़े पर लिए गए व्यक्तियों के मारे जाने पर	प्रत्येक को 50,000/- रुपये

मणिपुर

मणिपुर सरकार, अपने कर्मचारियों की मृत्यु होने पर, निम्नलिखित रुप से मुआवजा अनुग्रह अनुदान देती है।

(1) श्रेणी 1	1 लाख रुपये
श्रेणी 2	80,000/- रुपये
श्रेणी 3	60,000/- रुपये
श्रेणी 4	50,000/- रुपये
(2) मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	20,000/- रुपये
(3) कोई अन्य व्यक्ति	20,000/- रुपये

नागालैंड

नागालैंड सरकार के अनुसार, मारे गए पुलिस कार्मिकों के निकट संबंधियों को 1 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया गया है।

त्रिपुरा

त्रिपुरा सरकार के अनुसार, मारे गए पुलिस कार्मिकों के निकट संबंधियों के लिए राज्य पुलिस ने 20,000/- रुपये दिए हैं। आतंकवादी हिंसा में मारे गए पुलिस कार्मिकों के अलावा अन्य मामलों में मारे गए कार्मिकों के निकट संबंधियों को मुख्य मंत्री ने स्वैच्छिक फंड से 5000/- रुपये दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

होम्योपैथी के औषधालय

7331. श्री रमेश चन्द्र तोमर :

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में होम्योपैथी के और अधिक औषधालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या क्या होगी और ये कहां-कहां स्थित होंगे; और

(ग) ये औषधालय कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी. शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1994-95 के दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत साहिबाबाद और पीतमपुरा में दो होम्योपैथिक एकक खोलने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

ऑयल ड्रिलिंग केन्द्र

7332. **श्री चित बसु :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असम में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारह ऑयल ड्रिलिंग केन्द्रों के निजीकरण का निर्णल ले चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) अक्टूबर, 1993 में भारत सरकार ने 33 लघु एवं 8 मध्यम आकार के क्षेत्र भारतीय तथा विदेशी कंपनियों द्वारा विकास हेतु प्रस्तावित किए थे। इनमें से 12 क्षेत्र 10 लघु और 2 मध्यम आकार के, आसाम में पड़ते हैं। उनके नाम हैं :

लघु आकार के क्षेत्र

बदरपुर, हिलारा, उरियमघाट, नहोराबी, अमगूरी, टिनाली,

सरोजनी, ढोलिया, बोगपानी, सामडॉग, डिपलिंग,

मध्यम आकार के क्षेत्र

चंगमाई गांव, डिगबोई (ई.ओ.आर.)

तेल एवं गैस के इन क्षेत्रों का निजी कंपनियों द्वारा विकास संबंधी प्रस्ताव देश के अंतर्गत स्ट्रीम अन्वेषित हाइड्रोकार्बन भंडारों को शीघ्र उत्पादन में लाने तथा उसके द्वारा पेट्रोलियम की स्वदेशी उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।

[हिन्दी]

स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

7333. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार:

श्री धर्मण्णा मोडयूवा सादुल :

श्री वृशिण पटेल :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1993-94 के दौरान देश में विभिन्न कल्याण गतिविधियों के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी अनुदान सहायता दी गई और 1994-95 के लिए कितनी सहायता का प्रावधान किया गया है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. रंगाचारी) : कल्याण मंत्रालय के दायरे में आने वाले

विभिन्न कल्याण क्रियाकलापों में लगे स्वयेसेवी संगठनों को 1993-94 के दौरान प्रदत्त सहायता अनुदान की राशि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

वर्ष 1994-95 में विभिन्न कल्याण क्रियाकलापों के संबंध में सहायता अनुदान हेतु बजट आबंटन इस प्रकार है।

(लाख रुपये में)

1. अनुसूचित जाति		800.00
2. आदिवासी विकास		660.00
3. विकलांग कल्याण		1778.00
4. अल्पसंख्यक कल्याण		49.90
5. समाज रक्षा		2139.80
	कुल :	5426.78

स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान से संबंधित निधियों का राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है।

विवरण

1993-94 के दौरान विभिन्न क्रियाकलापों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को प्रदत्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सहायता अनुदान दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुसूचित जाति विकास	आ. विकास	वि.कल्याण	अल्पसंख्यक कल्याण	समाज रक्षा
				(लाख रुपये में)	
1	2	3	4	5	6
1. आन्ध्र प्रदेश	91.01	16.03	170.77	11.82	72.13
2. अरूणाचल प्रदेश	-	71.89	2.00	-	-
3. असम	1.47	20.65	3.01	-	3.25
4. बिहार	-	31.64	71.05	-	88.44
5. गोवा	-	-	4.40	-	4.91
6. हरियाणा	5.63	-	20.65	-	55.99
7. गुजरात	-	29.66	48.82	3.29	55.76
8. हिमाचल प्रदेश	2.43	-	-	-	0.38
9. जम्मू व कश्मीर	2.42	-	3.48	3.97	-

1	2	3	4	5	6
10. कर्नाटक	72.01	19.44	143.17	–	28.87
11. करेल	–	24.64	60.08	13.67	70.39
12. मध्य प्रदेश	14.44	51.06	20.86	4.80	19.35
13. महाराष्ट्र	48.49	48.96	109.12	1.50	88.80
14. मेघालय	–	52.34	2.98	–	–
15. मिजोरम	–	–	–	–	29.60
16. नागालैंड	–	1.09	–	–	8.20
17. उड़ीसा	30.10	75.13	88.97	–	101.05
18. पंजाब	–	–	8.04	–	16.10
19. राजस्थान	7.15	26.65	149.24	7.63	77.46
20. सिक्किम	–	–	–	–	1.53
21. तमिलनाडु	13.90	12.20	100.98	5.52	105.02
22. त्रिपुरा	1.06	–	3.11	–	8.54
23. उत्तर प्रदेश	102.05	1.28	607.76	9.91	184.12
24. पश्चिम बंगाल	117.98	14.74	197.63	–	159.33
25. अंडमान निकोबार	–	–	–	–	–
26. मणिपुर	9.10	1.05	8.40	–	116.91
27. दमन और द्वीप	–	–	–	–	–
28. दिल्ली	217.08	29.80	197.00	15.91	104.91
29. चंडीगढ़	–	–	34.01	–	5.20
30. पांडिचेरी	–	–	–	–	4.58
कुल	736.32	528.25	2136.53	78.02	1410.91

गर्भ निरोधकों का परीक्षण

7334. श्री आनंद रत्न मौर्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न प्रयोगशालाओं/संस्थानों में गर्भ निरोधकों पर कराए जा रहे परीक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये परीक्षण मानव जातियों पर किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में मिली सफलताओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में इस प्रकार के परीक्षणों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) इस समय किए जा रहे मुख्य गर्भनिरोधक परीक्षण इस प्रकार हैं :

(1) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

(1) नॉरप्लांट 1 के चरण ।।। नैदानिक परीक्षण

(2) क्वीनाक्रीन पेनेट्स के चरण-। परीक्षण

(3) कॉपर टी 300 बी और 380 ए पर तुलनात्मक अध्ययन।

(4) पुरूष शुक्राणु वाहिका का संरोधन।

(2) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

जड़ी बूटी औषध सम्पाक की गर्भनिरोधक क्षमता का मल्यांकन करने के लिए नैदानिक और प्रायोगिक अध्ययन।

(3) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

तीन संहिताबद्ध यूनानी औषधियों को नैदानिक परीक्षण हेतु लिया गया है।

(ग) परीक्षण अभी चल रहे हैं।

(घ) सरकार ने नए गर्भनिरोधकों के विकास को प्रोत्साहित करने तथा मौजूदा गर्भनिरोधकों की उपयोगिता में सुधार करने के लिए विभिन्न संस्थाओं/संगठनों द्वारा गर्भनिरोधकों पर अनुसंधान के प्रयासों में तालमेल बैठाने के लिए मार्च, 1992 में एक राष्ट्रीय मानव प्रजनन अनुसंधान समिति गठित की है।

[अनुवाद]

गैस कनेक्शन

7335. श्री छीतूभाई गामीत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में उनके मंत्रालय द्वारा कितने औद्योगिक पाइप लाइन गैस कनेक्शन जारी किए गए;

(ख) कनेक्शन जारी करने के सरकार ने क्या मानदंड अपनाये हैं; और

(ग) 1994 के दौरान सरकार को नए औद्योगिक पाइप लाइन प्राकृतिक गैस कनेक्शनों के लिए गुजरात से अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गत दो वर्षों में गुजरात में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए गैस द्वारा तीन कनेक्शन दिए गए थे।

(ख) प्राकृतिक गैस का आबंटन सरकार द्वारा किया जाता है। पाइप लाइनें गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा ग्राहकों के साथ समझौतों के अनुरुप बिछायी जाती हैं।

(ग) किसी नये आवेदन पर विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि उपलब्ध गैस पूर्णतयः आबंटित कर दी गयी है।

सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड

7336. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री खेलन राम जांगडे:

श्री हर चन्द सिंह :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा कोयला उत्पादन का प्रतिवर्ष क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस अवधि के दौरान कोयले का वास्तव में कितना उत्पादन हुआ, और

(ख) लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान सेंट्रल कोलफील्डस लि. के लिए निर्धारित किए गए कोयले के उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे। इस संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन में)

वर्ष	कोयले का उत्पादन	
	लक्ष्य	वास्तविक
1991-92	31.00	31.21
1992-93	32.00	32.38
1993-94 (अंनतिम)	33.50	33.51

संघ राज्य क्षेत्रों मे अपराध

7337. श्री परशुराम गंगवार : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों के थानों में अपराध संबंधी कुछ प्रथम सूचना रिपार्टों को दर्ज नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पुलिस के विरुद्ध कितने मामले संघ राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं; और

(ग) पुलिस द्वारा की जा रही इस प्रकार की लापरवाही को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। सभी संघ शासित क्षेत्रों में संज्ञेय अपराध के सभी मामलों में कानून के संगत प्रावधान के अधीन थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सभी थानों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि वे जनता द्वारा दायर सभी शिकायतों को संज्ञान में लें और भारतीय दंड संहिता तथा अन्य संगत कानूनों के अंतर्गत मामले दर्ज करें।

गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

7338. श्री गंगाधरा सानीपल्ली : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न स्वास्थ्य कल्याण योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मांगने के गैर सरकारी संगठनों के प्रस्तावों पर कार्यवाही करने की कोई समयबद्ध योजना अपनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य के इन संगठनों के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इन संगठनों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) हालांकि प्रस्तावों पर शीघ्रता से कार्रवाई करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इनकी अन्तिम स्वीकृति उपयुक्त आंकड़ों को भेजने और संबंधित राज्य सरकारों/प्राधिकारियों की सिफारिशों पर निर्भर करती है।

(घ) और (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त किए गए आवेदन-पत्रों की संख्या			पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता
	1991-92	1992-93	1993-94	
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	31	29	175	
असम	-	2	2	
बिहार	124	87	259	

1	2	3	4	5
दिल्ली	25	21	21	
गुजरात	17	10	19	264.60/रु. करोड़
कर्नाटक	11	13	59	
केरल	10	10	45	
मध्य प्रदेश	25	22	95	
मिजोरम	2	–	1	
नागालैंड	1	–	3	
उड़ीसा	28	43	296	
उत्तर प्रदेश	80	101	359	
पश्चिम बंगाल	66	63	241	
महाराष्ट्र	48	77	147	
हिमाचल प्रदेश	2	3	8	
जम्मू व कश्मीर	3	–	4	
पांडिचेरी	–	–	–	
अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	
त्रिपुरा	2	2	–	
दादर व नगर हवेली	–	–	1	
गोवा	–	–	–	
मेघालय	–	–	–	
सिक्किम	2	–	3	
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	
दमण व दीव	–	–	–	
लक्षद्वीप	–	–	–	
तमिलनाडु	30	19	156	
हरियाणा	12	5	18	
पंजाब	17	5	4	
राजस्थान	26	32	57	
मणिपुर	6	11	69	
चण्डीगढ़	–	2	16	

प्रमाण पत्र जारी किया जाना

7339. श्री तेज नारायण सिंह : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सभी उद्देश्यों के लिए अन्य पिछड़ी जाति संबंधी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रत्येक राज्य में किन-किन प्राधिकृत अधिकारियों को मनोनीत या नियुक्त किया गया है?

कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कावालू) : अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी निर्धारित हैं

(क) जिला मैजिस्टेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप समाहर्ता/प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्डरी मैजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट/तालुका मैजिस्ट्रेट/कार्यपालक मैजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्डरी मैजिस्ट्रेट के स्तर से नीचे का नहीं)।

(ख) चीफ प्रोसीडेंसी मैजिस्ट्रेट/अपर चीफ प्रोसिडेंसी मैजिस्ट्रेट/प्रेसीटेंसी मैजिस्ट्रेट।

(ग) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के स्तर के नीचे का नहीं हो, और

(घ) उस क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी, जहां प्रत्याशी तथा/ या उसका परिवार आमतौर पर रहता हो।

[हिन्दी]

आंख का उपचार

7340. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)

श्री महेश कनोडिया :

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में इस समय कुल कितने नेत्रहीन व्यक्ति हैं;

(ख) क्या देश में आंख की बीमारियों के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में नेत्रहीन व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है;

(ङ) क्या सरकार ने आंख का समुचित उपचार उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) अनुमान है कि देश में 12 मिलियन से अधिक दृष्टिहीन व्यक्ति हैं।

(ख) और (ग) मोतियाबिंद के कारण हुए दृष्टिहीन व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिहीनता मानक के अनुसार विश्व के कुल दृष्टिहीन लोगों में से 20 प्रतिशत लोग भारतीय है।

(ङ) और (च) जी, हां। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1975-76 से चल रहा है। इसमें मेडिकल कालेजों, जिला अस्पतालों, तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नेत्र चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को सदृढ़ करना तथा नेत्र परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसायटियों तथा चल यूनिटों की स्थापना शामिल है।

[अनुवाद]

डोडा, जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमला

7341. श्री वी. देवराजन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों ने 12 अप्रैल, 1994 को अगुआ किए गए एक युवक की हत्या कर और बंदूक की नोंक पर कई परिवारों का माल लूटकर जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में बड़े पैमान पर हमला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 8/9.4.1994 की रात्रि. को, 25/26 सशस्त्र उग्रवादियों का एक ग्रुप, थाना-गुलाब-गढ़, जिला डोडा के गांव-सजार में गया और वहां नकदी, जेवर तथा अन्य घरेलू वस्तुएं लूटी।

11 अप्रैल, 1994 को गांव-सिन्दरा, जिला डोडा के एक युवक का शव जंगल में मिला। बताया गया कि उग्रवादियों ने 8/9 अप्रैल, 1994 की रात्रि को मृतक का अपहरण किया और बाद में उसे मार दिया।

(ग) जिले में सुरक्षा बलों की गश्त गहन कर दी गयी है। उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए संवेदनशील और सामरिक महत्व के स्थानों पर सुरक्षा बलों की टुकडियां स्थापित की गयी हैं इसके अतिरिक्त आंतकवादी/हिंसक गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त तत्वों को पकड़ने के लिए, सूचना पर आधारित तलाशी अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

जेल सुधार समिति

7342. श्री हरिन पाठक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेल सुधार समिति ने जेल प्रशासन को निर्देश जारी करने हेतु एक (नेशनल एकेडेमी) राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने उक्त अकादमी की अहमदाबाद में स्थापना करने का प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) यद्यपि, अभी तक राष्ट्रीय सुधारात्मक प्रशासन अकादमी स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है फिर भी दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के लिए दो क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान पहले से ही कार्य कर रहे हैं । इसके अलावा, उनके प्रशिक्षण प्रबंधों को मजबूत करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले पर रायल्टी/उपकर

7343. डा. के. बी. आर. चौधरी : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कोयले पर रायल्टी/उपकर की राज्यवार दर क्या है; और

(ख) इस समय आन्ध्र प्रदेश में कोयले का अनुमादित कितना उत्पादन होता है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) वर्तमान में कोयले पर रायल्टी तथा उपकर की दरों के संबंध में राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (सिं.को.कं.लि.) के लिये कोयले का उत्पादन लक्ष्य 25.60 मि. टन रखा गया है।

विवरण

वर्तमान में रायल्टी की रुपये में प्रति टन दर

ग्रेड	पश्चिम बंगाल	असम	अरूणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड	मध्यप्रदेश,बिहार, उड़ीसा,महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश
1	2	3	4	5	6
कोकिंग कोल					
इस्पात ग्रेड -1	7.00	-	-	150.00	
इस्पात ग्रेड -2	7.00	-	-	150.00	

1	2	3	4	5	6
इस्पात ग्रेड -1	7.00	-	-	150.00	
इस्पात ग्रेड -2	6.50	-	-	120.00	
इस्पात ग्रेड -3	6.50	-	-	120.00	
इस्पात ग्रेड -4	5.50	-	-	75.00	
अर्द्ध कोककर कोयला :					
अर्द्ध-कोककर -1	6.50	-	-	120.00	
अर्द्ध-कोककर-2	6.50	-	-	120.00	
गैर-कोककर कोयला :					
ए-	6.50	-	-	120.00	
बी	6.50	-	-	120.00	
सी	5.50	-	-	75.00	
डी	4.30	-	-	45.00	
ई	4.30	-	-	45.00	
एफ	2.50	-	-	25.00	
जी	2.50	-	-	25.00	
हाथ से उठाया गया कोयला		150.00	150.00		
ग्रेडरहित आर. ओर.एस. कोयला		120.00	120.00		
आंध्र प्रदेश राज्य में उत्पादित कोयला (सिंगरेनी)					70.00

वर्तमान में लागू कोयले पर उप-कर तथा अन्य शुल्कों की दरें

पश्चिम बंगाल में कोयले पर लगाए गए उपकर

ग्रामीण रोजगार तथा उत्पादन उपकर - पिटहैड कीमत का 35 प्रतिशत

प्राथमिक शिक्षा उपकर - पिटहैड कीमत का 5 प्रतिशत

लोक निर्माण तथा सड़क उपकर -1.00 रु. प्रति टन

आसनसोल खान बोर्ड का स्वास्थ्य उपकर - 0.40 रुपए प्रति टन

मेघालय में खनिज उपकर

कोयले पर 30/- रु. प्रति टन उपकर

स्वास्थ्य रक्षा परियोजनाओं के लिए जर्मन सहायता

7344. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने तालुका और जिला स्तर के अस्पतालों के विकास और उनका दर्जा बढ़ाने के लिए जर्मन विकास सहायता एजेंसी से आर्थिक सहायता हेतु 300 करोड़ रुपये की परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना राज्य के कौन-कौन से जिलों में शुरू की जाएगी;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना को जर्मन विकास सहायता एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) जर्मन एजेसी द्वारा सहायता कब तक प्रदान कर दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार से 314 करोड़ रुपये के परिव्यय का एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें कर्नाटक के सभी जिलों को कवर किया जाएगा।

(ग) जी हां,।

(घ) और (ङ) जर्मनी का एक परामर्शदाता दल मई, 1994 के दौरान कर्नाटक का दौरा करेगा ।

सतह पर मिलने वाला कोयला

7345. श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय और नागालैंड की निचली पहाड़ियों में सतह पर मिलने वाले कोयले का दोहन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में कोयला खानों के सरंक्षण हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (को. इं. लि) ने वर्ष 1993-94 में मेघालय राज्य की एक प्रायोगिक खान से 905 टन कोयले का उत्पादन किया है। मेघालय सरकार ने यह सूचित किया है कि स्थानीय आदिवासी मेघालय में कोयला खान क्रियाकलाप कर रहे हैं जो कि वे इस तरह के क्रियाकलापों को अपने पारम्परिक तथारीति-रीवाजों के अधिकारों के अंतर्गत किए जाने का दावा करते हैं । कोयला नियंत्र.ाक के अनुसार वर्ष 1993-94 के दौरान मेघालय में लगभग 2.3 मि. टन कोयले का उत्पादन किया गया था। नागालैंड की निचली पहाड़ियों पर कोई खनन कार्य नहीं किया जा रहा है। किन्तु नागालैंड की निचली पहाड़ियों पर कोई खनन कार्य नहीं किया जा रहा है। किन्तु नागालैंड सरकार ने यह सूचना दी है कि नागालैंड की निचली पहाड़ियों में भू-स्वामियों द्वारा बहुत कम मात्रा में अनाधिकृत रुप में कोयले का उत्खनन कार्य किया जा रहा है।

(ग) इस संबंध में उठाए गए मुख्य कदमों को नीचे दर्शाया गया है :-

(1) को. हं. लि. ने मेघालय में वैज्ञानिक रुप में खनन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रायोगिक खान आरंभ की है।

(2) मेघालय के सुरा क्षेत्र में केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि. (सी.एम.पी.डी.आई.एल.) की क्षेत्रीय संस्थान की स्थापना की गई है, जोकि वैज्ञानिक तथा सुरक्षित रुप में खनन किए जाने के संबंध में परामर्श देगी।

नए अस्पताल

7346. श्री भीम सिंह पटेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रूस के सहयोग से कुछ अस्पताल खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जल के उपयोग में मितव्ययिता

7347. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई प्रणाली संबंधी वितरण लागत निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का पानी के इस्तेमाल में मितव्ययता को प्रोत्साहित करने के लिए उपभोक्ताओं को जल संसाधनों के न्यूनतम मूल्य की किस प्रकार व्याख्या करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) वर्ष 1994-95 में अखिल भारतीय स्तर पर वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के प्रचालन व अनुरक्षण पर हुए प्रति हेक्टेयर कार्यागत व्यय का राज्यवार ब्यौरा निम्नवत् है :

(रुपए)

क्रम सं.	राज्य	वर्ष 1984-85
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	114.58
2.	बिहार	116.78
3.	गुजरात	397.86

1	2	3
4.	हरियाणा	169.98
5.	जम्मू और कश्मीर	199.24
6.	कर्नाटक	189.45
7.	केरल	44.22 (1979-80)
8.	मध्य प्रदेश	312.40
9.	महाराष्ट्र	311.84
10.	उड़ीसा	43.88
11.	पंजाब	86.72
12.	राजस्थान	212.03
13.	तमिलनाडु	89.99
14.	उत्तर प्रदेश	118.45
15.	पश्चिम बंगाल	111.27
	अखिल भारत	141.66

(ग) राष्ट्रीय जल नीति 1987 के अनुसार, जल दरें इस प्रकार होनी चाहिये कि प्रयोगकर्त्ताओं को संसाधनों के दुर्लभ मूल्य का आभास हो और जल प्रयोग में किफायत बरतने में प्रोत्साहन मिले। ये पर्याप्त होनी चाहिए ताकि इनसे वार्षिक अनरक्षण और प्रचालन प्रभार व निश्चित लागत का एक भाग पूरा होता हो । सिंचाई जल की निश्चित और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करते समय एक अवधि में इस लक्ष्य पर पहुँचने के प्रयास किए जाने चाहिये।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

7348. श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्होंने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के लिए आवेदन किया हैं, को यह पेंशन स्वत: देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उन सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने अब तक ऐसे 279 विख्यात स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी ओर से स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन देने की पेशकश की है जिन्होंने इसके लिए आवेदन नहीं किया था । इनमें से 16 व्यक्तियों ने सम्मान पेंशन प्राप्त करने से इंकार कर दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेदिक औषधियां

7349. श्री राम निहोर राय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, दिल्ली के बी. एम. एस. ने 1988 में मालवा ड्रग हाउस की चार आयुर्वेदिक औषधियां सम्मिलित की थीं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इन औषधियों की उन्हीं ब्रांड नाम से आधुनिक औषधियों में बदलने की अनुमति प्रदान की है और गत छः महानों से सरकरी मेडिकल स्टोर डिपो, नई दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, कर्नाटक, गुवाहाटी, और हैदराबाद द्वारा उनकी आपूर्ति की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो औषधि-सूत्र को आयुर्वेदिक से आधुनिक दवाइयों में बदलने के क्या कारण है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नही उठता ।

(घ) पिछले छह महीने के दौरान डिपुओं द्वारा इन औषधों की कोई खरीद नहीं की गई है।

एड्स नियंत्रण

7350. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्याः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में 31 मार्च, 1994 तक कितने एड्स पीड़ित रोगियों का पता लगाया गया था;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इस राज्य को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी गई थी;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में एड्स निगरानी केन्द्र खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) एक ।

(ख)

वर्ष	राशि (लाख रुपये में)
1991-92	-
1992-93	70.49
1993-94	25.09

(ग) और (ख) आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित मेडिकल कालेज/संस्थाओं में चार एड्स निगरानी केन्द्र कार्य कर रहे हैं :-

1. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, उस्मानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद
2. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, एस.यू. मेडिकल कालेज, तिरुपति ।
3. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, आन्ध्र मेडिकल कालेज, विशाखापत्तनम ।
4. निवारक आयुर्विज्ञान संस्थान, हैदराबाद ।

[हिन्दी]

चिकित्सा उपकरण

7351. श्री रामबंदन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कई मेडिकल कालेजों ने केन्द्रीय सरकार से चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए धन उपलब्ध कराने का निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) मेडिकल कालेजों सहित अनेक संस्थाएं चिकित्सा उपस्करों के लिए वित्तीय सहायता हेतु सरकार से समय-समय पर अनुरोध करती हैं। सरकार को ऐसे अनुरोध पहले उत्तर प्रदेश से भी प्राप्त हुए थे। तथापि, ऐसे अनुरोधों पर विचार करना संभव नहीं पाया गया है क्योंकि ऐसी सहायता प्रदान करने को कोई स्कीम नहीं है।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों का कल्याण

7352. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने हाल ही में आन्ध्र प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रायोजित अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का उद्घाटन किया था;

(ख) यदि हां, तो अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कल्याण योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की जायेगी;

(घ) क्या इस संबंध में अल्पसंख्यकों में गरीब वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन योजनाओं के अंतर्गत अनुमानत: कितने लोग लाभान्वित होंगे ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगकाबालू) : (क) जी, हां । राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने दिनांक 19.4.1994 को हैदराबाद में आंध्र प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग द्वारा तैयार की गई अल्पसंख्यकों की कल्याण योजनाओं का उद्घाटन किया था।

(ख) और (ग) प्रस्तावित आवंटन के साथ योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :-

योजनाएं	संभावित आवंटन (रु. लाख में)
1. आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए एक समेकित उद्यमीय विकास कार्यक्रम	22.50
2. हैदराबाद में अल्पसंख्यक बाहुल्य गंदी बस्तियों में समग्र शिक्षा व व्यावसायिक कौशल सृजन अभियान	9.00
3. अल्पसंख्यकों के स्कूली बच्चों के क्लास कक्ष कार्य निष्पादन में सुधार पर एक समेकित परियोजना	9.00
4. एक चल रही अनुसंधान व प्रशिक्षण योजना प्रतियोगिता परीक्षाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी तथा निष्पादन में सुधार संबंधी एक व्यापक परियोजना	9.00

(घ) जी, हां ।

(ङ) और (च) योजना के और आगे ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

योजना -1 आरम्भ में यह योजना 500 व्यक्तियों के लिए है।

योजना-2 इस योजना के अंतर्गत 4700 व्यक्तियों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

योजना-3 आरम्भ में इस योजना में हैदराबाद शामिल किया जाएगा जहां उर्दू माध्यम के 50 माध्यमिक विद्यालय है।

योजना-4 इस योजना में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(क) अधिकांश प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान विषयों को शामिल करते हुए एक फाउन्डेशन पाठ्यक्रम जिसमें सुदूर (डाक) कोचिंग भी शामिल है।

(ख) अल्पसंख्यकों के लिए कैरियर सूचना तथा मार्गदर्शक सुविधा।

कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

7353. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के लिए किये गये आवंटन का गत तीन वर्षों में पूरा-पूरा उपयोग किया गया है :

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है : और

(ग) क्या चालू वर्ष के लिए इस प्रयोजनार्थ किये गये धनावंटन में कमी की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (योजना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान रिलीज की गई 19.34 करोड़ रुपये की धनराशि की तुलना में पिछले तीन वर्षों के दौरान 46.62 करोड़ रुपये की धनराशि रिलीज की गई है। वर्ष 1993-94 के दौरान 18.15 करोड़ रुपये के व्यय को देखते हुए वर्ष 1994-95 के लिए 18.00 करोड़ रुपये का योजना आबंटन किया गया है।

गैस पाइपलाइन परियोजनाएं

7354. डा. आर. मल्लू : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई से उत्तरी राज्यों तक गैस पहुँचाने के लिए कोई बड़ी गैस लाइन परियोजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सुरक्षा बचाव को ध्यान में रखते हुए इसे स्वीकृति दे दी गयी है;

(ग) क्या सामाव्यहित और अन्य बातों के सन्दर्भ में इस परियोजना की आयोजना और कार्यन्वयन में कई अत्यंत गम्भीर कमियों की ओर विशेष ध्यान दिया गया हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाए किए गये हैं/करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने एच बी जे पाइपलाइन की क्षमता 18.2 एम एम एस सी एम डी से बढ़ाकर 33.4 एम एम एस सी एम डी करने के गेल के प्रस्ताव को हाल ही में अनुमोदित किया है। सभी सांविधिक अनापत्तियां प्राप्त कर ली गई हैं।

(ग) इस संबंध में ''सामान्य हित'' से एक पत्र प्राप्त हुआ है।

(घ) अपेक्षित सुरक्षा उपाय, पाइपलाइनों के डिजाइन, निर्माण और प्रचालन में अपनाए जाते हैं । नगरीय/उपनगरीय क्षेत्रों में पाइपालाइनों का एक विस्तृत एकीकृत अंकेक्षण सर्वेक्षण किया जा रहा है।

विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम लगाना

7355. डा. मुमताज अंसारी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन सी तेल कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम लगाए है; और

(ख) ऐसे संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और

(ख) तेल क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा विदेशी कम्पनियों के साथ लगाए गए संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा विदेशी कम्पनियों के साथ लगाए गए संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा

सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी का नाम	भागीदार	प्रयोजन
1. आई ओसी एण्ड बामर लारी एण्ड कं. लि.	एनवाई सी ओ एस ए फ्रांस (आई ओ सी) ब्रामर लारी एण्ड कं. लि.	सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक और खनिज आधारित उड्डयन स्नेहकों के निर्माण और विपणन के लिए एवी आई-ओ आई एल., इंडिया (प्रा.) लिमिटेड संयुक्त उद्यम कम्पनी (जे.बी.सी.) की स्थापना
2. आई बी पी कं. लि.	आई बी पी कॉलटेक्स लि.	स्नेहकों के सम्मिश्रण और विपणन के लिए जे. बी. सी आई. बी. पी. काल्टेक्स लि. की स्थापना।
3. एच.पी.सी.एल.	एच.पी.सी.एल. ओमान ऑयल कं. पब्लिक 1	पश्चिमी तट में संयुक्त उद्यम रिफाइनरी की स्थापना।
4. बी.पी.सी.एल.	बी.पी.सी.एल. ओमान ऑयल कं. पब्लिक	मध्य भारत में एक संयुक्त उद्यम रिफाइनरी की स्थापना।
5. बी.पी.सी.एल.	भारत पेट्रोलियम शैल	भारत में शैल ब्राण्ड के स्नेहकों के विपणन हेतु जेवी सी भारत शेल ओवरसीज इन्वेस्टमेंटस बी. वी. की स्थापना।
6. आई ओ.सी	आई ओ.सी. एण्ड मोबाईल पेट्रोलियम कं इंक, अमेरिका	भारत और नेपाल तथा भूटान में मोबिल ब्रांड के स्नेहकों के आयात, निर्माण तथा विपणन के लिए जे. वी.सी इन्डो मोबिल (पी) लि. की स्थापना ।
7. ई आई एल	ई आई एल एण्ड ए एम ई सी इंजीनियरिंग इंटरनेशनल लि. (ए ई आई एल)	तकनीकी परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन उद्योग में टर्नकी परियोजनाओं को भी संभालने के लिए मेसर्स ए. एस. ई. सी. इंजीनियरिंग इंटरनेशनल, यू. के के साथ संयुक्त उद्यम कम्पनी की स्थापना।

"एड्स" की रोकथाम

7356 डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने तमिलनाडु में "एड्स" के फैलाव को रोकने तथा इस पर नियंत्रण पाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों और सरकारी एजेंसियों को दान देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि दी गई है तथा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) किन-किन संगठनों को यह धनराशि प्राप्त हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) यू एस एड ने तमिलनाडु में भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ के जरिए कार्यान्वित की जाने वाली एड्स नियंत्रण परियोजना के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता की पेशकश की हैं । धन के भुगतान का प्रश्न परियोजना को अन्तिम रुप देने के बाद ही उठेगा।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

7357. श्री शिव शरण वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 और 1994 के दौरान अब तक दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ख) जिन कर्मचारियों के विरुद्ध आरोपों की पुष्टि हो गयी है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) वर्ष 1993 और 1994 (31.3.94 तक) के दौरान दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के खिलाफ प्राप्त हुई शिकायतों तथा जिन व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों की पुष्टि हो गई थी उनके खिलाफ की गई कार्रवाई के ब्यौरे निम्न प्रकार है :-

वर्ष	शिकायतों की संख्या	
	प्राप्त हुए	जिनमें आरोप सिद्ध हो चुके हैं
1993	5693	198
1994 (31.3.94 तक)	1060	54

पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के ब्यौरे निम्न प्रकार है:-

		1993	1994(31.3.94 तक)
1.	बर्खास्त किए अधिकारी	2	-
2.	दर्ज किए गए आपराधिक मामले	5	1
3.	अधिकारी जिनकी निन्दा की गई	72	19

4.	अधिकारी जिन्हें चेतावनी इत्यादि दी गई।	19	7
5.	अधिकारी जिन्हें सलाहकारी ज्ञापन जारी किए गए ।	1	-
6.	विभागीय जांच शुरू की गई ।	96	20
7.	प्रारम्भिक पूछताछ ।	3	7

[अनुवाद]

भुवनेश्वर में अनिवासी भारतीयों की सहायता से नया अस्पताल

7358 श्री के. प्रधानी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनिवासी भारतीयों की सहायता से भुवनेश्वर में एक अत्याधुनिक अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन से अनिवासी भारतीय इस अस्पताल को निधि प्रदान कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के दो अनिवासी भारतीय पूंजी निवेशकों की सहभागिता से भुवनेश्वर में एक अस्पताल खोलने के लिए मैसर्स उड़ीसा हार्ट इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के एक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

पाइपलाइन बिछाया जाना

7359. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने किलोमीटर पाइप लाइन चालू की गयी;

(ख) इन पाइपलाइनों के बिछाने पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) क्या राजस्थान में बिछायी जाने वाली पाइपलाइन का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं तो यह कार्य किस सीमा तक पूरा हो गया है; और

(ङ) भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा निकट भविष्य में पाइप लाइन चालू करने संबंधी कार्य का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गेल के गत तीन वर्षों के दौरान करीब 410 कि. मी. की पाइपलाइन चालू कर दी है।

(ख) इन पाइपलाइनों को बिछाने की कुल लागत करीब 140 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड (आर एस ई बी) के लिए गमनेवालां से रामगढ़ तक पाइपलाइन पूरी हो गई है।

(ङ) गेल ने निम्नलिखित पाइपलाइन परियोजनाओं को हाथ में लिया है।

1. एच बी जे का उन्नयन ।

2. एन टी पी सी, गंधार तक पाइपलाइन

3. राजस्थान में धंधेवालान से गामनेवालां तक पाइपलाइन।

4. महाराष्ट्र में थाल से धरमातार तक पाइपलाइन।

5. कावेरी और के जी बेसिन में पाइपलाइने ।

जम्मू व कश्मीर में आतंकवादियों का आत्मसमर्पण

7360. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1994 में आतंरिक सुरक्षा राज्यमंत्री की कश्मीर घाटी की यात्रा के दौरान कई कश्मीरी आतंकवादियों ने उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आगामी सप्ताहों में और अधिक आतंकवादियों के आत्मसमर्पण करने की संभावना है और इस प्रयोजनार्थ प्रेरणा जारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विगत में आत्मसमर्पण करने वाले अथवा अधिकारियों द्वारा रिहा किये गये आतंकवादियों ने बाद में आतंकवादी संगठनों में पुनः प्रवेश किया;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार आत्मसमर्पण करने वाले, आतंकवाद को तिलांजलि देने वाले और मुख्यधारा में शामिल होने के इच्छुक आतंकवादियों के सामाजिक पुनर्वास के लिए एक नई नीति बनाने का है; और

(ज) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् । छह उग्रवादियों ने दिनांक 7 अप्रैल, 1994 को अपने शस्त्रों सहित गृह राज्य मंत्री (आन्तरिक सुरक्षा) के समक्ष वारसन, जिला कुपवाड़ा, में आत्मसमर्पण किया ।

(ग) और (घ) सरकार का यह प्रयास है कि उग्रवाद की और भरमाये गए व्यक्तियों को हिंसा त्यागने और मुख्यधारा में वापस आने के लिए प्रेरित किया जाएं इस संबंध में किसी प्रकार का अनुमान लगाना अथवा ब्यौरे

बतलाना संभव नहीं होगा।

(ङ) और (च) ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी रिपोर्ट मिली है जिन्होंने पहले आत्मसमर्पण कर दिया था, तथा बाद में अधिकांशत: धमकाये जाने, डराये जाने, इत्यादि के कारण वे फिर से उग्रवादी गिरोही में शामिल हो गए ।

(छ) और (ज) राज्य सरकार ने एक पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की है जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की कलाओं और कौशलों में प्रशिक्षण देना है ताकि आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास किया जा सके।

सिंचाई परियोजनाएं

7361. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1993-94 के दौरान आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक और अन्य विदेशी संगठनों द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) चालू सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) आंध्र प्रदेश में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध की गयी निधियों से संबंधित स्थिति निम्न प्रकार है :

1991-92	-	31.450 मिलियन अमेरिकी डालर
1992-93	-	26.700 मिलियन अमेरिकी डालर
1993-94	-	61.024 मिलियन अमेरिकी डालर

(28.2.1994 तक)

इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना (एक बहु-राज्य परियोजना) के अंतर्गत भागीदार राज्यों में एक राज्य है।

(ख) जहां तक निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की विद्यमान स्थिति का संबंध है, यह निम्न प्रकार है :

परियोजना का नाम	करार की तारीख	क्रेडिट समाप्ति की तारीख	28.2.94 को कुल सहायता (मिलियन अमेरिकी डालर)	28.2.94 को सहायता का संचयी उपयोग (मिलियन अमेरिकी डालर)
1. दूसरी आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना	28.5.86	30.6.94	174.11	133.00
2 राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना	12.5.87	31.3.95	127.27	90.00

(ग) आंध्र प्रदेश के लिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में 9.19 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का लक्ष्य नियम किया गया हैं सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए अपनायी जा रही नीति में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं :

(1) निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने पर बल देना, और

(2) प्रशिक्षण, किसानों की भागीदारी, प्रबोधन तथा मूल्यांकन जैसे कार्यक्रमों को शुरू करना।

[हिन्दी]

महिला अपराध शाखा का कार्यकरण

7362. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने "1993 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला अपराध शाखा के कार्यकरण" से संबंधित अपनी अनुसंधान परियोजना पूरी कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इस परियोजना रिपोर्ट पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार ने इस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) अध्ययन ग्रुप की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और स्पेशल सैल के स्टाफ की संख्या में वृद्धि करने तथा सैलों में महिला पुलिस कार्मिकों की संख्या में वृद्धि करने की सिफारिश की गई है।

चूँकि "पुलिस" राज्य का विषय है, इसलिए सिफारिशों को लागू करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों की है सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों में

रिपोर्ट की प्रतियां परिचालित की गई है।

[अनुवाद]

तिहाड़ जेल

7363. श्री सैय्यद शहाबुद्दीन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिहाड़ जेल की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ख) इस जेल में 31 मार्च, 1994 को कैदियों की वास्तविक संख्या कितनी थी और वर्ष 1993-94 के दौरान किसी भी एक दिन कैदियों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या थी;

(ग) 31, मार्च, 1994 को कितने कैदियों पर मुकदमें चल रहे थे;

(घ) एक वर्ष से कम, एक से दो वर्षों तक, दो से तीन वर्षों तक, तीन से चार वर्षों तक, चार से पांच वर्षों तक तथा पांच वर्ष से अधिक समय तक कैद में रहे ऐसे कैदियों जिन पर मुकदमें चल रहे थे, का अलग-अलग विवरण क्या है;

(ङ) कैदियों को खाना उपलब्ध कराने पर प्रतिदिन कितना प्रति व्यक्ति व्यय मंजूर किया गया है; और

(च) क्या सरकार जेल अधिनियम तथा जेल नियमावली में कोई संशोधन करने पर विचार कर रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि केन्द्रीय जेल, तिहाड़ की वर्तमान क्षमता 2487 कैदियों को रखने की है।

(ख) 31.3.1994 को तिहाड़ जेल में कुल 8577 कैदी थे। वर्ष 1993-94 के दौरान किसी एक तारीख को जेलों में रखे गए कैदियों की कम से कम और उच्चतम संख्या निम्न प्रकार से है।

जेल सं.	तारीख	कम से कम	अधिकतम
1.	17.1.1994	1994	
	11.7.1993		2572
2.	19.6.1993	505	
	6.2.1994		1451
3.	18.4.1993	1830	
	21.3.1994		2679
4.	25.12.1993	2336	
	13.7.1993		3057

(ग) 7505

(घ) 31.3.94 को विचाराधीन कैदियों के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :

1 वर्ष से कम	5007
1. से 2 वर्ष के बीच	1074
2 से 3 वर्ष के बीच	742
3 से 4 वर्ष के बीच	312
4 से 5 वर्ष के बीच	257
5 से अधिक	117

(ङ) भोजन पर प्रति दिन प्रति व्यक्ति होने वाला औसत खर्च निम्न प्रकार है :

''ख'' श्रेणी	13.99 रुपये लगभग
''ग'' श्रेणी	10.49 रुपये लगभग

इसमें स्थापना और सभी आवश्यक वस्तुओं की लागत सम्मिलित है।

(च) इस समय जेल अधिनियम को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जेल मेन्युअलों में, जब कभी आवश्यक समझा जाता है, समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

[हिन्दी]

गुजरात में सिंचाई परियोजनाएं

7364. श्री एन.के. राठवा : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत गुजरात में कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत की गई उप-परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन): विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना क्रेडिट सं. 1770-आई एन के अंतर्गत क्रियान्वयन के लिए गुजरात को दो उपयोजनाएं नामशः साबरमती (धारोई) बायां तट नहर जिसका कृष्य कमान क्षेत्र 12980 हेक्टेयर है और मेशों जिसका कृष्य कमान क्षेत्र 6880 हेक्टेयर है क्रमशः 3.338 करोड़ रुपये और 1.855 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के शिकार परिवारों को मुआवजा

7265. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के शिकार परिवारों को मुआवजा और अन्य सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में अभी तक कितने मामलों में ऐसी सहायता प्रदान की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे परिवारों को कितनी अनुग्रह राशि दी गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जम्मू व कश्मीर सरकार की विद्यमान नीति के अनुसार, आतंकवादी हिंसा के दौरान मारे गए सिविलियनों को एक लाख रुपये की दर से तथा घायल व्यक्तियों को, उसके घावों की गंभीरता के अनुसार 500/- रुपये से 25000/- रुपये तक अनुग्रह राहत राशि का भुगतान किया जाता है।

(ख) और (ग) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य में आतंकवादी हिंसा में मारे गए/घायल हो गए व्यक्तियों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई/भुगतान की गई राशि के ब्यौरे निम्न प्रकार है :

वर्ष	मौतों की संख्या	घायलों की संख्या	स्वीकृत/भुगतान की गई अनुग्रह राशि(करोड़ रुपये में)
1991-92	829	920	
1992-93	1254	1183	35.81
1993-94	1346	2278	

यूरोपीय आर्थिक समुदाय से लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु सहायता

7366. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष केरल में लघु सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी परियोजनाओं के लिए किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन): (क) केरल लघु सिंचाई परियोजना केरल सरकार द्वारा प्रारंभिक पहलुओं को अंतिम रुप देने के चरण में है ताकि परियोजना को यूरोपीय आर्थिक समुदाय की वित्तीय सहायता से प्रचालनात्मक बनाया जा सके।

(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय और भारत सरकार के बीच वित्तीय समझौते के अनुसार केरल लघु सिंचाई परियोजना की कुल लागत 14.87 मिलियन यूरोपीय मुद्रा यूनिट है जिसमें से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता 11.8 मिलियन ई.सी.यू. होगी। इस परियोजना के, क्षेत्र स्तर पर अपने प्रारम्भ होने की तारीख, 5 वर्ष के भीतर पूरी हो जाने की आशा है। यह परियोजना केरल सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा स्वायत्त परियोजना प्रबन्ध यूनिट के जरिए कार्यान्वित की जानी है। तीन चरणों में अर्थात् चालू मूल्यांकन, मध्यावधि मूल्यांकन,

कार्योत्तर मूल्यांकन कराकर मानीटरी व मूल्यांकन परियोजना के अभिन्न अंग होंगे।

(ग) परियोजना समझौते के अनुसार, अभिज्ञात किए गए क्षेत्रों में ये शामिल होंगे : संपूर्ण करेल राज्य में फैले 59 सरोवर मुख्यतः थ्रीसुर और मालापुरम जिलों में फैली 31 लिफ्ट सिंचाई योजनाएं तथा नदी बेसिन के आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक व पर्यावरणीय पहलुओं के विस्तृत अध्ययनों सहित प्रियोजना प्रबन्ध सुविधाएं एवं परियोजना के अंतर्गत भूमि पुनरूद्धार योजनाएं।

सरकारी कार्यालयों का स्थानान्तरण

7367. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार ने डोडा जिले मे मारवाह और दद्ढव के कुछ सरकारी कार्यालयों को किश्तवाड़ में स्थानान्तरित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक स्थान से स्थानान्तरित किए गए कार्योलयों का ब्यौरा क्या है और इनका स्थानान्तरण किन-किन तिथियों को किया गया है;

(ग) कार्यालय को स्थानान्तरित करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इन कार्यालयों के स्थानान्तरण के कारण लोगों को हुई अनेक प्रकार की कठिनाइयों की जानकारी है;

(ड़) क्या सरकार को इन कार्यालयों को पुनः इनके मूल स्थानों पर स्थानान्तरित करेगी;

(च) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किया जाएगा; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (छ) आगजनी की घटनाएं जिनमें कार्यालयों के भवन नष्ट हो गए थे, होने के बाद जम्मू और कश्मीर बैंक ट्रेजरी कार्यालय तथा कुछ अन्य विभागों जिनमें बागवानी, कृषि सड़क और भवन, मत्स्यपालन, सहकारिता, वन, शिक्षा, ब्लाक और नियाबत शामिल हैं, को मरवाह और दखन के अस्थाई रुप से डोडा जिले के किश्तवार नामक स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया था। सरकारी रोकड़ की सुरक्षा के प्रति भी आशंकाएं थी। 18, अप्रैल, 1994 को इन कार्यालयों को अपने अपने कार्य स्थानों को वापस ले जाने के आदशे जारी कर दिए गए हैं। पुलिस स्टेशन/चौकी तथा नायब तहसीलदार और जिला विकास अधिकारी के कार्यालयों ने वहां से पुनः कार्य करना आरम्भ कर दिया है। क्षेत्र कार्यालयों के लिए पुर्न-भवन निर्माण/वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था की जा रही है।

देश में पुलिस और सुरक्षा बलों के कार्मिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। जम्मू व कश्मीर के राज्यपाल के सलाहकार (गृह) ने सीमा सुरक्षा बल के अपर महानिदेशक, महा-निरीक्षक, जम्मू और उप-आयुक्त, डोडा, को साथ लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं की पुनरीक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों की समस्याओं की सुनवाई हो सके, इन क्षेत्रों का दिनांक 4,मई,1994 को दौरा किया था।

मैदानी जनजातियों का वर्गीकरण

7368. श्री उद्धव बर्मन : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कुछ समुदायों के मैदानी जनजातियों के रुप में वर्गीकरण संबंधी असम सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वे समुदाय कौन-कौन से हैं;

(ग) इन समुदाय का वर्गीकरण किन-किन मानदंडों के आधार पर किया गया; और

(घ) केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कावालू) : (क) जी,हां।

(ख) अनुसूचित जनजाति (मैदानी) की सूची में शामिल किए जाने के लिए असम सरकार द्वारा संस्तुत किए गए समुदाय हैं :

1. कोच राजाबोगशी
2. चुटिया
3. तई अहोम
4. मोरान
5. मतक
6. चाय, तथा पूर्व चाय बागान समुदाय
7. हजोंग
8. अबोर
9. आका
10. अपटानी
11. डफला
12. गेलोंगे
13. खाम्पटी
14. खोवा
15. विश्मी
16. मोम्बा
17. कोई भी नागा जनजातियां
18. शेरदुकयेन
19. सिम्फो तथा उनकी उप-जनजातियां
20. महदी

(ग) अनुसूचित जनजाति के रुप में किसी समुदाय के विनिर्देशन के लिए मानदंड इस प्रकार है :

आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक प्रथकता, अन्य समुदाय से संपर्क में संकोच तथा पिछड़ापन।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूचियों में संशोधन के मुद्दे से संबंधित सभी प्रस्तावों को दिनांक 13.10.93 के संकल्प के अनुसार सचिव कल्याण की अध्यक्षता में गठित एक सलाहकार समिति को उनकी जांच के लिए भेजा गया है। इस समिति को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया करना

7369. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर घाटी में आंतकवादियों और पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों का सफाया करने हेतु सुरक्षाबलों द्वारा आपरेशन ब्लैक थन्डर जैसे किसी आपरेशन का विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कश्मीर में आंतकवादियों का सफाया करने हेतु गत चार माह के दौरान क्या कदम उठाए गए, और

(घ) कितने आंतकवादियों का सफाया किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) और (घ) जम्मू और कश्मीर में, उग्रवादी, अपने छिपने के ठिकानों को लगातार बदलते रहते हैं और सुरक्षा बलों तथा अन्यों पर 'हमला करो और भाग जाओ' की रणनीति अपनाते हैं। सुरक्षा बलों द्वारा राज्य के विभिन्न भागों में सूचना पर आधारित सुनियोजित खोज बीन तथा सफाया अभियानों सहित, उग्रवादियों पर लगातार दबाव बनाए रखा जा रहा है। इसके परिणामस्वरुप, बड़ी संख्या में विभिन्न गिरोहों के प्रमुख स्वयंभू नेताओं के पकड़े जाने और मारे जाने सहित कुछ अच्छी सफलताएं मिली हैं। पिछले चार महीनों के दौरान 379 उग्रवादी मारे गए तथा 1220 गिरफ्तार किए गए/पकड़े गए।

पेट्रोल, रसोई गैस और मिट्टी के तेल का विपणन

7370. श्री गोपी नाथ गणपति : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उड़ीसा में पेट्रोल, रसोई गैस और मिट्टी के तेल के विपणन और वितरण में बरती गई अनियमितताओं की घटनाएं आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो उस राज्य में इन मदों के विपणन, विक्रय और वितरण को विनियमित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) किसी गंभीर मामले के बारे में रिपोर्ट नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में पाकिस्तान की गतिविधियां

7371. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केरल के तट पर अत्याधुनिक विस्फोटक पदार्थों और हथियारों को ले जाने वाले पाकिस्तानी पोतों को देखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान के एजेंट राज्य के कुछ भागों में बेमानी कारखाने स्थापित करने में भी लगे हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) इस बारे में कोई पुष्ठ सूचना नहीं है।

(ग) सरकार के पास, ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

रसोई गैस और मिट्टी के तेल का भण्डारण और वितरण

7372. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई गैस सिलिंडरों और मिट्टी के तेल के भण्डारण और वितरण हेतु भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० (बीपीसीएल) का एशियाटिक पेट्रोलियम के साथ घनिष्ठ संबंध होने के बारे में उनके मंत्रालय द्वारा कराई गई जांच का क्या निष्कर्ष निकला है;

(ख) सरकारी क्षेत्र की किसी भी कंपनी द्वारा किन परिस्थितियों में किसी निजी कंपनी के साथ समझौता किया गया है;

(ग) इस कंपनी और अन्य कंपनियों द्वारा डीलरों और उपभोक्ताओं से कितनी धनराशि एकत्रित की गई है; और

(घ) डीलरशिप के ऐसे धोखाधड़ी वाले मामलों को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जांच और पंजीकरण महानिदेशक ने एशियाटिक पेट्रोलियम कंपनी के विरूद्ध जांच आरंभ कर दी है। जांच अभी पूरी की जानी है।

(ख) सरकार की तेल कंपनियों को अपनी आयात और भण्डारण की अतिरिक्त सुविधाओं की क्षमता को समानान्तर विपणन कर्त्ताओं को परस्पर सम्मत वाणिज्यिक शर्तों पर उपयोग करने की अनुमति देने हेतु स्वीकृति दी गई है। इस मामले में यद्यपि बी.पी.सी.एल. ने मैसर्स एशियाटिक पेट्रोलियम के साथ समझौता किया था जिसे बाद में इसलिए समाप्त कर दिया गया था क्योंकि एशियाटिक पेट्रोलियम ने बी.पी.सी.एल. के नाम को अधिकृत विज्ञापन में उपयोग किया था।

(ग) मंत्रालय में यह जानकारी नहीं रखी जाती है।

(घ) इस मंत्रालय ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सुझाव दिया है कि वे समानांतर विपणन कर्त्ताओं द्वारा समानांतर विपणन की उचित व्यवस्था किए जाने से पूर्व उन्हें भावी डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों और ग्राहकों से जमा के रुप में रुपये लेने से मना करें। आम जनता को भी सावधान किया गया है कि वे समानान्तर

विपणनकर्त्ताओं के साथ उनके पूर्ववृत्त, सत्यता तथा क्षमता के बारे में जांच करने के बाद ही कोई कारोबार करें।

[हिन्दी]

नई दिल्ली नगरपालिका के अस्पतालों में शिशु मृत्यु

7373. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा चलाए जाने वाले प्रसूति अस्पतालों में प्रति वर्ष अस्पताल-वार कितने शिशुओं का जन्म हुआ और उनमें से कितने शिशुओं की मृत्यु हुई;

(ख) इस संबंध में अभी तक की गई जांच का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मामलों में कुछ चिकित्सक दोषी पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है, अथवा किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) सूचना इस प्रकार है :

	1991-92	1992-93	1993-94
(क) पालिका प्रसूति अस्पताल, लोधी कालोनी			
पैदा हुए बच्चों की संख्या	975	1340	1067
मृत बच्चों की संख्या	-	-	4
(ख) तीन नई दिल्ली नगर पालिका प्रसूति बोर्ड			
पैदा हुए बच्चों की संख्या	900	785	747
मृत बच्चों की संख्या	4	1	5

(ख) कोई जांच नहीं की गई क्योंकि मौत के कारण स्पष्ट थे।

(ग) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों के उग्रवादियों के साथ कथित संबंध

7374. श्री मोहन रावले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन के अधिकारियों के उग्रवादियों के साथ संबंध होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन में कुछ तत्वों के उग्रवादियों के साथ कथित संबंधों के बारे में सामान्य रिपोर्ट समय-समय पर मिली हैं। जब भी इस प्रकार की अंतर्ग्रस्तता के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत/साक्ष्य जानकारी में आता है तो उचित कार्यवाही की जाती है।

केन्द्रीय सचिवों द्वारा जम्मू और कश्मीर की यात्रा

7375. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्याः

श्री एम.वी.वी.एस.मूर्ति :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रधान मंत्री के निजी सचिव सहित कई केन्द्रीय सचिवों ने जम्मू और कश्मीर की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या प्रयोजन था और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो उन्होंने क्या मुख्य सिफारिश की है; और

(ङ) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ) शिक्षा, लघु उद्योग, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, ग्राम्य विकास और नागरिक आपूर्ति मंत्रालयों/विभागों के केन्द्रीय सचिवों और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने प्रधानमंत्री के सचिव के साथ 11/12 अप्रैल,1994 को जम्मू एवं कश्मीर का दौरा किया और संबंधित क्षेत्रों में विकासात्मक प्रयासों से संबंद्ध समस्याओं को विस्तार के समझने, संसाधनों में वृद्धि करने सहित उन क्षेत्रों की पहचान करने जिनमें निर्णय लिये जाने अपेक्षित थे और उन उपायों को शुरू करने के उद्देश्य से जिनसे विभिन्न योजनाओं का वास्तविक कार्यान्वयन अधिक प्रभावकारी बनाया जा सके, इसको गति दी जा सके और प्रभावकारी ढंग से इसका प्रबोधन किया जा सके, (राज्यपाल के) सलाहकारों और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की।

2. निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये :

(1) नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आर.पी.डी.एस.) का राज्य के 23 और विकास खण्डों के विस्तार (लगभग 13 लाख की अतिरिक्त आबादी को कवर करते हुए) और इन 23 विकास खण्डों में रोजगार

आश्वासन योजना (ई.ए.एस) का विस्तार जिससे कि ई.ए.एस के लिए चालू वर्ष में 57 करोड़ रुपये की कुल उपलब्धता रहेगी।

(2) विभिन्न ग्राम्य, विकास कार्यक्रमों जैसे समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम, डी.डब्ल्यू.सी. आर.ए., जवाहर रोजगार योजना, त्वरित ग्राम्य जल आपूर्ति कार्यक्रम, ग्राम्य स्वच्छता कार्यक्रम और अभिनव परियोजना कार्यक्रम के अधीन परिव्यय को बढ़ाना।

सामुदायिक सहभागिता में सुधार के लिए पंचायत हलका स्तर पर ब्लाक स्तर पर और जिला स्तर पर स्थानीय सलाहकार समितियों की स्थापना के लिए राज्य प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया।

(3) महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में खर्च न किए गए धन का पुर्नविधिकरण करना और राज्य सरकार द्वारा विशेष रुप से जिन 4 आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं के लिए अनुरोध किया गया था उनकी तथा जम्मू, श्रीनगर और लेह क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए 4 होस्टलों की तुरन्त स्वीकृति।

(4) औद्योगिक ढांचों के लिए दो अतिरिक्त परियोजनाओं, एक फल संसाधन इकाई, एक अद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना, दो बूचड़खाने खोलने की स्वीकृति, ऊन बुनकरों के लिए के.वी.आई. सैक्टर में अतिरिक्त सहायता और शुरू में एक जिले के लिए सघन रोजगार योजना के अंतर्गत राशि देना जिसमें निधि का लिकेंज ग्राम्य विकास मंत्रालय से किया गया हो।

(5) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत, क्षतिग्रस्त स्कूलों भवनों की मरम्मत के लिए भी धन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया और मेडीकल तथा एम्बूलेटरी सेवाओं में वृद्धि के लिए साथ ही अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की सहायता में वृद्धि करना।

(6) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं और चावल के आबंटन में क्रमशः 10,000 टन और 8,000 टन की वृद्धि की गई।

3. लिए गए विभिन्न निर्णयों का कुल वित्तीय प्रभाव लगभग 152 करोड़ होगा। ये कार्यक्रम इन मंत्रालयों/विभागों की अपनी वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित किसी अन्य कार्यक्रमों के अलावा होंगे।

4. अनुवर्ती कार्य के रुप में निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है:

(क) 11 और 12 अप्रैल, 1994 को जम्मू और कश्मीर का दौरा करने वाला सचिवों का दल स्वयं को एकसमिति के रुप में ढालेगा और राज्य सरकार के नजदीकी सहयोग से ऊपर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के प्रबोधन की जिम्मेदारी लेगा।

(ख) निर्णयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सचिव राज्य का बार-बार दौरा करेंगे।

(ग) ऐसी ही कार्रवाई के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों के सचिवों का एक अन्य दल शीघ्र ही श्रीनगर का दौरा करेगा।

दिल्ली पुलिस कर्मी

7376. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने गत तीन वर्षों के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत बिना कोई जांच पड़ताल किये, न्यायालयों में मुकदमा चलाये बगैर अथवा किसी निर्णय पर पहुंचे बिना अपने कई कर्मियों को निलम्बित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति ली गई थी;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान संविधान के अनुच्छेद 311 (2)(ख) के अधीन 98 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया गया।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कर्नाटक में दलितों का मारा जाना

7377. श्री राम विलास पासवान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1993 के दौरान कर्नाटक के वडानवालू गांव में दलितों के मारे जाने की घटना की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है;

(ख) क्या निर्धारित तिथि के भीतर आरोप पत्र के प्रस्तुत न किए जाने के कारण हत्याओं के सभी प्रमुख अभियुक्तों को अदालत में जमानत पर छोड़ दिया है;

(ग) समय पर आरोप पत्र प्रस्तुत न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचार करने वालों को दंड दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 90 दिन की निर्धारित अवधि के अंतर्गत केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आरोप पत्र दाखिल न किए जाने के कारण न्यायालय द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

(ग) स्थानीय पुलिस द्वारा 68 दिन बीत जाने पर मामला सी.बी.आई. को हस्तांतरित किया गया था और बाकी 22 दिनों में मामले की जांच पूरी नहीं की जा सकी।

(घ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उपबंधों को

अभियुक्तों के खिलाफ लगाया गया। अब मामले की जांच पूरी कर ली गई है। अंतिम रिपोर्टों की संवीक्षा की जा रही है और इन्हें शीघ्र ही न्यायालय में दाखिल किया जाना है।

[अनुवाद]

अनुसंधान एवं विकास पर खर्च

7378. डा. असीम बाला : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में अनुसंधान एवं विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ख) तेल क्षेत्र में प्रोद्योगिकी के मामले में नयी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तेल क्षेत्र में अनुसंधान एंव विकास की कार्य योजना क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान ओएनजीसी द्वारा अनुसंधान और विकास पर वहन किया गया वास्तविक व्यय निम्नानुसार है:

	(करोड़ रुपये में)
1991-92	17.33
1992-93	20.33
1993-94	19.52 (अंनतिम)

(ख) और (ग) अनुसंधान और विकास की उपलब्धियों में तेल/गैस के अन्वेषण, वेधान, रिजर्वेयर प्रबंधन, वर्द्धित तेल वसूली, उत्पादन, सुरक्षा और पर्यावरण पहलू आदि से संबंधित तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास सुधार और अपनाया जाना शामिल है। भविष्य की योजनाओं में प्रचालन के उपर्युक्त क्षेत्रों में अद्यतन तथा नयी प्रौद्योगिकी/तकनीकी का पता लगाने, अपनाने तथा सुधार करने का विकास करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्य को जारी रखना शामिल है।

[हिन्दी]

रसोई गैस कनेक्शन

7379. श्री प्रेम चन्द राम : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं लोक सभा के उन सदस्यों को जो नौवीं लोक सभा के भी सदस्य रहे थे, को प्राथमिकता के आधार पर 1993-94 के लिए रसोई गैस कनेक्शन का कोटा उपलब्ध नहीं करा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो दसवीं लोक सभा के सदस्यों की सिफारिशों पर गैस कनेक्शन न दिए जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) प्राथमिकता के आधार पर एल.पी.जी. कनेक्शन का कोटा केवल संसद के वर्तमान सदस्यों के लिए ही उपलब्ध है।

[अनुवाद]

रसोई गैस कनेक्शन

7380. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस कनेक्शन का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तथा एक नगर से दूसरे नगर का अंतरण करने के संबंध में कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1993 के दौरान तथा 1994 में अब तक रसोई गैस कनेक्शन के अंतरण हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान, कितने आवेदन पत्रों का निपटारा किया गया है; और

(ङ) विचाराधीन आवेदन पत्रों का निपटारा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एल.पी.जी. कनेक्शनों के हस्तांतरण की अनुमति कतिपय मामलों, यथा सब्सक्रिप्शन वाउचर (एसवी) धारक की मृत्यु होने पर, एसवी धारक की वृद्धावस्था आदि में निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाने के बाद दी जाती है। एक नगर से दूसरे नगर में स्थानान्तरण की अनुमति अधिकृत ग्राहक के निवास बदलने की स्थिति में दी जाती है।

(ग) से (ङ) यह एक सतत् प्रक्रिया है और एलपीजी कनेक्शनों का हस्तांतरण ग्राहकों और वितरकों द्वारा औपचारिकताओं को पूरा किए जाने के तुरन्त बाद निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार शीघ्रता से किया जाता है।

प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान

7381. श्री पी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री तारासिंह :

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी और गैर सरकारी क्षत्रों में कितने-कितने प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार गैर सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान के कार्यों की जांच करने का है;

(ग) क्या सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र के इन संस्थानों को सहायता उपलब्ध कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (घ) देश में 7 सार्वजनिक और लगभग 51 निजी प्राकृतिक चिकित्सा संस्थानों के कार्य करने का पता चला है। केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों के कार्यक्रम की समीक्षा करता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान 8 संस्थान सहायता अनुदान प्राप्त कर चुके हैं।

[हिन्दी]

रसोई गैस कनेक्शन

7382. श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री फूल चन्द वर्मा:

श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष राज्य-वार विशेष रुप से आदिवासी जिलों में, रसोई गैस के कितने कनेक्शन दिये गये;

(ख) क्या 1994-95 के दौरान रसाई गैस के और अधिक नये कनेक्शन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये कनेक्शन कब तक दे दिये जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां।

(ग) से (घ) देश में नए कनेक्शन नए ग्राहकों के कुल नामांकन, घरेलू स्रोतों, से एल.पी.जी. की उपलब्धता संभावित आयातों, प्रतीक्षा सूची, वितरकों के पास उपलब्ध गुंजायश और उनकी व्यवहार्यता के आधार पर जारी किए जाते हैं फिर भी यथा संभव संख्या में आवेदकों को यथाशीघ्र एल.पी.जी. कनेक्शन जारी करने के सतत प्रयास जारी हैं। कनेक्शन पूरे वर्ष जारी किए जाते हैं।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में (राज्यवार) आदिवासी जिलों में निम्नलिखित संख्या में एल पी जी कनेक्शन दिए गए हैं :-

राज्य	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1038	483	2732
अरूणाचल प्रदेश	1270	738	1705
असम	1370	517	740

1	2	3	4
बिहार	12300	11602	15461
गोवा	–	–	–
गुजरात	4850	3341	5166
हरियाणा	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	1053	1805	2733
जम्मू और कश्मीर	285	854	956
कर्नाटक	6836	5469	7145
केरल	–	–	–
मध्य प्रदेश	9231	3891	5193
महाराष्ट्र	27488	31135	48394
मणिपुर	231	407	1723
मेघालय	1343	790	1410
मिजोरम	880	1408	2378
नागालैंड	1920	908	2187
उड़ीसा	6884	8300	4944
पंजाब		–	– –
राजस्थान	618	842	1686
सिक्किम	2546	692	1853
तमिलनाडु	–	–	–
त्रिपुरा	–	–	– –
उत्तर प्रदेश	–	–	–
पश्चिम बंगाल	2991	4515	5187
केन्द्र शासित प्रदेश			
अंडमान और कार निकोबार	874	811	2029
चण्डीगढ़	–	–	–
दादरा और नगर हवेली	420	138	240
दिल्ली		–	– –
दमण और दिव	–	–	–
लक्षद्वीव	–	–	–
पांडिचेरी	–	–	–

[अनुवाद]

कश्मीरी विस्थापितों की समस्यायें

7383. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 1994 में कश्मीरी विस्थापितों की समस्याओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या किसी अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधारात्मक उपाय पर चर्चा की गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान् । कश्मीरी प्रवासियों की समस्याओं की पुनरीक्षा करने के लिए गृह मंत्री द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 1994 को एक बैठक की गई थी। इस बैठक में, अनुग्रह राहत की मात्रा में वृद्धि करने, एक कमरे वाले आवासों का और निर्माण करने, पुराने हो गए टैंटों को बदलने, कुछ विशिष्ट तारीखों के बाद प्राधिकारियों से सम्पर्क करने वाले प्रवासियों को दर्ज करने, घाटी में प्रवासियों द्वारा अपने पीछे छोड़ी गई अचल सम्पत्ति की सूचियां तैयार करने तथा प्रवासियों की समस्याओं की नियमित आधार पर पुनरीक्षा करने के लिए एक तंत्र का गठन करने से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई तथा इनसे संबद्ध निर्णय लिए गए थे। इन सभी मामलों पर नियमित रुप से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है तथा इनकी पुनरीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर पुलिस

7384. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर पुलिस पुनर्गठन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) राज्य में पुलिस बल के पुनर्गठन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए (ख) और (ग) के बारे में प्रश्न नहीं उठता है।

तेल क्षेत्र में परियोजनाएं

7385. श्री गुमान मल लोढ़ा :

श्री नीतीश कुमार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1994 तक देश में कई परियोजनाएं निर्माणाधीन थी;

(ख) यदि हां, तो देश में कच्चे तेल का पता लगाने और संसाधित करने की कितनी परियोजनाएं क्रमशः निर्माणाधीन थीं और अनुमानतः उनकी निर्माण लागत क्या है;

(ग) क्या उनमें कुछ ऐसी परियोजनाएं भी हैं जो निर्माण के लिए रखे गये निर्धारित समय के लक्ष्य से अत्यधिक पिछड़ गयी हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं;

(ङ) कितनी परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका केवल विदेशी वित्तीय संस्थाओं की सहायता से निर्माण किया जा रहा है;

(च) क्या सरकार को विदेशी स्वीकृत सहायता का उपयोग नहीं कर पाने की स्थिति में प्रतिबद्धता शुल्क देना होता हैं; और

(छ) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में प्रतिबद्धता शुल्क के रुप में कितनी राशि दी गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) परियोजनाओं की संख्या		अनुमानित लागत (रुपए)
क्रूड और गैस के अन्वेषण और	11	17958.07 करोड़
उत्पादन की परियोजनाएं		
रिफाइनरी परियोजनाएं	14	13039.00 करोड़

(ख) जब कि छोटे मोटे विलंब के कुछ मामले देखने में आए हैं तो भी कोई भी परियोजना निश्चित लक्ष्य से बाहर नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ऐसी कोई भी परियोजना नहीं है जो केवल किसी विदेशी वित्तीय संस्था द्वारा वित्त पोषित हो,

(च) वचन बद्धता शुल्क ऋण की शर्तों के अनुसार देय हैं।

(छ) 1993-94 के दौरान तेल कम्पनियों द्वारा भुगतान की गई राशि 4.32 करोड़ रुपए थी।

स्वस्थ मां स्वस्थ शिशु पुरस्कार

7386. श्री बीर सिंह महतो : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ''स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु पुरस्कार'' योजना चलाई है;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए यह पुरस्कार किस राज्य को मिला;

(घ) इस पुरस्कार को देने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

अस्पतालों को वित्तीय सहायता

7387. श्री हरि केवल प्रसाद :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, लखनऊ को कोई वित्तीय सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस

7388. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दिल्ली पुलिस के कितने सिपाहियों को दिल्ली के लोगों पर ज्यादतियों करने का दोषी पाया गया है;

(ख) दोषी सिपाहियों के विरूद्ध तथा ऐसी ज्यादतियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या सिपाही दंड प्रक्रिया संहित की धारा 107 और 151 के अंतर्गत झूठे मुकदमें बनाते हैं और केवल एक पक्ष को ही फंसा लेते हैं;

(घ) यदि हां, तो उन अवस्थाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें इन धाराओं के अंतर्गत केवल एक ही पक्ष के विरूद्ध मामला दर्ज किया जा सकता है;

(ङ) क्या ये धाराएं अस्पष्ट हैं और सिपाहियों को किसी भी व्यक्ति को परेशान करने की शक्तियां प्रदान करती हैं;

(च) यदि हां, तो इन धाराओं में संशोधन करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(छ) सिपाहियों की मनमानी के विरूद्ध सामान्य जनता को क्या सुरक्षोपाय उपलब्ध करा गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1991,1992,1993 और 1994 (31.3.94 तक) के दौरान जनता के साथ दुर्व्यवहार के लिए दोषी पाए गए दिल्ली पुलिस के कार्मिकों की संख्या इस प्रकार है :-

वर्ष	पुलिस कर्मियों की संख्या
1991	304
1992	191
1993	316
1994	45
(31.4.94.)	

(ख) दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि पुलिस कर्मी दण्ड प्रक्रिया की धारा 107 और 151 के अन्तर्गत झूठे मामले नहीं बनाते। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अधीन उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाती है जिसके द्वारा शांति भंग अथवा जनता की शांति में व्यवधान डाले जाने आदि की आशंका होती है।

(ङ) ये धाराएं अस्पष्ट नहीं हैं। केवल इनके दुरुपयोग से परेशानी हो सकती है।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(छ) पुलिस कर्मियों के दुर्व्यहार को रोकने के लिए पुलिस द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त जांच दल का गठन किया गया है। दुर्व्यवहार के लिए दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ निवारक दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

विवरण

वर्ष	कुल प्राप्त शिकायतो की संख्या	बर्खास्तगी	जब्ती	निन्दा	चेतावनी	अप्रसन्नता	एडवाइस मीमो	आपराधिक मामले	सदिग्ध निष्ठा	गैर-संवेदन-शील में स्था-नांतरण	विभा गीय जांच लम्बित	प्रार-भिक जांच
1991	304	5	10	90	5	3	-	3	40	25	112	11
1992	191	5	12	52	1	1	1	12	8	19	69	11
1993	316	7	7	96	1	2	-	6	16	46	129	6
1994	45	-	-	5	-	7	-	-	-	-	33-	
योग	856	17	29	243	7	13	1	21	64	90	343	28

औषधीय पौधों का विकास और खेती

7389. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधीय पौधों का विकास तथा खेती करने के लिए प्रोत्साहन देने की कोई केन्द्रीय योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश को चालू वर्ष में कितनी धनराशि दी गई है;

(घ) क्या सरकार ने तम्बाकू की खेती को औषधीय पौधों की खेती में परिवर्तित करने के लिए धनराशि देने का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) और (ख) औषधीय पौधों की पता लगाई गई प्रजातियों की खेती करने के लिए सरकारी/अर्ध सरकारी संगठनों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत धन का राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए विदेशी सहायता

7390. श्री दत्ता मेंघे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष उन्होंने देश में बीमारियों का सफलतापूर्वक निदान करने के लिए उच्च तकनीकी वाले चिकित्सा उपकरणों एवं विदेशी डाक्टरों की सेवाएं प्राप्त करने हेतु किन-किन देशों की यात्रा की थी; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन-किन देशों के साथ समझौते किए गए है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हिरासत में बलात्कार के मामले

7391. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 और 1994 के दौरान अब तक दिल्ली में हिरासत में बलात्कार के मामलों की माहवार संख्या कितनी है; और

(ख) ऐसे प्रत्येक मामले में अपराधियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि वर्ष

1993 और 1994 के दौरान अब तक दिल्ली में, हिरासत में बलात्कार का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

तम्बाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध

7392. श्री अन्ना जोशी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तंबाकू निषेधक कानून लागू करने से किसानों को होने वाले भारी घाटे की भरपाई करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोई बातचीत शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी नही।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

गैर-सरकारी उद्योगों में आरक्षण

7393. श्री रतिलाल वर्मा : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का गैर-सरकारीकरण किये जाने के बाद उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगकाबालू) : (क) से (ग) उद्योग मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के मुद्दे की जांच की थी तथा दिनांक 16.3.1993 के अपने का. झा. सं. 18(8)/92-जी.एम.के तहत निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए थे :-

1. जहां एक सार्वजनकि क्षेत्र के प्रतिष्ठान को वी.आई एफ.आर. के जरिए अथवा अन्याय पुर्नगठित किया जाना है तो ऐसे पुनर्गठन के परिणाम स्वरुप प्रभावित होने वाले सभी वर्गो के कर्मचारियों के लिए पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनः तैनाती हेतु नेशनल रिन्यूअल फंड से धन लेने की आवश्यकता होगी और वहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को पहले भेजा जाए।

2. जहां आंशिक पुनर्गठन हो, तो वहीं प्रतिनिधित्व का अनुपात ऐसे आंशिक पुनर्गठन के प्रारम्भ से पहले सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में विद्यमान था, कायम रखा जाए? यदि यह प्रतिनिधित्व के निर्धारित न्यूनतम अनुपात से कम था।

3. पूर्ण पुनर्गठन के मामले में, नये मालिकों के साथ एक समुचित वैकेज पर बातचीत करना संभव होगा जिससे कि वे कर्मचारियों की छटनी न कर सकें। तथापित, कार्यबल का यौक्तिकीकरण पैकेज के पुनर्गठन का एक आवश्यक भाग है, तो आगे वाले पैरा ग्राफ में स्पष्ट किए गए अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत बाध्यकारी मार्गदर्शी सिद्धांत के रुप में माना जाए।

4. अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों के कौशलों का उन्नयन तथा प्रशिक्षण आवश्यक है विशेष तौर से उनके लिए नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए इन पहलुओं पर योजना कार्यक्रमों में विशेष बल दिए जाने की आवश्यकता है लेकिन उपलब्ध नौकरी के अवसरों के वास्तविक पहुँच प्रदान करने के लिए यह विकल्प नहीं हो सकता जहां आरक्षण का एक उपाय समुचित समयावधि के लिए जारी रखना हो।

5. पुनर्गठन तथा पुनर्वास योजनाओं के क्रियान्वयन करते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जाति/जनजाति के संबंध में कार्यबल के यौक्तिकीकरण में पर्याप्त सन्तुलन होना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में पहले से ही रोजगार प्राप्त अनुसूचित जाति-जनजाति के संबंध यौक्तिकीकरण में अनुसूचित जाति/जनजाति रोजगार में प्रतिनिधित्व के विद्यमान अनुपात में कमी नहीं होनी चाहिए।

6. पूर्ण पुनर्गठन के मामले में, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए नौकरियों में आरक्षण की नीति अपनाया शामिल करते हुए जैसाकि आई.आई.एस.सी.ओ. के मामले में किया गया है, अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की नियोजन सुरक्षा के लिए, नए मालिकों को बाध्य किया जाना चाहिए जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति उम्मीदवारों को नौकरियों में आरक्षण की नीति स्वीकार करना भी शामिल है, जैसा कि इसके बारे में किया गया है।

7. निजी क्षेत्रों में जहां ऐसे आरक्षण की नीतियां प्रचलन में नहीं है उद्यमकर्त्ताओं को प्रोत्साहन देना वांछनीय होगा कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की प्रबुद्ध नीति का अनुसरण करना उनके अत्यधिक हित में हैं।

उपरोक्त विषय पर, उक्त विभाग ने निम्नलिखित और पत्र जारी किए हैं :-

8. तथापि, इस दिशा में शून्य प्रगति या मामूली प्रगति के मामले में तथा सामाजिक सद्भाव, स्थिरता, और सिलसिलेवार वृद्धि के हित में, इस प्रयोजन हेतु संविधान में संशोधन करने में कोइ हिचक नहीं होनी चाहिएं ऐसा विकल्प हमेशा खुला रखा जाना चाहिए। तथा ऐसी सकारात्मक कार्रवाई के लिए स्वयं को समायोजित करने हेतु समाज को अच्छे अंतराल यानी 5-6 वर्ष उपलब्ध करवा कर इस पर विचार किया जाना चाहिए।

9. तथापि, वर्तमान के लिए इस प्रयोजन हेतु कोई संवैधानिक संशोधन न तो तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। संविधान के विद्यमान ढांचे में अनुसूचित जाति/जनजाति के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव की विद्यमान नीति सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए जारी रह सकती है। सभी उद्यमों के संबंध में इस नमनीय सिद्धांत के विस्तार के प्रश्न पर निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ समय बाद जब मनाने और स्वैच्छिक सकारात्मक कार्रवाई के असफल होने पर विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

बाल सुधार गृह

7394. श्री भीम सिंह पटेल : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बच्चों द्वारा बाल सुधार गृह की दीवारों पर लगी लोहे की छड़ों को तोड़कर भाग जाने की घटनाओं की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन त्रुटियों का पता लगाया है जिनके कारण वे घटनाएं होती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इन सुधार गृहों में व्याप्त अव्यवस्था से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इन सुधार गृहों में स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कावालू) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली गेट, दिल्ली में सरकार द्वारा संचालित लड़कों के लिए प्रेक्षण गृह से लड़कों के भागने की घटना घटी थी। इन लड़कों ने 21.2.94 की रात को कृत्रिम छत में एक छेद किया और सी.जी.टी. शीट की छत तथा कृत्रिम छत के बीच एक्झास्ट के लिए बनाएं गये। एक बड़े सुराख से भाग गयें इन बच्चों ने इस सुराख के बीच लगाई गई लोहे की छड़ों को हटा दिया ताकि भागना आसान हो जाएं।

(ग) और (घ) जी, हां। की गई विस्तृत जांच के बाद यह पाया गया था कि यह घटना चौकीदार तथा केयर टेकर की लापरवाही के कारण घटी। इन दोनों को निलम्बित कर दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

गरीब हृद्य रोगियों का उपचार

7395. श्री वृशिण पटेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे अस्पतालों में गरीब हृदय रोगियों के उपचार हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गरीब रोगियों को किस प्रकार उक्त राशि दी जाती है तथा इसमें कितना समय लगता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) जहां मुफ्त चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती वहां गरीब और असहाय रोगियों को 20,000/- रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि अस्पताली चिकित्सा/आपरेशन पर किए गए व्यय का कुछ हिस्सा अदा किया जा सकें। यह सुविधा दिल के मरीजों के इलाज के लिए भी उपलब्ध है।

(ग) स्वीकृत अनुदान अस्पताल/संस्थान को डिमांड ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से इस सूचना के मिलने पर रिलीज किया जाता है कि रोगी को भर्ती कर लिया गया है/उसका इलाज शुरू हो गया है/इस प्रयोजनार्थ लगने वाला वास्तविक समय कई बातों पर निर्भर करता है, नामतः निर्धारित फार्म में आवेदन पत्र और मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करना, राजस्व अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लिया गया आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना तथा भर्ती/आपरेशन हेतु अस्पताल द्वारा दी गई तारीख बताना।

[अनुवाद]

रोगी/बिस्तर का अनुपात

7396. श्री अनंतराव देशमुख : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में रोगी/बिस्तर का अनुपात क्या है;

(ख) क्या यह अनुपात सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरुप है;

(ग) यदि नहीं, तो बिस्तरों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ख) दिल्ली में पलंग/जनसंख्या अनुपात लगभग 2:1000 है। गत्यात्मक ढांचे में ऐसे अनुपातों के बारे में कोई प्रतिमान निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है। दिल्ली के परिसरीय क्षेत्रों में एक 500 पलंगों वाला और आठ 100 पलंगों वाले अस्पताल स्थापना की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र में संस्थानों की संख्या भी बढ़ रही है।

जम्मू और कश्मीर के लोगों की तकलीफें

7397. श्री सुधीर गिरि :

श्री दत्ता मेघे :

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

डा. कृपा सिन्धु भोई :

श्री बलराज पासी:

डा. रमेश चन्द तोमर:

श्री के. प्रधानी:

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों से सहायता प्राप्त आतंकवाद के कारण जम्मू और कश्मीर के लोगों को होने वाली तकलीफों को दूर करने हेतु क्या नवीनतम उपाय किए गए हैं और किये जायेंगे; और

(ख) राज्य में राजनीतिक गतिविधियां आरम्भ करने के लिए क्या नवीनतम कदम उठाए गए हैं और उठाए जाएंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सरकार, जम्मू एवं कश्मीर में अतिशीघ्र सामान्य स्थिति बहाल करने और राजनीतिक प्रक्रिया को पुर्नजीवित करने के लिए इच्छुक है। इस दिशा में विभिन्न उपाय, विशेषत: पिछले कुछ महीनों के दौरान किए गए हैं। सुरक्षा प्रबन्धों को सुप्रवाही बनाने और उग्रवादियों पर दबाव बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं ताकि हिंसा को रोका जा सके और बन्दूक का भय कम किया जा सकें यद्यपि आतंकवादी हिंसा भारी मात्रा में जारी है लेकिन स्थिति में और लोगों की मन: स्थिति

में दृष्यमान एवं गुणात्मक परिवर्तन आया है, जिनका उग्रवादियों द्वारा जारी अंधाधुंध हिंसा और उनकी गतिविधियों से मोहभंग हो गया प्रतीत होता है। सरकार के प्रयास है कि स्थिति को सुदृढ़ किया जाए जिससे कि राज्य में अतिशीघ्र प्रजातांत्रिक संस्थाओं की बहाली की स्थिति बनाई जा सके।

प्रशासन में अधिक उत्तरदायित्व और जबाबदेही लाते हुए और शिकायत निवारण पद्धति को मजबूत बनाते हुए स्थानीय प्रशासन को पुनः सक्रिय बनाए जाने की ओर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। युवकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने, आधारिक स्तर पर सामुदायिक नेतृत्व को पुनर्जीवित करने और लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा में आने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से राज्य में विकासात्मक एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं राजनैतिक तत्वों को अपने कार्यकर्ताओं को पुनः सक्रिय बनाने के लिए, प्रोत्साहित किए जाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

गृह मंत्री ने हाल ही में राज्य का दौरा किया था और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ भी विचार-विमर्श किया था तथा उनसे आधारिक स्तर पर अपने प्रयास तेज करने का अनुरोध किया था। आन्तरिक सुरक्षा राज्य मंत्री बारम्बार राज्य के विभिन्न हिस्सों/जिलों का दौरा करते रहे हैं और उन्होंने लोगों एवं स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से मिलने के अलावा कई आम सभाओं को भी सम्बोधित किया है। इन सभी कदमों का प्रभाव पड़ा और राज्य स्तर पर कई राजनीतिक नेताओं ने सक्रियता प्रदर्शित की। इन सभी कदमों के प्रति लोगों का रूख भी सकारात्मक रहा है। इन सभी प्रयासों को जोर-शोर से जारी रखने का विचार है।

विशाख तेलशोधक कारखाना

7398. श्री एम वी वी एस मूर्तिः

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसीः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के विशाख तेल शोधक कारखाने को बन्द करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) इसके परिणामस्वरुप कुल कितना घाटा हुआ है; और

(घ) इसके पुनः कब तक चालू किये जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्यमंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनजातीय उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता

7399. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनजातीय उपयोग हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता का आबंटन करने हेतु क्या मानदंड रखे गए है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जनजातीय उपयोग हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि प्रदान की गई और चालू वर्ष के लिए कितनी धनराशि नियत की गई ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्कावालू) : (क) विवरण-1 संलग्न है।

(ख) विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

विशेष केन्द्रीय सहायता के आवंटन के लिए मानदंड

विशेष केन्द्रीय सहायता के कुल परिव्यय में से टी एस पी (आई टी डी पी) माडा पाकेटस तथा कलस्टरों और आदिम जनजाति संबंधी आदिवासी उपयोजना की विस्तृत कार्यनीति के तहत कार्यक्रमों के अंश की गणना छिटपुट रुप से बसी जनजातियों के लिए लगभग 10 प्रतिशत विशेष केन्द्रीय सहायता अलग निर्धारित करते हुए प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल की गई अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में की जाती है। इन कार्यक्रमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का अन्तर्राज्यीय आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है:-

(क) समेकित आदिवासी विकास परियोजना (आई टी डी पी) समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के आवंटन हेतु राज्यों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है। श्रेणी ''क'' के तहत वे राज्य शामिल हैं जिनमें जनजाति बहुत पर्याप्त क्षेत्र हैं जैसे (1) आन्ध्र प्रदेश (2) बिहार, (3) गुजरात (4) हिमाचल प्रदेश, (5) मध्य प्रदेश (6) महाराष्ट्र (7) मणिपुर (8) उड़ीसा (9) राजस्थान (10) सिक्किम।

श्रेणी ''ख'' के अंतर्गत आदिवासी बहुत कुछ क्षेत्रों सहित छिट-पुट रुप से बसी आदिवासी आबादी वाले राज्यों को शामिल किया गया है, जैसे (1) असम (2) पश्चिम बंगाल (3) त्रिपुरा (4) जम्मू और कश्मीर ।

श्रेणी ''ग'' के अंतर्गत उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया है जिनमें बहुत छोटे क्षेत्रों में संकेन्द्रण सहित आदिवासी जनसंख्या कुल मिलाकर छिटपुट रुप से बसी हैं। जैसे (1) कर्नाटक (2) केरल (3) तमिलनाडु (4) उत्तर प्रदेश (5) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (6) दमन और दीव ।

इन तीन श्रेणियों को आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का आवंटन प्रत्येक समूह में सम्मिलित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आदिवासी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार श्रेणी ''क'' को आवंटित निधियां राज्यों को तीन मानदंड के आधार पर वितरित की जाती है। अर्थात् (1) आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार 50 प्रतिशत (2) आदिवासी उपयोजना के भोगोलिक क्षेत्र के आधार पर 30 प्रतिशत और (3) आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में आदिवासी जनसंख्या को वरीयता देते हुए प्रति व्यक्ति शुद्ध राजकीय घरेलू उत्पाद (एन एस डी पी) के विपरीत अनुपात में 20 प्रतिशत।

श्रेणी ''ख'' और ''ग'' राज्यों की श्रेणियों के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अंश का निर्धारण दो मानदंडों के आधार पर किया जाता है अर्थात आदिवासी उपयोजना की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुसार 70 प्रतिशत तथा आदिवासी उप योजना क्षेत्र के अन्दर आदिवासी जनसंख्या को वरीयता देते हुए प्रति व्यक्ति शुद्ध राजकीय घरेलू उत्पादन (एन एस डी पी) के विपरीत अनुपात मे किया जाता है।

(ख) आदिवासी बहुत समूहों तथा छिटपुट रुप से बसे आदिवासियों संबंधी भाडा कार्यक्रमों-कलस्टरों तथा छिटपुट रुप से बसे आदिवासियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का आवंटन करते समय कुल आवंटन में से 70 प्रतिशत का वितरण भाडा क्षेत्र, कलस्टर तथा डी टी जी की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुसार तथा 30 प्रतिशत का वितरण इन पाकेटों, कलस्टरों एवं डी टी जी में आदिवासी जनसंख्या को वरीयता देते हुए उस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति शुद्ध राजकीय घरेलू उत्पाद (एन एस डी पी) के विपरीत अनुपात में किया जाता है।

(ग) आदिम जनजाति : वितरण फार्मूला निम्न प्रकार है :-

(1) धनराशि का 40 प्रतिशत आदिम जनजाति समुदायों के सांख्यिकीय आकार पर।

(2) विभिन्न व्यवसायों जैसे (1) भोजन संग्रह अथवा शिकार (2) झूम खेती और (3) सीढ़ीनुमा खेती (4) क्रमशः 5:3:1:1 के अनुपात में वरीयता देते हुए अन्य व्यवसाय पर आश्रित जनसंख्या के मुताबिक 30 प्रतिशत

(3) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आदिम जनजाति सुमदायों की संख्या के अनुसार 15 प्रतिशत

(4) आदिम जनजाति आबादी को वरीयता देते हुए हर प्रति व्यक्ति शुद्ध राजकीय घरेलू उत्पाद के विपरीत अनुपात में 15 प्रतिशत

विवरण-2

1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त विशेष केन्द्रीय सहायता तथा 1994-95 के लिए प्रायोजित आवंटन।

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1529.34	1529.34	1593.22	1593.22
2.	असम	1077.61	1077.61	1087.57	1087.57
3.	बिहार	3211.19	3175.25	3497.39	3497.39
4.	गुजरात	1870.90	1855.84	2234.77	2234.77
5.	हिमाचल प्रदेश	421.71	403.39	755.03	355.53
6.	जम्मू और कश्मीर	245.98	296.14	518.60	518.60
7.	कर्नाटक	253.24	327.42	439.76	439.76
8.	केरल	133.27	207.23	167.25	152.25

1	2	3	4	5	6
9.	मध्य प्रदेश	6835.01	6785.01	8117.65	7117.65
10.	महाराष्ट्र	1825.21	1815.21	2234.35	2234.35
11.	मणिपुर	388.40	383.41	417.12	417.12
12.	उड़ीसा	3298.23	3378.03	3603.23	3603.23
13.	राजस्थान	1679.23	1679.46	2664.68	2094.68
14.	सिक्किम	60.93	60.93	73.76	73.67
15.	तमिलनाडु	281.77	270.72	214.05	214.05
16.	त्रिपुरा	430.35	414.94	372.37	372.37
17.	उत्तर प्रदेश	58.40	58.40	69.22	69.22
18.	पश्चिम बंगाल	1271.66	1171.67	1319.06	1319.06
19.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	99.00	86.13	77.22	77.22
20.	दमन और दीव	11.00	23.87	28.29	28.29
	कुल	24982.85	25000.00	29484.50	275000.00

"गेल" द्वारा अर्जित लाभ

7400. श्री एस.बी. सिदनाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय गैस प्राधिकरण लि. (गेल) ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितना लाभ अर्जित किया है;

(ख) क्या 1993-94 के दौरान "गेल" ने बाजार में नये उत्पाद चलाये है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या "गेल" की विस्तार योजनाओं को सरकार ने स्वीकृति दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) 1993-94 के दौरान "गेल" ने कौन-कौन सी प्रमुख पाइपलाइन परियोजनाएं हाथ में लीं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान गेल द्वारा अर्जित लाभ नीचे दिया गया है :

वर्ष	(करोड़ रु.)
1991-92	93.60
1992-93	210.50
1993-94	311.18*

*अनंतिम

(ख) और (ग) वर्ष 1993-94 के दौरान गेल ने एस बी पी साल्वेंट और पेंटेंट का विपणन शुरू किया है।

(घ) और (ङ) एच बी जे पाइपलाइन की क्षमता को 18.2 एम एम एस सी एम डी से बढ़ाकर 33.4 एम एम एस सी एम डी करने के गेल के प्रस्ताव को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है।

(च) वर्ष 1993-94 के दौरान गेल ने कावेरा और के. जी बेसिनों में पाइपलाइनों के साथ-साथ एन. टी. पी. सी., गंधार और राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड (आर. एस. ई. बी,) रामगढ़ को जाने वाली पाइपलाइनों का निर्माण शुरू किया है।

बाढ़ नियंत्रण के लिए धन का नियतन

7401. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए सरकार ने कितनी धनराशि निर्धारित की है; और

(ख) उसमें से राजस्थान के लिए उक्त योजना के दौरान कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के थुंगन): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ नियंत्रण के लिए कुल परिव्यय 1623.37 करोड़ रुपए है।

(ख) उपर्युक्त योजना के दौरान बाढ़ नियंत्रण के लिए राजस्थान को 25.30 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

[हिन्दी]

कैंसर की आयुर्वेदिक दवा

7402. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैंसर की रोकथाम के लिए देश में कोई आयुर्वेदिक दवा विकसित की गई है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त दवा की सक्षमता की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो बाजार में यह दवा कब तक उपलब्ध हो जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) से (घ) केंन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि आयुर्वेदिक औषधों की कैंसर-रोधी क्षमताओं के बारे में अध्ययन किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक रुप से नियंत्रित नैदानिक परीक्षणों के पश्चात् ही इन औषधों की प्रभावकारिता के निश्चित निष्कर्षों पर पहुँचा जा सकता है।

[अनुवाद]

पंजाब में वक्फ सम्पति पर कब्जा

7403. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में 390 वक्फ सम्पत्तियां केन्द्रीय सरकार के स्थाई निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार के अवैध कब्जे में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कब्जा की गई सम्पत्तियों से अधिकतर सम्पत्तियां मस्जिद और कब्रगाहें हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार का ध्यान हाल ही में इस बात की ओर दिलाया है कि या तो कब्जे को पंजाब वक्फ बोर्ड की सहमति से नियमित किया जाए या ये सम्पत्तियां वक्फ बोर्ड को वापस कर दी जाएं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंगकाबालू) : (क) और (ख) पंजाब वक्फ बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकार के विभागों के कब्जे में 390 वक्फ सम्पतियों में से 196 मस्जिदें और 126 कब्रिस्तान है।

(ग) पंजाब सहित उन राज्य सरकारों को बार-बार लिखा गया है कि वे अतिक्रमण हटाने अथवा वक्फ बोर्डों के साथ मामले को निपटाने हेतु प्रभावी उपाये करें।

(घ) प्राप्त सूचना के अनुसार, पंजाब राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के निर्देशों को सभी विभाग प्रमखों, प्रभाग आयुक्तों, रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालयों तथा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के नोटिस में ला दिया है।

(ङ) राज्य सभा में अगस्त, 1993 में प्रस्तुत किये गए वक्फ विधेयक 1993 में अन्य बातों के साथ-साथ अतिक्रमण को शीघ्र हटाने के लिए उपबन्ध है और वक्फों से संबंधित प्रश्नों/विवादों का निपटान करने के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना करने का भी प्रावधान है।

राष्ट्रीय अंधता निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम

7404. श्री एन. जे. राठवा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अंधता निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एक योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

इंजीनियर्स इंडिया लि.

7405. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंजीनियर्स इंडिया लि. (इ. आई. एल.) ने गत दो वर्षों के दौरान सर्वतोमुखी प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं से हुई आय, लाभार्जन, विदेशी मुद्रा अर्जन, परियोजना प्रबंधन परामर्शदात्री सेवाओं, प्राप्त किए गए विदेशी ठेकों सहित विदेश स्थित कार्य संचालन के संबंध में इसकी उपब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इ.आई.एल. द्वारा तैयार की जा रही आई ओ सी और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की परियोजनाओं का ब्यौरा और उनके लागत मूल्य क्या है :

(घ) क्या सरकार को हाल ही में (ई0आई0एल0) की ओर से बोनस ईश्यु जारी करके अपना इक्विटी आधार बढ़ाने के लिए स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हां,

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए है।

(ग) ब्यौर संलग्न विवरण-2 में दिए गए है।

(घ) से (ङ) कम्पनी ने बोनस शेयर जारी करके अपने पूंजी आधार को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए करने संबंधी प्रस्ताव को सरकार के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है।

विवरण-1

गत तीन वर्षों में ईआईएल का

कार्य निष्पादन

(लाख रुपए में)

	1991-92	1992-93	1993-94
1. प्रगति अधीन कार्यों में वृद्धि/कमी को सम्मिलित करते हुए बिक्री व्यवसाय (अन्य आय से अलग)	10452.22	15741.38	22378.48 (लेख परीक्षा की शर्त)
2. कर पूर्व लाभ	3417.87	5351.86	10011.77
3. करोपरांत लाभ	2591.58	2934.89	6011.77
4. विदेशी मुद्रा अर्जन	2996.26	4827.70	6587.36

विवरण-II

इंजीनियर्स इंडिया लि. द्वारा हाथ में ली गई आईओसी तथा ओएनजीसी की परियोजनाओं के ब्यौरे

इंडियन आयल कारपोरेशन लि. (आईओसी)

ईआईएल को सौंपे गए कार्य	ईआईएल की सेवाओं का अनुमानित मूल्य (लाख रुपये में)
1. डिग्बोई रिफाइनरी का आधुनिकीकरण	1053
2. ल्यूब ऑयल विस्तार, हल्दिया	200
3. एलपीजी रिकवरी, गुवाहटी	111
4. बरौनी रिफार्मर	300
5. विस्ब्रेकर रिवैम्प, मथुरा	82
6. कैटेलैटिक रिफार्मर, डिग्बोई	350
7. प्रोपालीन रिकवरी, मथुरा	490
8. वैक्स हाइड्रो फिनिशिंग, डिग्बोई	371
9. कैटेलैटिक रिफार्मर, मथुरा	1000

10. पानीपत रिफाइनरी	7800
11. सल्फर रिकवरी यूनिट, हल्दिया (टर्न-की जॉब)	2175
12. पानीपत विपणन टर्मिनल	795.50
13. फेनोल हेतु संसाधन परिरुप, बरौनी	45
14. कांडला-भटिंडा पाइपलाइन	1000
15. कांडला भटिंडा टेप ऑफ प्वाइंटस	1000
16. हल्दिया बजबज पाइपलाइन	24.55
17. द्वितीय ऑयल टर्मिनल, गुजरात कोस्ट	265
18. ल्यूब ब्लैंडिंग संयंत्र, असौती	350
19. फूड ग्रेड हैक्सन, बड़ौदा	145
20. कैटेलैटिक रिफार्मर कम्प्रैसर रिवैम्प, बड़ौदा	185
21. पावर संयंत्र गुजरात हाइड्रोक्राफ्ट के लिए	185
22. गुजरात हाइड्रोक्रेकर पर वैगन लोडिंग गैन्ट्री	70
23. न्यू क्रूड ऑयल पाइपलाइन, बड़ौदा	31
24. अन्य लघु परियोजनाएं	280
	18308

ऑयल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी)

1. बम्बई हाई एल-।।। विकास	लागत भुगतान धन फोर्स आधार
2. दक्षिण बेसिन-हजीरा पाइपलाइन एव टर्मिनल विस्तर	"
3. बम्बई हाई नीलम फील्ड विकास	"
4. गंधार फेस-।। फील्ड का विकास	"
5. बम्बई हाई एल-।। रिजर्वायर विकास	"
6. आईपीसी-हीरा ट्रंक पाइपलाइन	"
7. एस-। सैंड फील्ड, बम्बई हाई का विकास	"
8. बाम्बे हाई में 4 वियुक्त संरचनाओं का विकास	"
9. साउथ हीरा फेज-।। (आरएस-15ए) का विकास	"
10. बाम्बे हाई, नार्थ का अतिरिक्त विकास	"
11. नवागांव में डेसाल्टर संयंत्र	"
12. हजीरा फेज-।।। ए परियोजना	"

भिक्षावृत्ति की रोकथाम

7406. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत कितनी सफलता मिली है;

(ख) सरकार ने भिखारियों के पुनर्वास हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए हैं; और

(ग) देश में गत तीन वर्षों के दौरान भिखारियों के पुनर्वास हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी.तंग्कावालू) : (क) 1992-93 के दौरान भिखारियों के लिए भिक्षावृत्ति निवारण की एक योजना उनकी शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाओं का विकास करने, उन्हें उत्पादक कार्य में लगाने तथा समाज में उन्हें पुन: एकीकरण के योग्य बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकार द्वारा संचालित विद्यमान भिक्षुक गृहों में कार्य केन्द्रों की स्थापना के लिए 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की जा रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सगत भिक्षावृत्ति विरोधी कानून के अन्तर्गत भिखारियों के लिए एक संस्थान के रूप में पंजीकृत लाइसेंस शुदा स्वयंसेवी संगठन इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के योग्य होंगे।

(ग) सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

1992-93 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 20 लाख रुपये का आबंटन किया गया था। निम्नलिखित अनुदान निर्मुक्त किए गए थे :

1. गुजरात	8,68,000 रुपये
2. कर्नाटक	3,52,000 रुपये
3. पश्चिम बंगाल	3,34,000 रुपये
4. दिल्ली	4,46,000 रुपये

इसी प्रकार वर्ष 1993-94 के लिए 100 लाख रुपये का आबंटन किया गया था। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निम्नलिखित अनुदान निर्मुक्त किए गए थे:

1. मध्य प्रदेश	3,52,000 रुपये
2. तमिलनाडु	16,04,584 रुपये
3. पश्चिम बंगाल	3,14,000 रुपये
4. दिल्ली	52,000 रुपये

कीटनाशक अवशेष

7407. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा 12 राज्यों में डी डी टी तथा अन्य कीटनाशकों के अवशेष के सबंध में खाने के नमूनों पर किए गए अध्ययन की जानकारी है;

(ख) क्या अध्ययन में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से एकत्रित किए गए गाय के दूध में डी डी टी तथा अन्य कीटनाशकों के अवशेष कानूनी रुप से मान्य सीमाओं से अधिक सीमा में पाए गए हैं;

(ग) क्या मक्का, सरसों के बीच इत्यादि के नमूनों में भी डी डी टी तथा अन्य कीटनाशकों की उपस्थिति पाई गई है;

(घ) क्या अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि इनकी उपस्थिति देश में एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या के रुप में उभर सकती है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस समस्या के समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) अध्ययन किए गए 12 राज्यों से एकत्र किये गये गाय के दूध के नमूनों में डी डी टी अवशेषों की सूचना मिली थी परन्तु दूध में डी डी टी अवशेष की मेडियम मात्रा 1.25 पी.पी.एम. (वसा आधार पर) की निर्धारित सीमा के अन्दर थी।

(ग) मक्का और सरसों के बीजों आदि में डी डी टी के मामूली अवशेष पाये गये थे।

(घ) परियोजनाधीन किये गये अध्ययन का क्षेत्र सीमित था और इसलिए ये देशव्यापी स्तर पर स्वतः लागू नहीं होते हैं

(ङ) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य प्राधिकारियों को संदूषण पर निगरानी रखने और परीक्षण के लिए अधिकतम नमुने उठाने और जहां अपेक्षित हो वहां दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए चौकन्ना कर दिया गया है।

बहु-औषधि उपचार

7408. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुष्ठ का बहु-औषधि उपयार संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के कुष्ठ रोगों का उपचार करने में सक्षम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिन्दू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम दोनों कानूनों में कुष्ठ रोग के आधार पर तलाक लेने का प्रावधान अभी भी जारी है;

(घ) क्या कुष्ठ रोगियों को रेल में यात्रा करने के लिए रेलवे अधिनियम के अंतर्गत आम लोगों से अलग रहने के प्रावधानों तथा विशेष परमिट लेना अभी भी आवश्यक है; और

(ङ) यदि हां, तो समाज में कुष्ठ रोगियों के साथ उचित तथा मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु इन पुराने कानूनों में संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) संक्रमित कुष्ठ रोगियों को छह महीने तक रिफाम्पिसिन, क्लोफजिमाइन और डेप्सोन के योगिक सहित मुफ्त चिकित्सा प्रदान की जाती है तथा असंक्रमित कुष्ठ रोगियों को केवल रिफाम्पिसिन और डेप्सोन का उपचार प्रदान किया जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) कुष्ठ रोगियों को रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत रेलगाड़ियों में यात्रा करने की अनुमति नहीं है। बहरहाल, असंक्रमित (क्लोज्ड) कुष्ठ रोगियों को यात्रा की अनुमति है बशर्ते कि उनके पास पंजीकृत चिकित्सा का इस आशय का प्रमाण-पत्र हो।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों के लोगों पर अत्याचार

7409. श्री राम विलास पासवान : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के तसुन्दूर में अनुसूचित जातियों पर किए गए अत्याचारों के मामले के संबंध में विशेष न्यायालय ने अपना कोई निर्णय दिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो विशेष न्यायालय अपना निर्णय कब तक दे देगा?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कबालू) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का कार्यालय

7410. डा. असीम बाला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता स्थित तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यालय को गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन

7411. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किये गये हैं;

(ख) क्या इसके लिए कुछ न्यूनतम योग्यताएं रखी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन में अपनी भूमिका निभाने की अनुमति देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) वर्तमान नीति के अनुसार तेल चयन बोर्डों में एक अध्यक्ष जोकि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं और सदस्यों के रुप में दो प्रख्यात व्यक्ति होते हैं जिनमें से एक अनु. जाति/अनु जनजाति/अन्य कमजोर वर्गों का सदस्य होता है।

(घ) सरकार ने अनेक पेट्रोलियम उत्पादों को नियंत्रणमुक्त कर दिया है और निजी पार्टियाँ उन्हें आयात करने और अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के माध्यम से बाजार आधारित कीमतों पर बेचने को स्वतंत्र हैं?

[हिन्दी]

तिहाड़ जेल

7412. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल को एक आदर्श जेल बनाने तथा वहां पर कैदियों के मनोरंजन के लिए ''केबल'' की व्यवस्था करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू की जायेगी; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि प्रमुखतः शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य और व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि से संबंधित कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय जेल, तिहाड़ में केबिल/दृश्य श्रव्य नेटवर्क की स्थापना की योजना है।

(ख) लगभग तीन महीने।

(ग) लगभग 16 लाख रुपये।

[अनुवाद]

गुजरात में मातृत्व और स्वास्थ्य केन्द्र

7413. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय कितने मातृत्व और स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) 1994-95 के दौरान ऐसे और कितने केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इन केन्द्रों के लिए कोई विदेशी सहायता दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी. शंकरानन्द) : (क) गुजरात में 940 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 171 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 7284 उप केन्द्र कार्य कर रहे हैं। ये केन्द्र प्रसूति एवं स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त 36 प्रसूति और बाल स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा धन दिया जाता है।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान गुजरात में 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) जी नहीं।

प्राकृतिक गैस की सप्लाई

7414. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक उच्च स्तरीय ईरानी प्रतिनिधि मंडल ने पार महाद्वीपी पाइपलाइनों से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने संबंधी प्रक्रिया विधि तैयार करने के लिए भारत यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम रहा; और

(ग) परियोजना की आधारभूत बातों, विशेष रुप से इसकी तकनीकी व्यवहार्यता, मार्ग वित्तीय व्यवस्था तथा भारत और ईरान के बीच इक्विटी भागीदारी संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) ईरान भारत गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन करने के लिए एक एजेंसी के चयन की प्रणाली के संबंध में विचार विमर्श करने के संबंध में हाल में ईरान से एक टीम भारत आई थी।

जम्मू और कश्मीर में उपद्रव को कुचलने हेतु अभियान

7415. डा. कार्तिकेश्वर पात्र :

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अब तक जम्मू और कश्मीर में उपद्रव कुचलने संबंधी अभियान के दौरान बल-वार और माहवार कितने पुलिस और अर्धसैनिक कर्मी मारे गये हैं;

(ख) ऐसे कर्मियों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया है;

(ग) इन अभियानों में कितने नागरिक हताहत हुए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान माहवार कितने उग्रवादी मारे गये, कितने गिरफ्तार किये गये तथा उनसे कितनी मात्रा में हथियार और "अन्य सामग्री" जब्त की गई; और

(ड़) कितने उग्रवादियों को मुक्त कर दिया गया है तथा कितने उग्रवादी जेल में हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी-अप्रैल, 1994 की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर में विद्रोह-अभियानों के दौरान जम्मू और कश्मीर पुलिस के 4 कार्मिक और अर्धसैनिक बलों के 36 कार्मिक मारे गए।

(ख) राज्य सरकार द्वारा मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये की दर से और जख्मी होने की दशा में अलग-अलग दरों पर अनुग्रहपूर्वक अनुदान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य में कार्रवाई के दौरान मारे गए अर्धसैनिक बलों के कार्मियों के निकट संबंधियों को केन्द्र सरकार द्वारा भी 1 लाख रुपये की अनुग्रहपूर्वक राहत दी जाती है। इसके अतिरिक्त, मृत कार्मिक के आश्रितों को कल्याण निधि, रिक्त प्रीमिया फंड, सी.जी.ई.आई.एस. इत्यादि से भी वित्तीय सहातया दी जा रही है।

(ग) और (घ) इस अवधि के दौरान 358 सिविलियन मारे गए और 503 जख्मी हुए, जबकि 379 उग्रवादी मारे गए और 1220 उग्रवादी पकड़े गए। जनवरी-अप्रैल, 1994 की अवधि के दौरान उग्रवादियों से बरामद किए गए शस्त्रों और अन्य सामग्री के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :

राकेट लाउंचर	21
ए.के.श्रेणी की राइफलें	33
मशीन गन	688
पिस्तौल	305
गन	19
मोर्टार	2
ग्रनेड लाउंचर	2
हथगोले	637
सुरंग	360
राकेट	53
विस्फोट पदार्थ	219 कि.ग्रा.
गोला बारूद	94932 राउण्ड

(ड़) चालू वर्ष के दौरान अब तक पकड़े गए 1220 उग्रवादियों में 468 उग्रवादियों को प्राथमिक जांच के बाद छोड़ दिया गया जबकि 752 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया।

उड़ीसा में जल संसाधन

7416. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा में जल संसाधन की क्षमता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन):(क) और (ख) चूंकि सिंचाई राज्य का विषय है अतः जल संसाधन के विकास के लिए सर्वेक्षण राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। तथापि, अन्तर्राज्यीय नदियों के लिए जल वैज्ञानिक प्रेक्षण केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए जाते हैं जिनमें उड़ीसा की नदियां भी शामिल हैं केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ने उड़ीसा में भूजल उपलब्धता के सर्वेक्षण किए हैं सर्वेक्षण और अन्वेषण के आधार पर, उड़ीसा राज्य में वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन 23279.22 मिलियन घनमीटर आंके गए है।

सीमा सुरक्षा बल का आधुनिकीकरण

7417. श्री अन्ना जोशी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमा सुरक्षा बल, विशेष रुप से इसके जल और वायु विंग का आधुनिकीकरण करने और इसे सुदृढ़ बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) सीमा सुरक्षा बल का, इसके वाटर विंग और एयर विंग सहित, आधुनिकीकरण करना और इसे सुदृढ़ करना एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है।

(ख) हाल ही में सीमा सुरक्षा बल को इसके विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत 43 स्पीड नौकाएं, 2 मध्यम दर्जे के यान, 5 यंत्रीकृत नौकाएं, 9 देशी नौकांए, इंजन वाली 61 देशी नौकाएं और 14 मोटर वाहनों के अलावा 423 अतिरिक्त पद स्वीकृत कर दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

आन्ध्र प्रदेश में तेल निकालने संबंधी ड्रिलिंग कार्य

7418. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री एम. वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने आन्ध्र प्रदेश में तेल निकालने संबंधी ड्रिलिंग कार्य की कोई योजना भेजी है अथवा वहां यह कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश में तेल निकालने संबंधी ड्रिलिंग कार्य के किसी ठोस कार्यक्रम पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश चुनार शर्मा) : (क) से (ग) वर्ष 1994-95 के दौरान आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड को आंध्र प्रदेश में पड़ने वाले कृष्णा गोदावरी बेसिन के भूमि भाग 67950 के 24 कूपों की खुदाई करने की योजना है।

कोयला उत्पादन

7419. श्री अंनतराव देशमुख : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दस वर्षों के दौरान उच्चकोटि के कोयले का उत्पादन 42 प्रतिशत से घटकर कुल 14 प्रतिशत रह गया है;

(ख) यदि यहां, तो उच्चकोटि के कोयले के उत्पादन में सुधारे लाने हेतु 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या कदम उठाये जाने का विचार है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयले की खोज के लिए नये स्थलों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि. (को.ई.लि.) से प्राप्त सूचना के अनुसार को.ई.लि. में उच्च ग्रेड (ग्रेड''ए'', ''बी'' और ''सी'') के अकोककर कोयले का उत्पादन 1982-83 में 43.6 प्रतिशत 1992-93 में 33.4 प्रतिशत तक कम हुआ था। किन्तु, मूल रुप से उत्पादित ग्रेड का उच्च ग्रेड के कोयले के उत्पादन में 1982-83 के 50.01 मि. टन से 1992-93 में 70.56 मि.टन तक की वृद्धि हुई है।

(ख) अच्छे ग्रेड के कोयले के उत्पादन में वृद्धि किए जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) उच्च ग्रेड के कोयले की सीमों का दोहन किए जाने के लिए आधुनिक प्रोद्योगिकी का प्रयोग करके भूमिगत खानों से कोयले के उत्पादन में वृद्धि करना।

(2) अकोककर कोयले का गुणवत्ता में सुधार किए जाने के लिए उसका परिष्करण।

(3) बैंडस का चुनींदा रुप में उत्खनन किया जाना, जहां कहीं संभव हो, तथा ओपेनकास्ट खानों में विस्फोटन किए जाने से पूर्व कोयला बैंचों की सफाई करना।

(ग) आठवीं योजना के आरंभ से ही, विस्तृत अन्वेषण के लिए 21 नये अन्वेषण ब्लाकों में कार्य शुरू किया गया है। इन ब्लाकों में कोककर कोयला तथा अकोककर कोयला विद्यमान है।

पाकिस्तानी एजेंसियों की गतिविधियां

7420. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 अप्रैल, 1994 के न्यूजटाइम (हैदराबाद) में'' पाक एजेंसीज आस्क अल्ट्रा आउठफि्टस टू किल इंडियन लीडर्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सरकार को प्रश्नाधीन समाचार की जानकारी है।

(ख) और (ग) जम्मू और कश्मीर में, अपने नापाक इरादों से प्राप्त करने और देश के अन्य भागों में

अस्थिरता पैदा करने के लिए, पाकिस्तानी एजेंसियां, आतंकवादी और विघटनकारी तत्वों को प्रशिक्षण देकर, अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति करके, धन देकर, और अपने क्षेत्र में छिपने के स्थान उपलब्ध करवाकर और उन्हें लोजिस्टिक समर्थन देकर, भारत में उग्रवाद और आतंकवाद को सहायता दे रही है और उसे भड़का रही है। यह सही है कि राज्य में राजनैतिक प्रक्रिया की बहाली को रोकने के उद्देश्य से पाक समर्थित, अनेक आतंकवादी गिरोह, जम्मू और कश्मीर में राजनैतिक तत्वों को धमकियां दे रहे हैं। संबंधित व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं।

असम को गैस की सप्लाई

7421. श्री उद्धव बर्मन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे असम राज्य में पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस की सप्लाई करने का कोई कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्यक्रम कब तक पूरा हो जाएगा और इस कार्यक्रम में कितना निवेश किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है। तथापि 253-करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर नुमालीगढ़ रिफाइनरी तथा आमगुरी विद्युत संयंत्र को गैस आपूर्ति करने के लिए पाइपलाइन बिछाने संबंधी एक प्रस्ताव गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लि. (गेल) से प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

सीमा सुरक्षा बल में डाक्टर

7422. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अप्रैल, 1994 के जनसत्ता में इस्तीफा देने वाले डाक्टरों के खिलाफ कोर्ट मार्शल कर रही सीमा सुरक्षा बल शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमा सुरक्षा बल में डाक्टरों की भारी कमी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन डाक्टरों की सेवा शर्तों में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सरकार ने समाचार को देखा है। उन चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध कोई कोर्ट मार्शल नहीं किया गया, जिन्होंने सीमा सुरक्षा बल अधिनियम तथा नियमों के तहत प्रक्रिया के अनुसार सेवा से त्याग पत्र दिया है।

(ग) से (ङ) सीमा सुरक्षा बल मुख्यतः सिविलियन डाक्टरों की तुलना में, अपनी कठिन सेवा शर्तों के कारण, डाक्टरों की कमी की समस्या का सामना कर रहा है। सेवा को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, सरकार ने हाल ही में एक लाभदायक पैकेज का अनुमोदन किया है।

[अनुवाद]

विकलांगों के लिए स्वयंसेवी संगठन

7423. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या **कल्याण** मंत्री 21 अप्रैल, 1994 के तारांकित प्रश्न संख्या 375 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष विकलांग व्यक्तियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को दी जाने वाली सहायता योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों और लाभार्थियों की संख्या क्या थी;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सेरेबल पाल्सी और मानसिक अपक्षय के क्षेत्र में श्रम शक्ति के विकास के लिए संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या सहित संगठनों की संख्या क्या-क्या थी;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विशेष विद्यालयों की स्थापना और विकास की योजना के अंतर्गत संगठनों तथा लाभान्वित हुए लोगों की संख्या क्या-क्या थी;

(घ) वर्ष 1993-94 के दौरान उपरोक्त योजना के तहत सहायता पाने वाले स्वयंसेवी संगठनों को, पतों सहित संपूर्ण सूची क्या है;

कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगकाबालू) : (क) ब्यौरा विवरण -। में दिये गये है।

(ख) ब्यौरे विवरण -।। में दिये गये हैं।

(ग) विकलांग के लिए विशेष विद्यालयों की योजना 1993-94 में चलाई गई थी। 295 लाभग्राहियों के साथ शामिल किए गये संगठनों की संख्या 7थी।

(घ) जैसा कि विवरण-।।। में दिया गया है।

विवरण-।

क्र.सं.	वर्ष	विकलांगों के लिए स्वयंसेवी संगठनों की संख्या	शामिल किए गये लाभार्थियों की संख्या
1.	1991-92	262	40175
2.	1992-93	302	42811
3.	1993-94	315	60161

विवरण-।।

क्र.सं.	वर्ष	सी.पी.तथा एम.आर के लिए स्वयंसेवी संगठनों की संख्या	शामिल किए गये लाभार्थियों की संख्या
1.	1991-92	5	15
2.	1992-93	7	53
3.	1993-94	10	117

विवरण ।।।

मानसिक मंदता की योजना अंतर्गत मानव शक्ति विकास के लिए स्वयंसेवी संगठनों की सूची

क्र.सं.	संगठन का नाम
1.	अमर ज्योति धर्मार्थ न्याय कड़कड़डुम्मा,दिल्ली
2.	ठाकुर हरि प्रसार मानसिक विकलांग अनुसंधान तथा पुनर्वास संस्थान, हैदराबाद
3.	स्वास्टिक सोसायटी फार नार्दर्न इंडिया हौज खास, बलवीर सक्सेना मार्ग, नई दिल्ली
4.	विमला महिला समाजन, एर्नाकुलम।
5.	बाल विकास सोसायटी, त्रिवेंद्रम।
6.	रायलसीमा सेवा समिति, तिरुपति।
7.	चेतना, से.सी.अलिगंज हाउसिंग स्कीम, लखनऊ।
8.	अलकेन्द्र बोध निकेतन, कलकत्ता
9.	स्पास्टिक सोसायटी ऑफ तमिलनाडु, मद्रास।
10.	स्पास्टिक सोसायटी ऑफ इस्टर्न इंडिया, कलकत्ता।

विकलांगों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना हेतु स्वयंसेवी संगठनों की सूची

क्र.सं.	संगठन का नाम
1.	जीवन निर्माण संस्थान, गोल बाग, भरतपुर।
2.	निमहारा विकलांग संस्थान वजहा मिश्राम, सिसरा रोड़,इलाहाबाद।
3.	अवध संस्थान, रामघाट, अयोध्या, फैजाबाद।
4.	भारतीय दृष्टिहीन संघ, डा. थंगराज रोड़, मदुरै।
5.	हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद्, सिरसा।
6.	बहुजन हिताय संस्थान, 58/105, गांधी मार्ग, बाराबंकी।
7.	दिग्दर्शिता पुनर्वास अनुसंधान संस्थान, इंडियन रेड क्रास सोसायटी, शिवाजी नगर, भोपाल।

क्र.सं.	संगठन का नाम		परियोजना	संगठन की संख्या	परियोजना के दौरान मंजूर की गई राशि
1	2		3	4	5
	आन्ध्र प्रदेश				
1.	ठाकुर हरि प्रसाद मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद		राजमुन्दरी में मानसिक विकलांग पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु संस्थान. ग्रामीण परियोजना	333	44.41
2.	शान्तिनिकेतन इंस्टिट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकेप्ड चिल्ड्रेन, हैदराबाद		बच्चों के अवासी संचालन हेतु ,	52	2.62
3.	चाइल्ड गाइडेंस केन्द्र, हैदराबाद		मा.मंद बच्चों के संस्थान के रखरखाव हेतु		4.51
4.	मानसिक विकास मेन्द्रम विद्यालय, टी.पी. रोड़, लम्सेछिपट, विजयवाड़ा	2	मानसिक मंद बच्चों के स्कूल के संचालन हेतु स्कूल पूर्व शिक्षण		
		3	शैल्टरड वर्कशाप	666	41.82
		4	शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम		
5.	आन्ध्र प्रदेश फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंड हैदराबाद	1	संगीत शिक्षण योजना	0	0.64
		2	स्थापन सेवा		
		3	बेंत बुनाई में प्रशिक्षण		
6.	पमेनकैप, सिकन्दराबाद प्लॉट यनं.5, लक्ष्मीनगर पिकेट, सिकन्दराबाद-3		मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए स्कूल के संचालन हेतु		5.30

7.	विशेष देखभाल के जरूरतमंद बच्चों के लिए विशेष स्कूल, हैदराबाद, सिकन्दराबाद स्वीकार पुनर्वास इंस्टिट्यूट फार हैंडीकेप्ड, उपकार सर्कल, पिकेट सिकन्दराबाद	डीफ तथा मानसिक रुप से मंद ग्रामीण पुनर्वास कार्यक्रम, मानसिक विकलांग बच्चों के लिए स्कूल संचालन के लिए	63	16.47
8.	असम विशेष केन्द्र हैदराबाद 8-14-144, शास्त्रीपुरम्, मि.आलम फिलिंग, हैदराबाद-5000252	मानसिक रुप से मंद बच्चों के लिए आवासीय स्कूल के संचालन हेतु	59	3.11
9.	आन्ध्र महिला सभा ट्रस्ट, हैदराबाद, ओसमानिलया विश्वविद्यालय रोड़ विजयनगर, हैदराबाद	प्रिंटिंग प्रेस, बुक-बाइडिंग, श्रवण विकलांग तथा मानसिक रुप से बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्र का संचालन	125	2.98
10.	श्रीमती मेरला रामम्मा मेमोरियल ट्रस्ट, कृष्णा जिला	मानसिक रुप से मंद बच्चों के लिए संस्थान का संचालन	89	5.45
11.	वेगेसना फाउण्डेशन, हैदराबाद	यी.एच. बच्चों के लिए स्कूल का संचालान	-	2.37
12.	आन्ध्र प्रदेश बधिर संघ, 3-6-669/10वीं गली, हिमागतनगर, हैदराबाद-29	बधिरों के लिए मॉडल स्कूल का संचालन	94	1.92
13.	हेल्लेन केल्लर स्कूल फॉर दि डीफ	बधिर बच्चों के लिए स्कूल का संचालन	-	3.34
14.	लोवनशाइल्फ स्पे. स्कूल फॉर दि मेंटली हेंडीकेप्ड, विशाखापट्टनम, 26, लासन्स बिल्डिंग, 530017	मानसिक रुप से मंद बच्चों के लिए संस्थान का संचालन	135	6.28
15.	आन्ध्र प्रदेश एसोसिएशन फॉर दि वेल्फेयर ऑफ मेंटली रिटारडेड, हैदराबाद	मानसिक रुप से मंद बच्चों के लिए शीघ्र परियोजना	-	0.65

16.	सेंट फ्रेंकिस एजूकेशन सोसायटी, वेंकटागिरी टाऊन-524132, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	दृष्टि विकलांग बच्चों के लिए स्कूल का संचालन	-	2.19
17.	रायलसीमा सेवा सांमति, तिरुपति, 9, ओल्ड हर्न ऑफिस, तिरूपति	मानसिक रुप से मंद बच्चों के लिए दिवा देखभाल केंद्र	133	7.29
18.	हेल्लेन केल्लर मेमोरियल एसोसिएशन फार ब्लाइंड, विशाखापट्टनम	नेत्रहीनों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का संचालन	50	2.75
19.	सोसायटी फॉर एजूकेशन ऑफ दि डीफ एंड ब्लाइंड विजयानगरम 9-9-84, वेस्ट बालीजी स्ट्रीट, विजयनगरम	बधिर तथा नेत्रहीनों के लिए स्कूल का संचालन	73	-
20.	महालक्ष्मी वेल्फेयर सोसायटी, विजयनगरम, बधिर वी टी, अगराहरम	बधिर बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी केन्द्र	10	0.67
21.	प्रियदर्शिनी सर्विस आरगेनाइजेशन, विशाखापट्टनम	शारीरिक विकलांग महिलाओं के लिए आवासीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	-	3.07
22.	श्रीनिवास महिला मण्डल प्रकाशम जिला	शारीरिक रुप से विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	50	2.53
23.	आन्ध्र प्रदेश सोसायटी फॉर रिहेबिलिटेशन एंड वेल्फेयर ऑफ हेंडीकेप्ड, हैदराबाद	श्रवण विकलांग बच्चों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र तथा कार्यशाला का संचालन	-	0.46
24.	करीमनगर जिला फ्रीडम फाइटर ट्रस्ट करीमनगर मकान सं. 2-8-127, मुकरमपुरा, करीमनगर	मानसिक विकलांग बच्चों के लिए स्कूल-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन	42	0.69

25.	जिला विकलारगला संगम, दुआजाला सेन्टर, जिला आंध्र प्रदेश		64	0.57
26.	पामेनडेप, 6-5-685, पिंक हाऊस, गोसामहल-हैदराबाद-500012		52	0.15
	कर्नाटक			
1.	श्री सिद्धलिंगेश्वर विद्या पीठ, कनमदगु, कुडलिगि यालुक, बेल्लोनी जिला-583218	सारन वश्वेश्वर जन स्वास्थ्य प्राथमिक स्कूल के संचालन हेतु	130	10.64
2.	कर्नाटक फेडरेशन फॉर दि ब्लाइंड, हसन	स्थापनै सेवाएं । ब्रेल लायब्रेरी इंस्टिट्यूट पट हसन एंड चिकमंगूलर	–	6.36
3.	जे सब वी स्वामी ब्लाइंड एंड डिस्एवल्ड रेसिडेंसियल स्कूल, अरक्कराहल्ली, बी एच रोड, दावनगर	संस्थान के संचालन के लिए	108	3.71
4.	श्री रमना महर्षि अकादमी फॉर दि ब्लाइंड, बंगलौर उरा मोड़, उरा फेस, जे. पी. नगर, बंगलौर-560084	स्कूल-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण व ग्रामीण विकास केन्द्र	353	18.15
5.	इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एंड हीयरिंग, बंगलौर हेन्नूर रोड़, बंगलौर-560084	संस्थान के रखरखाव के लिए	2740	5.63
6.	रंगा राव मेमोरियल स्कूल, मैसूर, सं. 851, ई. एंड एफ. ब्लॉक जे टी लेआऊट, कुवेंपुरपुनगर, मैसूर-670023	नेत्रहीन लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल	38	1.48
7.	राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ	आवासीय मूल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापन परियोजना	–	0.80

8.	सेवा-इन-एक्शन, बंगलौर	सी वी आर परियोजना	-	-
9.	उत्तर कन्नड जिला विकलांग, सिरसी	बधिर बच्चों के लिए स्कूल	-	0.80
10.	कर्नाटक विकलांग कल्याण संघ, बंगलौर	नेत्रहीनों के लिए स्कूल	145	5.16
11.	विश्व धर्म महिला भटटु मकल्ला, हुबली, वीरापु आंनी, धावाद केरू	अस्थि विकलांग बच्चों के लिए	132	5.79
12.	बीजापुर जिला पी एच वेल्फेयर संघ, बीजापुर नबदीक राम मंदिर रोड, गली बीगापर	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	07	3.21
13.	एसोसिएशन ऑफ दि पी एच, बंगलौर मेन्नु रोड सेंट थॉमस टाऊन, बंगलौर	श्रद्धांजलि ममेकिल स्कूल के संचालन हेतु	205	1.38
14.	होनम्मा एजूकेशन सोसायटी, धारवाड़	बधिर बच्चों के लिए आवासीय स्कूल	87	3.35
15.	अंगविकलांग आशा किरण ट्रस्ट चित्रदुर्ग	संस्थान के संचालन हेतु	144	4.58
16.	मानसिक विकलांग संघ, बंगलौर	मिल्टिकेटगरी वर्कशाप हेतु	-	0.43
17.	बापूजी अंगविकलांग सेवा समस्ता, चित्रदुर्ग	अस्थि विकलांगों के लिए स्कूल शारीरिक विकलांगों के बच्चों के लिए स्कूल व होस्टल अस्थि विकलांगों के लिए सेवा समस्ते स्कूल के लिए	-	8.63
18.	अखिल कर्नाटका वीराशिवा महासभा, बिरा	अस्थि विकलांगों के लिए स्कूल	-	2.66
19.	जगज्योति बासवती मारा विद्या, चित्रदुर्ग	-वही-	-	2.66
20.	उत्सवाम्बा विद्या समिति, अंजली	शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय स्कूल के लिए		3.25

21. श्री रेणुका विद्या विरधाका संघ, सिरिनुधुति, जिला बेलगाॅम. नजदीक सामान्य अस्पताल, साउंडाल्ती	मानसिक रुप से मंद बच्चों के लिए संस्थान के संचालन हेतु	42	1.63
22. जमखारा जयादगुरू विद्या संस्था	अस्थि विकलांग बच्चों के लिए स्कूल का संचालन	-	1.04
23. कर्नाटका लोऊस एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड, गुलबर्गा ई डब्ल्यु एस/53 वां फेस, आदर्श नगर, गुलबर्गा-585105	ब्रेल लायब्रेरी	80	0.18
24. श्री सारप्पा अंजली	अस्थि विकलांगों के लिए संस्थान हेतु	-	2.10
25. सतहश्रुंगा विद्या समस्ते, रोबर्टसोनपेट	बधिरों के लिए स्कूल के संचालन हेतु	-	6.03
26. श्री बी आर अमसेडका एजूकेशन अंजली दवारगेरे. चित्रदुर्ग जिला	अस्थि विकलांगों के लिए	123	5.43
27. जय भारत एजूकेशन फॉर डीफ एंड डम्ब कोलार जिला श्रीनिनासापम, कोल्लार जिला	बधिरों के लिए	-	1.51
28. अजय वेल्फेयर एसोसिएशन फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्एवल्ड, कर्नाटक	बधिरों के लिए	-	1.49
29. पी एच वेल्फेयर एसोसिएशन. हसन	शारीरिक रुप से विकलांग	-	1.46
30. पी एच वेल्फडिवाइन ट्रस्ट फॉर दि ब्लाइंड, बंगलौर	नेत्रहीनों के लिए	-	0.38
31. इंडीपेन्डेंस एजूकेशन सोसायटी, होसडगमा	बधिरों के लिए		
32. नितूर एजूकेशन सोसायटी, बीदर	आई टी ओ फॉर ओ एच	-	0.67
33. चेश्टायर होम्स इंडिया, मंगलौर	शारीरिक विकलांग	-	7.75
34. श्री विनायक एजूकेशन सोसायटी, चित्रदुर्ग	-वही-	-	3.03

केरल

1.	जेयरी सोसायटी फॉर दि रिहेबिलिदेशन फॉर दि हेंडीकेप्ड, तेल्लीचेरी	मानसिक रुप से मंद तथा भवन अनुदान के लिए संस्थान का संचालन	60	1.50
2.	केरल फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंड, त्रिवेन्द्रम	स्थापन सेवा मोबिलीटि ओरिएन्टेशन मार्गदर्शक परामर्श कालीकट में पुनर्वास केन्द्र ब्रेल लायब्रेरी पोथांजकड में पुनर्वास केन्द्र टेलीफोर ऑपरेटिंग	–	5.97
3.	यंग वूमैन्स एसोसिएशन, विकलांग, विकास भवन		35	0.41
4.	मानसिक विकृत बच्चों के पुनर्वास के लिए सोसायटी, केन्नानोरे	इन्टरव्हील स्कूल फॉर एम आर	–	3.18
5.	आशा नीलायम सोशल सर्विस सेंटर, कोट्टायम, साओ दामीआनों पुल्लियानूर, कोट्टायम कुरल	मानसिक विकलांगों के लिए स्कूल	43	1.59
6.	संजोस कल्याण केन्द्र, कोट्टायम	-वही-	–	–
7.	विमला महिला समाजम	-वही-	–	4.85
8.	बाल विकास सोसायटी, तिरूवेन्द्रम	-वही-	–	0.80

9.	विकलांग कल्याण संघ, कालीकट	रेहमानिया स्कूल के संचालन के लिए	–	–
10.	प्रतीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, प्रतीक्षा भवन, इदुकी	मानसिक रुप से मंदों के लिए स्कूल	–	5.39
11.	स्नेह भावना धर्मार्थ सोसायटी	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	–	–
12.	रोटरी इंस्टिट्यूट फॉर चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ स्पेशल	मानसिक रुप से मंदों के लिए स्कूल	–	4.45
13.	शान्ति भवन, समाज केन्द्र	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द	–	1.19
14.	मदोन्ना धर्मार्थ सोसायटी, तिरूचिर, पी ओर पोट्टा, चलाकुडी-680307	मानसिक रुप से मंदों के लिए स्कूल	86	2.00
15.	डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल एक्शन, पालघाट, पोलीजर्डन लक्कीडी पालघाट	फॉर एम आर बिल्डिंग ग्रांट	64	602
16.	चेरुपाशपम औद्योगिक संस्थान, तिरूवेन्द्रम	टेलरिंग तथा बुक बाईंडिंग में व्यावसायकि प्रशिक्षण	–	1.95
17.	कोट्टायम सोशल सर्विस सोसायटी, कोट्टायम, एस एच माउंट, कोट्टायम-686006, केरल	सेंट थॉम्स स्कूल के संचालन के लिए	21	–
18.	कार्तिक नायर स्मारक समिति, बम्बई नायर महल एस बी मार्ग	पुनर्वास केन्द्र	92	0.71
19.	समाज कल्याण केन्द्र, तिरूचिर, 7/61, तिरूचिर-05	मानसिक रुप से मंदों के लिए स्कूल भवन अनुदान	–	5.93
20.	रक्षा सोसायटी फॉर केयर ऑफ चिल्ड्रेन विद मल्टीपलाई हैंडीकेप्ड, कोचीन 24/499ए मद्रास रोड़ कोचीन	मानसिक रुप से मंदों के लिए दिवा देखभाल केन्द्र	69	2.29

21.	आशाकिरण एसोसिएशन फॉर एम आर पर्सन्स. अमलार्प्स कालीकट. केरल	मानसिक रुप से मंदों के लिए	59	1.34
22.	शान्ता नर्सरी तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, एर्णाकुलम	शारीरिक रुप से विकलांगों के लिए संस्थान	-	-
23.	विकलांगों के कल्याण के लिए संघ	तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र प्रिंटिंग तथा टेक्नॉलीजी इंस्टिट्यूट फॉर ओ, एच.	-	0.20
24.	सेंट कोलम्बस प्रशिक्षण केन्द्र. कालीकट	मानसिक रुप से मंदों के लिए	-	-
25.	कालीकट इस्लामिक कल्चरल सोसायटी. कोजीकोर्ड	मानसिक रुप से मंदों के लिए	60	1.61
26.	फा. जेग्गा इंस्टिट्यूट फॉर एम आर वयानंद. केरल	मानसिक रुप से मंदों के लिए	32	-
27.	मानसिक रुप से मंद बच्चों के लिए अखिल केरल संघ. कोचीन. तिरूवनन्तपुरम-6955014	मानसिक रुप से मंदों के लिए -	120 -	2.68
28.	साधना अद्वैतय आश्रम. कुरानमडागरी		-	0.64
29.	प्रतिदक्षा प्रशिक्षण इन्नालाकुडा, केरल क्रिस्ट नगर		-	3.19
30.	आशा निलयमकौला पॉकुन्नाम		50	1.07
31.	फेथ इंडिया, तिरूवनन्तपुरम		-	0.75

क्र. सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	लाभार्थियों की सं.वर्ष 93-94 के दौरान जारी की गई राशि (लाखों में)	
1	2	3	4	5
	मध्य प्रदेश			
1.	मध्य प्रदेश नेत्रहीन संघ, इन्दौर	स्थापन, कार्यालय प्रबंधन तथा कम्प्यूटर पाठ्यक्रम	30	0.79

1	2	3	4	5
2.	लायन्स धर्मार्थ ट्रस्ट, भिलाई	भवन निर्माण	-	2.50
3.	विकलांग कल्याण संघ, इन्दौर	कार्यालय प्रबंधन तथा स्थापन संसाधन फॉर ओ एच एंड कम्प्यूटर ट्रेनिंग	86	2.43
4.	आशा ग्राम ट्रस्ट, बरवान	कुष्ठरोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए भवन निर्माण	-	1.50
5.	आशीषि सेवा समाज, दुर्ग	कुष्ठरोग मुक्त व्यक्तियों का पुनर्वास	25	1.29
6.	भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, बुतुल	कुष्ठरोग मुक्त व्यक्तियों का पुनर्वास	40	1.35
7.	भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, इन्दौर	कुष्ठरोग मुक्त व्यक्तियों का पुनर्वास	100	2.49
8.	भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, रायगढ़	कुष्ठरोग मुक्त व्यक्तियों का पुनर्वास	44	2.16
9.	दिगदर्शिका पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान, भोपाल	मानसिक विकलांगों के लिए विशेष स्कूल	30	1.10
मणिपुर				
1.	सेंटर फॉर मेंटल हाइजिन, इम्फाल	एम.आर. और शेल्टर मुक्त वर्कशॉफ हेतु आवासीय स्कूल	150	4.03
2.	कान्गलुप आर्थ ड्राईकल वोमेन सोसायटी, इम्फाल	एम आर हेतु आवासीय स्कूल	100	4.37
मेघालय				
1.	बेथानी सोसाइटी, ईस्ट गारोहिल्स	बधिर तथा दृष्टिहीनों के लिए स्कूल	67	2.66
2.	लेडीज एंड चिल्ड्रेन रिकिएशन सेंटर शिलांक	एम आर हेतु स्कूल	50	0.3

1	2	3	4	5
राजस्थान				
1.	बधिर बाल कल्याण विकास समिति, भीलवाड़ा	बधिरों के लिए आवासीय विद्यालय	106	5.43
2.	इंडियन काउंसिल फॉर सोसल वेलफेयर, जयपुर	ओ एच के लिए बी टी. सी.	55	4.35
3.	सोसाइटी फॉर दी वेलफेयर ऑफमेंटली रिटार्डेड, जयपुर	एम.आर. हेतु विद्यालय	40	2.64
4.	एल.के.सी. श्री जगदम्बा अंध विद्यालय श्री गंगानगर	दृष्टिहीनों के लिए विद्यालय	385	10.08
5.	जीवन निर्माण संस्थान	एम.एल.एच. हेतु विशेष विद्यालय	30	0.24
उत्तर प्रदेश				
1.	नेताजी सुभाष विद्या मंदिर, रायपुर	अस्थि विकलांग बधिर तथा दृष्टिहीनों के लिए आवासीय स्कूल, कुष्ठ उपचार केंद्र	213	19.22
2.	नेशनल एशोसिएशन फॉर दि ब्लाईड, अलीगढ़	दृष्टिहीनों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र	25	1.26
3.	इलाहाबाद ग्राम स्वास्थ्य सेवा समिति	सी.बी.आर.ओ.एच. के लिए	50	0.67
4.	के.एल. शास्त्री स्मारक संस्थान, कानपुर	दृष्टिहीनों के लिए बी.टी.सी.	105	1.06
5.	श्री कांची कामोक्ति पीठम संस्कार सेवा चेरीटेबिल ट्रस्ट, हरिद्वार	एम.आर. हेतु विद्यालय	25	–
6.	चौहारी समिति परिषद, गाजीपुर	दृष्टिहीनों के लिए आवासीय स्कूल	23	1.88
7.	स्वामी अग्रजानन्द अंध विद्यालय, हरिद्वार	दृष्टिहीनों के लिए आवासीय स्कूल	105	6.39

1	2	3	4	5
8.	चेतना, लखनऊ	एम.आर. के लिए आवासीय स्कूल	189	9.66
9.	विकलांग केंद्र, इलाहाबाद	अस्थि विकलांग तथा प्रमस्तिष्काघात से पीड़ित बच्चों के लिए विद्यालय, शोल्टरयुक्त वर्कशाप	1205	5.22
10.	प्रागनरायण मूक बधिर समिति, अलीगढ़	बधिरों के लिए विद्यालय	80	3.11
11.	सूर स्मारक मंडल, आगरा	दृष्टिहीनों के लिए आवासीय स्कूल और बी.टी.सी.	76	3.91
12.	श्री हनुमान पोद्दार अंध विद्यालय, वाराणसी	दृष्टिहीनों के लिए आवासीय विद्यालय	150	8.47
13.	डेफ एंड डम्ब स्कूल, आजमगढ़	बधिरों के लिए आवासीय स्कूल	65	1.62
14.	एन.सी. चतुर्वेदी स्कूल फॉर दि डेफ, लखनऊ	बधिरों के लिए विद्यालय	266	3.04
15.	शहीद मेमोरियल सोसाइटी, लखनऊ	ओ.एच.तथा एम.एच. हेतु स्कूल और बी.टी.सी	155	7.78
16.	बी.सी.सी. स्कूल फॉर दि डेफ	बधिरों के लिए स्कूल तथा बी.टी.सी.	277	1.55
17.	मंगलम, लखनऊ	ओ.एच. हेतु बी.टी.सी.		
		ओ.एच. तथा बधिरों के लिए सचल एकक	2680	1.34
18.	वृंदावन अंध विद्यालय, मथुरा	दृष्टिहीनों के लिए आवासीय स्कूल	80	3.73
19.	गूंगे बेहरों का विद्यालय, कानपुर	बधिरों के लिए आवासीय स्कूल,बी.टी.सी.	373	12.62
20.	रेफजले राइडर चेशिरा इन्टरनेशनल सेंटर, देहरादून	एम.आर. और बधिरों के लिए विद्यालय	121	2.65
21.	डेफ एंड डम्ब स्कूल, मेरठ	बधिरों के लिए आवासीय स्कूल	147	4.25
22.	नन्हीं दुनिया बधिर विद्यालय	बधिरों के लिए आवासीय स्कूल	108	11.19

1	2	3	4	5
23.	यू.पी. डेफ एंड डम्ब इन्स्टीट्यूट. इलाहाबाद	बधिरों के लिए आवासीय स्कूल	135	4.05
24.	अखिल भारतीय विकलांग केंद्र समिति मंडल, फैजाबाद	एम.आर.बधिरों के लिए आवासीय स्कूल	297	13.69
25.	सरस्वती बाधनी सेवा समिति, लखनऊ	बधिरों के लिए आवासीय स्कूल	80	1.76
26.	नेशनल फैलोशिप रेहाव सेंटर फार दि ब्लाइंड, इलाहाबाद	दृष्टिहीनों के लिए आवासीय स्कूल	30	0.74
27.	हैंडीकेप्ट डेव्लपमेंट काउंसिल चेरीटेबिल. हॉसपिटल	एम.एच. हेतु स्कूल	18	0.48
28.	जहांगीर मेमोरियल चेरीटेबिल हॉसपिटल	कुष्ट रोग उपचारित व्यक्तियों के लिए बी.टी.सी.	50	0.82
29.	जन सेवा संस्थान, इलाहाबाद	कुष्ट रोग उपचारित व्यक्तियों का पुनर्वास	20	1.68
30.	अभिनय रिपोर्टरी थियेटर एंड रिसर्च इन्स्टीटयूट, लखनऊ	कुष्ट रोग उपचारित व्यक्तियों का पुनर्वास	-	3.04
31.	पर्यावरण जन जागरण समिति, अल्मोड़ा	कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्तियों का पुनर्वास	20	1.61
32.	किसान शिक्षा संगठन. हरिद्वार	कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्तियों का पुनर्वास	100	2.86
33.	नूर मोहम्मद चेरीटेबिल सोसाइटी. इलाहाबाद	कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्तियों का पुनर्वास	100	3.05
34.	नेशनल इन्स्टीटयूट ऑफ सोसल वेलफेयर, फैजाबद	कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्तियों का पुनर्वास	100	2.47
35.	अवध संस्थान, फैजाबाद	एच.एच. हेतु विशेष विद्यालय	100	3.60
36.	नीमहार विकलांग संस्थान, इलाहाबाद	एच.एच. तथा एम. एच. हेतु विशेष विद्यालय	उपलब्ध नहीं	0.90
37.	बहुजन हिताय संस्थान, बाराबंकी	एच.एच.हेतु विशेष विद्यालय	90	3.84

1	2	3	4	5
दिल्ली				
1.	इन्स्टीटयूटशन फॉर दिब्लाइंड पंचकुइयां रोड़	दृष्टिहीनों के लिए आवासीय विद्यालय	151	4.13
2.	नेशलन फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंड	- ब्रेल प्रेस - ब्रेल पुस्तकालय - नियोजन - गतिशीलता	1300	10.34
3.	डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, जामिया नगर	एम.आर. हेतु बाल परामर्श केंद्र	247	0.48
4.	स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ नार्थन इंडिया. हौजखास	- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम-शल्टर मुक्त वर्कशाल - एम.आर.तथा स्पास्टिक हेतु विद्यालय - गृह रखरखाव सी. वी. आर.	946	18.75
5.	नेशनल एशोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड, आर.के. पुरम	- दृष्टिहीनों के लिए होस्टल	127	9.53
6.	संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हैल्थ संतसंग बिहारी मार्ग	- एम.आर. के लिए केंद्र	25	2.07
7.	ऑल इंडिया कनफेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंड मॉडल टाउन	दृष्टिहीनों के लिए आशुलिपि प्रशिक्षण	19	2.21
8.	अक्षय प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	ओ.एच. के लिए स्कूल	19	2.62
9.	जनता आदर्श अंध विद्यालय सादिक नगर	दृष्टिहीनों के लिए आवासीय स्कूल	74	2.81

1	2	3	4	5
10.	अमर ज्योति चेरीटेबिल ट्रस्ट, कड़कड़डूमा, दिल्ली-92	- अस्थि विकलांगों हेतु स्कूल - प्रमस्तिष्काघात तथा एम.आर. हेतु प्रशिक्षण केंद्र - हॉस्पिटल सेवाएं	2078	10.14
11.	हैंडीकेप्ट वूमेन वेलफेयर एसोसिएशन, रोहिणी,नई दिल्ली	अस्थि विकलांग तथा बधिरों के लिए स्कूल	130	2.00
12.	तमाना, नई दिल्ली	एम.आर. के लिए	125	5.37
13.	एशोसिएशन फॉर एडवांसमेंट एंड रिहेब ऑफ हैंडीकेप्ड बसंत विहार, नई दिल्ली	एम.आर. हेतु स्कूल	38	2.47
14.	फेडरेशल फार दि वेल्फेयर ऑफ एम.आर.	एम.आर.हेतु स्कूल	114	8.13
15.	एलात सोसा, फार दि वेल्फेयर ऑफ एम. आर. ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली	एम. आर. हेतु स्कूल	58	2.07
16.	एशोसिएशन फॉर दि डेव्लपमेंट ऑफ मल्टीपल हेंडीकेप्ट, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली	एम.आर.तथा बधिरों के लिए स्कूल	25	1.01
17.	ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ दि डेफ, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	होस्टल नियोजन व्यावसायिक प्रशिक्षक केंद्र	377	5.39
18.	अखिल भारतीय नेत्रहीन, संघ, रघुबीर नगर, नई दिल्ली	दृष्टिहीनों के लिए आवासीय स्कूल	50	3.42

1	2	3	4	5
19.	बलवन्त्री मेहता विद्या भवन, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	एम.एच. तथा एच.एच. हेतु विशेष विद्यालय	243	8.03
20.	दिल्ली सोसाइटी फॉर वेल्फेयर ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन, ओखला	मानसिक विकलांगों हेतु वी.टी.सी.	656	5.59
21.	हिंद कुष्ठ निवारण संघ, आर.के. आश्रम मार्ग, नई दिल्ली	उपचारित व्यक्तियों के लिए परामर्श केंद्र	87	0.93
22.	प्रभा इन्स्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्टस फार हैंडीकेप्ट परसंस	अस्थि विकलांग, बधिर तथा एम.आर.हेतु विद्यालय	101	1.42
23.	नेशनल ब्रदरहुड एशोसिएशन फार दि ब्लाइंड	एम.आर. हेतु विद्यालय	–	–
असम				
1.	शिशु सरोती स्पास्टिक सोसाइटी आफ आसाम, गुवाहाटी	एम.आर. बच्चों के लिए स्कूल चलाने हेतु	50	–
गोवा				
1.	सी.ए.आर.आई.टी.ए.एस. गोवा,पणजी	बधिर तथा अस्थि विकलांग विद्यालय के लिंए	100	4.04
2.	लोक विश्वास प्रतिष्ठान स्कूल फार हैंडीकेप्ड किड्स, पणजी	बधिरों के स्कूल चलाने हेतु	40	–
बिहार				
1.	गिरिजाशंकर दृष्टिहीन बालिका विद्यालय, भागलपुर लड़कियों के लिए	शैक्षिक/व्यावसायिक प्रशि. दृष्टिहीन	37	1.96

2.	हॉम फॉर मेंटल रिटार्डेड एंड साइकोलॉजीकल सफरर्स 116, शंकर बागर, पटना	एम.आर.के लिए स्कूल/प्रशि. के चलाने के लिए	54	5.43
3.	ब्लाईंड गर्ल्स स्कूल आरा, भोजपुर, बिहार	दृष्टिहीन लड़कियों के स्कूल चलाने के लिए	35	1.35
4.	प्राकृतिक आरोग्याश्रम राजगिर, जिला नालंदा, बिहार	विकलांगों हेतु पुनर्वास केंद्र चलाने के लिए	100	2.48
5.	बिहार रिहेब. एंड वेल्फेयर इन्टी.,पटना	विकलांगों हेतु वी.टी.सी. चलाने के लिए	–	3.56
6.	जे. एस. इन्स्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हीयरिंग, पटना	एम.आर.तथा बधिर बच्चों के लिए 106	2.00	
7.	संस्थाल पहाडिया सेवा मंडल, देवघर विद्यानाथ, बिहार	विकलांगों के लिए पुनर्वास केंद्र चलाने हेतु	400	–
8.	ग्रामीण विकास संगठन कोरमाथू गया, बिहार	एम.आर.हेतु केंद्र चलाने के लिए	54	2.73
9.	बिहार इन्टी. ऑफ स्पीच एंड हीयरिंग रिसर्च सेंटर. कादम कौन, पटना	बधिरों के लिए स्कूल चलाने हेतु	–	–
10.	गया नेत्रहीन विद्यालय, गया	दृष्टिहीनों के लिए स्कूल तथा होस्टल	45	3.21
11.	हरिजन आदिवासी महिला सेवा संस्था, पूर्निया	विकलांगों के लिए शैक्षणिक केंद्र चलाने हेतु -	–	
12.	श्री जैन महिला विद्यापीठ, आरा	दृष्टिहीन लड़कों के लिए शैक्षणिक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र चलाने हेतु	25	1.05
13.	वैद्यनाथ बालिका बधिर मूल विद्यालय, मुंगेर	बधिर तथा मूक लड़कियों के लिए शैक्षणिक/व्यावसायिक/प्रशिक्षण केंद्र	32	1.43
14.	ज्ञान सरोवर, सोनपुर, सारन	विकलांगों के लिए प्रशिक्षण	50	0.53

15.	ज्ञान सरोवर, सोनपुर सारन	विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र	60	0.61
16.	बिहार स्टेट काउंसिल फार चाइल्ड वेल्फेयर, पटना	एम.आर. बच्चों के लिए संस्थान चलाने हेतु	35	1.07
गुजरात				
1.	सोसाइटी फॉर दि मेंटली रिटार्डेड, पो.आ. मालविंगा कालेज, केम्पस रोड, राजकोट	एम.आर. के. प्रौढ़ शिक्षा केंद्र	35	2.06
2.	श्री के.एल. इन्स्टीटयूट फॉर दि डेफ विद्या नगर भावनगर,	वाहन भत्ता	77	1.78
		(पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतन)	265	-
		प्रौढ़ प्रशिक्षण वर्कशाल	19	-
		अध्यापाक प्रशिक्षण केंद्र	284	-
3.	ब्लाइंड मेंस एशोसिएशन डा. विक्रम साराभाई रोड वस्त्रापुरम, अहमदाबाद	राष्ट्रीय पुनर्वास इंजि. संस्था	18	8.27
		रोजगार और नियोजन	42	-
		टाकिंग बुक पुस्तकालय	280	-
		न्यूज लेटर्स	2400	-
		फिजियो थेरपी स्कूल	20	-
		कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	10	-
		बेकरी एंड फूड ओडयूम	12	-
		गुजराती आशुलिपि में प्रशिक्षण	15	-
		विधि श्रेणी कार्यशाला	59	-

4.	श्री डी.एम. पारीख डेफ एंड डम्ब स्कूल	कम्पोजिटर तथा ट्रेड मेन का वेतन	124	0.41
5.	अंकुर स्कूल फार एम. आर. चिल्ड्रेन, भावनगर, गुजरात	एम.आर.बच्चों हेतु वाहन भत्ता	-	-
6.	मेडीकल केयर सेंटर ट्रस्ट चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, करोती, बडोदरा	चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए	2175	1.94
7.	अंधजन विविधलक्षी तालीम केंद्र एअरोड्रोम रोड, जामनगर	मल्टीकेटेगरी वर्कशाम	67	4.18
8.	के.के. स्कूल एंड होम फार दि ब्लाइंड न्यू फिल्टोरे के सामने विद्यानगर, भावनगर	दृष्टिहीनों के लिए स्कूल	-	-
9.	अंध कल्याण प्रकाश गृह ट्रस्ट, ड्राइव-इन रोड़, मैमनगर, अहमदाबाद	लड़कियों के लिए बहुश्रेणी वर्कशॉप	24	2.33
10.	अंध अमंग कल्याण केंद्र, नंदिनी सोसाइटी, साबरमती डी केवाइन, अहमदाबाद		549	0.53
11.	अपंग परिवार कल्याण केंद्र स्वास्तिक सोसायटी अम्बावांडी. भावनगर		30	0.33
12.	अंध कल्याण केंद्र, अहमदाबाद		60	0.25
13.	रचनात्मक अभिगम, ट्रस्ट हार्डिक प्रेरणा पार्क सोसाइटी एल.सी. हॉस्पिटल, मणिनगर, अहमदाबाद		12000	0.34
हरियाणा				
1.	हरियाणा वैलफेयर सोसाइटी फार हियरिंग एंड स्पीच, कोठी नं0 315 सेक्टर 9-डी, चंडीगढ़	बधिर तथा मूक के लिए सिरसा में कल्याण केंद्र चलाने के लिए	45	4.69

2.	डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॅस सोसाइटी, अम्बाला	आंशिक विकलांगों के लिए परियोजना चलाने हेतु	1500	0.82
3.	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, रोहतक	एम.आर. के लिए गृह चलाने के लिए	106	6.70
4.	डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी, अम्बाला	एम.आर. बच्चों के लिए गृह चलाने के लिए	14	0.24
5.	हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, चंडीगढ़	एम.आर. के लिए विशेष विद्यालय चलाने हेतु	45	0.20

क्र. सं.	संगठन नाम व पता	परियोजना	संगठन की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5
जम्मू और कश्मीर				
1.	जम्मू रेड क्रस होम फार हैंडीकैप्ड जम्मू पी.आ. अकलपुर, जम्मू	विकलांगों के लिए गृह अनुरक्षण	41	1.70
2.	रोटरी इनर व्हील होम फार द हैंडीकैप्ड परसन्स जम्मू	एम आर बच्चों के लिए गृह चलाने हेतु	17	1.78
पंजाब				
1.	वोकेशनल रिहैब्लीटेशन सेंटर हबबाल रोड, लुधियाना	दृष्टिहीन बच्चों के लिए शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाने हेतु	215	1.35
2.	जिला रेडक्रास सोसायटी, जिला शाखा, गुरदासपुर	मूक बधिर के लिए स्कूल चलाने हेतु	22	0.34
3.	डा. सत्यपाल खोसला धर्मार्थ स्मारक न्यास जालन्धर	बधिरों के लिए स्कूल प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए	144	4.23

4.	पंजाब भा0प्र0से0 अ0 महिला संघ चंडीगढ़	-	-	
5.	इंडियन रेडक्रास सोसायटी अमृतसर	एम आर. बच्चों के लिए दिवा स्कूल चलाने के लिए	-	-
6.	संजीवनी स्कूल फार सोशल एजूकेशन	एम.आर. बच्चों के लिए स्कूल चलाने हेतु	-	1.50
उड़ीसा				
1.	मातृ सेवा संघ, बानपुर	पी.एच.के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए	60	0.99
2.	रेड क्रास सोसायटी आफ द ब्लाइंड बरहामपुर, उड़ीसा	अंधों के लिए शैक्षिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण विद्यालय के लिए	92	2.73
3.	ओपन लर्निंग सिस्टम. 275-ए. शहीद नगर भुवनेश्वर	एम.आर. के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए	60	6.67
4.	हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, भुवनेश्वर	कु.रो. व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केन्द्र चलाने के लिए	-	-
5.	जिला अस्थि विकलांग संघ, सम्बलपुर	अ.वि. महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण चलाने के लिए	25	0.58
चंडीगढ़				
1.	इंडियन कॉउसिल फार चाइल्ड वेलफेयर, चंडीगढ़ बाल भवन यू.टी. ब्रांच, सैक्टर 23-बी, चंडीगढ़	विकलांगों के लिए प्रशिक्षण चलाने हेतु	516	0.95
2.	सोसायटी फार द केयर आफ द ब्लाइंड	अंधों के लिए शैक्षिक तथा व्यावसायिक केन्द्र चलाने के लिए	48	0.21

1	2	3	4	5
	पश्चिम बंगाल			
1.	अलकेन्दु बोध निकेतन, आवासीय डी-1/4/1, सी आई टी स्कीम कलकत्ता -88		800(एम एच)	45.77
2.	विकास भारतीय कल्याण सोसायटी 20-1/बी लाल बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता-1		3100(ओ एच)	9.21
3.	विकलांग मान विकास केन्द्र प्रशिक्षण तथा अनुस्थान संस्थान, 6 शार्ट स्ट्रीट, कलकत्ता		600(एम एच)	18.19
4.	नार्थ कलकत्ता प्रतिबंधी सेवा केन्द्र, 63/1, पैकपाडा. फर्स्ट रोड, कलकत्ता-37		100(एच.एच.)	1.19
5.	भारतीय मानव कल्याण संस्थान बी. एफ. 240. साल्ट लेक सीटी, कलकत्ता-64		40 (एम एच)	0.88
6.	जलपाईगुडी कल्याण सोसायटी न्यू जलपाईगुडी		40(स्टेस्टिक)	1.52
7.	सोसायटी फार मेंटल हैल्थ केयर. कलकत्ता		50 (एम.एच.)	1.50
8.	डा. शैलेन्द्र नार्थ मुखर्जी मूक बधिर विद्यालय वर्दमान, चांदनी मोड़, वर्दमान		200 (एम.एच.+ओ एच.एच.)	16.10
9.	आर. के. मिशन आश्रम नरेन्द्रपुर		300 (बी एच)	9.24
10.	एम एच आई आर सी नं. 406, 10 मान्डेविले कोर्ट-न्स, कलकत्ता		197 (एच एच)	6.32

1	2	3	4	5
11.	भारत स्काउटस एंड गाइडस, कलकत्ता		40	0.44
12.	श्री श्री रामकृष्ण सत्यानन्द शिक्षा एवं धर्मार्थ न्यास बीरभूम, पो. रामपुरहाट		33 (वी.एच)	3.42
13.	प्रतिबंधी कल्याण केन्द्र, हुगली स्ट्रीट, ए.एम. रोड, हुगली			4.53
14.	प्रवर्तक संघ 82/3, बी.बी. गांगुली, स्ट्रीट कलकत्ता-12		30 (सी पी एवं एम आर)	0.90
15.	रीच, 18/2, उदय शंकर सारणि गौल्फ ग्रीन, कलकत्ता-45		523 (एम. एच.+एच.एच.+ओ. एच. स्पेस्टिक)	5.60
16.	स्पास्टिक सोसायटी आफ नार्थ ईंडिया पी. 35/1, ताराटोकला रोड़, कलकत्ता-88		1100 (स्पास्टिक)	13.79
17.	करीमपुर समाज कल्याण सोसायटी पो. करीमपुर		40 (वी.एच)	0.32
18.	ओप, दुर्गापुर		77(आल एक्सैप्ट वी एच)	0.33
19.	एम.आर. प्रवर्तक संस्था			3.25
20.	आनन्द भवन, ग्राम जगतपुर पो0 वृन्दावनपुर		110(वी. एच+ओ एच+एच एच)	6.22
21.	साउथ सुन्दरवन शिक्षा तथा सांस्कृतिक संस्थानबरदापुर		60 (एच एच + एम एच)	0.98
22.	रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान कलकत्ता		300 (एच एच)	0.43
महाराष्ट्र				
1.	विजय मर्जेंट पुनर्वास केन्द्र, महात्रेचेन भसपन बम्बई		-	1.49

1	2	3	4	5
2.	रिसर्च सोसायटी फार द केयर ट्रीटमेंट एंड प्रशिक्षण आफ चिल्ड्रन		100 (एम एच)	3.73
	सेवरी हिल्स बम्बई		-	
3.	नेशनल एसोसिएशन फारद ब्लाइंड. 11 खान अब्दूल		800 (वी एच)	23.15
	गफार खान रोड, बम्बई			
4.	श्री ट्रस्ट "गुरूकृपा" जीवदानी रोड. बसर		150 (एम एच+एच एच)	10.75
5.	सोसायटी फार द स्पेशल एजूकेशन फार द डेफ. बम्बई		100 (एच एच + वी एच)	2.25
6.	जनदीबाई शिक्षण संस्थान दादर. बम्बई		30 (एचएच)	1.49
7.	सुहरूद मंडल. 805 "स्मृति" भंडारकर रोडपुणे-4		550	2.48
8.	इंडियन कैंसर सोसायटी. बम्बई		40	0.74
9.	आर. ई एम. अस्पताल		-	5.76
10.	सोसायटी फार द एजूकेशन आफ क्रिपल्ड. बम्बई		-	1.07
11.	शारीरिक विकलांग कल्याण सोसायटी. पुणे		-	0.50
12.	सोसायटी फार द वोकशनल रिहैब्लीटेशन, व्यापारिक प्रशिक्षण. बम्बई		-	0.27
13.	राष्ट्र सत तुकदोजी महाराज तकनीकी शिक्षा सोसायटी		-	4.75
14.	एन एस डी इन्टस्ट्रीयल होम फार द ब्लाईंड, बम्बई		-	2.20
15.	विद्या भवन एजूकेशन सोसायटी, परभवनी		-	2.00
16.	एन ए एस ई ओ एच, बम्बई		-	0.95

1	2	3	4	5
17.	अपंग कल्याण और पुनर्वासन संस्था. बुल्ढाना		-	2.00
18.	इंडियन कैंसर सोसायटी. बम्बई		-	0.76
19.	सोसायटी फार एजूकेशन		-	0.66
20.	मातृ सेवा संघ		-	2.86
21.	थाना जिला स्ट्रीट शक्ति. थाणे		-	1.50
22.	प्राइड इंडिया. बम्बई		-	2.47
23.	फैलोशिप आफ द फिजिकली हैंडीकैप्ड		-	0.33
24.	लायन डेफ एंड डम्ब एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड स्कूल कोपागांव		-	0.50
25.	श्री सिद्धेश्वर शिक्षण प्रचारक मंडल परमनी		-	2.00
त्रिपुरा				
1.	नार्थ त्रिपुरा मूक बधिर स्कूल कैलेशहर		40	2.48
2.	आल त्रिपुरा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संघ, त्रिपुरा		60	0.63
तमिलनाडु				
1.	गिल्ड आफ सिर्वस, इगमोर मद्रास	विकलांग कल्याण के लिए गृह	87	3.96
2.	पाथवे डा. तत्तु राव स्मारक धर्मार्थ न्यास कामराज नगर, मद्रास	मानसिक विकलांगों के लिए गृह	-	0.99
3.	सत्य ज्योति लिटल फ्लावर अंध स्कूल मद्रास	एम आर के लिए पुनर्वास प्रशिक्षण	166	1.16
4.	हेलेन के लिए सर्विस सोसायटी फार द ब्लाइंड मदुरै	वी टी सी फार ब्लाइंड	120	3.23

1	2	3	4	5
5.	अनवेगम स्पेशल स्कूल फार द डेफ, मैलायुयंर	स्कूल फार हेयरिंग हैंडिकैप्ड	-	1.40
6.	स्कूल फार द यंग डेफ, मद्रास-18	स्कूल फार हियरिंग हैंडिकैप्ड	166	2.53
7.	चेशसी होम इंडिया क्रास मेजर रोड़, मद्रास	होम फार फिजिकली हैंडिकैप्ड	82	3.04
8.	इंडियन एसोसिएशन फार द ब्लाइंड, मद्रास	समेकित अन्ध शिक्षा	175	6.85
9.	अनवयाय इन्स्टीच्यूट फार द मेंटली हैडीकैप्ड मदुरै-625002	एम आर स्कूल रेढिडेन्सायल/कंथाडियल केयर	20	0.58
10.	आन्ध महिला सभा, 10 डा. देशमुख रोड, मद्रास-28	ओ.एच.केन्द्र प्रशि. चि. स. केन्द्र ओ. एच. के लिए बीटी. सी.	792	6.71
11.	इंडियन काउंसिल फार चाइल्ड वेलफयेर, मद्रास	विकलांगों के लिए पुनर्वास केन्द्र मार्गदर्शन तथा परामर्श केन्द्र	-	0.05
12.	सुदार स्कूल फार एम आर चिल्ड्रन, तजौर	एम.आर. चिल्ड्रन के लिए गृह		1.00
13.	सोशल सर्विस केन्द्र, मद्रास	विकलांग लड़कियों के लिए [illegible] तथा अन्य सेवाएं		0.88
14.	बिशप दासल फार होम होम फार ब्लाइंड त्रिची	ओम फार ब्लाइंड		2.95
15.	कार्तिक पब्लिक शैक्षिक तथा धर्मार्थ न्यास थिरनगम्बती रोड-1	एम.आर. बच्चों के लिए	250	1.18

1	2	3	4	5
16.	स्पास्टिक सोसायटी आफ तमिलनाडु मद्रास-13	बा. टी सी स्पास्टिकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र विशेष स्कूल	-	6.52
17.	क्रिश्चियन फाउन्डेशन फार द ब्लाइंड, मद्रास-93	अन्ध तथा ब्रेल प्रते के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण	2000	2.90
18.	इंडियन रेड क्रास सोसायटी, रेड क्रास भवन, मद्रास	विकलांगों के लिए वी.टी सी. अनुस्थान सेवाएं	65	0.22
19.	इमकुलेट हर्ट आफ मेरी डिन्डीगुल मद्रास	बधिरों के लिए स्कूल	60	1.14
20.	सेंट अर्नेक्स रिहैब्लीटेशन केन्द्र कोयम्बटूर	एम आर केन्द्र	150	0.94
21.	आल इंडिया ब्लाइंड प्रोग्रेसिव एसोसियशन मद्रास-55	अंध व्यावसायिक केन्द्र	40	1.38
22.	समरिटन एसोसिएशन मद्रास	वी.टी.सी. केन्द्र चलाने के लिए	40	0.75
23.	एम. आर. के लिए बिशापसरजेंट, पोलिमुकुटं	एम.आर. के लिए स्कूल		0.20
24.	विद्यालय विकास अवसर स्कूल कोयेम्बटूर		0.78	
25.	इरोड एरिया सोसायटी इरोड	एम आर के लिए आकस्मिक स्कूल केन्द्र		0.62
26.	चेशरी होम इंडिया मद्रास	शारीरिक विकलांग होम	34	0.30
27.	अमर सेवा संघ अइकुडी-627852	विकलांग गृह	25	3.47
28.	लूथरेन स्कूल फार डेफ एंड डम्ब, ब्लाइंड वेलौर	मूक बधिर तथा अन्ध विद्यालय गृह	85	1.23
29.	आर. एस. शैषिक कोयम्बटूर	पोलियों प्रभावित/अ0वि0 के लिए स्कूल	50	0.40
30.	सेंट अविस इन्स्टीच्यूट फार टम्ब एंड डेफ ब्लाइंड मद्रास	मूक/अंध के लिए संस्था	640	6.70
31.	डा. एम. जी. आर. वाणि तथा श्रवण विकलांग विद्यालय मद्रास	मूक बधिर के लिए स्कूल	100	0.33
32.	आई.ई.आई.सी. स्कूल फार ब्लाइंड वेलफेयर वेलौर-6	अन्ध विद्यालय	138	3.82
33.	न्यू ज्योति ट्रस्ट, मद्रास	वी.टी.सी.फार एम आर	22	0.88

दिल्ली पुलिस द्वारा छापे

7424. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त से उन परिस्थितियों के बाबत स्पष्टीकरण मांगा है जिसके कारण मार्च, 1994 के अंतिम सप्ताह में काठमांडू में दो नेपाली नागरिकों के घरों में दिल्ली पुलिस को छापा मारना पड़ा था;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस ने केन्द्रीय सरकार से इस संबंध में पूर्वानुमति ली थी;

(ग) यदि हां, तो उक्त (क) और (ख) से संबंधित ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या नेपाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस छापे का तीव्र विरोध दर्ज किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों को इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किया है कि ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना से यह प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया भारत के पुलिस कार्मिकों के एक छोटे दल ने अपने अनुक्रम और प्राधिकार का अतिक्रमण किया तथा कुछ वांछित व्यक्तियों का नेपाल में पीछा किया।

(घ) और (ङ) एच. एम. जी. एन. द्वारा यह मामला 29 मार्च, 1994 को भारत सरकार के समक्ष औपचारिक रुप से उठाया गया था।

(च) और (छ) भारत सरकार ने संबंधित एजेन्सियों को इस आशय के अनुदेश पहले ही जारी कर दिए हैं कि वे नेपाल के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त का सावधानी से पालन करें और उसका अनुसरण करें तथा नेपाल की क्षेत्रीय अखण्डता और प्रभुसत्ता का आदर करे।

(ज) सभी पुलिस कार्मिकों को निलम्बित कर दिया गया है तथा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

विस्तार योजना

7425. श्री एन.जे. राठवा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पेट्रोलियम और भारतीय तेल निगम की गुजरात के लिए कोई विस्तार योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) गुजरात राज्य में विस्तारण हेतु भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) के प्रस्ताव निम्नलिखित है :-

(1) **सिक्का में विपणन टर्मिनल**

इसमें 603.30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर सिक्का से कांडला (गुजरात)तक एमएस, एसकेओ और एचएसडी के परिवहन के लिए उत्पाद पाइपलाइन बिछाना तथा सिक्का में विपणन टर्मिनल का निर्माण परिकल्पित है।

(2) **वाडिनार में कच्चे तेल का टर्मिनल**

बीना(म.प्र.) में रिफाइनरी स्थल तक क्षेत्र पार पाइप लाइन से क्रूड की प्राप्ति तथा प्रेषण हेतु संयुक्त उद्यम कंपनी भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड के लिए बच्चे तेल के एक टर्मिनलों को वाडिनार(गुजरात) स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(3) **अतिरिक्त उत्पाद भंडारण**

गुजरात में निम्नलिखित स्थानों के लिए एपीटी 1989-90 तथा एपीटी 1996-97 के अन्तर्गत पेट्रोलियम उत्पादें के लिए अतिरिक्त उत्पाद भंडारण (एपीटी) की योजना की गई है :

स्थान	भंडारण (किली)	अनुमानित लागत (लाख रुपए)	शुरू होने का अनुमानित वर्ष
एपीटी 1989-90			
(1) कोयली	40,000	1,850	जून 1994
(2) हजीरा	17,000	1,275	मार्च 1995
एपीटी 1996-97			
(1) सिद्धपुर	6,000	600	मार्च 1996
(2) साबरमती	5,000	500	मार्च 1996
(3) ओखा	10,000	750	मार्च 1996

II. इंडियन आयल कारपोरेशन के गुजरात में विस्तारण हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव है :

(1) **कांडला** - भेटिंडा उत्पादन पाइप लाइन पर टैप आफ- स्थल(टर्मिनल)

कांडला भटिंडा पाइप लाइन परियोजना के एक हिस्से के रुप में दो टैप आफ स्थलों (टी ओपी) कांडला टी ओपी और सिद्धपुर टीओपी का निर्माण जारी है।

(2) **हजीरा में नया टर्मिनल**

41 करोड़ रुपए की लागत पर 50,000 कि.ली. के भंडारण सहित एक नया भंडारण टर्मिनल तथा वितरण सुविधा स्थापित की जा रही है ।

½3½कोयाली के में नया विपणन टर्मिनल

परियोजना में टीटी लदान सुविधाओं सहित 50,000 कि.ली. भंडारं का विकास परिकल्पित है। परियोजना पर 45 करोड़ रुपए लगात आने का अनुमान है।

(4) **ओखा में बेंजिन संभा की सुविधा**

जी एस एफ सी बड़ौदा जैसे संयंत्रों की बेंजीन की मांग को संभालनं का प्रस्ताव है। परियोजना की अनुमानित लागत 35 करोड़ं रुपए है।

(5) **कांडला में एलपीजी की आयात की सुविधाएं**

160 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर करीब 600 टी एम टी पी ए के आयात को संभालने के लिए एलपीजी की आयात की सुविधाएं स्थापित की जा रही है।

(6) **अहमदाबाद में एलपीजी चरण संयंत्र**

37.39 करोड़ रुपए की लागत पर 66 टी एम टी पी ए का चरण संयंत्र निर्माणाधीन है।

(7) **भावनगर में एल पी जी चरण संयंत्र**

36 करोड़ रुपए की लागत पर 44 टी एम टी पी ए की क्षमता का एक चरण संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(8) **कांडला में एल ओ बी एक आयात सुविधा**

परियोजना में 40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर डॉकलाइन, टैंक वैगन की लदान सुविधा तथा 60 टी एम टी एल ओ बी एस का भण्डार परिकल्पित है।

(9) गुजरात रिफाइनरी की क्षमता में वृद्धि करने के लिए फीड प्रिपरेशन यूनिट की मरम्मत (एफ.पी.यू) सहित 3.0 मि.मि.ट.प्र. व. की क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (सी.डी.यू) और फलूडाइड कैटलिटिक क्रैकिंग यूनिट (एफ.सी.सी.यू) तथा इससे जुड़ी-स्थलगत और उपयोग सुविधाएं परिकल्पित हैं। अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था कर सलाया विरामगांव खण्ड की क्षमता को और 20 मि.मि.ट.प्र.व. तक बढ़ाने की योजना भी परिकल्पित है।

शरीर स्कैन मशीन

7426. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलू : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के अस्पतालों के लिए शरीर स्कैन मशीनों की खरीद हेतु धनराशि उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या शरीर स्कैन मशीनों की खरीद के लिए धनराशि देने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सहमति दी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी. शंकरानन्द) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

ओमान से पाइप लाइन

7427. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओमान आयल कंपनी ने जिसकी पांच बिलियन डालर की लागत से प्राकृतिक गैस भेजने के लिए पाइपलाइन बनाने की योजना है, सरकार को इस आशय की अंतिम चेतावनी दी है कि उसकी परियोजना पर निर्णय लिये जाने में विलंब की स्थिति में वह अन्य देशों को आपूर्ति के लिए बाध्य हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) अंतिम निर्णय लेने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस समय यह मामला किस चरण में है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) ओमान से गैस के आयात संबंधी शर्तों पर ओमान आयल कम्पनी के साथ चर्चा की जा रही है।

उग्रवादियों को हिरासत में रखा जाना

7428. डा. चन्द्रिकेश्वर पात्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हजरतबल की विकट स्थिति के समाधान के साथ आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों की हिरासत या अन्य संबंधित कार्यवाही के बारे में क्या निर्णय लिए गए है;

(ख) कितने उग्रवादियों को छोड़ दिया गया; और

(ग) कितने उग्रवादियों को सजाएं दी गई/कैद में रखा गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिनांक 16.11.1993 को हजरत बल दरगाह से 62 व्यक्ति बाहर आए तथा उन्होंने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया । इनमें से 35 व्यक्तियों को, जिन्हें जांच पड़ताल के बाद निर्दोष श्रद्धालु पाया गया था, 18.11.1993 को रिहा कर दिया गया । शेष व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू की गई दो व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया तथा उनके हिरासत में रहने की अवधि के लिए न्यायालय द्वारा सजा दी गई। सक्षम न्यायालय के आदेशों के अनुसरण स्वरुप शेष व्यक्ति जमानत पर हैं।

प्रजनन तकनीकें

7429. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "नई प्रजनन तकनीकें वरदान अथवा अभिशाप ?" पर हाल में ही जयपुर में वैज्ञानिकों के अधिवेशन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें मुख्य रुप से क्या-क्या टिप्पणियां की गई थीं और सुझाव दिए गए थे; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी हां ।

(ख) आयोजकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एक सत्र में प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण परीक्षणों के दुरुपयोग और कन्या भ्रूणहत्या पर चर्चा की गई। इस बात पर बल दिया गया कि प्रसवपूर्व नैदानिक परीक्षणों द्वारा होने वाले लाभों को देखते हुए इन परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगाने के बजाए कुछ नियमन, सामाजिक और विधायी उपायों को आरम्भ किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) लोकसभा में "प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण)" नामक एक विधेयक 12.9.1991 को प्रस्तुत किया गया था और इसे संयुक्त समिति को भेजा गया था। संयुक्त समिति द्वारा यथासूचित विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है इस पर इस सत्र के दौरान विचार किया जा सकता है।

इस्लामिक विश्व कोष का प्रकाशन

7430. श्री डी. वेंकटेश्वर राव:

श्री एम.वी. सिदनाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में किसी प्रकाशन कंपनी द्वारा ऐसे इस्लामिक विश्वकोष के प्रकाशन की जानकारी है जिसमें बेहद आपत्ति जनक खाके दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) सरकार को जानकारी है कि कोझीकोड स्थित एक प्रकाशन कम्पनी ने मलयालम में इस्लामी विश्वकोष (इस्लाम विज्ञान कोशम) प्रकाशित किया है जिसमें कश्मीर को एक ऐसे क्षेत्र के रुप में दिखाया गया है जहां मुसलमानों का बहुमत है और वे कुल आबादी के 50 प्रतिशत से अधिक हैं। केरल राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह इस विश्वकोश के प्रकाशक के खिलाफ समुचित कार्रवाई करें। इसमें कई अन्य आपत्तिजनक टिप्पणियों भी की गई हैं।

असम में स्वशासी जिला परिषदें

7431. श्री उद्धव बर्मन : क्या गृह मंत्री 23 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3448 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य के करबी अगलोंग और उत्तर कछार पर्वतीय जिलों के स्वशासी जिला परिषदों को अधिक शक्तियां देने के संबंध में संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन के लिए असम सरकार के प्रस्ताव का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) और (ख) इस बारे में असम राज्य सरकार से कुछ सूचना और स्पष्टीकरण मांगे गए थे जो कि अब प्राप्त हो गए हैं। कोई निर्णय लेने से पहले, यह जरूरी है कि भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों से विचार विमर्श करके, मामले की जांच कर ली जाए तदनुसार, भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों को, उनके विचार जानने के लिए, इसे परिचालित कर दिया गया है।

कच्चे तेल का उत्पादन

7432. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का दक्षिण-पूर्व तथा दक्षिणी राज्यों में कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) इस क्षेत्र से उत्पादित होने वाले क्रूड तेल, जिसकी मात्रा वर्ष 1993-94 में 0.537 मि0 टन थी, उसे वर्ष 1994-95 में 0.681 मि0 टन तक बढ़ाये जाने की योजना है।

(ग) ओ एन जी सी ने दक्षिणी क्षेत्र में सर्वेक्षण वेधन और पूंजी अधिग्रहण हेतु चालू वर्ष के लिए 515 करोड़ रुपए धनराशि नियत की है।

मूलचन्द समिति की रिपोर्ट

7433. श्री राम विलास पासवान : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पिछले रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए तौर तरीके सुझाने हेतु मूलचन्द समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जाति/जनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ ने दिसम्बर, 1991 को अखिल भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस अयोग प्रबंधकों के साथ तीन महीने के भीतर मूलचन्द समिति की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू करने का निर्णय लिया था;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय पूरी तरह लागू किया गया है;

(ङ) यदि हो, तो इस बीच "ई 2 से ई 7 स्तर तक पड़े कितने पिछले पदों को भरा गया और (ई 2 से ई 7 स्तर तक) संवर्ग-वार कितने पद अभी भरे जाने बाकी हैं; और

(च) इन रिक्त पदों पर भर्ती कब तक की जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत बंगला देश सीमा पर बाड़ लगाना

7434. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 तक भारत-बंगला देश सीमा पर सैक्टर वार कितनी लंबी बाड़ लगायी गयी और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(ख) सम्पूर्ण परियोजना की आरम्भिक अनुमानित लागत तथा संशोधित अनुमानित लागत कितनी-कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) विभिन्न क्षेत्रों में लगायी गयी बाड़ की लम्बाई और 31 मार्च, 1994 तक किया गया व्यय निम्न प्रकार से है :

क्षेत्र	बाड़ लगायी गयी (किलोमीटर में)	व्यय किया गया (रु. करोडों में)
असम	104	11.30
मेघालय	140	19.56
पश्चिम बंगाल	5	16.98

(ख) 337 किलोमीटर क्षेत्र में बाड़ लगाने की पूरी परियोजना की प्रारम्भिक अनुमानित लागत 11.53 करोड़ रुपये है। संशोधित परियोजना असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल राज्यों में कूल 896 किलोमीटर क्षेत्र में बाड़ लगाने की है। जिसकी अनुमानित संशोधित लागत 128.03 करोड़ रुपये है।

विस्थापितों की पीछे छोड़ी हुई संपत्ति

7435. श्री आर सुरेन्द्र रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार ने उन विस्थापितों की पीछे छोड़ी हुई चल-अचल संपत्तियों का 1993 में ब्यौरा मांगा था जिन्हें आतंकवादी गतिविधियों के कारण घाटी का त्याग करना पड़ा था और जम्मू एवं देश के अन्य भागों में शरण लेनी पड़ी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या विस्थापित परिवारों को एक प्रपत्र भरना पड़ा था जिसका प्रारुप जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा तैयार किया गया था;

(घ) विस्थापितों द्वारा कितने मूल्य की पीछे छोड़ी हुई संपत्ति का ब्यौरा दिया है; और

(ङ) विस्थापित परिवारों की पीछे छोड़ी हुई चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा मंगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार, लगभग 32,000 प्रवासी परिवारों ने घाटी में छोड़कर आई हुई चल और अचल सम्पति के ब्यौरे भेजे हैं ।

(घ) और (ङ) कुछ प्रवासियों ने घाटी में उनकी पीछे छोड़कर आई हुई सम्पत्ति का दुरुपयोग किए जाने, संबंधित रिकार्डों इत्यादि में हेरा-फेरी किए जाने के बारे में शिकायतें की थीं। इस सूचना को मंगाने का उद्देश्य, सम्पत्तियों का उचित सत्यापन करना और उनका लेखा-जोखा रखना, समाज-विरोधी तत्वों द्वारा सम्पत्ति का दुरुपयोग/हेरा फेरी करने वालों के विरूद्ध सुरक्षा उपलब्ध कराना, तथा आतंकवादी हिंसा के कारण क्षति ग्रस्त हुई सम्पत्ति के लिए राहत देने के मामलों का तेजी से निपटान करने में मदद करना था।

[हिन्दी]

आई एस आई की गतिविधियां

7436. श्री सरेन्द्र पाल पाठक :

श्री चित्त बसु :

डा. साक्षीजी :

डा. एस बी. सिदनाल :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आई.एस.आई. की बढ़ती हुई गतिविधियों पर एक श्वेत पत्र जारी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में अपने निर्णय की घोषणा कब तक कर देगी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले के समाधान के लिए सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर संयुक्त कार्ययोजना बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (च) भारत में गुप्त रुप से जासूसी, विद्रोह और तोड़-फोड़ कराने के पाकिस्तान की आई.एस. आई. के षडयंत्रों से सरकार अवगत है और आसूचना तंत्र को सुचारू बनाकर, केन्द्र और राज्य की संबंधित एजेंसियों द्वारा आसूचना का आदान प्रदान तथा समन्वित कार्रवाई करके, महत्वपूर्ण स्थलों पर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती में वृद्धि करके, तटवर्ती एवं अन्तः क्षेत्रीय गश्त को बढ़ाकर, सीमा पर बाड़ लगाकर और भारत पाक सीमा के नाजुक हिस्सों में फ्लड लाईट लगाकर इन मनसूबों का मुकाबला करने और इन्हें विफल करने के लिए सभी जरूरी उपाय कर रही है। नौसेना, तटरक्षक बल और सीमा शुल्क विभाग को समुद्र में भीतर तक और साथ ही तटरेखा पर सघन गश्त लगाने के लिए समुचित निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इन प्रयासों के परिणाम का प्रबोधन नियमित रुप से किया जाता है।

गुजरात में आई.एस.आई. की गतिविधियां

7437. श्री एन. जे. राठवा : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की इन्टर सर्विसेज इन्टेलिजेंस (आई.एस.आई.) गुजरात के कई शहरों से कुछ युवकों की भर्ती कर रही है और उन्हें आतंकवाद में प्रशिक्षित करने हेतु पाकिस्तान भेज रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आई0एस0 आई की इस योजना को नाकाम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) यद्यपि पाक आई.एस.आई. द्वारा गुजरात के अनेक शहरों से युवको को भर्ती करने और उन्हें पाकिस्तान भेजने के कोई विशिष्ट उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं आए, फिर भी भारत की आन्तरिक सुरक्षा को अस्थिर करने के पाक आई.एस.आई की गतिविधियों के बारे में केन्द्रीय और राज्य सुरक्षा एजेन्सियों को सचेत कर दिया गया है।

[अनुवाद]

एन आई वी औषधों पर रोक

7438. श्री राम निहोर राय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने एन आई वी स्वास्थ्य औषधों के क्रय पर 1986 से रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो द्वारा प्रति वर्ष 30 करोड़ रु0 की ऐसी दवाइयां खरीदने के क्या कारण है; और

(ग) इस क्रय को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी. शंकरानन्द) : (क) एन. आई. वी (ओ औषध शब्दावली में नहीं है) औषधों की खरीद पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं है। वे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना तथा अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खरीदी जाती है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

सरदार सरोवर परियोजना

7439. डा. सुधीर राय : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना संबंधी सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार बांध के पानी में जलमग्नता का स्तर बांध की प्रस्तावित ऊंचाई 455 फीट से कहीं अधिक होगा;

(ख) क्या प्रतिवेदन के अनुसार जल-मग्नता का स्तर बांध के बार बनकर तैयार हो जाने के बाद जल के पड़ने वाले दबाव के कारण 494 फीअ ऊंचा हो जाएगा;

(ग) यदि हां, तो उक्त (क) और (ख) संबंधित ब्यौरा क्या हैं ;

(घ) क्या इसके निकट स्थित महेश्वर विद्युत उत्पादक संयंत्र को जलमग्न होने का खतरा हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुगन) : (क) मे (ग) यद्यपि सरदार सरोवर परियोजना पर ऐसी कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं आयी है फिर भी बाढ़ अवधि के दौरान जलमग्नता का स्तर 455 फुट से अधिक होगा तथा पश्च जल प्रभाव पर हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि 100 वर्ष बाढ़ में एक बार पश्च जल स्तर बांध पर बांध के लगभग 222 किलोमीटर प्रति प्रवाह पर 455 फुट से 432.64 फुट तक भिन्न भिन्न होगा।

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दवाओं की सप्लाई

7440. डा. मुमताज अंसारी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने अपने आयुर्वेदिक औषधालयों, विशेषकर नई दिल्ली में साऊथ एवेन्यू तथा नार्थ एवेन्यू स्थित औषधालयों को दवाओं की सप्लाई करना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी. शंकरानन्द) : (क) औषधियों की आपूर्ति नहीं रोकी गई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मलेरिया

7441. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में हाल के महीनों में मलेरिया/मस्तिष्क जवर की घटनाओं में इसे नियंत्रित करने के विरोध के कारण वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अधिकारियों के पास बार-बार शिकायतें दर्ज किए जाने के बावजूद इसे आरंभिक अवस्था में ही नियंत्रित करने/इसकी रोकथाम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली में मलेरिया/मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम और नियंत्रण मुख्य रुप से दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका जैसे स्थानीय निकायों द्वारा निम्नलिखित उपाए करके किया जाता है।

(1) आवर्ती लार्वारोधी उपाए।

(2) लार्वाभक्षी मछलियों के इस्तेमाल सहित जैव-पर्यावरणिक नियंत्रक विधियां।

(3) जल का समुचित निपटान आदि करने के उद्देश्य से अभियांत्रिकी विधियों के जरिए मलेरियाजेनिक स्रोतों में कमी करना ।

(4) रोगियों का शुरू में पता लगाना और तत्काल उपचार करना।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों, परियोजना क्षेत्रों में मजदूरों की झोंपड़ियों और झुग्गी झोपड़ी समूहों में अवशिष्ट कीटनाशकों का छिड़काव ।

(6) मलेरिया पाजिटिव रोगियों के घरों में और उनके आसपास पाइरेथ्रम का छिड़काव ।

रैगिंग पर प्रतिबंध

7442. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय दंड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता की संगत धाराओं में संशोधन करके रैगिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए पहल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) ऐसी किसी भी स्थिति से जिसका परिणाम गलत तरीके से अवरूद्ध करने, हमला करने, चोट पहुँचाने आदि के रुप में सामने आए, निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता में पर्याप्त प्रावधान हैं । विशेष रुप में रैगिंग की समस्या से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता अथवा दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों, आई.आई टी. के निदेशों, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों के प्राचार्यों और सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों का ध्यान रैगिंग की घटनाओं की ओर खीचा है तथा रैगिंग को समाप्त करने एवं नए विद्यार्थियों की ऐसी स्थितियां प्रदान करने के लिए, जिनमें वे अपने लिए, जिनमें वे अपने लिए स्वागत एवं सुकून महसूस करें, तुरन्त कदम उठाने का अनुरोध किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के सभी कालेजों एवं विभागों के परिसरों में साथ ही सार्वजनिक परिवहन में भी रैंगिंग का कड़ाई से निषेध करने वाला एक अध्यादेश पास किया है। ऐसे ही कदम, अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा उटाए जा सकते है जहां रैगिंग की प्रथा प्रचलित है। चूकि रैंगिंग की प्रथा निन्दनीय है इसलिए विश्वविद्यालयों और कालेजों के प्राधिकारियों तथा स्वयं छात्रों की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की है कि रैंगिंग न हो।

कैंसर रोधी औषधि

7443. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैंसर रोधी इस्काडार औषधि के आयात की अनुमति नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां तो, इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा किए गए अध्ययन के अन्य होम्योपैथी औषधियों के साथ-साथ इस्काडार औषधि के सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या परिषद् की उक्त औषधि के आयात की अनुमति देने के लिए लिखा है; और

(ड़) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ड़). अस्पताल एवं पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी उनके द्वारा इस्तेमाल के लिए इस्काडार औषध का आयात कर सकते हैं पंजीकृत चिकित्सा व्यावसायियों द्वारा लिखे गए नुक्खे के आधार पर रोगी इसका आयात कर सकते हैं केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने अन्य औषधों के साथ इस औषध का इस्तेमाल करने के लाभदायक परिणाम बनाए हैं तथा इस पर सीमा शुल्क में छूट देने की सिफारिश की है। तथापि, वाणिज्यिक विपणन के प्रयोजन के लिए इस औषध का विष विज्ञानी तथा चिकित्सीय अध्ययनों के लिए औषण नियंत्रण भारत को प्रोटोकोल के साथ कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

मुकदमे

7444. श्री वी. श्री निवास प्रसाद : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयत कारपोरेशन/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के अपने अपने डीलरों से संबंधित कितने मामलों पर मुकदमें चल रहे हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक कंपनी द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) क्या इन मुकदमों का निर्णय इनमें से किसी मामले पर सिविल न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के आधार पर करने का प्रस्ताव है ताकि न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या कम की जा सके?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जतीन्द्र कुमार शर्मा) : (क) पिछले 5 वर्षों के दौरान आई.ओ.सी. और एच.पी.सी. के अपने डीलरों के साथ 901 न्यायिक मामले थे जिन पर 45.36 लाख रुपये का व्यय हुआ।

(ख) तेल कम्पनियों के अपनी डीलरों के साथ डीलरशिप करारों में मध्यस्थ निर्णय के माध्यम से विवादों के निपटारे की व्यवस्था है। तदनुसार तेल कंपनियां अपने डीलरों के साथ विवादों का निपटारा मध्यस्थ निर्णय के माध्यम से करती है।

अभिघात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन

7445. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष फरवरी के मध्य ''अभिघात'' संवेदना हरण और ''गहन चिकित्सा'' पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें मुख्यत: क्या-क्या टिप्पणियां की गई और सुझाव दिए गए; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) दिए गए सुझाव एवं टिप्पणियां परांचिकित्सा, स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यचर्या में परिवर्तनों, मौजूदा आपातकालीन परिचर्या सेवाओं का उन्नयन तथा दुर्घटना-ग्रस्त लोगों का अस्पताल पूर्व चिकित्सा प्रबंध एवं अभिघात की रोकथाम के लिए जारूकता में सुधार लाने से संबंधित है।

(ग) दिल्ली में अभिघात परिचर्या प्रणाली एवं केन्द्रीयकृत दुर्घटनरा एवं अभिघात सेवा के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए पहले ही कदम उठाए गए हैं।

रूशीकुलाय सिंचाई परियोजना

7446. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा में रूशीकुलाय सिंचाई परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिंचाई की संभावित क्षमता कितनी है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस परियोजना के लिये कितनी धनराशि का नियतन किया गया है; और

(घ) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.चुंगन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उड़ीसा में रूशीकुल्या सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता लगभग 66,000 हेक्टेयर हैं केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल करने के लिए अन्तर मंत्रालीय स्वीकृति समिति द्वारा इसे इस शर्त पर स्वीकृति प्रदान की गयी कि कमान क्षेत्र विकास परियोजना रिपोर्ट और लागत प्राक्कलन प्रस्तुत किए जाए तथा उन्हें अनुमोदन प्रदान किया जाए। परियोजना रिपोर्ट मंत्रालय में प्राप्त हुई तथा इसकी जांच की गयी थी और अप्रैल, 1993 में राज्य सरकार की टिप्पणियां भेज दी गयी हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड

7447. श्री सनत कुमार मंडल : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उपयोगिता संबंधी परिषद ने कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा विद्युत उपयोगिताओं संबंधी संस्थानों को अपनी आपूर्ति के संबंध में एकतरफा निर्णय के विरूद्ध शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) इस संबंध में शायद माननीय सदस्य का अशय तापीय विद्युत गृहों को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की स्थल पर संयुक्त रुप से नमूना लिए जाने के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से है। विद्युत उपयोगिता परिषद् सरकार को अभ्यावेदन करती रही हैं कि कोयले का संयुक्त रुप में नमूना विद्युत गृह के स्थल पर लिया जाना चाहिए।

कोयले का संयुक्त रुप में नमूना लिए जाने के स्थल के संबंध में कई बैठकों में विचार-विमर्श किया गया है। अंत में, सचिवों की स्थाई समिति ने अपनी दिनांक 15.10.1991 की बैठक में यही निर्णय लिया कि सभी गुणवत्ता संबंधी निरीक्षण प्रेषण से पूर्व कोलियरी स्थल पर ही किए जाने चाहिए तथा न कि प्रेषण के बाद उपभोक्ताओं के पास पहुंचने पर। इसके अलावा कोयले की गुणवत्ता के आश्वासन हेतु स्वतंत्र रुप से एक तृतीय पार्टी निरीक्षण अभिकरण का स्व-वित्त पोषण के आधार पर, बेहतर हो कि कोयला नियंत्रक संगठन के माध्यम से गठन किया जाए। इस निर्णय के अनुसार कोल इंडिया लि. ने नमूनों को लदान स्थल पर स्थानान्तरित कर दिया है।

(ग) कोयला कंपनियों की पिटहैड पर कोयले की सही मात्रा तथा गुणवत्ता में कोयले की आपूर्ति किए जाने की जिम्मेदारी हैं यही वह स्थल होता है जहां से कि सम्पत्ति का उपभोक्ताओं/खरीददारों को स्थानान्तरण किया जाता है। इस स्थल पर आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता तथा मात्रा को उपभोक्ता द्वारा प्रमाणिक किया जाता है जहां से कि उपभोक्ता अथवा उसका एजेन्ट कोयला प्राप्त करता है और वजन एवं गुणवत्ता के संबंध में किसी भी तरह की विसंगति को उस आधार पर दूर किया जाता है। विक्रेता/आपूर्तिकर्त्ता का कानूनी रुप से उत्तरदायित्व, जैसे ही सम्पत्ति का हस्तांतरण हो जाता है, उपरोक्त अनुसार यह समाप्त हो जाता है। वस्तु बिक्री अधिनियम, 1930 के अंतर्गत भी यही व्यवस्था है।

परियोजनाओं के लिए प्राकृतिक गैस

7448. श्री छीतू भाई गामीत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से गुजरात में विद्युत परियोजनाओं के लिए प्राकृतिक गैस आबंटित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्युत परियोजनाओं के लिए गुजरात को कितनी गैस आबंटित की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने उत्तरन, वानकवोरी, पिपावव, गांधीनगर, सिनोर इत्यादि स्थानों पर स्थित विद्युत परियोजनाओं के संबंध में गैस आबंटन के लिए अनुरोध प्राप्त किए हैं।

(ग) गुजरात में स्थित विद्युत परियोजनाओं को 7.55 एम एम एस सी एम डी गैस की मात्रा आबंटित की गई है।

12.00 मध्याह्न

संघ लोक सेवा आयोग की परिक्षाओं में भारतीय भाषाओं को माध्यम के रुप में प्रयोग के बारे में

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक महत्वपूर्ण मामला उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं।

संसद द्वारा पारित प्रस्तावों की सरकार खुली अवहेलना कर रही है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये निर्देशों का भी पालन नहीं हो रहा है। यहां तक कि संदन में 13 दिसम्बर, 1993 को जब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परिक्षाओं का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाने का सवाल मेरे मित्र श्री शरद यादव ने उपस्थित किया था तो आपने भी हस्तक्षेप किया था और आपने कहा था कि

[अनुवाद]

''दोनों सदनों ने संकल्प पारित कर दिया है, इसका यह अर्थ है कि सम्पूर्ण संसद ने संकल्प पारित कर दिया है।''

[हिन्दी]

और आपने यह मंशाप्रकट की थी कि उसका पालन होना चाहिए

श्री विद्याचरण शुक्ल उस दिन बोल रहे थे कि उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि इसका पालन होगा। मैं उनको भी उद्धत करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

''संसद के दोनों सदनों के संकल्प है, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस मामले पर राष्ट्रपति के निर्देश भी हैं।''

[हिन्दी]

फिर उन्होंने कहा कि हम नेताओं की बैठक बुलाकर इस संबंध में निर्णय करेंगे। वर्षों से यह मामला लटक रहा है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परिक्षाओं का माध्यम भारतीय भाषाएं क्यों नहीं हो? क्या मैडीसन, इंजीनियरिंग, आदि विषय हम भारतीय भाषाओं के द्वारा नहीं पढ़ा सकते? क्या परीक्षा में इसका सही मूल्यांकन नहीं हो सकता, अगर सरकार को इस मामले में तैयारी की जरूरत है तो कितना कालखण्ड चाहिए, कितनेवर्ष चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस मामले को गम्भीरता से लिया जाए। इसके साथ अंग्रेजी की अनिर्वायता का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। कोई कह सकता है कि देश में अंग्रेजी की आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता अलग है और अनिवार्यता अलग है। दोनों में अन्तर किया जाना चाहिए। आज भारतीय भाषाएं सभी परिक्षाओं का माध्यम नहीं हैं, इससे कितनी ही प्रतिभाओं का कुंठन हो रहा है। कई नौजवान क्योंकि अच्छी अंग्रेजी नहीं जानते इसलिए प्रशासन में भागीदारी नहीं कर रहे हैं।

हम पिछड़े हुए वर्गों के लिए यह प्रयत्न कर रहे हैं कि उनकी शासन में भागीदारी हो, अगर अंग्रेजी बाधक बन रही है हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हैं। जो इस देश में अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, वह पढ़े। शासन में भी लिंक भाषा के रुप में उसके प्रयोग की अनुमति है लेकिन उसको अनिवार्य बनाना तो उचित नहीं है। यह संविधान निर्माताओं की मंशा भी नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस पर हस्तक्षेप करें और सरकार से दो टूक जवाब लें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक दो सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात को बहुत ही संक्षेप में कहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, जीरो आवर के साथ-साथ हमने कालिंग अटेंशन मोशन और कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया था।

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी मैं जब तक एलाऊ नहीं करता हूं, उसको मैंशन नहीं करना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : मैंने खाली आपके नोटिस में दे दिया है। मैं यह कहां कह रहा हूं कि आपका अधिकार नहीं हैं आपका अधिकार है कि आप उसको अलाऊ करें कि नहीं।

यह विषय इतना गंभीर है कि मैं समझता हूं कि आजादी के बाद पहली बार भारत के किसी पूर्व राष्ट्रपति को धरने पर बैठना पड़ा है। मैं नहीं समझता हूं कि भारत का भूतपूर्व राष्ट्रपति कभी धरने पर बैठा होगा। हमारे भूतपर्वू प्रधानमंत्री तो बैठते रहते हैं लेकिन भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी धरना पर बैठे हैं। वी.पी. सिंह

जी धरना पर बैठे हुए हैं। देवी लाल जी धरना पर बैठे हुए हैं हम सब लोग जितने साथी हैं, हम सब वहीं से उठकर आए हैं। पहली दफा ऐसा हुआ है कि सारी पार्टी के लोग चाहे व बी.जे.पी. के लोग हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे जनता दल के लोग हों, सी.पी.आई के लोग हों, चाहे सीपीएमके सब लोगों ने पार्टी के बैरक को तोड़कर, इस बात का समर्थन किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अति संक्षेप में बोलिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, गंभीरता का आप समझ रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं समझ रही है, मैं आपके माध्यम से सरकार को समझाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे लोगों को भी पूछना रहता हूं।

श्री राम विलास पासवान : इतना बड़ा गंभीर मामला और मैं समझता हूं कि गिन्नीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में यह बात रहेगी, यह धरना 1988 से शुरू हुआ और छः साल से नौजवान लोग धरने पर बैठे हुए हैं। यह सदन की गरिमा के खिलाफ है, फिर भी भाषा के सवाल को लेकर यहां पर कभी छलांग भी लगती है। भारत आजाद मुल्क है...

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में बहुत बोलने वाले हैं, इसलिए थोड़ा-थोड़ा समय दे रहे है।

श्री राम विलास पासवान : हम आजाद मुल्क है और अपने देश में अपनी भाषा के लिए आन्दोलन चलाया जा रहा है। पार्लियामेंट में दो-दो बार प्रस्ताव पारित हुआ। राष्ट्रपति का दो-दो बार आदेश हो चुका हो और उसके बाद भी आज तक इस तरह की पक्षपातपूर्ण कार्यवाही मैं समझता हूं कि यह सरकार के लिए भी शर्म की बात है। यह सदन की अवमानना है, चूंकि दो बार सदन ने प्रस्ताव पास किया था। विद्याचरण शुक्ल जो बैठे हुए हैं, उन्होंने पिछली बार कैटागोरिकली आश्वासन दिया था। तमाम पक्ष के लोग आज आपके माध्यम से गम्भीरतापूर्वक सरकार से मांग करना चाहते हैं कि सरकार आज इस सवाल पर साफ-साफ जवाब दे कि भारतीय भाषाओं की कब तक उपेक्षा रहेगी और कब तक अंग्रेजी जारी रहेगी? अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म होगी कि नहीं- मैं सरकार से पूछना चाहता हूं?

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : अध्यक्ष महोदय, मैं, सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य के प्रतिनिधि के रुप में बोलने की आपसे अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसी विषय पर?

श्री मणि शंकर अय्यर : हां, विशेषकर इसी विषय पर।

मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि मैंने-सर्वप्रथम, तमिलनाडु के प्रतिनिधि के रुप में, दूसरे कदाचित वर्ष 1947 से तमिलनाडु के एकमात्र प्रतिनिधि के रुप में, जो इस सभा में सामान्यतः हिन्दी में ही बोलता है और तीसरे

ऐसे किसी व्यक्ति के रुप में, जिसने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने से पहले भारतीय विदेश सेवा में 26 वर्षों तक कार्य किया है, – बोलने की अनुमति आपसे क्यों मांगी है। मैं इस हैसियत से विपक्ष के नेता और अन्य सदस्य जो बोले हैं अथवा जो बोलना चाहते हैं उनको यह बात याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1950 में ही यह निर्णय किया गया था कि 15 वर्षों के भीतर ही हम अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को बन्द कर देंगे। और उस निर्णय को लागू करने के परिणामस्वरुप एक ऐसी स्थिति आ गई जबकि तमिलनाडु जोकि उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था, करीब-करीब भारतीय संघ से पृथक सा हो गया। यह हमारे देश की अखंडता के लिए बहुत ही गंभीर बात है कि हम इस सदन में ऐसी बातें न कहें अथवा ऐसा काम न करें जो कि देश की अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अंग्रेजी प्रश्न पत्र का अनिवार्य होना देश की अखंडता किस तरह से विपरीत प्रभाव डालेगा? केन्द्रीय सरकार के किसी भी क्लास-। अथवा क्लास-2 सेवा के कर्मचारी को तब तक इस पद पर स्थायी नहीं बनाया यजाता जब तक कि उसने हिन्दी परीक्षा अनिवार्य रुप से उत्तीर्ण न की हो। विदेश सेवा में मेरी स्थायी नियुक्ति नहीं हो पाती यदि मैंने लेखा (अकाउण्ट) और हिन्दी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होती। अतः इसका यह अभिप्राय है कि कोई भी व्यक्ति, भले ही वह तमिलनाडु का रहने वाला हो अथवा देश के अन्य किसी भाग से आया हुआ हो, वह अनिवार्यतः हिन्दी भाषा के न्यूनतम ज्ञान के बिना भारत सरकार के क्लास-। अथवा क्लास-2 सेवाओं में कार्य नहीं कर सकता है।

अब यदि आप ऐसी स्थिति पैदा करोगे जिसके अंतर्गत अधिकारियों को हिन्दी भाषा का ज्ञान आवश्यक हो पर अंग्रेजी का नहीं, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप हिन्दी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा तो बना ही रहे हो, अपितु इसको एकमात्र संपर्क भाषा भी बना रहे हो।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : वह कांग्रेस(ई) के प्रवक्ता है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : यह आपत्तिजनक है। **(व्यवधान)**

उस समय वह अध्यक्ष थे।....**(व्यवधान)**.... जब वह अध्यक्ष थे तो वह आक्षेप नहीं लगा सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अय्यर जी के भाषण का अन्तिम भाग कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं होगा। श्री अय्यर आप आगे बोल सकते हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं यह कह रहा था कि यदि आप इस की जटिलताओं को समझे बिना इस समस्या से निपटेंगे तो मुझे इस बात पर कोई सन्देह नहीं है कि आप ऐसा करके एक ऐसे राज्य को जला दोगे जहां पर तीस वर्ष के प्रयास के बाद वहां की आग को कम किया जा सका अर्थात् विवाद को शांत करने में 30 वर्ष लग गये थे।

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

मैं नहीं समझता कि बहुभाषीय देश में, विशेषकर केन्द्र सरकार अथवा उसके संस्थानों के प्रशासन को चलाना तब तक संभव होगा जब तक कि सभी अधिकारियों को अपनी भिन्न-भिन्न मातृभाषा के बावजूद फाइल में जो कुछ भी लिखा गया है वह समझ में नहीं आता हो। यदि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिसके अंतर्गत अंग्रेजी अनिवार्य प्रश्न-पत्र। विषय न हो तो उसका यह परिणाम निकलेगा कि अवर सचिव अपना नोट उड़ीया में लिखेंगे उप सचिव तमिल में लिख सकते हैं। हो सकता है संयुक्त सचिव हिन्दी में लिखें और सचिव मराठी में लिखना चाहते हो। एक बहुभाषीय राज्य भाषाई जटिलता/उलझन का एकमात्र समाधान एक ऐसी भाषा जिसको उक्त लोग समझ सकते हों।

यदि सरकारी सेवा में स्थायी बनने से पहले आपका हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है तो हिन्दी ही संपर्क भाषा होगी। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है और मैं नहीं समझता कि तमिलनाडु में किसी को हिन्दी के राष्ट्रभाषा होने और प्रशासन की भाषा होने पर आपत्ति है। लेकिन यदि केवल हिन्दी को ही संपर्क भाषा बनाया जाएगा और यदि श्रेणी 1 अथवा श्रेणी 2 अधिकारी के लिए अंग्रेजी भाषा को जानना जरूरी नहीं होगा तो इसका अर्थ होगा देश के अन्य भागों में हिन्दी को अनिवार्य रुप से थोपना। हम इस तरह के हिन्दी साम्राज्यवाद अथवा हिन्दी कट्टरता अथवा हिन्दी उपनिवेशवाद को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए। वह अच्छी बातें कर रहें हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, उस ओर के सदस्यों का कहना है कि अंग्रेजी भाषा भारतीय भाषा नहीं है। अंग्रेजी भाषा लगभग 200 वर्षों से इस देश की भाषा की विरासत का अंग रह चुकी है। इस देश पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों के साथ-साथ इस भाषा का प्रवेश हुआ होगा। लेकिन हमारे इतिहास में आर्यों से लेकर अब तक यह भाषा चली आ रही है। अंग्रेजी मेघालय की भाषा है। अंग्रेजी मिजोरम की भाषा है। अंग्रेजी नागालैंड की भाषा हैं ऐसी अवस्था में समझ नहीं आता कि हम क्यों, किस मंशा से सुझाव दे रहे हैं कि मिजोरमवासी अथवा नागालैंडवासी अथवा मेघालयवासी हिन्दी भाषियों से कुछ कम भारतीय हैं।

अत: महोदय मैं ऐसे किसी भी सुझाव का कड़ा विरोध करता हूं कि संघ लोग सेवा आयोग की परीक्षा में अनिवार्य प्रश्न पत्र विषय के रुप में अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं, श्री सैफुद्दीन चौधरी को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं लेकिन आप संक्षेप में बोलेंगे। ....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) यह जितना ब्रिफ बोले हैं उतना ही ब्रिफ बोलने का मौका आप दीजिए।.... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपका इंटरफियरेंस हमेशा के लिये नहीं होना है।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : यह देश को बांटने की बात कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइए। मैं जो कुछ कह रहा हूं उस पर टिप्पणी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है।

श्री नीतीश कुमार : हम भी इस देश के नागरिक हैं। आपको मुझे भी बोलने की अनुमति देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने की अनुमति मांगने का अधिकार नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यह अच्छा होता कि मैं बोल सकता अगर मैंने पहले नोटिस दिया होता, लेकिन मैं पहले नोटिस नहीं दे पाया तो इसलिये अभी मैं हिन्दी में ही बोल रहा हूं। हम यह जो संघर्ष यू.पी.एस. सी. के लिये कर रहे हैं उसका हम इसलिये बहुत दिनों से समर्थन कर रहे हैं क्योंकि ये जो सारी हिन्दुस्तानी भाषाएं हैं। उनकी मर्यादा के लिए संघर्ष कर रहे हैं

हमने कभी यह आवाज नहीं उठाई कि हिन्दी ही लिंक लैंग्वेज रहे।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : ....**..

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार जी, क्या कृपया आप अपने शब्द वापिस लेंगे?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : मैं इसके लिए कोई भी परिणाम भुगतने को तैयार हूं परन्तु मैं इसे वापस नहीं लूंगा।. ...**(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : मैं कोई भी परिणाम भुगतने को तैयार हूं।....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस तरीके से ऐसे शब्दों का प्रयोग करना श्री नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता। इन्हें कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा तथा मैं उनसे यह कहूंगा कि वे सदन में ऐसा व्यवहार न करें।

[हिन्दी]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम इसलिए इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हिन्दी को लिंक-लैंग्वेज बनाने की मांग नहीं की जा रही है और अंग्रेजी को समाप्त करने की बात भी नहीं की जा रही है। यदि इस तरह की बात कोई उठाएगा तो उसका हम समर्थन करेंगे, लेकिन यू.पी.एस.सी. की परीक्षाओं में

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने की अनुमति का रेजील्यूशन दोनों सदनों ने बहुत पहले पास किया है, उसके इंप्लीमेंटेशन की बात है, इस इंप्लीमेंटेशन की बात का हम समर्थन कर रहे हैं। इसमें तनाव लाने वाली कोई बात नहीं है और इसका सहारा लेकर किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए।....**(व्यवधान)**...

जो इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कह रहा हूं। भाषा का सवाल बहुत संवेदनशील सवाल है। जब मेरी मातृभाषा बंगला है तो मैं जब परीक्षा में बंगला में नहीं लिख सकता तो मुझे इस बात का दुःख होता है। मैं मांग करता हूं कि हमको अपनी भाषा में परीक्षा देने का अधिकार मिलना चाहिए। यही अधिकार तमिल में भी मिलना चाहिए। गुजराती में भी मिलना चाहिए, उर्दू में भी मिलना चाहिए, अंग्रेजी में भी रहे, इसमें कोई दो राय नहीं हैं अध्यक्ष महोदय, यह जो संघर्ष चल रहा है, इतना लंबा धरना हमने तो अपने जीवन में नहीं देखा है। पुलिस ने भी कई बार इनके साथ अत्याचार किए और हमने कई दफा इस मामले को यहां पर उठाया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जो तर्क उन्होंने दिया है, क्या आप उसका उत्तर देना चाहेंगे?

[हिन्दी]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं कि हमको बंगला में, गुजराती में और अन्य भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हम हिन्दी नहीं पढ़ेंगे या अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। कोई भी आई.ए.एस. पास करता है तो वह अंग्रेजी सीख लेगा। किसी भी भाषा को सीखने में 6 महीने का समय लगता है, इसलिए यह कोई तर्क नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा कहना है कि भाषा का सवाल बहुत संवदेनशील सवाल है। यदि कोई भाषा का अधिकार मांगता है तो वह किसी दूसरे की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, यह मैं साफ कर देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात को यहां पर साफ-साफ कहे कि दोनों सदनों की तरफ से इस संबंध में जो रेजोल्यूशन पास किया गया है, उसका इंप्लीमेंटेशन हमारे देश में कब तक होगा?

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि भाषा का सवाल हमेशा हम लोगों को परेशानी में ले जाता है, लेकिन यह मानना कि अंग्रेजी हिन्दुस्तान की भाषा है, इससे परेशानी और बढ़ जाती है। अंग्रेजी हिन्दुस्तान में गुलामी की भाषा जरूर रही है, लेकिन अंग्रेजी की उस परंपरा को अपनी परंपरा मानना ठीक नहीं है।....**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

श्री ए.चार्ल्स (त्रिवेंद्रम) : यह देश की भाषा है। यह संविधान में है। **(व्यवधान)**

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन : (तिरूनेलवेली) : आपको अहिन्दी भाषी लोगों को संरक्षण देना चाहिए। हमें भी अभिव्यक्ति का अधिकार है। यह हमारी संसद है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चार्ल्स जब मैं सदन में खड़ा हूं तो आप कृपया बैठ जाइए।

श्री ए. चार्ल्स : हम विदेशी नहीं हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यहां पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, उससे इस सदन में भी थोड़ी सी गर्मी पैदा हुई है। इसका असर बाहर भी हो सकता है। लेकिन आप जो मुद्दे सामने रख रहे हैं, उनका अपना महत्व है और दोनों तरफ से रखे जाने वाले मुद्दों को सही मायने में इस सदन के अंदर समझ कर कोई निर्णय लेना जरूरी है।

मुझें भी ऐसा लगता है कि सरकार भी इसका हल करने का प्रयत्न करेगी। इस जुबान से मत कुछ कहें जिसकी वजह से गर्मी पैदा हो। लॉजिकली, आपको अपने तर्क के आधार पर जो कुछ भी कहना है तो आवाज बढाकर न कहिए और न गलत लैंग्वेज में कहिए।

...(व्यवधान)..

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, उस भाषा को और उस परंपरा को हम लोगों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में एक साजिश आजादी के तत्काल बाद से चल रही है। इसमें मैं उत्तर दक्षिण की बात नहीं लाऊंगा। जैसा आपने कहा तो मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जिससे सदन उत्तेजित हो। इस बात को मैं बाहर कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात बाहर भी यहां भी न कहे जिसकी वजह से देश में गर्मी पैदा हो।

.....(व्यवधान)....

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरी यह मान्यता है कि मैं इस बात को पूरे तर्क के साथ सदन में रख सकता हूं और सदन को उत्तेजित नहीं करना चाहता क्योंकि यह साजिश आजादी के दूसरे दिन से चल रही है। गांधी जी का नाम लेते हैं और गांधी जी का कौन अपमान करता है ऐसा करके बड़ा प्रचार देशभर में करते हैं गांधी जी ने कहा था कि अगर मेरा बस चले तो जिस दिन देश आजाद होगा तो पहले दिन से अंग्रेजी को हटाऊंगा।... (व्यवधान)... मैं समझ नहीं पाता हूं कि हिप्पोक्रेसी को कब तक और कहां तक चलायेंगे। मैं बहुत नम्रता के साथ कहना चाहता हूं और न उत्तेजित होना चाहता हूं और न किसी को उत्तेजित करना चाहता हूं। यह साजिश ऐसी है कि हिन्दुस्तान में जिसके हाथों में राजसत्ता है और उस सत्ता का इस्तेमाल करने वाली जो जमात है, चाहे राजनैतिक स्तर पर या नौकरशाही के स्तर पर हो, वे अंग्रेजी को बहुत जरूरी मानते हैं हम हिन्दुस्तान में सही मायनों में प्रजातंत्र की बात करते हैं। मैं अपने वोट अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिन्दी में मांगता हूं। श्री मणि शंकर अय्यर अंग्रेजी की बजाय तमिल भाषा में मांगते हैं। हम सब लोग अपनी-अपनी भाषाओं में वोट मांगते हैं, लेकिन बाद में अंग्रेजी प्रेमी हो जाती हैं अंग्रेजी के बिना क्या देश नहीं चलेगा, यह तर्क हम नहीं देते हैं अंग्रेजी के बिना क्या देश टूट जाएगा? क्या देश इतना कमजोर हो गया है कि अंग्रेजी भाषा ही इस देश को बनाए रखने वाली कड़ी है और कोई कड़ी इस देश को जोड़ने वाली भाषा नहीं है। एक तर्क हिन्दी भाषी भी मानने लगे हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो कम्प्यूटर नहीं चलाओंगे। हालैंड, स्वीडन, चीन और रूस में कौन सी भाषा में कम्प्यूटर चलता है?

श्री मणि शंकर अय्यर : अंग्रेजी में।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आज से चालीस साल पहले पहला स्पुटनिक आसमान में कौन सी भाषा में गया था। श्री मणि शंकर अय्यर को यह नहीं मालूम कि वह रूसी भाषा में गया था, अंग्रेजी भाषा में नहीं गया था। श्री मणिशंकर अय्यर मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं.....**(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि मिनिस्टर साहब ऐसा जवाब देने वाले हैं जिसकी वजह से आप संतुष्ट हो जाएंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अंग्रेजी के बिना देश की एकता नहीं बनी रहेगी, यह बात देश के लिए खतरनाक है। यह जो आन्दोलन चल रहा है तो मुझे 1967 की बात याद आती है। आप हिन्दुस्तान में पी.एच.डी. हिन्दी में नहीं कर सकते थे। उस समय हम लोगों को इस सदन के बाहर और अंदर लड़ना पड़ा था। डा. लोहिया को भी इस सदन के भीतर खड़े होकर वह लड़ाई लड़नी पड़ी थी।

कि अंग्रेजी के बगैर हिन्दी में और अन्य भारतीय भाषाओं में लोगों को पढ़ाई करने का मौका दिया जाए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस सवाल को जिस रुप में यहां छेड़ागया है नेता विरोधी दल की ओर से और अन्य साथियों की तरफ से... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सवाल बहुत महत्व का है। इसलिए सबको बोलने दिया जा रहा है। थोड़ी-थोड़ी देर के लिए सबको मौका दूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसलिए कोई उचित फैसला आज इस सदन में लेने का काम होना चाहिए और जो प्रस्ताव है। उसको ईमानदारी से अमल में लाने का काम करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एम.आर.कादम्बूर जनार्दनन (तिरूनेलवेली) : संक्षयकर अवरगाले..

अध्यक्ष महोदय : कम से कम आप जो कह रहे हैं मेरी समझ में आना चाहिए।

श्री एम.आर.कादम्बूर जनार्दनन : मैं आपके लिए इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा हूं। क्योंकि माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज ने गांधी जी को उद्धत किया है, मैं पंडित नेहरू को उद्धत कर रहा हूं। पंडित नेहरू ने देश को बताया था कि जब तक अहिन्दी भाषी लोग अंग्रेजी चाहते हैं, इसे बनाए रखा जाना चाहिए। ये पंडित नेहरू के शब्द थे।

मैं ए.आई.ए.डी.एम.के. की ओर से संसद सदस्य के रुप में यहां उपस्थित हूं। अन्ना हमारे राजनैतिक आधार हैं। हम नहीं चाहते कि हिन्दी हम पर थोपी जाये। अगर हम केवल हिन्दी का अध्ययन करें, तो हम जिंदा रह सकते हैं। हम यह नहीं चाहते। हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। इसलिए अब मैं तमिल पर आ रहा हूं।

* संसद में हमें अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार होना चाहिए। सारी कार्यवाही को तमिल में सुनने की सुविधा मुझे प्राप्त होनी चाहिए। हिन्दी, गुजराती, मराठी, तमिल तथा भारतीय संविधान द्वारा मान्यताप्राप्त सभी भाषाओं में प्रश्नों को सुनने की सुविधा हमें मिली चाहिए। यह सदन सभी राज्यों तथा सभी भाषाओं के बोलने वाले लोगों का है।

---

* मूलरुप से तमिल में दिए भाषण के अंग्रेजी रुपांतर का हिन्दी अनुवाद।

यदि संसद में सभी भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। तो मैं तमिल में अपना अनुपूरक प्रश्न पूंछ सकता हूं। आप अपनी मातृभाषा में आसानी से प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं आपके लिए द्वितीय श्रेणी का नागरिक हूं और मैं तमिल में प्रश्न नहीं पूछ सकता हूं। यदि मैं तमिल में प्रश्न पूंछू तो मैं बेहतर प्रश्न पूछ सकता हूं। यदि अंग्रेजी को समाप्त किया जाना है तो संविधान में विहित सभी भारतीय भाषाओं के अनुवाद की सुविधा देनी होगी, और सबसे पहले संसद में। इसलिए तमिलभाषी होने के कारण मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दी भाषा को हम पर लादा नहीं जाना चाहिए। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों ने अत्यंत तर्कशील, शक्तिशाली और अच्छे तरीके से अपने विचार व्यक्त किये हैं और वे सरकार के विचार जानने को उत्सुक है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा विचार व्यक्त करने के बाद वह वक्तव्य दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर)**:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमारी भाषा नीति पर चर्चा करने का न तो यह समय है और न ही अवसर। हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं जो मुद्दा सरकार और देश के समक्ष लंबे समय से लंबित पड़ा है उसके बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। मैं एक भाषा की श्रेष्ठता या अन्य भाषा की श्रेष्ठता के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं यह आवश्यक नहीं है और हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसमें न जाकर वह इस धरने से निपटने के लिए कोई समाधान निकालें। क्योंकि यह एक ज्वलंत विषय बन सकता है। हमारे युवा विद्यार्थी भी लंबे समय से धरने पर बैठे हैं। सरकार को उससे बातचीत करने और उन्हें अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए कोई तंत्र स्थापित करना चाहिए ताकि इस प्रकार का आंदोलन समाप्त हो सके। इस समस्या का समाधान करने के लिए आपके नेतृत्व में बातचीत शुरू की जानी चाहिए।

हमें किसी भाषा की निंदा या दूसरी भाषा को श्रेष्ठ नहीं कहना चाहिए। मैं अपनी भाषा से प्यार करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा से प्यार करता है। कोई भी किसी व्यक्ति का अपनी भाषा में बोलने का अधिकार नहीं छीन सकता है और प्रत्येक के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि शीघ्रतिशीघ्र इस समस्या का समाधान करें और उन लड़के-लड़कियों, जो दिनों, महीनों और वर्षों से धरने पर बैठे हैं को इस बात के लिए मनाया जाए कि वे इस धरने को उस प्रकार से समाप्त कर दें। यह तरीका ऐसा हो जो सबको स्वीकार्य हो।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) **:** अध्यक्ष महोदय, हमारे दल की तरफ से कोई नहीं बोला इसलिए हमें भी मौका मिलना चाहिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सबसे पहले मैं माननीय विपक्ष के नेता द्वारा कही गई बात में कुछ संशोधन करना चाहता हूं।

उन्होंने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग में हमने भारतीय भाषाओं को परीक्षा का माध्यम नहीं बनाया, जो सही नहीं है। हमने पहले ही संघ लोक सेवा आयोग में सभी भारतीय भाषाओं को परीक्षा का माध्यम बनाया हुआ है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: यह इंजीनियरिंग और मेडीकल परीक्षा के लिए नहीं है और यही समस्या है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : कृपया मेरी बात सुनिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, मैं सभा को गलत जानकारी नहीं दूंगा। मैंने ऐसा कभी नहीं किया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं केवल वही जानकारी दे रहा हूं जो मेरे पास है। यदि मुझे स्वयं की बात को सही करना होगा तो मैं वह भी करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री वाजपेयी इंजीनियरिंग और मेडीकल परीक्षा की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम इसकी जांच करेंगे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं अपनी बात में संशोधन कर लूंगा।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय शायद सदन को जानकारी न हो कि यही स्थिति इंग्लैंड में थी जहां पर इंगलिश के माध्यम से इंजीनियरिंग और मेडीकल नहीं पढ़ने देते थे और वहां पर इस प्रकार से अंग्रेजी के लिए आग्रह करने वाले राजनैतिक भक्त थे जिन्होंने कहा कि वह स्थिति आयी।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम सभी जानते हैं कि शुरू में शताब्दियों तक ब्रिटेन में फ्रांसीसी भाषा का उपयोग किया जाता रहा न कि अंग्रेजी का क्योंकि वहां पर फ्रांस का औपनिवेशक शासन था। हम सभी यह बात जानते हैं। हम इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ वह कह रहे हैं कृपया उसे ध्यान से सुनिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस प्रश्न को उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह हिन्दी और अंग्रेजी भाषा का प्रश्न नहीं है। यह अंग्रेजी और सभी भारतीय भाषाओं का प्रश्न हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अहिन्दी भाषी व्यक्तियों पर हिन्दी थोपी जा रही है। यह सही विचार नहीं है। अब देखा जाए तो सरकार इस मुद्दे को धनी और निर्धन का मुद्दा मानती है। अनेक व्यक्तियों को अंग्रेजी भाषा पढ़ने और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने का अवसर प्राप्त होता हैं सरकार का ऐसा विचार कतई नहीं है कि भारतीय भाषा के विद्यार्थियों की तुलना में उन्हें अधिक लाभ मिलें तमिलनाडु कर्नाटक, केरल, आन्ध्र प्रदेश और अनेक हिन्दी भाषी क्षेत्रों में गांवों में अनेक निर्धन विद्यार्थियों को सभी अवसर या सुविधाएं नहीं मिलती हैं

जबकि वे सब लड़के-लड़कियां अंग्रेजी भाषा में पढ़ सकते हैं। इसलिए देश के प्रशासनिक, राजनीतिक सामाजिक, औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में उच्च स्तर पर आने के लिए उन्हें किसी प्रकार बाधा नहीं होनी चाहिए।

इसलिए जब संविधान बनाया गया था कि आठवीं अनुसूची में सभी भारतीय भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था। अंग्रेजी का आठवीं अनुसूची में कोई स्थान नहीं है। इसलिए तकनीकी दृष्टि से अंग्रेजी भारतीय भाषा नहीं है जबकि श्री मणि शंकर अय्यर ने कहा है कि अनेक भारतीय राज्यों में अंग्रेजी राजभाषा है। हम उन्हें रोकते नहीं हैं, हम उन्हें इसका उपयोग करने से मना नहीं करते हैं क्योंकि इस समस्या से उपयुक्त तरीके से निपटना चाहिए जिससे यह सभी भारतीय व्यक्तियों, जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्रों में रहने वाले राष्ट्रवादी व देशभक्त लोग भी शामिल हैं, की आम आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

महोदय, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यह आश्वासन दिया था जिसका बाद के सभी प्रधानमंत्रियों ने भी अनुमोदन किया था कि उन व्यक्तियों पर हिन्दी नहीं थोपी जायेगी। जो इसे नहीं चाहते हैं सरकार उस पर दृढ़ है और हम उन पर हिन्दी नहीं थोपना चाहते हैं जो उसे नहीं चाहते हैं।

लेकिन आज जो संघ लोक सेवा आयोग के सामने हो रहा है वह हिन्दी के पक्ष में अथवा अंग्रेजी के विरूद्ध नहीं है। प्रश्न वह नहीं है। प्रश्न केवल यही है कि जो सभी और अन्य व्यक्तियों के मन को भी आन्दोलित कर रहा है जिनकी भाषा हिन्दी नहीं है, कि अंग्रेजी की अनिवार्य परीक्षा देश के उन निर्धन वर्गों, जिन्हें अंग्रेजी पढ़ने का अवसर नहीं मिला है, को अवसर से वंचित कर देगी और यदि संघ लोक सेवा आयोग अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बना देता है तो वे इसकी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। इसलिए एक वैकल्पिक सुझाव यह दिया गया है कि अंग्रेजी का अनिवार्य पत्र समाप्त कर देना चाहिए। सरकार इसे स्वीकार करना चाहती है। इसके स्थान पर अब यह सुझाव दिया गया है कि अंग्रेजी के अनिवार्य पत्र के स्थान पर इसमें मात्र उत्तीर्ण होने का प्रावधान होना चाहिए। महोदय, इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मुझे आशा है कि निर्णय शीघ्र ले लिया जाएगा। **(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : "मात्र उत्तीर्ण होने" और "अनिवार्य" शब्दों मे अंतर है। **(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मैं केवल संपूर्ण बात रख रहा हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार व्यवधान न डालें। कृपया मंत्री महोदय की बात ध्यान से सुनिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, जब यह मुद्दा संसद के दोनों सदनों के समक्ष था तब दोनों सदनों में व्यक्त विचारों का समावेश कर भारतीय जनता की राय दर्शाने वाला सर्वसम्मत संकल्प पारित किया था और उस आधार पर राष्ट्रपतीय निदेश भी जारी किया और वह सरकार के सामने है जिस पर सरकार को निर्णय लेना है।

मैं माननीय सदस्यों को फिर से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जो कुछ भी किया जा रहा है वह सभी भारतीय भाषाओं के लिए सम्पन्न रुप से लाभकारी है चाहे वह तमिलभाषा हो, कन्नड हो, उर्दू, हिन्दी, पंजाबी या अन्य कोई भाषा हो।

[अनुवाद]

महोदय, इस निर्णय से हिन्दी को कोई फायदा नहीं होगा और इसीलिए माननीय सदस्यों को अगर कोई गलतफहमी हो कि हिन्दी को पिछले दरवाजे से अथवा किसी अन्य तरीके से थोपा जायेगा, तो इसे दृढ़ता से हटा देना चाहिए। यही मेरा अनुरोध है।

महोदय, जैसा कि श्री सोमनाथ बाबू कहते हैं, इसमें श्रेष्ठता का भी कोई प्रश्न नहीं है। हम, यह सरकार तथा इस सभा के माननीय सदस्य किसी भाषा को दूसरी भाषा से श्रेष्ठ नहीं समझते। संविधान में भारत की सभी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा के रुप में वर्णित किया गया है। सभी भारतीय भाषाओं का इसी प्रकार से उल्लेख किया गया है। तथा इसलिए, हम हिन्दी को किसी अन्य भाषा से अथवा एक भाषा को दूसरी भाषा से श्रेष्ठ नहीं समझते। हमारे संविधान में प्रत्येक भाषा को समान दर्जा दिया गया है। अतः, सरकार इस मामले पर संसद के दोनों संदनों द्वारा सर्वसम्मति से संकल्प का सम्मान तथा राष्ट्रपति द्वारा दिये गये निर्देश का पालन करना चाहती है। और इसीलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा से इस मामले पर उत्तेजित न होने का अनुरोध करता हूं। यह एक ऐसा मामला है....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि आप मुझसे अनुरोध नहीं कर रहे हैं कि ....**(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने समय-समय पर इस मामले को दोहराया है। जब मैं 'आप' कहता हूं तो मेरा तात्पर्य 'आप' से नहीं होता बल्कि पीठासीन अधिकारी' से होता है। कई बार....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि सभा में शांति बनी रहे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अतः, महोदय, मेरा सभा से अनुरोध है कि हमें समय दिया जाये क्योंकि यह अति संवेदनशील मामला हे। अगर इसे इतने समय से हल नहीं किया जा सका है तो इसका कारण यह नहीं है कि सरकार इसे सुलझाना नहीं चाहती है बल्कि यहां इस प्रश्न की संवेदनशीलता देखिए। हम निश्चित रुप से प्रयास करेंगे और ऐसा कदम उठायेंगे जिससे भारत के विभिन्न वर्गों के लोगों की इच्छाओं को जिस सीमा तक संभव होगा पूरा किया जायेगा।

महोदय, हमने सारा मामला एक उचित परिप्रेक्ष्य में रखा है। यह मामला हिन्दी और अंग्रेजी के बीच नहीं है। यह अंग्रेजी भाषा और भारत की अन्य राष्ट्रीय भाषाओं के बीच का मामला है। और इस पृष्ठभूमि में, हम इस मामले पर निर्णय करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है,अगर इसे सभा को पूर्ण नहीं तो कम से कम अंशतः संतुष्टि तो होगी। हमें बहुत सजग और उचित कदम उठाना पड़ेगा जिससे ऐसी मुश्किलें उत्पन्न न हों। इस मामले को सुलझाने के बजाय हमारा कदम और मुश्किलें न बढ़ा दें। अतः मेरा सभा से अनुरोध है कि वे शांत रहे और इस मामले में अपने आप पर नियंत्रण रखें ताकि हम इस मामले को सुलझा सकें।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पिछली बार 13, दिसम्बर, 1993 को जब यह मामला उठा था तो शुक्ल जी ने आश्वासन दिया था कि वे नेताओं की बैठक बुलाकर इस संबंध में कोई निर्णय लेंगे लेकिन उन्होंने वह बैठक नहीं बुलाई और इसीलिए मामला उलझ रहा है। आज जो विवाद खड़ा हो रहा है, वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण

है। अध्यक्ष महोदय, हम नहीं चाहते कि देश में कोई ऐसा काम हो जिससे देश की एकता और अखण्डता पर आंच आये लेकिन प्रश्न को जिस तरह से पेश किया गया है, वह सही नहीं है। अगर आप बैठक बुला लेते और अब तक कोई निर्णय कर लेते तो शायद यह मामला उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह एक ऐसा मामला है, जिसका संसद के दोनों सदनों से संबंध है। वास्तव में मुझे स्वयं एक बैठक आयोजित करनी चाहिये। लेकिन यह बेहतर होगा अगर आप कल किसी समय इस मामले पर बिना किसी मुश्किल के चर्चा करने के लिए सभी नेताओं की एक बैठक बुला लें। आप जैसे निष्पक्ष और सम्मानीय व्यक्ति के लिए बैठक बुलाना हमेशा अच्छा होता है ताकि हम समुचित रुप से चर्चा कर सकें। **(व्यवधान)** आपकी बैठकों में कोई भी राजनीति को बीच में नहीं ला सकता। लेकिन मेरी बैठकों में प्रत्येक सदस्य राजनीति को लायेगा। अतः, मेरा आपसे अनुरोध है कि आंप एक बैठक बुलायें और दोनों सभाओं से नेताओं को आमंत्रित करें। हम इस पर कल चर्चा कर सकते हैं। हम इस पर चर्चा करने के इच्छुक हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : जो आपका व्यू है, वही हम लोगों का व्यू भी है। फिर डिफरेंस क्या है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, मुझे इस बात का संतोष है कि सरकार की ओर से वह दृष्टिकोण नहीं रखा गया जो एक सम्माननीय सदस्य ने पहले रखा था और जिसमें दुर्भाग्य से उत्तर दक्षिण आदि की बात कही गयी थी। यह सवाल उत्तर दक्षिण का नहीं है बल्कि यह सवाल सदन के एक प्रस्ताव को कार्यान्वित करने का है। यह सवाल अभी कुछ साल पहले का भी नहीं बल्कि आज से 26 साल पहले का 1968 का प्रस्ताव है और उसमें भी जिस विषय को विशेष रुप से वाजपेयी जी ने उठाया था कि न केवल भारतीय भाषाओं को माध्यम के रुप में स्वीकार करना लेकिन आरभिक स्तर पर अंग्रेजी को अनिवार्य नहीं बनाना, इसका सवाल है। यह उल्लेख किया गया कि हिन्दी का भी एक पेपर कन्फर्म करते समय हमारे हरेक अधिकारी को देना जरूरी है, इसको मैंने माना लेकिन आरम्भ में वैसा नहीं है। प्रस्ताव में उस दिशा में भी निर्देश दिया गया है, सलाह दी जाती है, जिसे मैं यहां पढ़कर सुनना चाहता हूं।

[अनुवाद]

''यह एसभा संकल्प करती है कि भर्ती के लिए उम्मीदवारों के चयन के समय हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनिवार्य होगा...।''

[हिन्दी]

अर्थात् शुरू में आपको अंग्रेजी की जानकारी हो तो ही आपको रिक्रूट किया जायेगा, ऐसा नहीं होगा। देश भर की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उस समय 1965 में जिस प्रकार का वचन पंडित नेहरू ने दिया था, जिसका अभी उल्लेख किया गया, उस वचन को ध्यान में रखते हुए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों को लिंक भाषा के रुप में स्वीकार किया गया। इसीलिए प्रस्ताव में कहा गया था।

[अनुवाद]

"किन्हीं विशेष सेवाओं अथवा पदों के अतिरिक्त जिनके लिए केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिन्दी अथवा यथास्थिति दोनों का उच्चस्तरीय ज्ञात ऐसी किसी सेवा अथवा पद से संतोषजनक कर्त्तव्य-निर्वहन के लिए अति अनिवार्य माना जाता है, संघीय सेवाओं अथवा पदों के लिए...."

[हिन्दी]

अर्थात् अंग्रेजी का पेपर अनिवार्य होगा और हिन्दी का पेपर आगे चलकर, कन्फर्मेशन के समय उसको देना पड़ेगा, यह कल्पना कभी नहीं थी। इसीलिए यहां पर जो लोग धरने पर बैठे है, इतने साल से वे आन्दोलन कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनको आश्वासन दें औरआज फिर से हम इस बात को दोहरायें कि उस प्रस्ताव को जो संसद ने स्वीकार किया, हम कार्यान्वित करेंगे, उसमें कोई विलम्ब नहीं करेंगे।

श्री नाथू राम मिर्धा (नागौर) : अध्यक्ष जी, यह सवाल जिस बैकग्राउंड में यहां उठाया जा रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उठाया, मैं उसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं.....**(व्यवधान)**...आप जो कहते हैं क्या वही खुदा है....**(व्यवधान)**.... यदि हिन्दुस्तान के एक पूर्व राष्ट्रपति धरने पर बैठे, उनके साथ ही कोई पूर्व प्रधानमंत्री कहीं धरने पर बैठे, ये सब लोग उस धरने में जाये और फिर इस सवाल पर राजनीति करें, और फिर ये राजनीति करें इस सवाल पर....**(व्यवधान)** मैं हिन्दी का पक्षपाती हूं, मगर आपकी तरह का अपार्चुनिस्ट नहीं हूं। **(व्यवधान)**

श्री नाथू राम मिर्धा : आज किस तरह से इस सवाल को उठाया है और जिस तरह से आप अन्दर और बाहर वातावरण को खराब करेंगे, यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं तो दो-एक वर्ष में मर जाऊंगा....।* आज भूतपूर्व राष्ट्रपति धरने पर बैठे...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, क्या इसे कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा : हिन्दी और अन्य भाषाओं के विद्यार्थी क्या चाहते हैं। यह बातें मैं जानता हूं। आज देश में ये लोग खराबी पैदा कर रहे हैं। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन जैसा आपने किया है, वह ठीक नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति जी ने जिंदगीभर राजनीति की, राजनीति के सबसे बड़े पद को भोगा है...* **(व्यवधान)** अगर आप इस तरह से शोर मचाएंगे तो मैं बैठने वाला नहीं हूं। मैं अपनी बात कहकर ही बैठूंगा। मैं आमतौर पर नहीं बोलता हूं, चुपचाप ही बैठा रहता हूं। हमारे बोलने के.....*

अध्यक्ष महोदय : इस सदन में बुजुर्ग लोगों को हमारे बारे में कुछ थोड़ा बोलने का हक है, लेकिन वह रिकार्ड का हिस्सा नहीं होगा और जो नौजवानों को बार-बार कुछ बोलने का चांस मिलता है, वह भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत मे निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स : अध्यक्ष महोदय....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : चार्ल्स जी, कृपया इसे अधिक लम्बा न कीजिए।

श्री ए चार्ल्स : महोदय मैं केवल एक ही मिनट लूंगा क्योंकि हमें गलत समझा गया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब श्री चार्ल्स गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं।

श्री ए.चार्ल्स : महोदय, मैं इस महान देश के सुदूर दक्षिण राज्य केरल से संबंध रखता हूं और मेरी मातृभाषा मलयालम् है। मेरे राज्य में प्रत्येक विद्यार्थी पहली कक्षा से ही हिन्दी सीखना आरम्भ कर देता है। यही एक मात्र ऐसा राज्य है जहां पर पंडित नेहरू द्वारा बताये गये त्रिभाषा सूत्र का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। पहली कक्षा से ही हम अपनी मृतभाषा मलयालम पढ़ना शुरू कर देते हैं और हम हिन्दी और अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर देते हैं यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तरी भारत में कुछेक राज्य अपनी मातृभाषा का अध्ययन भी नहीं करते। अत: मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि त्रिभाषी सूत्र का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए और यदि उनके पास समय नहीं है और यदि अनिवार्य अंग्रेजी को हटाया जाना है तो अनिवार्य हिन्दी को भी उस समय तक हटा दिया जाना चाहिए। जब तक कि ऐसी स्थिति न आ जाये कि पूरा का पूरा देश सर्वसम्मति से इसे स्वीकार करे।

विविधता में एकता लोकतंत्र का आधार है। कृपया अंग्रेजी से घृणा न करें। कृपया ऐसी भावना मन में न लायें कि हम दक्षिण वाले हिन्दी के विरूद्ध हैं। लेकिन हिन्दी को लादने के किसी भी प्रयास से देश का भविष्य तबाह हो जायेगा। अत: प्रत्येक व्यक्ति को देश की एकता मजबूत बनाना चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हिन्दी कम्पलसरी नहीं है...**(व्यवधान)**

श्री उदय प्रताप सिंह (मैनपुरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दी का सेवक हूं और बढ़िया बात कहता हूं। मैं कभी उत्तेजना की बात नहीं कहता।

आज पूरी बहस बहुत गलत दिशा में चली गई। मैं कविता की दो पंक्तियों से शुरू करता हूं।

सौ में सत्तर फीसदी फिलहाल जब नाशाद है

दिल में रखकर हाथ कहिए क्या मुल्क आबाद है।

यदि 70 फीसदी लोग आज दुखी हैं, उसका कारण है हिन्दुस्तान में मुश्किल से एक प्रतिशत लोग अंग्रेजी जानते हैं, दावा दो प्रतिशत करते हैं। मैं अंग्रेजी का अध्यापक हूं। मैंने 40 वर्ष अंग्रेजी पढ़ाई है। लेकिन मैं जानता हूं कि हम हिन्दी और हर मातृभाषा ज्यादा अच्छी बोल सकते हैं। यहां अंग्रेजी को थोपने का सवाल किसी ने नहीं उठाया, यहां वह बात हो रही है कि संविधान की जो मंशा है, उसके तहत रोजगार और प्रतिष्ठा से अंग्रेजी को हटाकर **(व्यवधान)**

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया है।

श्री उदय प्रताप सिंह : मैं चाहता हूं कि उसी ढंग से आश्वासन दिया जाता। आश्वासन तो पिछले 26 सालों में कई बार दिए गए हैं लेकिन उन आश्वासनों को क्रियान्वित किया जाएगा, इसका आश्वासन दिया जाए. ...**(व्यवधान)**...

श्री सैयद मसदूल हुसैन (मुर्शीदाबाद) : मंत्री जी यहां पर बैठे हैं और ये ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के अध्यक्ष हैं। इनकी इस बारे में क्या राय है, वह भी आनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह भी आपने अच्छा बताया। होम मिनिस्टर साहब आपको बुलाकर बता देंगे कि क्या है।

|अनुवाद|

मैं सोचता हूं कि गलतफहमी को दूर करके श्री चार्ल्स ने सेवा का कार्य किया हैं लेकिन यदि उनके वक्तव्य से कोई गलतफहमी पैदा हुई हो, तो उसे हम यह कह कर दूर कर सकते हैं कि हिन्दी किसी भी राज्य अथवा व्यक्ति पर, मेरे विचार से, लादी नहीं जा रही है... **(व्यवधान)**

|हिन्दी|

अध्यक्ष महोदय : जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसकी चर्चा हुई है उसे ध्यान में रखते हुए मैं शुक्ला जी का कहना मान लेता हूं और कल आपके साथ बैठकर चाय पीने का विचार करने का निर्णय कर लेंगे।

(व्यवधान)

|अनुवाद|

अध्यक्ष महोदय : आज मैंने 45 मिनट तक इस पर चर्चा करने की अनुमति दी है इसके लिए मैं कल भी अनुमति प्रदान करूंगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : (बांकुरा) महोदय, कृपया आप मुझे एक महत्वपूर्ण मामला उठाने की अनुमति प्रदान करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, आज आपको हमें समय देना पड़ेगा। यह मामला सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में आदेशों के बारे में है। कल मंत्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं कल इसकी अनुमति दूंगा। अब हम सभापटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेते हैं।

12.55 म.प.

सभापटल पर रखे गये पत्र

मणिपुर राज्य में गुटसंघर्ष के बारे में एक सदस्यीय जांच आयोग का प्रतिवेदन तथा उपर्युक्त प्रतिवेदन पर मणिपुर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर विवरण आदि।

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :1

(1) मणिपुर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 31 दिसम्बर, 1993 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) मणिपुर राज्य में 3 मई, 1993 को गुट संघर्ष की घटनाओं की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति डी. एम. सेन की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय जांच आयोग का प्रतिवेदन (खण्ड-1)।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर मणिपुर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(3) प्रतिवेदन के खंड 2, 3 और 4 को सभा पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5913/94)

कोयला खान भविष्य निधि, कोयला खान परिवार पेंशन और कोयला खान निक्षेप सहबद्ध बीमा योजनाओं के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) कोयला खान भविष्य निधि, कोयला खान परिवार पेंशन और कोयला खान सहबद्ध बीमा योजनाओं के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) कोयला खान भविष्य निधि, कोयला खान परिवार पेंशन और कोयला खान निक्षेप सहबद्ध बीमा योजनाओं के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5914/94)

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अधिसूचना

भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : महोदय, मैं वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (अग्नि साधिग) संशोधन नियम, 1994 जो 26 जनवरी, 1994 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 110 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.5915/94)

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अधिसूचना

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : महोदय, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत हल्का डीजल तेल (अधिकतम कीमतों का नियतन) (संशोधन) आदेश 1994, जो फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का आ0 80 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.5916/94)

पुनर्वास बागान लिमिटेड, पुनालुर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : महोदय, मैं श्री पी.एम. सईद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) पुनर्वास बागान लिमिटेड, पुनालुर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पुनर्वास बागान लिमिटेड, पुनालुर का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5917/94)

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बैंगलौर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके सरकार द्वारा समीक्षा और इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.सी.सिल्वेरा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) (एक) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने मे हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.5918/94)

(3) (एक) भारतीय पास्चर संस्थान, कुन्नूर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) भारतीय पास्चर संस्थान, कुन्नूर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय पास्चर संस्थान, कुन्नूर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.5919/94)

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरूअंनतपुरम के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण तथा वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा तथा इंडियन मेडिसिन्स फार्मासियूटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड, मोहन के वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के कार्यकरण तथा वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा इत्यादि ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह चाटोचार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरूअंतनपुरम के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरूअंनतपुरम के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5920/94)

(ख) (एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मासियूटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड, मोहन के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मासियूटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड, मोहन के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.5921/94)

(ग) (एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मासियूटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड मोहन के वर्ष 1991-92 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मासियूटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड मोहन के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5922/94)

(3) (एक) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5923/94)

(5) (एक) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5924/94)

(7) (एक) अखिल भारतीय वाक और श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अखिल भारतीय वाक और श्रवण संस्थान, मैसूर, के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.5925/94)।

(तीन) अखिल भारतीय वाक और श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या 5926/94)

(9) (एक) स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.5927/94)

(11) (एक) स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या 5928/94)

(13) (एक) स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्नाकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या 5929/94)

12.57 म.प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(1) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे रबड़ (संशोधन) विधेयक, 1994 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 10 मई, 1994 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निर्देश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।''

(2) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 11 मई, 1994 को हुई अपनी बैठक में पारित प्रोयौगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 1994 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।''

12.57/1/2 म.प.

प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक— राज्य सभा द्वारा पारित रुप में

महासचिव : महोदय, मैं 11 मई, 1994 को राज्य सभा द्वारा पारित प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 1994 को सभा पटल पर रखता हूं।

12.58 म.प.

याचिका समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

श्री पी.जी. नारायणन् (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय,मैं याचिका समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.58/1/2 म.प.

नेवली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड

(विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली का अर्जन और अंतरण) विधेयक*

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के भीतर और उनके आर-पार अधिक वैज्ञानिक, दक्ष और मितव्ययी आधार पर विद्युत शक्ति का पारेषण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत शक्ति ग्रिड का विकास करने की दृष्टि से नेवेली लिग्नाइट

---

*दिनांक 12.5.94 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

कार्पोरेशन लिमिटेड की विद्युत शक्ति संचारण प्रणाली और विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली में उस कम्पनी के अधिकार, हक और हितों का लोकहित में अर्जन और पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया को अंतरण करने तथा उनसे संबंधित और उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के भीतर और उनके आर-पार अधिक वैज्ञानिक, दक्ष और मितव्ययी आधार पर विद्युत शक्ति का पारेषण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत शक्ति ग्रिड का विकास करने की दृष्टि से नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन लिमिटेड की विद्युत शक्ति संचारण प्रणाली और विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली में उस कंपनी के अधिकार, हक और हितों का लोकहित में अर्जन और पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को अंतरण करने तथा उनसे संबंधित और उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।''

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, रेलवे ने वैगन निर्माण यूनिटों के लिए कोई आदेश नहीं दिए हैं. ..**(व्यवधान)** कृपया हमें बोलने दीजिए। वहां काफी संकट आया हुआ है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, कृपया हमें आज बोलने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कल अनुमति दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, कल आपने यह कहकर हम पर काफी उदारता दिखाई थी कि कल सत्र समाप्त हो रहा है इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए कुछ और समय दिया जाएगा। इसलिए हमने इस मुद्दे को कल नहीं उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कल अनुमति दूंगा। कल यह प्रथम मुद्दा होगा। अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

1.00 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) नेपाल के सहयोग से कोसी नदी पर एक बांध निर्माण की आवश्यकता

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र और सहरसा में नेपाल राज्य से आने वाली कोसी नदी में वर्ष में 6 माह बाढ़ का प्रकोप रहता है जिसके कारण उत्तर बिहार का काफी क्षेत्र

प्रभावित होता है। हर वर्ष की बाढ़ से कोसी नदी अपना धीरे-धीरे स्थान भी बदलती रहती है जिससे इसमें और नया क्षेत्र शामिल हो जाता है। कोसी नदी में बाढ़ आने के कारण ही उत्तरी बिहार का विकास नहीं हो रहा है। इस कारण यह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हर वर्ष की बाढ़ में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व नेपाल सरकार करोडों रुपये राहत व पुनर्वास पर खर्च करती है। यदि भारत सरकार नेपाल सरकार के साथ बात करती कोसी नदी पर एक बांध बनाये तो इस क्षेत्र का पिछड़ापन भी दूर हो सकेगा, साथ ही यह क्षेत्र अनाज की पैदावार में देश का एक बड़ा भाग बन सकेगा और अनाज को विदेशों में बेचकर विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी। साथ ही बांध के बन जाने से जल विद्युत का उत्पादन भी काफी बड़े पैमाने पर हो सकेगा। जिससे किसानों को विद्युत भी सस्ती दर पर उपलब्ध करायी जा सकेगी और देश विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकेगा। इसके साथ-साथ नेपाल राज्य के लिये एक जल मार्ग भी बन सकेगा। जिससे भी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो सकेगी।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस अति महत्वपूर्ण मामले में नेपाल सरकार से अविलम्ब बात करके कोसी नदी में शीघ्र बांध बनाये जाने के मामले में कार्यवाही करें जिससे इस बांध का निर्माण शुरू किया जा सके।

[अनुवाद]

(दो) उड़ीसा के गजपति जिले की लांजिया सौरा जनजाति के उत्थान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना की आवश्यकता।

श्री गोपी नाथ गजपति (बरहामपुर) : महोदय, यह बहुत बड़ी चिन्ता की बात है कि उड़ीसा में लांजिया सौरा जनजातियों के उत्थान के लिए शुरू की गई माइक्रो परियोजना असफल हो गयी है। लांजिया सौरा आदिम जनजातियां प्राचीन काल से उड़ीसा के गजपति जिले के 21 गांवों में रह रही है। ये अभावग्रस्त लोग निरक्षर हैं और उनके पास न रहने के लिए उचित घर हैं न ही पहनने के लिए वस्त्र । ये भूमिहीन लोग हैं और अपनी आजीविका के लिए अधिकांश रुप से वन्य उत्पादों पर निर्भर हैं।

भारत सरकार इन लोगों के लिए 1979 में एक माइक्रो परियोजना शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत इन लांजिया सौरा प्रजातियों को खेती शुरू करने के लिए भूमि और आवश्यक सहायता आबंटित की जानी थी। यह भूमि समुद्रतल से 300 फीट की ऊंचाई पर है। भू-कटाव के कारण उसकी उपजाऊ शक्ति समाप्त हो रही है। बहुत से जगहों पर भूमि शुष्क और पत्थरीली है जो किसी भी तरह की खेती के लिए अनुकूल नहीं है।

इस तरह से इन निर्धन जनजातियों को इस माइक्रो प्रोजेक्ट से कोई लाभ नहीं मिला हैं। अब तक इन लोगों की आर्थिक सहायता के लिए व्यवस्थित रुप से प्रबंध नहीं किये जाते उन्हें इसी प्रकार घोर गरीबी में जीना पड़ेगा।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह नितान्त रुप से उड़ीसा के गजपति जिले के लांजिया सौरा जनजातियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना शुरू की जानी चाहिए।

(तीन) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 को बढ़ाकर अरूणाचल प्रदेश में, रोईंग राजमार्ग संख्या 52 से जोड़ने की आवश्यकता।

श्री लाईता डम्बे (अरूणाचल पूर्वी) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 के अरूणाचल प्रदेश में पड़ने वाले भाग पर निर्माण कार्य वर्ष 1981-82 में शुरू किया गया था जिससे पूर्वी सियांग, दिबांग घाटी, और लोहित जिले के तराई वाले क्षेत्रों को राज्य से जोड़ा जा सके। यद्यपि सीमा सड़क संगठन, जो कि सड़क निर्माण करने वाली संस्था है, ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की मौजूदा सड़कों के अस्सी प्रतिशत से अधिक भाग का निमार्ण कार्य अपने हाथ में ले लिया है तथापि इसकी प्रगति बहुत धीमी है और इस तरह से दिबांग घाटी और लोहित जिलों को इस शताब्दी में इस देश की मुख्य भूमि से जोड़ना संभव नहीं होगा। यदि इसे जोड़ भी दिया जाता है तो अनेकों नदियों और धाराओं के कारण यह सड़क सुरक्षित नहीं होगी। साथ ही समूचा क्षेत्र जहां राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है वह बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। अतः मैं केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 को अरूणाचल प्रदेश में रोइंग तक बढ़ाने का और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 से जोड़ने का अनुरोध करता हूं। चूंकि यह सड़क नदियों और धाराओं के समानान्तर होगी इससे दिंबांग घाटी, लोहित और पूर्वी सियांग जिलों के लोगों के लिए सुरक्षित और नियमित यातायात सुनिश्चित होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के इस विस्तार के लिए असम में धौला और सदिया के बीच लोहित नदी पर केवल एक ही पुल बनाने की आवश्यकता होगी।

(चार) राजस्थान में कोटा-नीमच रेलवे लिंक लाइन पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता।

श्री शिवचरण माथुर (भीड़वाड़ा): अध्यक्ष महोदय, कोटा-नीमच नई ब्राड गेज संपर्क रेल लाइन की शुरूआत स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने 1989 में इसका उद्घाटन करके की थी। उद्घाटन के बाद इस लाइन पर माल यातायात में काफी वृद्धि हुई है जिससे नीमच, निनबहेड़ा, शम्भुपुरा और चित्तौड़गढ़ के सीमेन्ट उद्योगों के लिए परिवहन में सुविधा हुई है और कोटा से इन सीमेंट के कारखानों और चित्तौड़गढ़ में हिन्दुस्तान जिंक स्मेलटर तक के डिब्बों के यातायात में सुविधा हुई हैं तथापि, यात्री यातायात को लाभ नहीं हुआ है। कोटा और नीमच से एक साथ एक अतिरिक्त यात्री गाड़ी शुरू करने के लिए कई बार सुझाव दिए गए हैं ताकि इस क्षेत्र के दैनिक यात्रियों की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। यह भी सुझाव दिया गया था कि कोटा से शाम को चलने वाली देहरादून एक्सप्रैस में तीन डिब्बे जोड़े जाएं। यात्री गाड़ियों में लगे डिब्बे बहुत पुराने हैं और यात्रियों के लिए प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का वातानुकूलित कोई डिब्बा नहीं है। स्टेशन पर भी यात्रियों के लिए बहुत कम सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस रेल संपर्क पर पड़ने वाले कस्बों और शहरों में औद्योगीकरण की बहुत अधिक संभावना है और यह रेल लाइन चूना पत्थर के बहुतायत वाले क्षेत्र से गुजरती है जो कि आर्थिक खनिजों से सम्पन्न क्षेत्र है बशर्ते कि उसके लिए पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस रेल संपर्क की समस्याओं को समझे तथा इस खण्ड पर एक और नई यात्री गाड़ी चलायें, कोटा से देहरादून एक्सप्रैस में सीधे नए डिब्बे जोड़ने का प्रबंध करें और मालगाड़ियों में बीच के स्टेशनों से औद्योगिक और वाणिज्यिक माल के लदान की अनुमति दें।

(पांच) असम की बराक घाटी में एक गैस टरबाइन के निर्माण की आवश्यकता।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ (सिल्चर) : अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर राज्यों में ऊर्जा की स्थिति अस्थिर है,

विशेष रुप से असम की बराक घाटी में स्थिति बहुत शोचनीय है क्योंकि बराक घाटी को साधारणत: प्रतिदिन 5 से 10 मेगावाट बिजली मिलती है जबकि यहां पर प्रतिदिन 40 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। इसके फलस्वरुप बराक घाटी में बिजली गुल रहना एक स्वभाविक घटना बन गई हैं बराक घाटी के लोगों की ओर से दो कुओं जिनमें से एक करीमगंज के आदमटीला में और दूसरा कच्छार जिले के बांसकाडी में है, से प्राप्त हो रही गैस के प्रसंस्करण केलिए गैस टरबाइनों का निर्माण करने के लिए पुरजोर मांग की जा रही है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अनुसार इन दो कुओं से प्राप्त हो रही गैस से 35 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा सकती है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि असम सरकार ने दिल्ली की विशेष कंपनी डी.एल.एफ. को इस संबंध में ठेका देने का निर्णय लिया है। साथ ही यह भी पता चला है कि असम सरकार, डी.एल.एफ और तेल प्राकृतिक गैस आयोग अभी तक गैस टरबाइन के निर्माण के बारे में निर्णय पर नहीं पहुंच सके हैं।

मैं सरकार से इस मामले पर गौर करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि गैस टरबाइन के निर्माण के रास्ते में आ रही सभी बाधाओं को शीघ्र दूर किया जाए ताकि बराक घाटी के लोगों को बिजली की गंभीर समस्या से राहत मिले।

[हिन्दी]

(छः) दिल्ली में मेट्रो रेल प्रणाली शुरू करने की आवश्यकता।

श्री बी.एल.शर्मा प्रेम (पूर्व दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, पिछले 10-15 वर्षों से दिल्ली की सड़कों पर जिस प्रकार से ट्रैफिक बढ़ रहा है, उससे आम आदमी का चलना-फिरना मुश्किल हो रहा है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा देश के अन्य शहरों से अधिक होती जा रही है। दिल्ली की सड़कों के बढ़ते ट्रैफिक को अगर कंट्रोल न किया गया तो दिल्ली में घर से बाहर निकलने के लिए लोगों को गैस-मास्क लेकर चलना होगा। इससे प्रति वर्ष हजारों आदमी दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली में जल्दी से जल्दी मैट्रो रेल योजना आरंभ की जाए, जिससे न केवल ट्रैफिक कम होगा, बल्कि पर्यावरण को स्वच्द बनाया जा सकेगा और प्रदूषण को रोका जा सकेगा।

[अनुवाद]

(सात) बिहार में कोडरमा में अभ्रक उद्योग के विकास हेतु उपाय किये जाने की आवश्यकता।

डा. मुमताज अंसारी (कोडरमा) : मैं सरकार के ध्यान में ये बात लाना चाहता हूं कि बिहार के कोडरमा क्षेत्र में अभ्रक उद्योग में तेली से गिरावट आ रही ह। पहले इसमें 4 लाख लोगों को रोजगार मिलता था और 1200 खानों में कार्य होता था लेकिन अब मुश्किल से 10-12 उद्योग चल रहे हैं यह एक निर्यात प्रधान वस्तु है और जिससे 70 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित होती थी।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र के अभ्रक उद्योग के विकास तथा पुनर्नवीकरण के लिए ठोस उपाय किये जायें।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, अग्नि और पृथ्वी के बारे में वक्तव्य कब होगा?

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : 4.30 बजे

अब सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.15 म.प. तक के लिए स्थगित होती है।

1.07 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.15 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.25 म.प.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.25 म.प. पर पुनः सम्रवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रैस परिषद् (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथा पारित — जारी

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर बोलने के लिए दो घंटों का समय आबंटित किया गया है और इसी अवधि को विभिन्न राजनीतिक दलों को आबंटित किया गया है। इस हेतु कांग्रेस दल को 48 मिनट, भाजपा को 11 मिनट, जनता दल को 8 मिनट, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (सी.पी.आई.) को 7 मिनट का समय दिया जाएगा।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। कृपया इसके लिए आंबटित समय को बढ़ाइये।

उपाध्यक्ष महोदय : छोटे राजनीतिक दलों को दो मिनट का समय दिया जाएगा। उदाहरणतः अन्नाद्रमुक (ए.आई.ए.डी.एम.के.) को 3 मिनट जनता दल (अ) को 2 मिनट, तेलुगु देशम को और जे एम एम को एक-एक मिनट का समय दिया जाएगा। यदि आरंभिक वक्ताओं को छोटे दलों के प्रति सहानुभूति होगी तो हम कुछ समायोजन कर सकते हैं।

कल श्री चन्द्राकर बोल रहे थे। अब यह अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : उपाध्यक्ष जी, कल जो प्रैस काउंसिल बिल पर संशोधन करने का प्रस्ताव

रखा गया है उस पर राज्य मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जो कुछ सुनाया उसका आधार यह है कि पत्रों की बिक्री की संख्या के आधार पर छोटे, बड़े और मध्यम पेपर यूज किए गए हैं। लेकिन, पत्रों की बिक्री की संख्या कौन निर्धारित करेगा? इसमें व्यवस्था यह है कि प्रैस रजिस्ट्रार आफ इंडिया उसकी जांच करेगा कि हरेक पेपर का सर्कुलेशन क्या है? हमारे देश में पत्रों की संख्या लगभग 35 हजार है जिसमें से दैनिक पत्रों की संख्या 3606, बाई विकली और ट्राई विकली पत्रों की संख्या 339 और साप्ताहिक की संख्या 106476 और फोर्टनाईटली की संख्या 4471 और मन्थली की संख्या 10586 और दूसरे 5447, सारे 35 हजार 96 पत्रों की संख्या है। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज-पेपर्स के पास रिसोर्स और स्टाफ हैं उनके पास प्रतिवर्ष 1200 से अधिक पत्रों के सर्कुलेशन की जांच करने की क्षमता नहीं है। जब वे एक साल में 1200 पत्रों की जांच कर सकते हैं तो 35 हजार की जांच करने में कितना समय लगेगा? इस बारे में मंत्री जी बताएं। इसकी जांच के आधार पर छोटे, बड़े और मध्यम पत्रों को निर्धारित किया जाएगा। अखबारों को विदेश से न्यूज प्रिंट पेपर मंगाने का कोटा मिलता है। यह आधार उनके लिए संभव नहीं हैं रजिस्ट्रार का स्टाफ और रिसोर्स बढ़ाएं या कुछ और व्यवस्था कीजिए जिससे पत्रों का सर्कुलेशन मालूम हो सके। वेज बोर्ड पर निर्धारित पेपर, स्टाफ की सेलरी को बांटते हैं लेकिन यह होना चाहिए कि जो पत्रों की कंपनियां हैं उनकी संपत्ति को ध्यान में रखकर वेज बोर्ड निधारित किया जाए, केवल सर्कुलेशन पर निर्धारित करना संभव नहीं है।

अभी विदेश से टी.वी. आ गए है जिसकी वजह से हमारा भारतीय दूरदर्शन संकट में है बल्कि पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने बाहर क्या-क्या भेज दिया है। बहुत सी अखबार वाली कंपनियां हमारे देश में अखबार छापना चाहती हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। लेकिन हमारे पत्र राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर काम करते रहे हैं तो उनका एग्जीसटेंस खत्म हो जाएगा इसलिए विदेशी पत्रों को यहां छपने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, यह हमारी राय है। आप निश्चित रुप से निर्णय कर ले कि विदेशी पत्रों को यहां पर नहीं आने दिया जाएगा, भले ही मंत्रिमंडल के कुछ लोग चाहते हैं और बहुत से नहीं चाहते हैं, इसलिए इस पर स्पष्ट रुप से विचार करें।

हमारे जो ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उनमें इतनी क्षमता है कि वह इस बात पर सबको राजी कर सकेंगे जिसमें हमारे देश में विदेशी पत्र न आ सकें।

प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया के पास कोई अधिकार नहीं हैं अगर किसी समाचार पत्र की कोई शिकायत उसके पास आती है और वह जांच तो कर लेती है, आर्डर भी दे देती है, लेकिन उसका पालन नहीं होता है, क्योंकि उसको लागू कराने का अधिकार उसके पास नहीं है। सरकार ने उसको ऐसी कोई मशीनरी नहीं दी जिससे वह उसका पालन करवा सके। अगर आप जांच करने का अधिकार दे दें और लागू करने का नहीं दें तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया इतने पत्रों की डिफाल्टर्स की जांच करती है, दंड भी कायम करती है, लेकिन उसका पालन नहीं हो पाता, तो मेरी मंत्री जी से विनती है कि वे प्रैस कौंसिल ऑफ इंडिया को अधिक पावर दे, स्टेचुटरी पावर दे।

दूरदर्शन में समाचार आते हैं, राजनैतिक समाचार, व्यापारिक समाचार, खेल और मौसम के समाचार आते हैं, लेकिन खेतों पर या किसानों की समस्याओं पर कोई समाचार नहीं आते हैं यह बहुत बड़ी कमी है। हमारे देश के अधिकांश लोग खेती में और इससे संबंधित व्यवसाय में लगे हुए हैं इसलिए इसके बारे में भी समाचार आने चाहिए।

जहां तक पत्रकारों के लिए वेज बोर्ड बनाने का सवाल है। वह सिद्धांततः तो मान लिया गया है लेकिन उसके गठन पर देरी क्यों हो रही है, यह समझ में नहीं आ रहा है। आप वेज बोर्ड का गठन जल्दी से जल्दी करें। उसक अलावा पत्रकारों की और भी कई समस्याये हैं जैसे संसद की कार्यवाही कवर करने के लिए वे लोग देर रात 10-12 बजे तक भी बैठते हैं, उनके लिए सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें प्रमुख रुप से मकान की समस्या भी है। उनके मकान देने की बात पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है, जो लोग एनटाइटल हैं, उनको तो कम से कम मकान दिये जाये।

मैं फिर अपनी बातों को दोहराता हूं कि वेज बोर्ड का गठन जल्दी किया जाये, प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया को स्टेचुटरी पावर दे, विदेशी पत्रकारों को यहां नहीं आने देना चाहिए, इसके बारे में आपको स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष जी, प्रेस कौंसिल एक्ट इसलिए बनाया गया था कि एक ऐसी संस्था या एक ऐसी बोर्ड होनी चाहिए जो हमारे देश के समाचार पत्रों को स्वतंत्र रुप से, निष्पक्षरुप से काम करने के लिए सहायता करे और उसके ऊपर नैतिक प्रभाव डाले तथा मार्गदर्शन भी करे कि देश की आवश्यकता को देखते हुए प्रजातंत्र को एक अत्यंत आवश्यक अंग होने के नाते प्रैस एक संजीदगी के साथ मर्यादापूर्ण ढंग से आम जनता को सूचना दे सके कि देश और विदेश में क्या हो रहा है। क्योंकि हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार होता है कि वह जाने कि देश में और विदेश में क्या हो रहा है। इसीलिए इस संगठन को बनाया गया था कि यह उसमें मार्गदर्शन करेगा और नियंत्रित भी रखने का प्रयास करेगा। मैं समझता हूं इस विधेयक को लाने की आवश्यकता नहीं थी। विधेयक का एकमात्र उद्देश्य यही है कि सरकार यह अधिकार अपने पास रखना चाहती है कि वह समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की श्रेणी जब चाहे एक विज्ञप्ति गजट में प्रकाशित कर सकती है कि लघु समाचार पत्र कौन होंगे, मध्यम दर्जे के कौन होंगे और बड़े कौन होंगे। अभी तक तो प्रैस कौंसिल एक्ट में यह था कि 15 हजार से कम सर्कुलेशन वाले पत्र लघु समाचार पत्रों की श्रेणी में आते थे।

वे लघु श्रेणी में, 15-50 हजार वाले मध्यम में और 50 हजार से ऊपर वाले बड़ी श्रेणी के पत्र समझे जाते थे और अब सरकार प्रैस कौंसिल एक्ट के ऊपर प्रहार कर रही है, उसके अधिकारों को स्वयं लेना चाहती हैं अब प्रैस कौंसिल को लगता है कि सरकार एक विज्ञप्ति निकाल कर यह श्रेणी बदल देगी। मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पर यह छोटे पत्र-पत्रिकाओं का विरोधी विधेयक है क्योंकि अब सरकार यह निश्चय करेगी कि 25 हजार तक की प्रसार संख्या वाले ही छोटे पत्र होंगे। इसका नतीजा यह निकलेगा कि छोटे गांवों कस्बों से जो पत्र निकल रहे हैं और जैसा मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि गत 25-30 सालों से पत्र-पत्रिकाओं की संख्या हमारे देश में 400 प्रतिशत बढ़ गयी है और इसका प्रसारण 500 प्रतिशत बढ़ गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि लोगों में रूचि पैदा हो गयी है और वे ज्यादा जानने और समझने लगे हैं। लोकतंत्र के लिये यह एक अच्छा लक्षण है लेकिन अपने कम साधनों के आधार पर जिस जिले में 25-30 पत्र-पत्रिकायें निकल रही हैं या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इस बिल के ला देने से जब सरकार प्रसारण सीमा बढ़ायेगी तो छोटे-छोटे पत्र इसका शिकार हो जायेंगे। इसलिये मैं यह मांग करता हूं कि इस बिल को वापस लिया जाये और दोनों सदनों में जो सुझाव दिये गये है कि प्रैस कौंसिल एक्ट 1978 का क्या अनुभव है, क्या उसकी कठिनाइयां है आदि बातों को देखते हुए प्रैस

कौंसिल एक्ट को ज्यादा कम्प्रैहैंसिव बनाना चाहिये जिससे ज्यादा अधिकार सम्पन्न अधिक स्वतंत्रता से काम कर सके। उसकी धारा 26 में यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने काम-काज पर चाहे तो लेवी लगा सकती है ताकि उसे सरकार पर निर्भर न होना पड़े और वे स्वतंत्र रुप से काम कर सके। यदि सरकार इसी तरीके से श्रेणी को संख्या बढ़ाती चली जायेगी तो इसका नतीजा यह होगा कि जिनकी प्रसारण संख्या 20-25-30 हजार है, ी, उनको विज्ञापन नहीं मिलेंगे और जो साधन सम्पन्न पत्र होंगे, उनको ही f ज्ञापन मिलने लगेंगे। प्रैस कौंसिल के सामने यह बात कई बार आयी है कि सार्वजनिक क्षेत्र में कई सैक्टर ऐसे हैं जिनके पास साधन सीमित हैं तो उनको विज्ञापन देना बंद कर दिया गया जब कभी भी विज्ञापन बंद हुए तो छोटे पत्रों ने अपनी दरख्वास्त प्रैस कौंसिल के पास दी कि यह उनके ऊपर प्रहार है। लेकिन प्रैस कौंसिल ने अपनी असमर्थता प्रकट कि जब उसके पास बजट या साधन नहीं है तो कहां से दे सकती है। बजाय इसके कि सरकार विज्ञापन के साधनों को बढ़ाती, छोटे पत्र-पत्रिकाओं की ओर ज्यादा मदद करती, अब इस संशोधन को लाने का यह नतीजा होगा कि इसके ऊपर बड़ी भारी मुसीबत आने वाली है।

श्रीमान्, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय भाषाओं की पत्र-पत्रिकायें ज्यादा असहाय हैं, ज्यादा परेशान हैं। आज जो पत्र-पत्रिकाओं के साधनों का बहुत बड़ा महत्व हो गया है अब तो रंगीन पत्र-पत्रिकायें निकल रही हैं और जो दैनिक पत्र हैं, इनमें भी रंगीन पृष्ठ आने लगे हैं इनमें शनिवार और रविवार प्रमुख हैं। इस देश में ही ऐसे पत्र निकलने लगे हैं जो रोजाना 5 रुपये में आते हैं। यह एक खतरनाक ट्रैंड है मैं श्री चन्द्राकर जी की इस बात से सहमत हूं। अब सरकार स्टार टी.वी. की बात कर रही है और प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिये द्वार खुल गये हैं बड़े आराम से मिलें। मिलकर बात करके चले गए और उन्होंने कहा कि हिन्दी में और क्षेत्रीय भाषाओं में हम भी यहां आकर बड़े पैमाने पर काम करेंगे। सी.एन.एन. के भी अधिकारी आ गए। अखबार वाले दरख्वास्त दिये बैठे हैं। हम विदेशी पत्र-पत्रिकाओं में क्या देखते हैं कि समाचार कम होते हैं और 90-95 प्रतिशत विज्ञापन होते हैं और वही ट्रैण्ड यहां भी शुरू होने वाला है। उनके कंपीटीशन में हमारे समाचार पत्र-पत्रिकायें नहीं ठहर सकेंगे और इसलिए मैं मांग का समर्थन करता हूं कि हमारे जैसे देश में जहां अच्छे और जाने माने प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र-पत्रिकाएं निकल रही हैं, वहां विदेशी अखबारों को जाने की कोई आवश्कता नहीं है। उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए वरना हमारे समाचार पत्रों की आजादी खतरे में पड़ जाएगी, हमारी परंपराएं खतरे में पड़ जाएंगी। उनमें विदेशों के समाचार ज्यादा आएंगे और वह समाचार जो हमारी जनता से संबंध रखते हैं उनकी कोई परवाह नहीं होगी। क्योंकि प्रयास हो रहा है नयी आर्थिक नीति के अंदर कि दस फीसदी लोग इस देश में हैं या शायद पांच फीसदी लोगों की सुख-सुविधाओं और उनकी रूचि तथा मनोरंजन को ध्यान में रखकर सारी चीज बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि यह जनतंत्र के लिए एक खतरे की बात है और इसलिए भी यह आवश्यक हो गया है कि इसके ऊपर सरकार विस्तार से विचार कर।

कल हमारे मंत्री जी ने एक बैठक बुलाई थी। दोनों सदनों में हमारी महिला सदस्यों ने बड़ी गंभीरता से कहा कि आज हमारे सिनेमा का बड़ी तेजी से पतन हो रहा है और उसमें वल्गैरिटी और ऑब्सीनिटी ज्यादा हो रही है और उसका प्रभाव बुरा पड़ने वाला है।उसको देखकर इन्होंने एक बैठक बुलाई। अच्छा किया कि इन्होंने

बैठक बुलाकर लोगों की राय जानने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि इन बातों पर आज गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। कितनी आजादी मिलनी चाहिए, कितनी कोशिश होनी चाहिए, क्या उनकी दिशा होनी चाहिए, क्या उनका स्तर होना चाहिए, यह केवल फिल्मी तक ही नहीं, फिल्म से पत्र-पत्रिकाओं तथा दूरदर्शन और रेडियो के लिए भी क्या होना चाहिए, इस पर विचार करने की जरूरत है। इस पर एक राष्ट्रीय नीति की आवश्कता है। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर गए हैं जहां नये विचार पैदा हो रहे हैं, नयी समस्याएं आ रही हैं, नये तथ्य आ रहे हैं साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, क्यूनिकेशन आदि ने दुनिया में एक नयी क्रांति कर दी है, इन तमाम बातों पर छुट-पुट ढंग से नहीं कि आपने एक संशोधन ला दिया और फिर कहीं दूसरी जगह जाकर फंस गए, इस तरह काम नहीं होना चाहिए। जब तक इसके ऊपर मौलिक रुप से गंभीरता से विचार करके एक नीति नहीं बनायी जाती है तब तक मैं समझता हूं कि यह रूक नहीं सकता है।

श्रीमान्, एक बात मैं कहना चाहता हूं हालांकि सूचना मंत्री से उसका सीधा संबंध तो नहीं है लेकिन संबंध है इसलिए कि तमाम पत्रों के साथ काम करने वाले पत्रकारों के साथ उसका संबंध है। पत्रकार वेतन बोर्ड की बात इतने दिनों से उठायी जा रही है। सारे देश के पत्रकारों ने कहा। सरकार ने बार-बार आश्वासन दिया कि उनकी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, उनकी कठिनाइयाँ हैं, निष्पक्ष समाचार देने के कारण कभी उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है, उनकी सुरक्षा की बात है और उनके मालिकों पर उसका नाजायज दबाव है। बहुत सी सीमाओं के कारण वह स्वतंत्र रुप से काम नहीं कर सकते हैं। वह वेतन बोर्ड आज तक नहीं बना है और सिर्फ वादा ही रह गया है और इसलिए नहीं हो रहा है कि पत्रकारों के दो संगठन हैं। एक संगठन वह है जिसकी संख्या सदस्यता ज्यादा है जिससे उसके नुमाइंदे उसके अंदर आ जाएंगे और सरकार अपनी रूचि का और अपने समर्थन करने वाले पत्रकारों का ही उसमें प्रतिनिधित्व चाहती है, उसकी वजह से वह काम रूका हुआ है। मैं यह भी मांग करता हूं कि चूंकि पत्रकारों के जीवन से, उनके काम से उनकी आवश्यकताओं से पत्रकार वेतन बोर्ड का संबंध है, इसलिए सूचना मंत्री जी को श्रम मंत्री के साथ बात करके उनमें भी जल्दी करनी चाहिए ताकि इस काम को वह कर सकें।

श्रीमन्, इसी तरीके से जो विज्ञापन दिये जायेंगे, मैं समझता हूं कि अगर कैटेगरी को बढ़ा दिया गया तो आज जो छोटे छोटे पत्र-पत्रिकायें हैं, वे इसका शिकार होंगे, उन्हें विज्ञापन नहीं मिलेंगे जिसके कारण उन्हें अपनी पत्रिकाओं को बंद करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे पत्र-पत्रिकाएं, खास तौर से हिन्दी के, उर्दू के या क्षेत्रीय भाषाओं के हैं जो पिछले 4-5 सालों में बहुत बड़े पैमाने पर बंद हो गये, कुछ साधनों के अभाव में बंद हो गये, कुछ प्रतियोगिता में नहीं आ सके इसलिये बंद हो गये और चूंकि आज पैसे का प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है, उसकी होड़ में वे खड़े नहीं हो सके इसलिए बंद हो गये। कुछ इसलिए भी बंद हो गये क्योंकि प्रशासन का रवैया उनके प्रति विन्डिक्टिव रहता है। कई विभाग उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं और उन्हें विज्ञापन वगैरह नहीं मिल सकते।

मैं आशा करता हूं कि मेरी मांग है कि सूचना मंत्री जी इस विधेयक को अभी वापस ले ले और तमाम बातों का समावेश करते हुए, एक नया विधेयक सदन में लायें।

जिस समय मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे, दुर्भाग्य से मैं उस समय उपस्थित नहीं रहूंगा लेकिन मैं चाहता हूं कि मंत्री जी मेरे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दें कि जब उन्होंने वर्तमान संशोधन सदन में लाने का फैसला किया,

उससे पहले क्या प्रेस कौंसिल से बातचीत की, क्या उनसे सलाह ली, क्या उनकी राय ली और क्या प्रैस कौंसिल के ऊपर यह एक हमला नहीं है। यदि सरकार बैगर उनसे बात किये बैगर उनसे सलाह किये, बैगर उनकी सारी परिस्थितियों को जाने, बगैर इन संशोधनों को उनकी जानकारी में लाये, सदन में कोई विधेयक लाती है तो उसका मतलब है कि यह प्रैस कौंसिल की आजादी पर, उसकी स्वतंत्रता पर, उनके काम करने के ऊपर एक हमला है। इससे प्रैस कौंसिल कुछ सीमाओं में बंध जायेगी, फिर स्वतंत्रतापूर्वक प्रैस कौंसिल काम नहीं कर सकती यदि सरकार मनमाने ढंग से इस तरह काम करे। जब सरकार ने उसे एक स्वायत्तशासी संस्था बनाया है तो इस संशोधन को लाने से पहले उससे सलाह करना, उसकी राय लेना आवश्यक था लेकिन मंत्री जी ने अपने भाषण में इसका कहीं उल्लेख नहीं किया कि उन्होंने प्रैस कौंसिल से कोई राय ली, या उसकी ऐसी सिफारिश थी कि एक्ट में इस तरह का संशोधन किया जाये। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी चर्चा का उत्तर देते समय इस पहलू पर भी रोशनी डालें। बहुत बहुत धन्यवाद।

|अनुवाद|

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, प्रैस परिषद् अधिनियम में एक छोटा सा ही संशोधन लाया गया है। मैं श्री चन्द्रजीत यादव जी की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि प्रैस परिषद् की सहमति से संशोधन लाया जाना चाहिए था। छोटे, मझौले तथा बड़े समाचार पत्रों के वर्गीकरण के संबंध में अपनाये जा रहे मानदंड में परिवर्तन किये जाने की मांग की जा रही है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या वर्तमान प्रावधान में परिवर्तन के लिये समाचार पत्रों ने स्वयं मांग की थी? इस प्रश्न के साथ मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि चूंकि वह प्रैस परिषद् अधिनियम में एक संशोधन ला रहे हैं तो क्या यह उचित न होता यदि उन्होंने प्रेस परिषद् अधिनियम पर पूर्ण रुप से विचार किया होता और यह पता लगाने की कोशिश की होती कि क्या प्रैस परिषद् में सुधार लाने हेतु अन्य संशोधनों को भी समान रुप से लाया नहीं जा सकता।

आज प्रैस परिषद् की जैसी स्थिति है, हम यह देखते हैं कि इस समय प्रैस परिषद् को कतिपय शक्तियां प्रदान की गई हैं। उसे साक्ष्य लेने और शिकायतों की जांच करने आदि के लिए दीवानी अदालत की शक्तियां प्रदान की गई हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इन शक्तियों का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। प्रैस परिषद् के कार्यकरण में कतिपय त्रुटियां हैं। इसके कार्य का उतना प्रभाव हमारे समाज पर नहीं पड़ा है जितनी कि हम अपेक्षा करते हैं। ऐसा क्यों है?

इस संदर्भ में, मैं माननीय मंत्री महोदय को यह याद दिलाना चाहती हूं कि वे प्रसार भारती को जिससे कि ब्रॉडकास्टिंग परिषद् भी जुड़ी हुई है-लागू करने का वचन देते हैं। जब प्रैस परिषद् की ओर मेरा ध्यान जाता है और जिस प्रकार से प्रैस परिषद् को प्रदान की गई शक्तियों का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है उसे देखकर प्रसार भारती को लागू करने की स्थिति में मेरे मस्तिष्क में ब्रॉडकास्टिंग परिषद् के कार्यकरण के बारे में कतिपय प्रश्न उठते हैं।

भारतीय प्रैस परिषद् के क्या कर्त्तव्य हैं? मैं समझती हूं कि इस परिषद को दोहरा कर्त्तव्य निभाना पड़ता है। प्रैस परिषद् की जिम्मेदारी एक ओर तो हमारे देश में पत्रकारिता के व्यवसाय में कार्यरत लोगों को संरक्षण देने की है और दूसरी ओर इन लोगों को खोजी पत्रकारिता को अपनाने के लिए एवं उपयोगी समाचार हासिल

करने हेतु प्रोत्साहन देने की जिम्मेदारी भी है। मेरे विचार में पत्रकारिता व्यवसाय का तब तक कोई अर्थ नहीं होगा जब तक कि पत्रकार में सच्चाई को जानने का उत्साह नहीं होगा और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे देश में खोजी पत्रकारिता बहुत उच्च स्तर की है।

वास्तविकता यह है कि कुछ साहसी पत्रकारों की खोजी पत्रकारिता के कारण हम बैंक घाटाले के बारे में जान सके हैं। बोफोर्स के मामले में भी ऐसा ही हुआ। हमारे देश में कुछ उत्कृष्ट खोजी पत्रकार हैं और मुझे यह कहते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि जहां तक खोजी पत्रकारिता का संबंध है, ऐसे कई पत्रकार हैं, जो अपने व्यवसाय में शिखर पर हैं और जिनमें सच्चाई जानने के प्रति आतुरता है। उनमें ''दी हिन्दू'' की चित्रा सुब्रामाण्यम और ''नवभारत टाइम्स'' की मणिमाला जैसी महिलाएं भी शामिल हैं। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि हमारे देश में ऐसे पत्रकार हैं ।

तथापि, देश में कुछ ऐसी स्थिति हैं कि आज खोजी पत्रकारिता को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। पत्रकारों के ऊपर हमले भी होते हैं। विभिन्न अवसरों पर जब पत्रकार समाचार हासिल करने जाते हैं तब उन्हें कई ढंग से परेशान किया जाता है। मैं समझती हूं कि प्रैस परिषद् के हितों का संरक्षण करना चाहिए।

तथापि, एक और प्रकार की पत्रकारिता भी है। इसी प्रकार से प्रेस परिषद् को इस प्रकार की पत्रकारिता पर भी निगरानी रखनी चाहिए। हम देखते हैं कि एक अत्यंत निम्न कोटि की पीत पत्रकारिता भी है इसमें पत्रकारिता के नाम पर व्यक्तिगत बुराई की जाती है और चरित्र हनन का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार की पत्रकारिता हमारे देश में भी पाई जाती है और मैं समझती हूं कि नागरिकों को इससे बचाने का उत्तरदायित्व प्रैस परिषद् पर है।

मैं केवल एक या दो उदाहरण प्रस्तुत करूंगी। एक है बाबरी मस्जिद के गिराये जाने के बाद हुए साम्प्रदायिक दंगे। इसमें कुछ पत्रकारों की भूमिका नकारात्मक रही। उन पत्रकारों ने विशेषकर कुछ क्षेत्रीय समाचार पत्रों ने कुछ राज्यों में घड़ी घिनौनी भूमिका निभाई थी और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। प्रैस परिषद् ने इसके प्रति कड़ा रूख अपनाया था। प्रेस परिषद ने इन समाचार पत्रों की कटु आलोचना की थी। मैं सरकार से जानना चाहूंगी कि इन समाचार पत्रों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं। पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार का शासन है। वहां, हम देखते हैं प्रैस का एक वर्ग प्रतिदिन निम्न स्तर के व्यक्तिगत निंदा और चरित्र हनन में लिप्त रहता है। यहां तक कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी इस प्रकार की पीत पत्रकारिता से बचे नहीं हैं। मैं जानती हूं कि कुछ राज्यों में अत्यंत छोटे अपराधों के लिए सरकार अथवा विधान मण्डल ने पत्रकारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। हम इस बात से सहमत नहीं हैं। हम समझते हैं कि राज्यों को इन मामलों में केवल तब ही हस्तक्षेप करना चाहिए जब कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाये अथवा जब पत्रकारिता ऐसी हो जिससे कि विभिन्न वर्गों के बीच साम्प्रदायिक द्वेष अथवा तनाव को बढ़ावा मिलता हो। मैं समझती हूं कि इन मामलों को छोड़कर, बाकी सब मामलों में राज्य का नहीं बल्कि प्रैस परिषद् का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे पत्रकारों को दण्डित करें और उन्हें इस प्रकार की पीत पत्रकारिता में शामिल होने से रोकें। प्रेस परिषद् क्या करती है? परिषद सरकार को सिफारिशें करती है यह खेद का विषय है कि सरकार प्रैस परिषद की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं करती है और दूसरी बात यह है कि कभी-कभी प्रैस परिषद

भी ऐसे कदम नहीं उठाती जोकि ऐसी स्थिति में रोकने के लिए आवश्यक हैं। ऐसा क्यों? अब मैं अन्तिम मुद्दे पर आती हूं हमारे देश में चूंकि प्रैस 'फोर्थ एस्टेट' है फिर भी यह अपने आरम्भ काल में है और आज समय की मांग है कि समाचार पत्रों का विकेन्द्रीकरण और लोकतंत्रीकरण किया जाये। जबकि हम यह देखते हैं कि सरकार की समग्र आर्थिक नीतियों के अनुरुप केवल बड़े उद्योग घराने जिनके बारे में अन्य माननीय सदस्यों ने भी उल्लेख किया है मैं इस विषय के विस्तार में नहीं जाऊंगी और अब विदेशी समाचार पत्र देश में आने के लिए अनुमति मांग रहे हैं।

माननीय मंत्री जी के साथ हमारी कल ही जो बैठक हुई उसमें हमें सूचना मिली कि विदेशी टेलीविजन सिंगापुर और ऐसे ही अन्य स्थानों पर भारतीय फिल्मों के बिना सैंसर किए हुए गाने और नृत्य प्रसारित कर रहा है। सरकार को स्पष्ट रुप से इस काम के लिए उनकी भर्त्सना करनी चाहिए। यदि विदेशी समाचार पत्र देश में आते हैं तो उन्हें किस तरह के अधिकार प्राप्त होंगे? अतः, अन्य माननीय सदस्यों ने जो बात कही है मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं कि विदेशी समाचार-पत्रों को देश में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए बल्कि साथ ही अनेक समाचार पत्रों को, जो एकाधिकार की शक्तियां दी गई हैं, लोगों के मन पर उनका जो प्रभाव होगा, मैं समझता हूं कि इस एकाधिकार को समाप्त करने के लिए मझौले और छोटे समाचार पत्रों को बहुत अधिक, महत्व देना होगा। प्रचार-माध्यमों पर से परम्पर प्रतिबंधों को हटा देने से मैं समझता हूं कि इसको मिला दिया गया है और सूचना के क्षेत्र में और एकाधिकारवाद हो गया है। जो घराने समाचार-पत्रों को चला रहे हैं उन्हें अब दूरदर्शन पर समय दिया गया है। हमें एक दूसरा रूझान भी दिखाई देता है और वह यह है कि आजकल अनेक राष्ट्रीय स्तर के बड़े समाचार पत्रों के सम्पादक बड़ी संख्या में उन्हें छोड़ रहे हैं। साथ ही हम यह भी देख रहे हैं कि समाचार पत्रों के मालिक ही सम्पादकों के रुप में सामने आ रहे हैं।

3.00 म.प.

(श्रीमती संतोष चौधरी पीठासीन हुई)

इसका परिणाम क्या होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि प्रैस परिषद् के गठन के अनुसार उसमें सात पत्रकार और छह सम्पादक होने चाहिए। यदि छह सम्पादकों में से तीन सम्पादक बड़े समाचार पत्रों के मालिक भी हुए तो प्रैस परिषद् को अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की स्वायत्ता कहां होगी? यही एकाधिकार सूचना पर होगा और अत्यधिक सम्पादकों की उपस्थिति से मिल जाएगा जो वास्तव में सम्पादक नहीं है बल्कि वास्तव में मालिक हैं। यह एकाधिकार मिल जाएगा।

अतः, पत्रकार वर्ग की स्वायत्ता की उपस्थिति स्थापित करने के लिए प्रैस परिषद् अधिनियम पर फिर से पूरी तरह से गौर करना। और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इसे जो अधिकार दिए गए हैं, वह उचित रुप से इनका इस्तेमाल करने में समर्थ है और प्रैस परिषद् की स्वायत्ता में और वृद्धि हुई है ताकि वह सूचना पर एकाधिकार पर वास्तव में एक तरह के नियंत्रण के रुप में कार्य कर सके।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस प्रैस बिल का समर्थन करता हूं।

प्रैस परिषद् अधिनयम, 1978 भारत में प्रैस को, समाचार पत्रों व समाचार एजेंसियों को स्वतंत्र बनाये रखने के लिए प्रैस परिषद की स्थापना के लिए था। जैसा इसमें कहा गया था कि समाचार पत्रों का वर्गीकरण हो, यह ठीक है ऐसा करने से हमें पता चल सकता है कि राष्ट्र में कितने छोटे, मझौले और बड़े समाचार पत्र हैं और कितने ऐसे समाचार पत्र हैं, जो सारे राष्ट्र में पढ़े जाते हैं। वर्गीकरण करने का प्रावधान सरकार ने इसमें रखा है। राज्य सभा में इस बिल को दिसम्बर के महीने में रखा गया था, जहां सब ने ध्वनि मत से इसे पास किया हैं।

इसमें हिन्दुस्तान भर की बात कही गई है कि इसके पास होने से बाहर के अखबार आयेंगे तो इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है लेकिन विपक्ष द्वारा हर बात को शक की निगाह से देखा जाता है। सरकार जो भी ठीक काम करती है, उसमें इनको शक हो जाताहै कि यह बाहर के देशों के साथ सब कुछ तालमेल कर रहे हैं यह चाहते हैं कि इनसे ही तालमेल हो और सारे राष्ट्र के लोगों से तालमेल नहीं हों। इस बिल के पास होने से छोटे अखबारों को ज्यादा उत्साह मिलेगा और देश में इसकी ज्यादा से ज्यादा तादाद होगी, तभी यह बड़े उद्योगपति बन सकेंगे और यह भी बड़े-बड़े अखबार चला सकेंगे।

जहां तक चन्दाकर जी ने कहा है कि बाहर से अखबारों पर देश में आने की बंदिश होनी चाहिए तो यह ठीक बात है। अगर अपने राष्ट्र के बारे में पता लगाना है तो बंगाल का बंगला में छपता है, तमिलनाडु का तमिल में, केरल का मलयालम में, पहाड़ का पहाड़ी में और पंजाब का पंजाबी में छपता है और सारे हिन्दुस्तान में छोटे-छोटे अखबार छपते हैं। बड़े अखबारों में नवभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान टाइम्स, जैसे अखबार हैं, जो सारे राष्ट्र में छपते हैं लेकिन ऐसे अंखबार भी हैं जिनकी कोई बांचेज तो नहीं है लेकिन जो बहुत बड़ी तादाद के अंदर छपते है, जैसे ट्रिब्यून।

अखबार के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके लिए कुछ न कुछ सुविधा होनी चाहिए। जैसा यहां कहा गया कि उनके लिए मकान का इन्तजाम हो, जो राज्यों की राजधानी हैं, वहां से जो अखबार निकलते हैं, जो सारे राष्ट्र में न्यूज फैलाते हैं, उनके लिए भी कुछ इन्तजाम होना चाहिए। ताकि अखबार वाले ठीक प्रकार से लिख सकें। बोफोर्स से लेकर डंकल तक और बैंक के घोटाले तक सारी की सारी बातें विपक्ष के लोग हमको कहते हैं। जो कहा जाता है, उन पर सरकार विचार करती है। हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उनके लिए ज्वाइंट कमेटी बनाई और उसकी रिपोर्ट हाउस में आ गई है तथा उसके ऊपर नियम के अनुसार बहस की जा सकती है, लेकिन विपक्ष के लोग हर बात के लिए सरकार को इस तरह से देखते हैं कि सरकार ने जैसे कुछ नहीं किया। आपके खिलाफ तो तीन तीन नौ-कान्फिडेंस हो गए, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं चलता है कि हिन्दुस्तान के लोग क्या चाहते हैं। आप आज ही की बात को लीजिए। बड़े-बड़े लीडर्स, शक्तिशाली लीडर्स धरने पर जा रहे हैं। आई.एफ.एस. आई.ए.एस. की परीक्षाओं मे हिन्दी होनी चाहिए, उसमें पंजाबी होनी चाहिए या अंग्रेजी होनी चाहिए। अगले चुनाव में दो साल रह गए हैं, तो इस तरह के मसले तो खड़े करने ही चाहिए और ऐसे मसले ज्यादा खड़े होंगे, क्योंकि चुनाव के समय में ऐसी बातें चलती हैं मैं समझता हूं कि इस माननीय सदन को समझना चाहिए कि ऐसे मसलों पर एक जुट रहे और सब एक होकर चलें। अखबार वाले भी सुर्खियां ऐसी सोच कर निकालें, जिससे देश का भला हो। वे इस तरह की सुर्खियां न निकले, जिससे देश छिन्न-भिन्न

हो जाए। मैं यूपी का अखबार पढ़ता हूं, उसमें यह लिख होता है कि यह कुछ किया जा रहा है या सरकार यह करने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। एक संडे अखबार छपता है, उसमें डकैती की खबरें आती है। इसका सारा मतलब यह है कि सारे राष्ट्र को ऐसी हवा देते हैं कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। देश की भलाई में अखबारों का योगदान होना चाहिए। अखबारों का योगदान तभी हो सकता है, जब अखबार के लिखने वाले जो सम्पादक हैं, वे ठीक से रिर्पोटिंग करें, तभी राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। बुद्धिजीवी लोग सदन में बैठे हुए हैं, वे कन्स्ट्रक्टिव माइण्ड रख ही सरकार की आलोचना करें अगर विपक्ष कोई सही बात कहता है, तो यह बात ठीक है कि उसको देखा जाए। सरकार को देखना चाहिए, अगर कोई काम ठीक नहीं होता है, तो उसकी मोनिटरिंग होनी चाहिए। सरकार को देखना चाहिए, ऐसे कितने छोटे-बड़े अखबार हैं जो नहीं चलते हैं और कितने ऐसे हैं जो विदेशों से आते हैं, इनकी मोनटिरिंग आपको करनी चाहिए। मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं कि हमारे पास स्टाफ ज्यादा हो और हमें काफी सोच समझ कर चलना चाहिए। सरकार की यह मंशा कभी नहीं रही है, सरकार यह कभी नहीं चाहती है कि अखबारों को अपने हाथ में लेकर अपनी मंशा के हिसाब से छापे। चाहे केन्द्र की सरकार द्वारा या राज्य की सरकार द्वारा पत्रकारों पर कोई बन्दिश नहीं लगाई गई है। अगर पत्रकारिता में कोई बात है, तो उसके लिए प्रैस काउन्सिल है। इस काउंसिल में भी छः सदस्यों का प्रावधान किया गया है। उसमें इस सदन के मैम्बर भी जायेंगे और जो छोटे पत्रकार हैं। उनको भी उसमें लेना चाहिए, ताकि वे भी अपनी बात उठा सकें।

जहां तक इस बिल की बात है, इस बिल को हम सब को एक मत होकर पास करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमारा राष्ट्र किस प्रकार आगे बढ़ सकता है। जहां तक अधिकार की बात है, अधिकार जरूर होना चाहिए क्योंकि हम अगर कोई कमेटी बनाते हैं, तो उसके अधिकार क्षेत्र में यह चीज आनी चाहिए।

जो कोई गलत काम करता है उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए और जो कोई गलत प्रैस रिर्पोटिंग करता है उसके खिलाफ भी काउंसिल को एक्शन लेना चाहिए, ऐसा न हो कि उसकी साल भर इंक्वायरी करते रहें और उसके बाद भी उसका कुछ रिजल्ट न आए। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इस तरफ खास ध्यान दें, आप जो भी प्रोग्राम बनाएं वह समयबद्ध बनाएं कि इस समय के अंदर इस काम को करना है। जब यह नियम आप बनाएंगे तभी इसमें कुछ हो सकता है।

महोदय, अभी यह जो बिल आया है इसका मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यहां पर जो पक्ष-विपक्ष की तरफ से मुद्दे उठाए गए हैं उनमें जो अच्छी बातें हैं उन पर आप अवश्य ध्यान दें लेकिन जो फिजूल के इल्जाम लगाए गए हैं उनका मैं खंडन करता हूं और जोरदार शब्दों में यह बात कहनाचाहता हूं कि राष्ट्र तभी बढ़ सकता है जब हमारी एकता, इस सदन की एकता एक हो। यह राष्ट्र तभी चल सकता है जब इसमें जो हमारे अखबार हैं, अखबार को चलाने वाले जो मालिक हैं या संपादक हैं या जो भी हमारे एडीटर हैं वे सब के सब इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए अपनी लेखनी में कदम बढ़ायेंगे, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिये बात करेंगे तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुशील चन्द्र वर्मा (भोपाल) : मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि यह संशोधन एक दिन भी जल्दी नहीं आया है और यह सरकार का दोष नहीं है। मैं संशोधन में विलम्ब का दोषी नहीं ठहराता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह पिछले दो या तीन वर्षों से विचाराधीन रहा है।

जहां तक मुझे मालूम है, मैं स्वयं प्रेस परिषद् का सदस्य हूं, सरकार द्वारा अब जो संशोधन लाया जा रहा है उसे प्रेस परिषद् की सहमति प्राप्त है। प्रेस परिषद् के सदस्य के नाते मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं। लेकिन एक संशोधन की तरह मंत्री जी या सरकार प्रसार के बारे में जब कभी भी आंकड़े बदलना चाहे तो उसे भारतीय प्रेस परिषद् से परामर्श करना चाहिए, और वह जो भी निर्णय ले, उस पूरे मामले को सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए ताकि यहां पर हर एक को जानने का अवसर मिल सके कि छोटे, मझौले और बड़े समाचार पत्रों, का पता लगाने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस सुझाव को स्वीकार करेगी।

महोदय, प्रेस परिषद् के कार्य निष्पादन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यह कहा गया है कि इसे और अधिकार दिए जाने चाहिए, यह अधिक प्रभावी नहीं है। लेकिन इस बात से लोग क्या समझेंगे कि इसे और अधिकार दिए जाने चाहिए? प्रेस परिषद् जिस दिन दण्ड देने वाला प्राधिकरण बन जाएगा तो उस दिन से यह दण्ड देना आरंभ कर देगा, एक तरह की दण्डात्मक कार्रवाई शुरू कर देगा और तत्पश्चात् यह एक न्यायालय की भांति कार्य करने लगेगा। हमारे संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने से पहले या किसी के भी विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्णय लेने से पहले उस व्यक्ति को अपील करने का अधिकार है। यह हमारे संविधान का मूल आधार है। अतः यदि भारतीय प्रेस परिषद्, जैसे कि यह गठित किया गया है, इस देश में प्रेस के कार्यकरण पर अपने नैतिक प्राधिकार का प्रयोग करता है, तो परिषद् के कार्यकरण में यही नैतिक प्राधिकार सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जिस दिन हम प्रेस परिषद् को विज्ञापनों और अन्य मामलों के बारे में दण्ड देने का अधिकार देंगे उस दिन भारतीय प्रेस परिषद् का नैतिक प्राधिकार संकट में पड़ जाएगा।

भारतीय प्रेस परिषद् सभी तरह की मुकद्मेबाजी का विषय बन जाएगा। जिस दिन ऐसा होगा भारतीय प्रेस परिषद् वह नैतिक प्राधिकार खो देगा जो उसे आज प्राप्त है। मुझे मालूम नहीं है कि यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ कि यह प्रभावी नहीं है। वास्तव में इसकी लोकप्रियता, इसकी सफलता इस तथ्य से आंकी जा सकती है कि हमें जो अनेकों शिकायतें मिल रहीं हैं, भारतीय प्रेस परिषद् को वर्ष दर वर्ष प्राप्त हो रही है, उनकी संख्या वास्तव में बढ़ रही है। भारतीय प्रेस परिषद् को हर वर्ष औसतन लगभग 1000 शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। प्रेस परिषद् इन शिकायतों पर गौर करती है। लोगों की शिकायतें सुनी जाती हैं। जैसा कि कुछ सहयोगियों ने यहां पर पहले ही उल्लेख किया है कि इसे सिविल न्यायालय के अधिकार प्राप्त हैं पक्षों को बुलाया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है, वकील भी उपस्थित होते हैं और फिर निर्णय लिया जाता है कि क्या सही काम किया गया है या गलत। प्रेस परिषद् ज्यादा से ज्यादा निन्दा का दण्ड दे सकता है। मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त है। यदि इस देश में लोगों में संवेदनशीलता है तो निन्दा का दण्ड काफी है। जब आप लोगों को जेल भेजते हैं या आप किसी को आर्थिक दण्ड देते हैं, तो क्या उसे केवल दण्ड समझा जा सकता है? मैं इस तर्क को नहीं मानता हूं। जहां तक समाचार-पत्रों का संबंध है निन्दा दण्ड काफी है। इस मामले पर प्रेस परिषद् में कई बार चर्चा हो चुकी

है और यह सहमति हुई, थी इसकी वर्तमान स्थिति बनी रहनी चाहिए।

महोदया, प्रेस परिषद् के गठन का मूल उद्देश्य अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता की रक्षा करना, है जो कि अनुच्छेद 19(1)(क) में दिया गया है। मैं समझता हूं कि भारतीय प्रेस परिषद् उस उद्देश्य को पूरा कर रही है।

कुछ मामले ऐसे हैं जिन्हें मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। एक मामला पत्रकारों और प्रेस फोटोग्राफरों पर किए जा रहे हमले के बारे में है। ऐसी स्थिति केवल इस, देश में ही नहीं है। विदेशों में भी ऐसी स्थिति है। हम कई बार समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं कि फोटोग्राफरों और संवाद-दाताओं पर हमले किए गए हैं और कभी कभार उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। पिछले दिनो मैंने न्यूजवीक में पढ़ा था कि उन्होंने पत्रकारों और प्रेस फोटोग्राफरों पर हो रहे हमलों की निगरानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय का गठन किया है। यदि मुझे ठीक से याद है तो 1992-93 के दौरान विश्व के विभिन्न भागों में लगभग 20 प्रेस फोटोग्राफरों और पत्रकारों, की जाने गई हैं। यह बहुत चिन्ता का विषय है। हम स्वतंत्रता की बात करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि राज्य सरकारें और सरकारें आमतौर पर समाचार पत्रों के लिए रिर्पोटिंग को सही भावना से नहीं लेती हैं। यदि यह कोई आलोचना है तो उन्हें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। उन्हें इसकी जांच करनी चाहिए और प्रतिशोधी होने की बजाय यह पता लगाना चाहिए कि समाचार पत्र में जो आलोचना छपी है वह सही है या नहीं। अपने प्रतिशोध की पूर्ति के लिए वे एक प्रतिशोधात्मक कदम यह उठाते हैं कि समाचार पत्रों को विज्ञापन देना बंद कर देते हैं या उन्हें दिए जाने वाले विज्ञापनों की संख्या कम कर देते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ऐसे मामले भी प्रेस परिषद् में आते हैं। ऐसे मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया जाता है और हम उससे पूछते हैं कि विज्ञापन क्यों रोक दिए गए हैं या कम क्यों कर दिए गए हैं। जब हमें उत्तर मिलता है तो हम राज्य सरकार के इस मामले से संबंधित लोगों को बुलाते हैं और परिषद् उन मामलों पर निर्णय लेती है।

महोदया, मैं एक अन्तिम बात कहना चाहता हूं। लोग पत्रकारों को सुविधाएं प्रदान करने की बात करते हैं। मैंने 1949 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्य शुरू किया। मैं जानता हूं कि 10-15 वर्षों तक कोई भी राज्य सरकार किसी भी पत्रकार को कोई क्वार्टर कोई आवास या भूमि आबंटित नहीं करती है। यह सब 15 से 20 वर्ष बाद शुरू किया गया है। यह क्यों किया गया था? यह प्राथमिक रूप से किया गया था और मुझे यह सब कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि किन शब्दों में इसे प्रकट करूं, प्रेस की शुभकामनाएं और ख्याति अर्जित करने के लिए सरकार सहानुभूति प्राप्त करने या जैसा सरकार सोचती है उस लाइन पर प्रेस को लाने के लिए यह किया गया था। मैं समझता हूं कि सैद्धांतिक मामले के रूप में पत्रकारों को यह रियायत लेने से इन्कार कर देना चाहिए जोकि राज्य सरकारें या भारत सरकमार उन्हें देना चाहती है क्योंकि वे केवल तभी अपनी स्वतंत्रता बनाए रख सकेंगे। मैंने राज्य सरकार के मुख्य सचिव की हैसियत से स्वयं यह देखा है कि क्वार्टर आबंटन के लिए बहुत से आवेदन प्राप्त होते हैं। प्रेस के लोग कैसा दृष्टिकोण अपनाते हैं और वे किस तरह का रूख अख्तियार करते हैं। मेरे विचार से आम आदमी के लिए यह अत्यंत अपमानजनक बात है। प्रेस के कर्मचारी राज्य सरकार से भूमि क्वार्टर या मकानों की याचना क्यों करें? मेरे विचार से अगर कुछ भी पत्रकारिता से संबंधित है जैसे यदि वे कहीं जाना चाहते हैं, किसी स्थान को देखना चाहते हैं अथवा किसी स्थान का दौरा करना चाहते हैं तो सरकार को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और खुलेपन के लिए

उन्हें सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। लेकिन मेरे विचार से वस्तुगत सुविधाओं की मांग करना अच्छी पत्रकारिता के नियमों के विरुद्ध है।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को कुछ मुद्दों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो मंत्रालय को कुछ प्रस्ताव भेजे गए हैं, उन पर अधिक ध्यान देने और तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है। मुझे यह बताया गया है कि जो विनियम एक वर्ष पहले भेजे गए थे उन्हें मंत्रालय ने अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया है। फिर संसाधनों की भी कमी है । इस वर्ष 82 लाख रुपये के बजट का सुझाव था। हम सबने प्रेस कौंसिल में इस पर विचार किया था। लेकिन मुझे यह बताया गया है कि इस बजट को कम करके 69 लाख रुपये कर दिया गया है।

सेवा शर्तों, प्रोन्नति नीति और अन्य मामलों को मंत्रालय को भेजा जाता है। मैं माननीय मंत्री जो अत्यंत सक्रिय व्यक्ति हैं और मैं उन्हें अनेक वर्षों से जानता हूं से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि मंत्रालय में जो भी मामले लंबित पड़े हैं उनका शीघ्रातिशीघ्र निपटान कर दिया जाए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदया, प्रारंभ में मैं प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया का अभिनंन्दन करना चाहता हूं। जिसने सभी व्यवधानों के बावजूद न्यायाधीश सरकारिया के नेतृत्व में कुशलतापूर्वक कार्य किया। मैं मुझसे पहले बोलने वाले मेरे सहयोगी श्री एस.सी. वर्मा द्वारा उठाए गए मुद्दे से भी सहमत हूं कि यदि मंत्रालय ने शीघ्र कार्यवाही की होती तो प्रेस कौंसिल ने जो कार्य किया है वह उससे बेहतर कार्य कर सकती थी।

मैं जानता हूं कि प्रेस कौंसिल अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कुछ नियम बनाए जाने थे और मैं समझता हूं कि अनेक नियम बनाए गए हैं और कुछ का मसौदा तैयार किया गया है। लेकिन वे भी अभी तक लंबित पड़े हैं। इसका एक कारण यह है कि मंत्रालय की सहमति आवश्यक है।

महोदया, मैं समझता हूं कि प्रेस कौंसिल को स्थापित हुए 15 वर्ष हो चुके हैं और मुझे इस विधेयक से बहुत उम्मीद थी कि इसमें प्रेस कौसिंल के कार्यकरण के 15 वर्ष के दौरान सरकार के अनुभव को परिलक्षित किया जाएगा क्योंकि इसके बारे में सभा में, सभा के बाहर और प्रेस में काफी टिप्पणियां की गई हैं।

दुर्भाग्यवश, इस विधेयक ने इस बारे में निराश ही किया है। मैं पूर्व वक्ताओं की इस बात से सहमत हूं कि अधिक व्यापक विधेयक लाना चाहिए। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय सभा में एक व्यापक विधेयक लाने पर विचार करेंगे। मैं इस संबंध में कुछ बातें कहना चाहूंगा जिन्हें वह विधेयक बनाते समय ध्यान में रख सकते हैं।

मैं पहली बात यह कहना चाहता हूं कि प्रेस कौंसिल एक शक्तिहीन संस्थान है। यहां मैं अपने सहयोगी श्री वर्मा से सहमत नहीं हूं। बात यह नहीं है क्या यह किसी को सजा दे सकती है। मैं यह महसूस करता हूं कि हमारे देश में जो वातावरण है और फासीवादी शक्तियां प्रबल हैं उसके लिए प्रताड़ना और सेंसर संबंधी कानून अपर्याप्त हैं। इसीलिए प्रेस कौंसिल का प्राधिकार समाप्त हो रहा है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं कि यदि प्रेस कौंसिल के निर्णय अपीलीय मंच के अध्यधीन कर दिए जाएं तो इसका नैतिक और विधिक प्राधिकार

कम हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के अपीलीय प्राधिकार से उच्च न्यायालय के नैतिक प्राधिकार कम नहीं हो जाते है। इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है कि प्रेस कौंसिल ने उसके साथ न्याय नहीं किया है और वह अपने अपील के अधिकार का उपयोग करना चाहता है तो भी ऐसे मामलों में कौंसिल अधिनियम के तहत प्रेस कौंसिल को पर्याप्त शक्तियां देनी चाहिएं और बार-बार गलत कार्य करने वालों को रोकना चाहिए। मैं जानकारी प्राप्त करने की स्वतंत्रता का पक्षधर हूं लेकिन ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है विशेषरूप से हमारे देश में जहां प्रेस मीडिया को जनता को उत्तेजित करने, भड़काने विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों व भाषाओं के बीच नफरत पैदा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए मैं यह अनुभव करता हूं कि प्रेस कौंसिल को कुछ और शक्तियां देने पर विचार करना चाहिए ताकि प्रेस कौंसिल पहले से भी अधिक प्रभावी हो सके।

मैं जानता हूं कि स्वैच्छिक आचार संहिता है। मुझे डर है कि इसे व्यवहार में नहीं लाया जा रहा है। लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते ऐसे समाचार पत्र हैं जो इसे मजाक में ही लेते हैं। इसलिए मेरा यह विचार है कि कुछ दंडात्मक अधिकार प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है।

दूसरा मुद्दा मैं इस विधेयक के मुख्य विषय के बारे में उठाना चाहता हूं, यह प्रेस कौंसिल के कार्य की प्रशंसा करता हूं। यह रिपोर्ट एक अमूल्य दस्तावेज है विशेषकर इस वर्ष अर्थात् 1992-93 की अवधि के दौरान की रिपोर्ट उन्होंने जो जांच की है, अयोध्या में पत्रकारों पर आक्रमण का मामला लिया है और इससे संबंधित रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया है। इसलिए यह एक बहुमूल्य रिपोर्ट है, लेकिन, महोदया, मेरे अज्ञान के लिए क्षमा करें, जब मैं इस परिषद् के गठन पर गौर करता हूं तो इसके सदस्यों को नहीं पहचान पाता। यह एक राष्ट्रीय संस्था, एक शीर्ष संस्था है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध होना चाहिए। और प्रत्येक का प्रतिनिधिक स्वरूप होना चाहिए। इसमें संसद सदस्य हैं बी.जी. वर्गीश जैसे प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हैं। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा और मुझे विश्वास है कि श्री चन्दूलाल चन्द्राकर सबको जानते हैं क्योंकि वह उसी बिरादरी के हैं लेकिन एक आदमी के रूप में मैं प्रत्येक को को जानता नहीं हूं और न ही मैं कुछ समाचार पत्रों का महत्व जानता हूं। जिन्हें इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है जहां तक मुझें ज्ञान है ये समाचार पत्र कुछ छोटे शहरों में ही प्रकाशित होते हैं और इनका परिचालन भी नाममात्र का है। हमारे देश में मौजूदा व्यवस्था के कारण ही वह शीर्ष पर पहुंच सके हैं। इस बात पर हैरानी होती है कि वे अपनी बिरादरी, अपने व्यवसाय का किस हद तक प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए मैं सोचना हूं कि प्रेस कौंसिल के गठन और सदस्यों को चुनने के लिए उपयुक्त तरीका अपनाएं जाने के बारे में काफी कुछ कहा जाना है।

जहां तक प्रस्तावित परिचालन संबंधी आंकड़ों का संबंध है। मुझे इसमें दुर्भावना नजर नहीं आती। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय, ने छोटे, मध्यम और बड़े समाचार-पत्रों के परिचालन की सीमा बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कारण बताया है। अखिरकार हमारे देश में पाठकों की संख्या बढ़ रही है लेकिन मैं मंत्री महोदय को एक बात के प्रति सावधान करना चाहता हूं। क्या वह जानते हैं, महसूस करते हैं और इस बात से सहमत हैं कि आर. एन. आई. ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है? क्या वह जानते हैं कि निरिक्षकों की परिचालन के वह आंकड़े

देने के लिए रिश्वत दी जा सकती है जिसका वास्तविक संख्या से कोई संबंध नहीं है? क्या ऐसे आंकड़े प्रेस कौंसिल का गठन करने के लिए उपयोग किए जाएंगे? फिर चाहे आप स्तर को बढ़ाएं या न बढ़ाएं हमारे पास परिणाम वैसे ही रहेंगें। और आपको इस बात पर गौर करना चाहिए। समाचार-पत्रों के परिचालन के बारे में आपके पास जो आंकड़े हैं वह ठीक नहीं है।

उदाहरण के लिए मुझे कुछ निजी जानकारी है। मेरे शहर पटना में मेरी मातृभाषा उर्दू में समाचार-पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। इसमें कुछ समाचारपत्रों का परिचालन 100 अथवा 150 से अधिक नहीं है फिर भी उनका प्रकाशन मात्र सरकारी संरक्षण प्राप्त करने के लिए होता है और सरकार कोई भी हो। उनका परिचालन 10,000 या इससे भी अधिक दर्शाया जाता है। क्या यह उचित है? मुझे विश्वास है कि केवल उर्दू वाले ही यह गलत काम नहीं कर रहे हैं और केवल पटना वाले ही यह गलत काम नहीं कर रहे।

मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उन्हें जानता हूं।

अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि इनकी गणना करने के लिए अथवा इनके परिचालन पर निगाह रखने के लिए कोई बेहतर प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। अन्यथा आपके सभी प्रयास बेकार हो जायंगे। आप यह जो संशोधन यहां लाये हैं, वह बिल्कुल अर्थहीन हो जाएगा।

महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत की प्रेस परिषद्, जो एक राष्ट्रीय संस्था है, के अपने कार्यालय में भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान रखने वाले लोग नहीं है। उदाहरण के लिए अगर आप उनको अंग्रेजी में एक कतरन भेंजे तो वह अच्छा होगा। अगर आप हिन्दी में भेंजे तो वह भी अच्छा होगा। लेकिन अगर आप गुजराती अथवा मलयालम अथवा मराठी अथवा भारत की किसी अन्य राष्ट्रीय भाषा में कोई कतरन भेंजे तो वे अनभिज्ञता जाहिर करेंगे। अतः, भारतीय प्रेस परिषद स्वतः कोई कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं है, जो इसे करनी चाहिए तथा जो इसका कर्त्तव्य है। इसे केवल उन शिकायतों पर ही निर्भर नहीं करना चाहिए जो इसे प्राप्त होती हैं। कानून में इसकी व्यवस्था है कि इसे स्वतः कार्यवाही करनी चाहिए और अगर इसके पास भारत की सभी राष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान रखने वाला आवश्यक स्टाफ नहीं है तो वह स्वतः कार्यवाही किस प्रकार कर सकती? महोदया, इसलिए आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि प्रेस परिषद् को पर्याप्त धनराशि और पर्याप्त स्टाफ उपलबध कराया जाये ताकि यह सारे देश की प्रेस पर कम से कम सभी भाषाओं के अग्रणी समाचारपत्रों पर निगरानी रख सकें।

केवल तभी यह प्रेस के संचालन पर निगाह रखने में समर्थ हो सकेगी और हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे लोगों के लिए एक वास्तविक प्रहरी के रूप में काम कर सकेगी। आज यह इस कार्य को कर सकने की स्थिति में नहीं है।

तीसरे इसके कार्य दिल्ली-आधारित हैं। निःसन्देह, अब इसने खोज देश के विभिन्न भागों में सदस्यों के दल भेजकर न्यायालय आयोजित करने का तरीका अपनाया है। मैं यह महसूस करता हूं कि प्रेस परिषद् के क्षेत्रीय आधार और क्षेत्रीय कार्यालय होने चाहिए। मुझे यह नहीं मालूम कि प्रेस परिषद् ने यह सलाह अथवा सिफारिश सरकार को भेजी या नहीं लेकिन अभी भी मेरा यह विचार है कि आपका प्रत्येक भाषायी में, उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में छपने वाले समाचार पत्रों से अच्छा संपर्क साधने और उन पर निगरानी रखकर रिपोर्ट भेजने के उद्देश्य

से एक छोटा केन्द्रीय कार्यालय होना चाहिए।

ऐसा समय भी आ सकता है जब आपके पास क्षेत्रीय खंडपीठ हो ताकि उस समाचार पत्र की भाषा को, जिसकी जांच की जा रही है, कुछ सदस्य तो जानते हों। अतः, मेरे विचार में प्रेस परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय खंडपीठ होने चाहिए और संभवतः इसके बाद अपील पूर्ण प्रेस परिषद् के समक्ष आ सकती है। निस्न्देह, अंग्रेजी, हिन्दी तथा उर्दू में तथा अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, इन पर केन्द्रीय खंडपीठ को विचार करना होगा। लेकिन अन्य भाषाओं के लिए वे क्षेत्रीय खंडपीठ बना सकते हैं।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेंद्रम) : सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मलयालम है।

श्री सैयद शहबुद्दीन : महोदया, मैं उन प्रश्नों पर नहीं बोलूंगा जो इस विधेयक के कार्य क्षेत्र से बाहर हों। मेरे अपने विचार हैं। दूरदर्शन पर दिखाये जा रहे अरूचिकर कार्यक्रमों पर तथा हमारे देश में विदेशी प्रेस के बेरोक टोक प्रवेश पर जिससे हमारा स्वदेशी प्रेस ही संभवतः नष्ट जो जाएगा, पाबंदी लगाने के बारे में जो कुछ सुझाव दिये गये हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं लेकिन मैं इन मामलों पर विचार नहीं करूंगा। मैं पुनः आपके विचारार्थ एक विचार रखना चाहता हूं। मेरा विचार है कि सभी कमियों के बावजूद प्रेस परिषद् बहुत अच्छा काम कर रही है और यह हमारे समर्थन योग्य है। हमें इसे सदिच्छा प्रोत्साहन और सरकार को अधिक सक्रिय समर्थन देना चाहिए ताकि यह वास्तव में लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम कर सके। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री यथा शीघ्र एक व्यापक विधेयक लाने के सुझाव से सहमत होंगे। उस स्थिति में, यह विधेयक अर्थहीन है और इसे आज पारित करने का कोई अर्थ नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : यह जो विधेयक यहां लाया गया है, बड़े छोटे, और मझौले स्तर के समाचार पत्रों को वर्गीकृत करने के बहुत सीमित उद्देश्य से लाया गया है। मैं मुश्किल में हूं क्योंकि मैंने कल प्रेस परिषद् के सचिव से पूछा था कि क्या प्रेस परिषद् ने स्वयं यह सिफारिश की है। लेकिन मुझे और श्री चन्दुलाल चन्द्राकर दोनों को ही किसी ऐसी बैठक में जाने का अवसर नहीं मिला जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया हो। अतः, मुझे उत्तर से अभी भी यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि यह सिफारिश पूर्व प्रेस परिषद् की थी या नहीं। अगर यह निर्णय बैठक में नहीं हुआ था तो यह कहूंगी कि यह वर्गीकरण छोटे समाचार पत्रों के पक्ष में नहीं है। अगर कोई बैठक नहीं की गई तो फिर एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए थी और वहां इस मामले पर अच्छी तरह से चर्चा की जानी चाहिए थी। मैं स्थिति जानना चाहती हूं हालांकि मैं उन लोगों में से हूं जो प्रेस परिषद् में नियमित रूप से जाते हैं। लेकिन किसी प्रकार से मैं इसका पता नहीं लगा पाई। अतः इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए।

महोदया, मैं उन मुद्दों को नहीं दोहराऊंगी जो मेरे अन्य सदस्य ने रखे हैं बल्कि मैं उन मुद्दों का उल्लेख करूंगी जो मैं उठाना चाहती हूं। हमारे देश में विदेशी समाचार पत्रों के प्रवेश के प्रश्न को मैं एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न मानती हूं। उन्हें हमारे देश में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिएं प्रेस परिषद् में इस पर एक बड़ी चर्चा की गई थी और काफी विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय किया गया था कि कम से कम बैठक की तारीख से तीन वर्ष तक किसी विदेशी समाचार पत्र को आने की अनुमति नहीं दी जायेगी। लेकिन मैं समझती हूं कि सरकार विदेशी समाचार पत्रों को अनुमति देने की बहुत इच्छुक हैं मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इसकी

अनुमति न दे क्योंकि हमारी प्रेस पहले से ही कठिनाई का सामना कर रही है और अपनी धन शक्ति के साथ विदेशी समाचार पत्रों के यहां प्रवेश से हमारे संपादक और कुछ मालिक इस क्षेत्र से बाहर हो जायेंगे और विशेष तौर पर श्रमजीवी पत्रकारों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अत: मेरे विचार में अगर सरकार हमारे देश में विदेशी समाचार पत्रों के प्रवेश को अनुमति देने पर विचार कर रही है तो इसे यह विचार बदल देना चाहिए।

दूसरे, प्रेस परिषद् की शक्तियों के बारे में बड़ी विचित्र स्थिति है। यह परिषद् स्वयं ही और अधिक शक्तियां प्राप्त करना नहीं चाहती। मैं नहीं जानती कि इस बारे में क्या किया जा रहा सकता है। वे स्वयं ही अधिक शक्तियां नहीं चाहते। मैंने ऐसा कोई संगठन नहीं देखा जो स्वयं ही अपने लिए अधिक शक्तियां नहीं चाहता हो। इस मुद्दे पर भी हमारे बीच मतभेद हैं क्योंकि हममे से कुछ का विचार है कि उसको कुछ और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिये। लेकिन काफी लम्बी चर्चा के बाद एक समझौता किया गया और यह निर्णय लिया गया कि अगर प्रेस परिषद् किसी समाचार पत्र की एक वर्ष में दो बार निंदा करती है तो उसका नाम समुचित कार्यवाही के लिए सरकार को भेज दिया जाएगा। बस इतना ही कहा गया, उन्होंने यह नहीं कहा कि क्या उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है सरकार के पास ऐसे लगभग 10 मामले भेजे गये हैं जिनमें समाचार पत्रों की वर्ष में दो बार निन्दा की गई है। मैं यह जाना चाहती हूं कि सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की हैं मेरे विचार में, सरकार ने केवल एक मामले में कार्यवाही की है।

निःसंदेह, हम प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक हैं। कुछ पत्रकारों ने काफी बढ़िया काम किया है तथा बैंक घोटाले और बोफोर्स के मामले उजागर करने जैसा काम किया है । हम निश्चित रूप से यह चाहते हैं कि प्रेस रिपोर्टरों की खोज करने की स्वतंत्रता की रक्षा की जाये। उन पर पुलिस और समाज-विरोधी तत्वों द्वारा हमले किये जा रहे हैं। यह बहुत गंभीर स्थिति है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इसका ध्यान रखेगी क्योंकि प्रेस परिषद् के पास वास्तव में कोई शक्ति नहीं है। सरकार को कुछ कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। मैं आशा करती हूं कि सरकार किसी राजनीतिक मत को महत्व दिए बगैर उन लोगों का समर्थन करेगी जो बिना किसी भय या डर के खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में गये हैं और उनसे उसी प्रकार के व्यवहार करेगी।

हमारे पत्रकारों ने बहुत से गुणों का प्रदर्शन किया हैं मुझे अपनी महिला पत्रकारों पर गर्व है जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके साथ-साथ झूठे समाचार तथा संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले लेख आदि लिखने की प्रवृत्ति अत्याधिक बढ़ती जा रही है। हम जानते हैं कि प्रेस में कार्यरत राजनीतिज्ञों के कुछ लोग अधिकारियों और हर तरह के व्यक्तियों का नियमित रूप से ब्लैकमैल कर रहे हैं। ऐसा काफी समय से हो रहा है। प्रेस परिषद् क्या करेगी? एक बहुत ही रोचक घटना घटी थी। एक ऐसी घटना हुई कि एक पार्टी ने कुछ नहीं बताया और अगली बार दूसरी पार्टी ने भी कुछ नहीं बताया। ऐसा निरन्तर जारी रहा है। जिस समय तक हम वास्तव में किसी कार्यवाही की सिफारिश कर पाते हैं अथवा चेतावनी अथवा निंदा कर पाते हैं सभी लोग यह भूल जाते हैं कि यह किस के बारे में है। इसलिए, कार्यकरण के बारे में सर्वाधिक निकृष्ठ बात यह है कि देरी की जाती है। हमें इस तरह के नियम बनाने चाहिए कि यह देरी खत्म हो सकें मामलों पर विचार करने के लिए दो उपसमितियां गठित की गई हैं और तब उनकी सिफारिशों के साथ मामला परिषद् के पास जाता है और वह

निर्णय लेती है कभी-कभी परिषद् सभापति को निग्रय लेने के लिय प्राधिकृत करती है। निर्णय में देरी का मतलब है निर्णय से मनाही। वास्तव में ऐसा ही हो रहा है। हमें रास्ता निकालना चाहिए कि इन्हें किस प्रकार शीघ्रता से निपटाया जा सकता है। इसके बारे में अनेक सुझाव दिये गये हैं। एक सुझाव यह है कि जैसाकि आस्ट्रेलिया तथा अन्य स्थानों पर भी होता है, मामला निर्णय के लिये अलग अलग सदस्यों को दिया जाना चाहिए ताकि शीघ्रता से निर्णय लिया जा सके। मैं नहीं जानता कि क्या यह एक सही दृष्टिकोण होगा। मुझे इस बारे में पूरा यकीन नहीं है कि क्या निर्णय को अलग-अलग सदस्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि वह विषयपरक होगा। कम से कम मुझे यह तो यकीन है कि वर्तमान व्यवस्था में बदलाव लाना चाहिए। अन्यथा चाहे प्रेस परिषद् के पास अधिकार हो अथवा अन्य अधिकार हों अथवा कोई अधिकार न हो, वह अधिक प्रभावी नहीं हो सकती। इसे प्रभावी बनाया जाना चाहिए क्योंकि उल्लंघन की घटनाओं में वृद्धि हुई है और समस्याएं काफी हद तक बढ़ गई हैं।

प्रेस को शासकीय गुप्त बात अधिनियम के प्रावधानों के बारे में कुछ शिकायतें हैं उदाहरण के लिए बहुत से प्रेस वालों को रक्षा-संबंधी सूचना नहीं दी जाती। प्रेस को इसके बारे में जायज़ नाराज़गी थी। अन्ततः, इनके लिये लोक संपर्क कार्य करने के लिये एक अधिकारी को तैनात किया गया है। लेकिन रक्षा संबंधी जानकारी के प्रकाशन के बारे में अभी तक कोई अन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है। मेरे विचार से इन बातों के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया जाना चाहिए। अन्यथा अनावश्यक तौर पर कुछ अन्य प्रतिक्रिया हो सकती है। उदाहरण के लिये पाकिस्तान अपनी प्रतिक्रिया देने का कार्य करेगा और वह टेलीविजन के माध्यम से हमारे देश तक पहुंचेगी और इसमें हर तरह की बात कही जायेंगी। हमारी प्रेस वास्तव में इस स्थिति में नहीं होगी कि उचित ढंग से उन्हें उत्तर दे सके। इसलिए, मैं यह सोचता हूं कि प्रकाशन का मामला बहुत ही अनिवार्य है।

अब मैं विज्ञापन की बात पर आता हूं। मैं यह भी महसूस करता हूं कि विभिन्न जिला मुख्यालयों आदि से निकलने वाले छोटे, मध्यम और भाषाई समाचार पत्रों को कुछ विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि कागज की कीमत में काफी वृद्धि हुई हैं अतिनिर्धन वर्ग के लोग हमेशा इन समाचार पत्रों को नहीं खरीद सकते। वे कभी-कभी छोटे समाचार पत्र खरीदते हैं जिनमें चार के लगभग पृष्ठ लगे हों। अतः विज्ञापन के रूप में इन समाचार पत्रों को कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस विज्ञापन नीति पर विचार करते हुए सरकार को प्रेस परिषद् के सहायोग से इन प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। प्रेस परिषद् अपनी अगली बैठक में विज्ञापन नीति पर चर्चा करने जा रही है। हमें छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रेस परिषद् में इस बारे में कोई खास मतभेद नहीं है। अतः सरकार को उसके साथ सहयोग करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि काम हो जाए।

एक अन्य बात वेतन बोर्ड के बारे में है। वेतन बोर्ड स्थापित किया जाना है। हममें से कुछ सदस्यों ने इस मामले को उठाया था। श्री चन्दूलाल चन्द्राकर ने इस मामले को उठाया था, मैंने स्वयं भी यह मामला उठाया था, अन्य कई सदस्यों ने भी यह मामला उठाया था कि वेतन बोर्ड गठित किया जाना चाहिए। अब निर्णय लिया गया है कि श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड गठित किया जाना चाहिए। वेतन बोर्ड का गठन किस प्रकार किया जाएगा।

भारतीय पत्रकार संघ ने वेतन बोर्ड में प्रतिनिधित्व के लिए अभ्यावेदन दिया है। पिछली बार पत्रकारों के वेतन बोर्ड में, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जरनलिस्ट तथा नेशनल यूनियन ऑफ जरनलिस्ट को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। लेकिन अब इंडियन जरनलिस्ट एसोसिएशन, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जरनलिस्ट की तुलना में एक अधिक शक्तिशाली इकाई है और जैसा कि दिल्ली यूनियन ऑफ जरनलिस्ट, जोकि इंडियन जरनलिस्ट एसोसिशन के साथ संबद्ध है, की पूर्ण हड़ताल से भी स्पष्ट हो गया था। इसलिए मैं, मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस बात पर विचार किया जाये। मैं जानता हूं कि यह कार्य श्रम मंत्रालय द्वारा किया जाता है । अतः, मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि श्रम मंत्रालय से बात करें। हम भी श्रम मंत्रालय को लिखेंगे कि जिस वेतन बोर्ड को गठित किया जा रहा है, उसमें इंडियन जरनलिस्ट एसोसिशन का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

3.49. म.प.

(श्रीमती मालिका भट्टाचार्य पीठासीन हुई)

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सभी वक्ताओं का समर्थन करता हूं। समिति ने तमाम कठिनाईयों के बावजूद कुछ अच्छे कार्य किये हैं। उदाहरण के लिये, अयोध्या पर रिपोर्ट दी गई है, कश्मीर पर रिपोर्ट दी गई है और हाल ही की विभिन्न अन्य बातों पर भी समिति ने रिपोर्ट दी है। संसाधनों का अभाव एक बहुत ही गंभीर बात है। प्रेस परिषद् यह सिफारिश करने जा रही है कि उनका शुल्क बढ़ाया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि प्रेस सहयोग देगी, सरकार भी प्रेस परिषद् को संसाधनों को बढ़ाने में सहयोग देगी। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि स्टाफ पद्धति में परिवर्तन किया जाना चाहिए। अधिकाधिक व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यदि इस परिषद् ने उचित ढंग से कार्य करना है तो प्रादेशिक केन्द्र भी यहां पर स्थापित किये जाने चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं यह आशा करता हूं कि मंत्री जी इन सभी बातों पर विचार करेंगे। साधारणतया प्रेस के प्रति उदार होने के कारण, मुझे यह आशा है कि वह इन मामलों पर विचार करेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री आर.अन्वारासु (मद्रास मध्य) : सभापति महोदय, मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं। इससे भी बढ़कर मैं यह आवश्यक समझाता हूं कि समाचार पत्रों को प्रसार के आधार पर छोटे, मध्यम और बड़े समाचार पत्रों की कोटि में वर्गीकृत किया जाये। जैसाकि प्रत्येक माननीय सदस्य ने उचित ही कहा है कि प्रसार का पता लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। बहुत से मामलों में अनेक अवसरों पर मैंने प्रायः यह देखा है कि लोगों द्वारा इस बात को दर्शाने के लिये झूठे लेखे प्रस्तुत किये जाते हैं कि उनके समाचार पत्र का हजारों और लाखों की संख्या में प्रसार होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। निःसन्देह प्रसार को देखने का और इसकी पड़ताल करने का कार्य समाचार पत्रों के पंजीयक का है। लेकिन इस बात का पता लगाने के लिये कोई तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए कि किसी समाचार पत्र की वास्तविक प्रसार-संख्या कितनी है।

मैं जानता हूं कि तमिलनाडु में बहुत से प्रादेशिक तमिल समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं वे केवल इसलिये झूठे लेखे प्रस्तुत करते हैं ताकि सरकार को अपने पक्ष में आकर्षित कर सकें अथवा सरकार से विज्ञापन प्राप्त कर

सकें अथवा अखबारी कागज से धन कमा सकें। वे केवल थोड़ी सी प्रतियां प्रकाशित करते हैं वे लोग इन प्रतियों को सरकारी अधिकारियों और विशिष्ठ व्यक्तियों को भेजते हैं और वे लोग अपने झूठे लेखे प्रस्तुत करते रहते हैं और यह दावा करते रहते हैं कि उनके समाचार पत्र का प्रसार काफी अधिक है। अतः, यह बहुत ही आवश्यक है कि इस बात को देखने और सत्यापित करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए कि समाचार पत्र का वास्तविक प्रसार कितना है। प्रकाशित किये जाने वाले समाचार पत्रों की वास्तविक संख्या कितनी है और लोगों को कितने समाचार पत्र वितरित किए जाते हैं यहां मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। कुछ लोग केवल उसका अधिकार प्राप्त कर लेते हैं और वे समाचार-पत्र अथवा किसी पत्रिका के प्रकाशन की शुरूआत ही नहीं करते। वे लोग किसी खास उद्देश्य से काफी लम्बे समय तक इस अधिकार को अपने पास रखते हैं। कई अधिकार प्राप्त करने के बाद वे इसे किसी अन्य व्यक्ति को बेच देते हैं और वे इससे अवैध धन प्राप्त करते हैं यहां पर मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि कुछ समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को इसका अधिकार प्राप्त होता है तो उसे छः माह अथवा एक वर्ष की अवधि में इसे आरम्भ करना चाहिए। इसमें समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। अन्यथा यह समय-सीमा अपने आप ही समाप्त हो जानी चाहिए। अन्यथा अन्य कोई व्यक्ति जोकि पत्रिका को चलाने में सक्षम है वह अपनी पत्रिका को चलाने के अवसर से वंचित हो जाता है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि एक समयबद्ध कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए। एक विशिष्ट खंड होना चाहिए जिसके अंतर्गत यह कहा जाना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति को समाचार पत्र आरंभ करने का अधिकार दिया जाता है तो इसे एक विशेष समय सीमा में आरंभ कर दिया जाना चाहिए। यह अधिक महत्वपूर्ण बात है।

हम जानते हैं कि प्रेस परिषद् की स्थापना पीत पत्रकारिता को समाप्त करने के लिये की गई थी। लेकिन देखा यह गया कि राजनीतिक नेताओं की छवि बिगड़ने पुलिस अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों पर प्रहार करने बिना किसी आधार के सार्वजनिक तौर पर महिलाओं को अपशब्द कहने की इस तरह की पीत पत्रकारिता में वृद्धि हो रही है मैं सदैव स्वच्छ आलोचना का स्वागत करता हूं। मैं किसी विशेष समस्या की निष्पक्ष और समन्वित विचार धारा का स्वागत करता हूं। लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता। अधिकतर, जैसाकि माननीय महिला सदस्य बता रही थी, वे लोग ब्लैक मेलिंग करना आरम्भ कर देते हैं। मैं देश के स्तर पर राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन यदि आप जिला स्तर पर देखें तो कतिपय समाचार पत्र ऐसे हैं जोकि नेताओं को ब्लैक मेल करते हैं, पुलिस अधिकारियों को ब्लैकमेल करते हैं और किन्हीं खास स्वार्थों की सिद्धि के लिये सरकारी अधिकारियों को ब्लैकमेल करते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि ऐसी पत्रिकाओं को रोकने के लिए और समाधान ढूढ़ने के लिए कोई तंत्र कायम किया जाना चाहिए और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगायी जानी चाहिए। सामान्यतः यह कहते हुए बहुत ही दुख होता है कि वे राजनीतिज्ञों पर प्रहार करते हैं। राजनेता लगभग सभी पत्रिकाओं का लक्ष्य बनकर रह गये हैं।

समाचार पत्रों को सरकार के कुकर्मों का पर्दाफाश करने अथवा किसी राजनेता का पर्दाफाश करने में स्वतंत्रता और निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन बिना किसी आधार के और किसी राजनेता की छवि को धूमिल करने के लिये सभी तरह के संवेदनशील समाचार प्रकाशित कातें हैं जिससे अपनी बिक्री को बढ़ाने का कार्य करते हैं।

यह वास्तव में पत्रकारिता के नाम पर बुरी बात है और एक बार क्षति पहुंचने पर उसे पुनः बहाल नहीं किया जा सकता। किसी राजनेता की जो क्षति पहुंचायी जाती है, उसे पुनः बहाल नहीं किया जा सकता। इसमें काफी लम्बा समय लग जाता है। इसके साथ-साथ निन्दात्मक और मानहानि का अपराध एक संज्ञेय अपराध नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ भी लिख सकता है। किसी सार्वजनिक व्यक्ति की छवि को धूमिल करने के बाद उन पर अभियोग चलाना भी बहुत कठिन है। यह अपराध संज्ञेय नहीं हैं हम मानहानि के लिये याचिका तैयार करने के लिये न्यायालय में जाना पड़ता है। लेकिन तब तक कई चीजें घटित होती हैं उस समय तक वह व्यक्ति जिस पर मुकद्दमा चलाया गया होता है वह जनता में अपनी छवि को खो बैठता है। और इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि मानहानि के इस अपराध को संज्ञेय अपराध बनाया जाये और इस मामले में जमानत भी नहीं होनी चाहिए। मेरा किसी पत्रकार अथवा पत्रकारिता के प्रति कोई नापाक इरादा नहीं हैं लेकिन मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जब ये लोग चरित्रहनन पर उतर आते हैं, उदाहरण के लिए यूं कहिये कि यदि वे किसी महिला की छवि अथवा उसकी मर्यादा को धूमिल करते हैं-किसी महिला की शीलता सर्वोपरि होती है और पावन होती है – तो उससे उस पर समाज में धब्बा लग जाता है। यह धब्बा कभी भी समाप्त नहीं होता और निश्चित तौर पर लोग इसे किसी और विचार से देखने लगते हैं। और इसलिए, ये पत्रकार लोग जोकि इस तरह की अभद्र टिप्पणियां और चरित्र हनन की बातें लिखते हैं, उन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उन्हें संगत प्रावधानों के अंतर्गत सजा दी जानी चाहिए। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि विधि मंत्रालय को यह सिफारिश की जाये कि इस अपराध को संज्ञेय अपराध बनाया जाये और इस अपराध के मामले में जमानत नहीं होनी चाहिए।

मैं निष्पक्ष और स्वतंत्र आलोचना और समन्वयकारी आलोचना का स्वागत करता हूं। कभी कभी पत्रकार लोग जिला स्तर पर पुलिस अधिकारियों को ब्लैकमेल करते हैं। ये लोग राज्य सरकार के कर्मचारियों का केवल धन के प्रयोजन से ब्लैकमेल करते हैं। इसलिए यदि मानहानि के इस अपराध को संज्ञेय अपराध बनाया जाता है और इस मामले में जमानत नहीं होती है तो वे लोग निश्चित तौर पर ऐसे घिनौने कार्यों में संलित नहीं होंगे।

मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं और वह यह है कि यदि एक बार यह पता चल जाये कि किसी व्यक्ति अथवा सरकार की किसी नीति के बारे में कोई झूठा समाचार किसी समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है और जब यह बात समाचार पत्र के संपादक की जानकारी में लायी जाती है, तब वे लोग उस समाचार पर खेद व्यक्त करने का समाचार छपने को कोई महत्व नहीं देते। खेद व्यक्त करने के आशय का समाचार समाचार पत्र में अथवा पत्रिका में किसी कोने में छापा जाता है। जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। जब यह पता चल जाता है कि अमुक समाचार झूठा है तो उसके संबंध में खेद व्यक्त करने के आशय के समाचार को भी मुद्रित करते समय वही महत्व प्रदान किया जाना चाहिए जोकि झूठे समाचार, चरित्र हनन के आशय के समाचार को मुद्रित करते समय किया गया था। जब समाचार-पत्र से संबद्ध संपादक की जानकारी में यह मामला लाया जाता है तो उन्हें खेद व्यक्त करने के आशय के समाचार को उसी ढंग से उसी आकार में छापना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने मूल समाचार को छापा होता है। इसके लिये मार्गनिर्देश होने चाहिए और प्रेस परिषद् को ऐसे मार्ग निर्देश बनाने चाहिए। उन्हें ऐसी आचार-संहिता जारी करनी चाहिए। मैं क्या देखता हूं कि यदि किसी

समाचार के मिथ्या होने की बात संबंधित सम्पादक के ध्यान में लायी जाती है तो वे अगले दिन खेद का समाचार, समाचार-पत्र के किसी उपेक्षित कोने में प्रकाशित कर देते हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे प्रेस परिषद् को ऐसे मार्ग निर्देश जारी करने के सुझाव दें अथवा सिफारिश करें कि उन्होंने जैसे जोर-शोर से पहले मिथ्या समाचार प्रकाशित किया था उसी प्रकार खेद भी प्रकट करें।

4.00 म.प.

इस पीत पत्रकारिता के कारण अधिकारी और राजनीतिज्ञ भी अनेक विषयों पर निर्णय लेने में घबराते हैं अनेक अवसरों पर अनेक मंत्री प्रेस की आलोचना से डरते हैं। प्रेस इतना शक्तिशाली माध्यम है। यद्यपि मैं आलोचना का स्वागत करता हूं तथापि राष्ट्र के हित में और जनता के सामने सही विचार रखने के हित में आलोचना निष्पक्ष होनी चाहिए। इसलिए, ऐसे समाचारों को प्रकाशित करते समय पत्रकारों को संयम से काम लेना चाहिए।

माननीय महिला सदस्य कह रही थीं कि प्रेस परिषद् के पास कोई शक्तियां नहीं हैं। मैं इसे स्वीकार करता हूं। यद्यपि सरकार उन्हें कुछ शक्तियां प्रदान करना चाहती है, मैं समझता हूं कि वे शक्तियां प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है। गलती करने वाले पत्रकारों के लिए प्रेस परिषद् को क्या अधिकार दिए गए हैं? अन्ततः वे केवल चेतावनी दे सकते हैं। गलती करने वाले पत्रकार के विरुद्ध, वे कोई कठोर कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। इसलिए, प्रेस परिषद् के प्रशासन को चुस्त-दुरूस्त बनाने की तुरंत आवश्यकता है। प्रेस परिषद् को एक आचार-संहिता तैयार करनी चाहिए जो राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप यदि प्रेस परिषद् द्वारा ऐसी आचार संहिता का पालन नहीं किया जाता है, तो एक अपंग व्यक्ति की तरह प्रेस परिषद् के होने का कोई उपयोग नहीं है। प्रेस परिषद् के पास सभी शक्तियां होनी चाहिए जिससे वे नियंत्रण कर सकें। समाचार वस्तुपूरक होने चाहिए। इसलिए, मैं प्रेस परिषद् से अपील करता हूं कि वे प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए अपनी एक आचार-संहिता तैयार करे।

मैं एक बार फिर यह उल्लेख करना चाहूंगा कि यदि समाचार-पत्रों या पत्रिकाओं में कोई विद्वेषपूर्ण, तथा मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित की जाती है, तो वस्तुतः हम उन्हें न्यायालय में नहीं ले जा सकते। यद्यपि हम शिकायतों को न्यायालय में दर्ज कर देते हैं, फिर भी उसमें काफी समय लगता है। यदि माननीय मंत्री जी यह महसूस करते हैं कि इसे संज्ञेय अपराध बनाने में काफी लम्बा समय लगेगा, तो मैं यह सुझाव दूंगा कि इसे उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति, राजनीतिज्ञ अथवा सामाजिक कार्यकर्त्ता के चरित्र हनन संबंधी सामग्री प्रकाशित की जाती है, तो उस समाचार-पत्र को उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया जाना चाहिए ताकि हम उस पर कार्यवाही कर सकें।

आप देखते हैं कि सभी संपादक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं और वे पत्रिकाओं के आधार स्तम्भ होते हैं लेकिन कुछ समय से संपादकों को अधिक महत्व नहीं दिया जा रहा है और जो औद्योगिक गृह तथा उद्यमी समाचार पत्रों के मालिक होते हैं, वे समाचार पत्रों पर अपना अधिकार रखते हैं और संपादक वही करते हैं, जो समाचार-पत्र का मालिक चाहता है। वह किसी भी समस्या की वास्तविकता को प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसलिए समस्या का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। उनसे वही लिखवाया जाता है, जो उनका मालिक चाहता है। इसलिए, प्रेस परिषद् को अधिक शक्तियां ग्रहण करनी होंगी ताकि संपादकों को अधिक अधिकार दिए जा सकें। वे मालिक

नहीं हैं, लेकिन समाचार-पत्र चलाने के लिए वे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं।

सरकार से अपना कार्य करवाने के लिए अथवा वित्तीय लाभ लेने के लिए अनेक समाचार-पत्र या तो सरकार का पक्ष लेते हैं अथवा वे सरकार को खरीदने की कोशिश करते हैं।

यह बहुत ही गलत बात है। कुछ ऐसे औद्योगिक गृह हैं तथा कुछ बड़े व्यापारी हैं जो सरकार की नीति तैयार करने की कोशिश करते हैं और अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से सरकार को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के रवैये पर रोक लगानी चाहिए। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो मुद्दे के नकारात्मक पहलू को ही उजागर करते हैं। दोनों बातें हैं और इनसे बचना चाहिए।

एक अन्य बात जो मैं देखता हूँ वह यह है कि जब वे सरकार के बारे में तथा उसके गलत कार्यों के बारे में लिखते हैं तो मुझे उसमें विपक्ष के नेताओं तथा विपक्षी दल के सदस्यों के विरुद्ध कोई लेख दिखाई नहीं देता । मैं नहीं चाहता कि उन्हें उनके विरुद्ध भी कुछ लिखना चाहिए। जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि उन्हें किसी एक पक्ष को ही नहीं लेना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर, छूट के नाम पर, वे ऐसा कर रहे है।.... **(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाडा) : उनके पास इस पक्ष के लोगों के बारे में लिखने के लिए कुछ नहीं है।....**(व्यवधान)**

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : यह अविश्वास प्रस्ताव की तरह है। यह सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है न कि विपक्ष के विरुद्ध।....**(व्यवधान)**

श्री आर. अन्वारासु : जब किसी व्यक्ति के चरित्र का हनन किया जाता है तो वे विपक्षी दल के नेताओं के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। जो मैं कहना चाहता हूँ, वह यह है कि उनके दृष्टिकोण पक्षपात पूर्ण हैं और उन्हें, निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने चाहिए।

मैं यह कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगा। एक 'नकीरन' नाम के कवि थे। ऐसा प्रतीत होता है कि एक बार भगवान शिव ने महिलाओं के बालों पर एक कविता लिखी । उस कविता में उन्होंने व्याख्या की कि महिलाओं के बालों में सुगन्धि होती है। भगवान ने वह कविता लिखी है लेकिन वो कवि जो कि बहुत ईमानदार था और जो बहुत स्पष्ट था ने कहा ''ऐसा नहीं है। आप गलत हैं महिलाओं के बालों में सुगन्धि नहीं होती है। तब भगवान रूठ गए। वे राजा के रूप में थे। तब उन्होंने कहा ''नहीं तुम गलत हो। नकीरन कवि ने कहा,'' मैं जानता हूँ, यहाँ आप किस रूप में है। आप भगवान हैं। लेकिन यदि आप अपनी तीसरी आंख भी खोल दें, तो भी मैं साफ बात ही कहूँगा। ''तो, भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उसे भस्म कर दिया। यह कहानी है।

जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि पत्रकारों को नकीरन की तरह होना चाहिए। उन्हें पत्रकारिता के लिए एक मानक बनाना चाहिए। और एक नैतिकता निर्धारित करनी चाहिए।

इसलिए मैं प्रेस परिषद् से अपील करता हूँ कि लोगों की वास्तविक आकांक्षाओं को प्रस्तुत किया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से भी अपील करता हूँ - कि वे ऐसी किसी आचार संहिता के न होने पर प्रेस परिषद् को

अधिक अधिकार सौंपे ताकि वे गलती करने वाले पत्रकारों के खिलाफ कार्यवाही कर सकें।

इस शब्दों के साथ, मैं अपना अभिभाषण समाप्त करता हूँ और इस विधेयक का स्वागत करता हूँ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रेस परिषद् अधिनियम 1978 में किए जाने वाले संशोधन का समर्थन करता हूँ।

हम सब जानते हैं कि लाकेतंत्र को बचाने और मज़बूत करने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता आवश्यक है। फिर भी, हम उन दिनों को याद करते हैं जब आपातकाल के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। जहाँ एक जिले से संबंधित समाचार दूसरे जिले में रह रहे लोगों को नहीं मिल पाते थे। वह स्थिति थी। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए थे जो कि ब्रिटिश राज्य के, दिनों में भी नहीं लगाए गए। जब लोगों ने जनता पार्टी को जिताया तो, प्रेस परिषद् अधिनियम प्रस्तुत किया गया। हम यह स्वीकार करते हैं कि पिछले 15 वर्षों के दौरान प्रेस परिषद् का काम काज कुल मिलाकर संतोषजनक रहा है। कुछ कमियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन हम देखते है कि लगभग सभी समाचार पत्रों का प्रसार बढ़ गया है। समाचार-पत्र पढ़ने की आदत बढ़ रही है। आन्ध्र प्रदेश में, एक प्रमुख तेलुगु समाचार-पत्र, ऐनाडु ने एक जिला संस्करण आरम्भ किया है। सभी 23 जिलों में पृथक-पृथक संस्करण हैं।

श्री ई. अहमद : कुछ प्रसार संख्या कितनी है?

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : यह एक लाख से अधिक होगी- अधिकतम प्रसार-संख्या।

अब अनेक अन्य प्रमुख तेलुगु समाचार-पत्र भी यही तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि अधिक स्थानीय समाचारों को शामिल किया जाएगा और इसके साथ प्रसार भी बढ़ेगा। मेरा मुद्दा यह है कि अब इलैक्ट्रानिक मीडिया एक महत्वपूर्ण प्रचार माध्यम बन गया है। कम लागत और समय की कमी के कारण समाचार-पत्र इस देश के लोगों तक वास्तविक संदेश पहुँचाने का उपयोगी और प्रभावशाली माध्यम है।

माननीय सदस्य जो मुझ से पहले बोले हैं, उन्होंने कुछ गैर-जिम्मेदार पत्रकारों के बारे में बहुत विस्तारपूर्वक कहा है। ऐसे पत्रकार बहुत कम है। लेकिन अधिकांश पत्रकार जिम्मेदारी से काम करते है। मेरे अनुभव के अनुसार अधिकांशत: हमें कार्य संतोष जनक महसूस होता हैं हम देखते हैं कि किसी रचनात्मक समाचार की अपेक्षा, कई बार अधिकतर समाचार राजनीतिक दलों के बीच कहा-सुनी से संबंधित होते हैं अथवा कुछ समाचार ऐसे होते है जो वास्तव में जनता के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। ऐसे समाचारों को अधिक स्थान दिया जाता हैं, जिससे पाठकों की संख्या में वृद्धि हों। हम यह कैसे जान सकते हैं कि उनकी आर्थिक गणना क्या है? परिवार नियोजन की सफलता तथा साम्प्रदायिक सद्भावना के उदाहरण आदि जैसे समाचारों को अधिक स्थान दिया जाना चाहिए। यदि कुछ स्थानों पर आग लगी हुई हैं, तो कुछ स्थान ऐसे होंगे जहाँ विभिन्न समुदायों के लोगों की जिम्मेदारीपूर्ण भागीदारी द्वारा साम्प्रदायिक सामंजस्य बना कर रखा गया होगा। यदि ऐसे समाचार और ऐसे उदाहरणों को सभी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया जाए तो इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे माननीय मंत्री जी प्रेस परिषद् द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को पढ़ेंगे। उन्हें रिपोर्ट पढ़ने दीजिए और लोगों की भलाई तथा राष्ट्र की संवा के लिए इस देश में प्रेस की कार्य प्रणाली में आगे सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाने दें ।

प्रेस परिषद् का उद्देश्य समाचार-पत्रों तथा समाचार एजेंसियों को अपनी स्वतंत्रता बनाये रखने में सहायता करना भी है। कई बार ऐसा होता है कि स्थानीय प्राधिकारियों की किसी समाचार-पत्र से दुश्मनी होती है क्योंकि उस समाचार-पत्र ने सत्ताधारी लोगों की कुछ कमियों तथा उनके द्वारा की गई गलतियों को उजागर करने की कोशिश की होती है। वे राजनीतिज्ञ अथवा राजनीतिक नेता अथवा पुलिस अधिकारी अथवा कोई भी हो सकते हैं। ऐसे उदाहरणों में पुलिस अथवा कुछ अधिकारियों द्वारा पत्रकारों अथवा रिपार्टरों को कठिन स्थिति में डालने की कोशिश की गई होती है।

इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। कोझीकोड में एक पत्रकार ने एक स्थानीय एरिया स्टेशन में हो रही कुछ गलतियों पर एक लेख-माला प्रस्तुत की थी। उस पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया और परेशान किया गया। कुछ महीने पहले हम सबने तमिलनाडु में मलाईमुरासु को उत्पीड़ित किए जाने पर गहरी चिन्ता व्यक्त की थी।

कई बार सरकार उन समाचार पत्रों का पक्ष लेती है जो निष्पक्ष होने के बजाय सरकारी समाचारों को अधिक कवरेज देते है। सरकार को मेरा सुझाव है कि एक स्पष्ट सीमांकित मानदण्ड का पालन किया जाए। स्थानीय प्राधिकरणों के विज्ञापन समाचार पत्रों को कुछ निर्धारित मानदण्डों के अनुसार दिये जाने चाहिए। क्षेत्रीय समाचारों के लिए छोटे समाचार पत्रों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किसी भी समय किसी समाचार पत्र विशेष को इसलिए विज्ञापन देने से इन्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि वह केन्द्र में या राज्यों में सत्तारूढ़ किसी भी राजनीतिकि दल के विरुद्ध लिख रहा है। सरकार को प्रेस के स्वतंत्र कार्यकरण की सुरक्षा के लिए कड़े उपाय करने चाहिए।

माननीय सदस्या श्रीमती गीता मुखर्जी ने शासकीय गुप्त बात अधिनियम के बारे में उल्लेख किया है। हम यह बात समझ सकते है कि हाल ही में खरीदे गए अत्याधुनिक प्रतिरक्षा उपकरण के बारे में जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय के सभी कार्य गोपनीय होते है ओर शासकीय गुप्त बात अधिनियम के तहत आती है। महोदया हमें मालूम हुआ है कि प्रतिरक्षा उपकरणों की खरीद में बहुत अधिक अपव्यय हो रहा हों कई बार ऐसा होता हे कि इस शासकीय गुप्त बात अधिनियम के कारण प्रेस को कतिपय जानकारियाँ नहीं दी जाती हैं मेरा सुझाव है कि सरकार को इस शासकीय गुप्त बात अधिनियम में संशोधन करना चाहिए ताकि सार्वजनिक धन का अपव्यय न होने पाए।

हमारे देश में प्रेस की स्वतंत्रता है। संविधान में इस स्वतंत्रता की गारन्टी है। लेकिन विदेशी पत्रकारों को यह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। यह बात स्वाभाविक है क्योंकि उस व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है और उस व्यक्ति जो विदेश से आया है, में निश्चित रूप से अन्तर होगा। इस देश में किसी नागरिक के पास कुछ ऐसी जानकारी हो सकती है जो देश के लिए अच्छी सिद्ध न हो लेकिन वह इस जानकारी को राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए दूसरे लोगों को नहीं बता सकता हैं लेकिन हम विदेशी पत्रकार से ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं इसी के कारण भारतीय प्रेम परिषद ने विदेशी प्रेस को हमारे देश में आने की अनुमति देने के बारे में अपनी आपत्तियां प्रकट की है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस संदर्भ में सावधानी से निर्णय लेना चाहिए।

मैं अन्त में माननीय मंत्री जी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। फिलहाल हमारे पास सूचना पत्रों के लिए कंसैशनल पोस्टल रजिस्ट्रेशन योजना हैं कुछ दिन पहले विजयवाड़ा के स्थानीय इंजीनियर्स संस्थान ने

हर सप्ताह या पन्द्रह दिन में हो रही बैठकों से संबंधित सूचना-पत्र प्रकाशित किए। उन्होंने इन पत्रों को अन्य अनेक स्थानों पर प्रेस के लिए परिचालित किए।

डाक दर के संबंध में उन्हें रियायत दी गई थी, मुझे मालूम नहीं है कि इसे वापस क्यों लिया गया है मेरा सरकार को, यद्यपि मैं मंत्री महोदय से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करूंगा, सुझाव है कि इन सूचना-पत्रों का उद्देश्य अनेक स्थानों विशेष रूप से शैक्षिक संस्थानों को जानकारी प्रेषित करना है। अतः यह प्रथा फिर से शुरू की जानी चाहिए। सभी स्वयं सेवी संगठन डाक दरों में इस वृद्धि को वहन नहीं कर सकते हैं।

अतः महोदया इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक पर कुछ शब्द बोलने का अवसर दिया।

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : सभापति महोदया, वास्तव में जो संशोधन यहाँ लाया गया है, लगता है कि बहुत जल्दबाजी में लाया गया है। इनको काफी विस्तार से लाया जाना चाहिए थां भारत के अंदर पत्रकारिता आजादी के आंदोलन के साथ-साथ आई। बहुत से लोगों ने अपना पूरा जीवन इस पत्रकारिता के क्षेत्र में लगा दिया। 45-50 वर्षों के बाद आज सारे देश में जो स्थिति बनी इस स्थिति में हम आकर खड़े हुए है कि आज विदेशी समाचार पत्र भारतीय पत्रों पर कब्जा करना चाह रहे है। भारत का कोई भी समाचार पत्र, कोई भी पत्रकार उसके यहां पर सरकार से वैचारिक मतभेद हो सकते है, किन्तु देश के हित में जब भी कोई बात होगी तो सम्भवतः अपने हित को छोड़कर वह देश के हित की बात करेगा। लेकिन जो बाहर से आये हुए लोग होंगे उनका मुख्य उद्देश्य केवल धन कमाना ही होगा। जहाँ तक इनको लाभ दिखाई देगा वहीं तक वे जायेंगे। उनको देश के हित से कोई मतलब नहीं रहेगा।

पिछले कुछ दिनों से देश मे पत्रकारों पर जो हमले हुए वे भी काफी चिन्ताजनक है। कुछ दिन पूर्व देहरादून में स्थानीय पत्रकार महेश डोभात की हत्या के सम्बन्ध में न्यायालय का फैसला आया और कितनी आसानी से अपराधी बच निकले, सी.बी.आई. की जांच के बाद भी, यह काफी चिन्ताजनक प्रश्न है। पत्रकारों को संरक्षण देने के लिए कोई अलग से सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। हालांकि उनका काम बड़ा जोखिम भरा होता है। काफी जोखिम उठाकर उन्होंने देश के सामने कई घोटाले रखने का काम किया हैं चाहे प्रतिभूति घोटाला हो, चाहे बोफोर्स घोटाला हो, हमेशा पत्रकारों ने अपने आप को दांव पर लगाया है हम जानते है कि आपातकाल के दिनों में पूरे देश के समाचार पत्रों को बंद कर दिया गया था और जिन्होंने सरकार के समर्थन में लिखने से मना कर दिया उनको जेल में भेज दिया गया बहुत से पत्रकरों को जेल से 19 महीने रहना पड़ा और बहुत से लोग मर गये, लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं।

1978 में प्रेस कौंसिल बनाई गई। उसके बाद आज हम इसमें संशोधन करने जा रहे हैं देश में बहुत से समाचार पत्र इस तरह की कार्यवाही करते हैं उनके ऊपर कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जिससे देश के हितो को खतरा पैदा होता है।

विशेष रूप से आज कश्मीर के अंदर कहीं समाचार-पत्र वहां के आतंकवादियों को समर्थन दे रहे हैं और

जिसमें उनके हित निहित रहते हैं, उन्हीं समाचारों को प्रमुखता से छापते हैं इस विषय को भी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिये। यदि कोई सरकार के विरुद्ध छापते है या तथ्य सामने लाते है तो उसके खिलाफ कोई न कोई कार्यवाही की जाती है।

सभापति महोदया, इस विधेयक के माध्यम से समाचार पत्रों का वर्गीकरण किया गया है लेकिन इस पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिये क्योंकि मंझौले और छोटे समाचार पत्रों को पूरा संरक्षण मिलना चाहिये, इसमें संशय है उनकी संख्या के निर्धारण में इंस्पैक्टरों का प्रभुत्व बना रहेगा और उन पर इंस्पैक्टर राज लागू हो जायेगा। यदि उन लोगो को सुविधा शुल्क दे दिया जायेगा तो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जायेगी, इस पर भी विचार होना चाहिये।

सभापति महोदया, इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि उसके सदस्य सम्पादक रहेंगे किन्तु इस देश के जितने समाचार पत्र है, कोई न कोई कहीं न कहीं औद्योगिक घराने से जुड़े हुये हैं अभी यह कहा गया कि उसमें मालिक और सम्पादक इन दोनों में अंतर करना इसलिये मुश्किल होगा कि सामान्यतः समाचार पत्रों के मालिक ही सम्पादक हैं और यदि उस कौंसिल में मालिक सम्पादक के रूप में उपस्थित रहेंगे तो मैं समझता हूं कि इसमें काफी दिक्कतें आयेंगी। इस संबंध में सरकार को अपना रवैया स्पष्ट करना चाहियें।

4.27 म.घ.

(अध्यक्ष महादेय पीठासीन हुये)

अध्यक्ष महोदय, प्रेस क्षेत्र में लगे हुये,लोगों के लिये वेतन बोर्ड का गठन होना चाहिये क्योंकि इस बात की समय-समय पर मांग होती रही है। इस संबंध में सरकार को चाहिये कि सभी राजनैतिक दलों के नेताओं को साथ बैठाकर इस मामले को गंभीरतापूर्वक हल करना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम) : मैं सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा पुरःस्थापित किए गए विधेयक का समर्थन करता हूँ। प्रेस परिषद अधिनियम इस सभा ने 1978 में बनाया था। यह एक छोटा सा कानून है। इसका उद्देश्य यह है कि सरकार जब कभी महसूस करें वह बड़े, सीमान्त और छोटे समाचार पत्रों के वर्गीकरण की पुनरीक्षा कर सके।

यह विधेयक का उद्देश्य सीमित है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उन्हें एक व्यापक कानून बनाना चाहिए ताकि इस चर्चा के सभी प्रश्न उसमें आ सकें। यह एक वृहद विषय हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं केवल दो या तीन मुद्दों का उल्लेख करूंगा।

प्रेस परिषद का एकमात्र उद्देश्य देश में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखना और उसमें सुधार करना है। प्रेस परिषद् को दण्डात्मक अधिकार दिए जाने चाहिए । ताकि उनमें जिम्मेदारी की अधिक भावना आ सकें। उचित टिप्पणी को संरक्षण दिया जाये। लेकिन अनुचित और फूहड़ लेखन को नियंत्रित करना होगा।

आजकल राजनीतिक नेताओं राजनीतिक दलों और व्यक्तियों के चरित्र हनन के अनेक प्रयास किये जो रहे हैं। महोदय इसे रोका जाना चाहिए।

मैं जो दूसरा मुद्दा उठाना चाहता हूँ वह विदेशी समाचार पत्रों और एजेंसियों के बारे में है जिन्हें देश में आने की अनुमति दिए जाने की संभावना है। 1956 में विदेशी एजेंसियों और समाचार पत्रों को भारतीय एजेंसियों के माध्यम से कार्य करने देने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता की जैसी गारन्टी संविधान में दी गई हैं, वह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अत: में माननीय मंत्री जो से जानना चाहता हूँ कि हमारे संविधान ने हमें जो यह स्वतंत्रता दी है वह हम विदेशी एजेंसियों को कैसे दे सकते है।

दूसरा मुद्दा प्रेस परिषद् के सदस्यों के चयन के बारे में है। प्रेस परिषद के सदस्यों के चयन के बारे में कतिपय मानदण्ड बनाए गए हैं। कोई ऐसा तंत्र बनाया जाना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में क्षेत्रीय समाचार पत्र बहुत अधिक संख्या में हैं और उनका प्रचलन भी अधिक है। अत: क्षेत्रीय भाषाओं के प्रतिनिधियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। ताकि कोई तंत्र बनाया जा सके क्योंकि वे अधिक कारगर ढंग से लोगों तक पहुंच रहे है।

मैं अन्त में यह याद दिलाना चाहता हूँ कि यह मानदण्ड जिसकी सरकार बार-बार पुनरीक्षा कर रही है, उसे एकदम स्पष्ट बनाया जाना चाहिएं इसमें पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए, अन्यथा कर्मचारी इससे खिलवाड़ कर सकते हैं। अत: मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इसमें पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि हम उन फर्जी आंकड़ों से बच सकें जिन्हें कुछ समाचार पत्र अपने परिचलन के बारे में उद्दत कर रहें है।

कुछ समाचार पत्र यह दिखा रहे हैं कि उनका परिचालन बहुत अधिक है। लेकिन वास्तव में सच्चाई यह है कि उनका परिचालन बहुत कम है लेकिन इसके बावजूद वे वह सभी लाभ प्राप्त कर रहे हैं कि जो कि बड़े समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को प्राप्त हैं। प्रेस परिषद् में पत्रिकाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ।

वेतन बोर्ड के बारे में, दलगत भावनाओं से ऊपर उठाकर हमने एक वेतन बोर्ड गठित करने की मांग की है और सरकार इस ओर गंभीरता से ध्यान दे रही है। पत्रकार बार-बार इसकी मांग करते रहे हैं और मंत्रिमण्डल इस पर विचार कर रहा है। हमारे देश में सभी श्रमजीवी पत्रकारों के लिए यह निश्चित रूप से सहायक होगा। जो हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित रखने में और पत्रकार वर्ग को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ में इस विधान को लाने के लिए मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ। और मैं मंत्री महोदय से एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि वह एक व्यापक विधेयक लाये ताकि हम प्रेस परिषद के मामले में इस समय मौजूद कमियों को दूर कर सकें और हम प्रेस परिषद को और मजबूत बना सकें।

[अनुवाद]

04.33 म.प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पृथ्वी परियोजना

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): अध्यक्ष महोदय, पृथ्वी परियोजना सतह से सतह पर मार करने वाली एक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है जिसका डिजाइन और विकास रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने किया है। यह कार्यक्रम जुलाई, 1993 में शुरू हुआ था। परीक्षणों का अंतिम चरण अप्रैल, 1994 में शुरू हुआ था। ये परीक्षण उप-चरणों में किए जायेंगे। इन्हें जुलाई, 1994 तक पूरा कर लिए जाने का कार्यक्रम है।

इस संबंध में प्रधान मंत्री कार्यालय से रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार को इस आशय का एक नोट प्राप्त हुआ था कि परीक्षणों को प्रधान मंत्री की 14 से 21 मई तक की अमरीका यात्रा पूरी होने तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। ऐसा कर दिया गया है। सामान्यतः प्रमुख प्रक्षेपास्त्र-प्रक्षेपण तभी किए जाते हैं जब प्रधान मंत्री देश में ही हों । **(व्यवधान)** कृपया मुझे गलतफहमी में मत डालियें आप अपने आपको भी उलझन में मत डालिये तथा न ही इस सभा को उलझन में डालिये। आप जनता को भी गलतफहमी में मत डालिए।.... **(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप गलतफहमी में डाल रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं गलतफहमी में नहीं डाल रहा हूँ।....**(व्यवधान)**

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहूंगा कि इन परीक्षणों को रोकने का न तो पहले कोई इरादा था और न अब है। अंतिम चरण के परीक्षण अप्रैल से जुलाई, 1994 तक की अवधि में किए जाने की योजना है, अतः उप-चरणों के परीक्षणों की तारीख सुविधानुसार तय की जाएगी ताकि परीक्षणों के पूरा होने में किसी प्रकार का विलम्ब न हो। इस संबंध में कहीं से भी कोई दबाव पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता और न ही इस कार्यक्रम को किसी प्रकार का खतरा है।

[हिन्दी]

श्री चेतन श्री. एस. चौहान (अमरोहा) : मंत्री जी, आपके स्टेटमेंट से, आपकी पार्टी के लोग भी आपके ऊपर हंस रहे हैं।....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ) : मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : सभा की ऐसी परम्परा नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह : मैं मानता हूँ कि यह सभा की परम्परा नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो भी है वह उन्होंने कह दिया है।

श्री जसवन्त सिंह : मैं जानता हूँ । लेकिन इस समूचे कार्यक्रम का एक पहलू है। इस कार्यक्रम को

स्थगित क्यों किया गया, यह स्पष्ट करना तथा इसका स्पष्टीकरण पेश करना सरकार का कर्तव्य है, जैसा कि मंत्री महोदय ने किया है। सरकार के दृष्टिकोण के हिसाब से इसकी व्याख्या करना हमारा काम नहीं है, लेकिन मैं यह कहूँगा कि सरकार द्वारा पेश किये गये स्पष्टकीरण हंसी का जो ठहाका लगा वह अपने आप में इस स्पष्टीकरण पर समुचित टिप्पणी है।

लेकिन, मैं जो कहना चाहूता हूँ वह यह है कि किसी सुविधाजनक तारीख तक इस कार्यक्रम को स्थगित करने में, अग्नि कार्यक्रम के बारे में इस सभा को विश्वास में लेने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये, जैसा कि सम्भवतः दूसरे सदन को इसका फायदा मिला है। परन्तु इस सभा को इसका लाभ नहीं मिला हैं मैं यही अनुरोध कर रहा हूँ। सरकार न पहले ही जो स्पष्टीकरण दे चुकी है, उस पर मैं आगे कोई और स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन : अग्नि-कार्यक्रम के बारे में इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : दूसरे सदन में जो बतया गया है, उसे इस सभा में भी प्रकट किया जा सकता है।

श्री मल्लिकार्जुन : जब यह बात सारे संसार को पता हैं।

श्री अन्ना जोशी (पुणे): आपने राज्यसभा में क्या वक्तव्य दिया है ?....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः नहीं,नहीं।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : क्या यह प्रदर्शित के चरण पर है? क्या यह बात इससे आगे नहीं बढ़ेगी?

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : यह गलतफहमी उस दिन जब यह समाचार समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था इसकी वजह से पैदा हुई थी। दूरदर्शन पर यह समाचार प्रसारित हुआ था। जिससे कहा गया था। कि यह स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यक्रम को रोकने अथवा स्थगित करने के लिए रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को कोई ऐसा पत्र अथवा अनुदेश जारी नहीं किया गया था। लेकिन मंत्री महोदय का अब यह कहना है कि प्रधान मंत्री कार्यलय से रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को एक पत्र भेजा गया थां सूचना एवं प्रसारण मंत्री यह बताये कि इस बारे में क्या स्थिति है तथा यह समाचार दूरदर्शन द्वारा कैसे प्रसारित किया गया.... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, उस दिन जब हम इस बारे में तथा प्रधानमंत्री कार्यालय ने वास्तव में जो कहा था, जानना चाहते थे, तो आपने हमारी बात का समर्थन किया था।....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रीकान्त जेन्ना जी, उस दिन आपने मुझे बताया था कि आपने सभा में जो कहा था, उसी पर भरोसा किया जाना चाहिए।

अब, कृपया इससे अधिक कुछ मत कहिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज जी।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मंत्री जी के ब्यान से हमारा कोई समाधन होने वाली बात नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको प्रेस कौंसिल अमैंडमेंट बिल पर बोलने के लिये समय दिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे इस पर भी दो शब्द बोलने हैं। मुझे लगा कि आपको मालूम हैं कि मुझे भी कुछ बोलना है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसको क्यो लम्बा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहना था, साफ साफ कह दिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि पिछले दो हफ्तों से अमेरिका में इस पर काफी चर्चा हुई है। अमेरिका की एक कमेटी के अध्यक्ष, जिनका नाम शायद ली हैमिल्टन है, उनका एक बहुत लम्बा बयान इस पर आया है कि वे हमारे मिसाईल ''पृथ्वी'' को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वे यह भी मानते हैं कि इसका जो प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं, उसके चलते दक्षिण एशिया में डी-इस्टेबिलाईजेशन होना है- ऐसे उनके शब्द है। अब प्रश्न है कि हमारे देश की सुरक्षा के किसी मामले पर अमेरिका के रक्षा या अन्य चीजों से संबंधित कोई सांसद, अपनी कमेटी के द्वारा कोई एक राय बनाकर, उस राय को दुनिया के सामने रखने का काम करते हैं और ऐसे वक्त पर करते हैं जब हमारे प्रधानमंत्री को वहां जाना है तो उससे हम बहुत चिन्तित होते हैं हमे यह भी मालूम है कि अमेरिका को दरअसल चिन्ता इससे नहीं है कि हम लोग सुरक्षा के कौन से हथ्यिार बनाने जा रहे है।....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज जी, कृपया इस बात का ध्यान रखें कि मैंने अन्य सदस्यों को भी बोलने की अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, वह इसलिए कह रहा हूं कि प्रधान मंत्री जा रहे हैं, उसके बारे में पिछले दो दिनों से यह बताया जा रहा है कि उनके साथ वित्त मंत्री जी रहे हैं, हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े उद्योगपति जा रहे हैं, अब तो वहां से पूंजी और सारी टैक्नोलोजी की जानकारी लेने जा रहे है। अध्यक्ष जी में इस बात को दावे के साथ कहना चाहता हूं अमरीका को हमारे जितने मिसाइल टैस्ट हो रहे है ''अग्नि'' या ''पृथ्वी'' आदि इसके बारे में जो असली चिन्ता है वह इकनॉमिक कारण से जुड़ी हुई है, सुरक्षा के मामले में नहीं है और इकनौमिक कारण यह है कि जिस दिन भारत के हाथ में वह शक्ति आ जाएगी जिससे वह अपने सैटेलाइट या दुनिया के किसी भी देश के सैटेलाइट को, आसमान में, अन्तराल में छोड़ने की शक्ति प्राप्त कर लेगा, उस दिन अमेरीका और यूरोप के एक-दो देशों के हाथ में यह जो काबुलियत है, उनका मामला हल्का हो जाएगा और हम लोग अधिक मजबूत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएंगे। जो अमेरीका ने रूस के ऊपर दबाव डाला था, उसके पीछे भी वही मामला था और अन्त में अपनी आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल कर के उसने रूस को दबा दिया।

प्रधानमंत्री जी हमसे यहाँ कुछ कहें न कहें, यह मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन हम यह जरूर चाहेंगे कि अमरीका भारत को जिस-जिस क्षेत्र में झुकाने का काम या कोशिश कर रहा है, उस-उस क्षेत्र में भारत को पूरी मजबूती के साथ अमरीका का मुकाबला इस मामले में करना चाहिएं। चाहे हमारी सुरक्षा का मामला हो, अथवा हमारी सुरक्षा से सम्बन्धित कोई भी प्रयोग हो, देश को दुनिया के किसी भी मुल्क के बराबर खड़ा करने में किसी भी प्रकार का कोई भी सौदा किसी भी क्षेत्र में किसी भी देश के साथ नहीं हो सकता, यह बात इस सदन की तरफ से आज कही जानी चाहिए।....**(व्यवधान)**

|अनुवाद|

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा हूँ। निस्संदेह, मुझे और भी प्रसन्नता होती, यदि मंत्री महोदय, ने इसके लिए कोई दूसरा बहाना गढ़ा होता क्योंकि इसमें देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न अन्तर्गस्त है। मुझे असली कारण पता है। लेकिन मंत्री महोदय, उसे नहीं बात सकें। अब, प्रधानमंत्री महोदय की अनुपस्थिति का इस कार्यक्रम के किए उपयोग नहीं किया जाना चाहिये। लेकिन मैं समझता हूँ कि वह 20 अथवा 21 तारीख को स्वदेश वापिस आ रहे हैं। अतः, इस हेतु आगामी तिथियों की घोषणा यहीं इसी वक्त की जानी चाहिये। इसमें परेशानी क्या है? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आगामी तिथियाँ मंत्री महोदय के वक्तव्य में उल्लिखित है।....

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे पास उनकी एक प्रति नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन : मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अंतिम परीक्षण जुलाई, 1994 में पूरे कर लिये जायेंगे।. ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह कार्यक्रम 14 मई से जुलाई में पहुँच गया है।....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ जी, ये तिथियाँ अन्य कई चीजों पर निर्भर करती हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : 14 मई की तारीख अन्तिम नहीं है। यह तो मात्र शुरूआत है। तीन चरणों को पूरा करना पडेगा।....**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस बात को बताया जाना चाहिये था तथा लोगों के मन से आशंकाएँ दूर की जानी चाहिये थीं।....**(व्यवधान)**

श्री मल्लिकार्जुन : मैं माननीय सदस्यों, जनता तथा सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के दिमाग से यह गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूं कि पृथ्वी का अंतिम परीक्षण जुलाई, 1994 में पूरा कर लिया जायेगा तथा इसके लिये तारीखें पुनः निर्धारित की जायेंगी ताकि परीक्षण के उपचरणों को भी पूरा किया जा सकें क्योंकि तीन अथवा चार परीक्षण और किये जाने हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज जी की प्रेस काऊंसिल (संशोधन) विधेयक पर बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ।....**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री जार्ज फर्नान्डीज जी, इस विषय पर चर्चा करते हुए भी आप अग्नि एवं अन्य विषयों के बारे में प्रेस रिपोर्टों का उल्लेख कर सकते हैं।....**(व्यवधान)**

प्रधानमंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : जब श्री जार्ज फर्नान्डीज जी बोलने के लिए खड़े होते हैं, तो हरेक व्यक्ति उनकी ओर देखता है। अतः, मैं समझता हूँ कि कुछ बात है।....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब वह प्रेस काऊंसिल (संशोधन) विधेयक पर बोल रहे हैं।

4.44 म.प.

[हिन्दी]

प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित-जारी

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, जो विधयेक सदन के सामने है, जिसे पर कल से यहां पर चर्चा चल रही हैं वैसे यह विधेयक मेरे ख्याल से एक वाक्य का है और जो चर्चा इस सदन में हुई है, उसमें आमतौर पर जो लक्ष्य केन्द्रित हुआ है वह छोटे और बड़े अखबार और प्रेस कौंसिल के अपने अधिकार और प्रैस कौंसिल का अपना काम, उस पर हुआ है।

लेकिन मैं समझता हूँ कि आज वक्त आया है, जब प्रेस काउंसिल का निर्माण हुआ, जिस संदर्भ में निर्माण हुआ, उसको देखा जायें आज प्रसारण की दुनिया में जो बदलाव आया है, उसके संदर्भ में प्रेस काउंसिल का औचित्य क्या है, प्रेस काउंसिल की कौन सी जिम्मेदारियां और होनी चाहिये, इन पर सदन विचार करे।

मेरे पास प्रेस काउंसिल ऐक्ट 1978 है। इसमें कहा गया है कि यह कानून इसलिये बना।

[अनुवाद]

प्रेस की स्वतंत्रता और भारत के समचार पत्रों तथा समाचार अभिकरणों के स्तर को बनाये रखने तथा उसमें सुधार करना।

[हिन्दी]

देश में जो समाचार देने वाली एजेंसियां है, इनके स्तर को बनाये रखना और सुधार करना आवश्यक है। अगर हम इस प्रेस काउंसिल के सैक्शन 13 की तरफ अपनी नजर ले जाये तो प्रेस कांउसिल की क्या-क्या जिममेदारियाँ है, वे उसमें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं प्रेस काउंसिल की पहली जिम्मेदारी यह है कि

[अनुवाद]

समाचार पत्रों और समाचार अभिकरणों को उनकी स्वतंत्रता बनाये रखने में सहायता देना : उच्चस्तरीय व्यवसायिक मानकों के अनुरूप समाचार पत्रों, समाचार अभिकरणों तथा संवाददाताओं के लिये आचार संहिता बनाना जनता की रूचि के उच्चस्तर को बनाये रखने तथा नागरिक के अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के प्रति एक

नई धारणा का विकास करने के लिये समाचार पत्रों, समाचार अभिकरणों तथा संवाददाताओं की ओर से सुनिश्चित करना।

[हिन्दी]

यह जो जिम्मेदारी है कि स्तर ऊंचा रहे, स्तर इस प्रकार का रहे कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझ ले, अपने अधिकारों को समझ ले और वह स्तर इस प्रकार का भी रहे कि देश में पब्लिक टेस्ट बना रहे। अखबार छोटा हो, बड़ा हो, कितना पैसा दे कितना न दे, आज के युग में यही तक इसकी सीमित रखते है तो फिर सारी जिम्मेदारियों को बिल्कुल नजरअंदाज करने का काम करेंगें चूंकि टेस्ट क्या रहेंगा, यह अखबार तय करने की स्थिति में नहीं है। टेस्ट टेलीविजन तय कर रहे हैं। हिन्दुस्तान के टेलीविजन शायद टेस्ट तय करने की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। दुनिया भर के टेलीविजन आज हिन्दुस्तान के घर-घर और गांव-गांव पहुंच चुके है। वे उस टेस्ट को तय कर रहे हैं उस पर नियंत्रण कौन करेगा? 1978 में जब यह कानून बना तो हिन्दुस्तान की संसद ने यह महसूस किया कि अखबारों पर इस प्रकार का नियंत्रण रखना जरूरी है जिससे लोगों के मॉरल्स, उनकी नैतिकता पर किसी प्रकार का प्रहार न हो। उन्हें कोई गलत दिशा में ले जाने का काम अखबारों के जरिये न हों अखबार लोगों को अपने अधिकारों का प्रशिक्षण दें और जिम्मेदारी को बताने का काम करे। आज अखबार चाहे जितना करे लेकिन जो अखबार कभी अपने जीवन में आज तक बढ़ने के काबिल नहीं हुए, चूंकि उनको शिक्षण नहीं है, वे भी आज दूरदर्शन से प्रभावित हो रहे है। अपने देश के दूरदर्शन की बात मैं नहीं कहा रहा हूँ जैनरिक टर्म से उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। दुनिया भर का टेलीविजन घर-घर पहुंच रहा है, झुग्गी-झोपड़ियों में पहुंच रहा हूँ।

जब प्रेस काउंसिल 1978 में बनी थी, जब हम लोग वहां नहीं पहुंचे थे, आज हम पहुंच चुके हैं, मैं मानता हूं कि कोई भी इन्फोर्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग का मंत्री अपने विभाग मे, किस विभाग में, किस क्षेत्र में क्या कार्यक्रम बन रहा है, उनको न देख पायेगा, न उसको तय कर पायेगा। पहले तो दूरदर्शन का एक ही चैनल होता था, आजकल पता नहीं कितने हैं, लेकिन अभी चन्द दिन पहले की बात है, हम तो इसको देखते नहीं हैं, सभापति जी, आप मुझे क्षमा करेंगी, हम कभी टेलीविजन नहीं देखते हैं, हमारे घर में टेलीविजन नहीं हैं लेकिन उसमें क्या आता हैं, लोग हमसे भी बोलते हैं। हम कुछ पढ़ते भी हैं, हम कुछ जानकारी रखते हैं। अभी चन्द दिन पहले की बात है, सुना है कि कोई एफ एम रेडियों है, टाइम्स आफ इंडिया या पता नहीं किसका है लेकिन इनमें से किसी एक में एक ऐसा कार्यक्रम आया कि जहां एक लड़की एक शिकायत करती है। वहां कोई प्रश्नोत्तर या शिकायत और उसका इलाज, ऐसा कोई कार्यक्रम है। एक लड़की की शिकायत , उसकी परेशानी या उसके मन की पीड़ा या तकलीफ जाती है। क्या तकलीफ बताती है, वह बोलती है कि मुझे अपने चेहरे वगैरह पर श्रृंगार करने के लिए किसी चीज की जरूरत थी लेकिन मां ने देने से इन्कार किया। मेरे घर में कोई मेहमान आये तो हमने मेहमान के वैनिटी बैग में से चुराया। अब मेरी मां मुझसे पूछ रही हैं, चूंकि वह भी कह रही है कि आपके घर से हम आते हुए ले आये थे, उसका इस्तेमाल किया होगा तो इसका मतलब है कि आपके घर में उसको ले आये थे लेकिन यहां से जब अपने घर आये तो मैंने देखा। हमने देखा कि वह डिब्बा नहीं है तो कहां है? मेरी मां मुझसे पूछ रही है कि क्या तुमने इसको देखा था, तुमने उसके बैग में हाथ डाला था, तो मैं अब क्या करूं,

मैं बहुत परेशान हूँ। जो भी व्यक्ति कार्यक्रम चलाने वाला है, वह क्या जवाब देता है? वह कहता है तुम्हारी बहुत बढ़िया जोड़ी हो गई हम लोगों को मिलना चाहिए, हमको तुम बड़ी खूबसूरत लगती हो। अगर तुम्हारी जो यह काबलियत है यानि चोरी करने की और मुझमें बेचने की कूवत है, हम दोनों मिल जाये तो हम क्या नहीं कर सकते है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रशिक्षण 14 साल की लड़की को दिया जायेगा, इस पर कौन नियंत्रण करेगा?

प्रेस काउंसिल पर हमने पर अपना कितना गुस्सा यहां व्यक्त किया कि कौन सा अखबार क्या लिखता है, इसकी सब लोगों की चिन्ता है कि हम लोगों को करैक्टर असैसिनेशन हो रहा है, इस पर अभी यहां पर बहुत बहस हो गई। लेकिन जब करैक्टर बनने ही नहीं दिया जाता है तो उसका क्या होगा। असैसिनेट जब होता है तो कुछ कारण भी होते है। मगर जहां करैक्टर 12-14 साल की बच्ची का बनना है, उनको टेलीविजन क्या दिखा रहा है ? यह जो सारे नये चैनल बने रहे है, माफ करिये, मैं फिर कहता हूं, मुझे इसकी कोई तकनीकी जानकारी नहीं है और चैनल क्या होता है, इसकी मुझे मालूमात भी नहीं है, लेकिन जो भी आज दिखाई दे रहा है, विशेषकर विदेशी टेलीविजन हिन्दुस्तान में जिस प्रकार की एक सभ्यता को फैलाने का काम कर रहा है, जिसमें तमाम मूल्यों को खत्म करने की बात कर रहा है, इसका क्या इलाज है? चीन ने इसका इलाज निकाला और अभी-अभी सऊदी अरब ने इसका इलाज निकाला उन्होंने सारे डिश एण्टीना, जो विदेशी टेलीविजन के प्रोग्राम्स को कैच करते हैं, सुना हैं कि उन्होंने कहा कि हम इसको बन्द करेंगे। कई जगहों पर उन्होंने उसको बन्द कर दिया। चीन ने बन्द कर दिया और सऊदी अरब ने बन्द कर दिया। कुछ राष्ट्र है, जो इतनी हिम्मत कर रहे है।

मैं यह अनुभव कर चुका हूँ और विशेषकर इमरजेंसी के दिनों में अनुभव कर चुका हूं विदेशी अखबार हो या विदेशी रेडियों हो, उसने यहां पर उस तानाशाही से लड़ाई लड़ने वाले जो लोग थे, उनके समर्थन में भी बहुत खूब काम किया था। लोग आकाशवाणी बहुत कम सुनते थे, वह बी बी सी सुनते थें चीन के अन्दर भी बी.बी.सी. सुनते थे। बी बी सी बताता था कि चिन्ता करने की जरूरत नही है, सब ठीक चल रहा है। इस तानाशाही से लोग लड़ रहे है। कौन कहां क्या कर रहा है। लोगों के पास इसकी जानकारी आती थी। इसलिए प्रचार के साधनों की दुनिया में प्रजातंत्र को बनाये रखने के लिए कितनी शक्ति हैं और उसकी कितनी जरूरत हैं, उसको हम जानते है। लेकिन आज उसका गलत इस्तेमाल करके चरित्र को ही मिटाने का जहां काम हो रहा है या चरित्र बनने ही नहीं देने का जिन लोगों ने बीड़ा उठाया हैं और यह सारी जो पश्चिम की सभ्यता है, उस सभ्यता के कुछ गुण जरूर है,

लेकिन वह सभ्यता आज दुनिया में जिस प्रकार के काम में लगी है, हमें उससे घृणा है। अमरीका में बन्दूक का कल्चर है। बन्दूक के बगैर आज अमरीका में बोली नहीं है। उस सभ्यता को आज हिन्दुतान के लोग भी सीखने लगे हैं और सुना है कि हर चीज में इधर से पिस्टल और उधर से यह सब खेल है। सुना है, कोई टी वी का चैनल है, उसमें केवल मार-पीट और फिर मार-पीट दिखाई जाती है। कोई ऐसा भी चैनल है, उसमें केवल जिसमें केवल नंगा नाच ही नाच दिखाया जाता है। कौन मां-बाप कहां पर नियंत्रित करने का काम करेगा और कैसे करेगा?....**(व्यवधान)**

आपको कुछ तो इस बात पर गम्भीरता होनी चाहिए। दुनिया में केवल महिलायें भोग की वस्तु करके मानने वाली बात नहीं चलने देनी चाहिए और कम से कम इस सदन के भीतर। हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। यह संसद है और यहां भी यह व्यवहार हो जाएगा। फिर मीटिंग हो जाएगी कि क्या करना है, इन सब चीजों से बाहर जाकर। इसलिए हम मंत्री जी से इस बात के ऊपर खुलासा चाहेंगे कि केवल प्रेस काउन्सिल तक अभी सीमित रखने से बात नहीं बनेगी इस पर अभी आहिस्ता-आहिस्ता सोचेंगे और कोई कमेटी को कहेंगे या और किसी को बैठा देंगे, यह कह कर बात नहीं चलेगी, सरकार को अविलम्ब इस मामले में बात करने का उपाय निकालना चाहिए।

इसी के साथ-साथ मैं विदेशी अखबारों पर आना चाहता हूं। सौदे हो चुके है। कभी कोई अखबार जिन्होंने सौदा करने की कोशश की उनके हाथ नहीं लगा, तो किसी दूसरे के पास गए, तो दोनों ने मिलकर उसके खिलाफ अभियान शुरू किया। मैं कहता हूं कि पैसा ही भगवान बन कर रह गया है। इन सब लोगों का अगर कोई हमारे से सौदा कर ले, तो सब ठीक है। हमारे से गया और कलकत्ता के किसी अखबार से किया, तो यह देश के लिए बड़ा खतरा है। इस पर सेमीनार हो जाते हैं कि विदेशी अखबारों को किस तरह से काबू में रखा जाएं हम चाहते थे कि विदेशी अखबार, हमारे हिस्से में नहीं आया, तो ये सब तमाशे भी चलते हैं लेकिन हमारे लिए यह सब तमाशे का सवाल नहीं। आपने प्रेस काउन्सिल के कानून के सैक्शन 13(2) (छ) में लिखा है :

|हिन्दी|

परिषद अपने उद्देश्यों के संवर्धन के लिये निम्नलिखित कृत्यों को कर सकती हैं, अर्थात् :-

और धारा (घ) में प्रावधान है :-

किसी दूतावास या विदेशी राष्ट्र के भारत में प्रतिनिधि द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों सहित विदेशी समाचार पत्रों को परिचालन और इनके प्रभाव का अध्ययन करना।

|अनुवाद|

आपने यह मान लिया था कानून बनते समय, इसमें कई किस्म के ऐसे अखबार और ऐसे प्रचार के साधन बाहर आ सकते हैं, जो हमारे देश के हित में नहीं हो सकते हैं। आपने ऐम्बेसीज से आने वाले अखबारों पर किस तरह से निगरानी रखनी है, यह भी सोचा था। आज सारे विश्व के और ऐसे अखबार वाले जिनकी सारी बिक्री ही केवल नंगी तस्वीरें, कौन किसके साथ कहां पहुंचा, कौन किसके साथ कहां, पहुंचेगा, कौन राजा अपनी रानी के साथ कहां खेलने गया और उनकी दूर से तस्वीरें खींच कर अपना या क्लिंटन ने किसके साथ क्या किया, इसके ऊपर दस-दस या एक-एक करोड़ रूपया देकर उसकी तस्वीरे छापना, उसकी कहानियां छापना, यह कहां तक उचित है। महोदय, इसको अंग्रेजी में टिटिलेटिंग जरनलिजम कहा जाता हैं इस तरह से अखबार आज चल रहे हैं। ये सब लोग आज हिन्दुस्तान में आ चुके है मुड्डोक नाम के आदमी आ चुके हैं, जो अखबार खरीदना चाहते है, रेडियों खरीदना चाहते हैं, टी वी खरीदना चाहते है, सड़क से लेकर महल तक जो मिले उससे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। इसी प्रकार कोई टरनर आने वाले थे, जिनका जहाज बिगड़ गया और अब सुना है कि वे नहीं आ पाए, लेकिन उनके कुछ लोग आए हैं, दुनिया के ये लोग आकर हमारे अखबार और हमारे प्रसार-प्रचार के

साधनों पर हावी होने के काम में लगे है। जो बात 1978 में लिखी थी और आज 16 सालों के बाद पृथ्वी इतनी बदल गई, हमारे प्रसारण का तरीका इतना बदल गया, तो आप किस तरह से चुनौती का सामना करने वाले है?

5.00 म. प.

यह बहुत महत्व का प्रश्न है जिसका जवाब हम आज मंत्री जी से जानना चाहेंगे,

क्योंकि यहां पर एक और बात है,

[अनुवाद]

प्रेस परिषद अधिनियम की धारा 13 (2) (i) में प्रावधान है कि ''समाचार पत्रों और समाचार अधिकरणों के स्वामित्व को सामूहिकीकरण अथवा इसके अन्य पहलुओं जैसी घटनाओं से स्वयं को सम्बद्ध रखना जो प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हों।''

अब यह जो मडोक और पता नहीं कौन-कौन से विदेशी पूंजीपति यहां आकर अरबों नहीं, खरबों रुपये में खेलने वाली ये जमातें जब एक बार हिन्दुस्तान के ऊपर हावी होना शुरू हो जायेंगी तो फिर कुछ नहीं बचेगा। इसलिये हम सब यह कहते हैं।

'समाचार पत्रों के स्वामित्व के कुछ हाथों में चला जाना और उससे संबंधित अन्य पहलू तो आपकी जिम्मेदारी है, मडोक कैसे यहां आ जायेगा जब आपके पास यह कानून है, जब यह अधिकार प्रेस काउंसिल के पास है तो कैसे यहां मडोक आएगा, कैसे कोई विदेशी अखबार वाला इधर आकर हमारे अखबारों को अपने हाथ से लेकर पैसे का खेले चला कर, पैसे की सब को जरूररत है और आज वे सभ्यता, पैसे की सभ्यता जब वे बनाने लग जायेंगे तो फिर पैसे के ऊपर सब कुछ चला जायेगा, सदन के अंदर जब हम लोग देखते है तो फिर बाहर क्यो न यह काम हो जाये तो इसका जवाब कौन देगा? अगर आज मंत्री जी केवल इतना सा एक पैराग्राफ देकर कहें कि कितना किसका सरकूलेशन हैं इस पर जरा हम लोगों को भी नजर रखनी हैं सरकूलेशन बहुत छोटी बात है यह तो सारे देश के ऊपर हमला हो रहा है और इस पर आपको तत्काल कोई कानून और बनाना चाहिये इसकी जरूरत नहीं है। केवल इस कानून के अंतर्गत आप कदम उठा सकते है और यह कदम आपको उठाना चाहिये, यह मुझे मंत्री जी से कहना है।

महोदय, मैं एक-दो मुद्दो को रख कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। पहला यह है कि आज जिस तरह से विदेशी टेलीविजन हमारे ऊपर हावी हो रहा है वह केवल हमारी सभ्यता पर हमला कर रहा है वही तक नहीं। परसो हमने इस सदन में क्रिकेट के वर्ल्ड कप का सवाल छेड़ा एक अमेरिकी कम्पनी आज हमारे देश में टेलीविजन के पूरे अधिकार लेकर क्रिकेट का मैच दिखने के लिये यहां पहुंच जाती है और हमारे देश में खेल का इंतजाम करने वाली जो जमात है वह हमारे अपने देश की जमात है। हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये तीनो होस्ट कंट्रीस हैं, ये मेहमान हैं श्रीलंका ने अपने देश में इस क्रिकेट मैच को दिखाने का काम अपने दूरदर्शन से कराने का तय किया है और आपके यहां तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ जाती है आपका मंत्रालय कुछ कर नहीं पा रहा है और मुझे तो परेशानी हो जाती है कि जब यह काम अपने ही देश के लोग अपने ही देश में अपनी संस्था को, अपनी सरकारी संस्था को बाजू धकेल कर अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय टेलीविजन कम्पनी को बुला कर उसके जरिये इसको टेलीकास्ट करने का पूरा अधिकार लेना और दूरदर्शन फिर उनसे खरीद ले और नहीं खरीदना

चाहे तो फिर चुप बैठ जायें महोदय, कुछ तो हम लोगों को स्वाभिमान की बात रखनी होगी। यह जो आपकी नयी नीतियां हैं इन्होंने हम लोगों को यहां तक लाकर पहुंचा दिया है कि ऐसे मामलों में भी हम अपने स्वाभिमान की बात को नहीं करेंगे। तो इसलिये हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि इस क्रिकेट के कप को लेकर जो 96 से आपका वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें आप क्या करने जा रहे है। मेरी तो आज यह मांग है। मुझे नहीं मालूम कि आपके कौन-कौन से कानूनी अधिकार है लेकिन इन कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल होना चाहिये और इस सदन को इस पर राय बनानी चाहिये कि भारत में जब भी कोई खेल-कूद का काम होगा, हम जिसमें कोई होस्ट के तौर पर काम करेंगे तो फिर हमारे देश की जो संस्था है वह उसका सारा प्रसारण का काम करेगी, विदेशी कंपनी को कभी अधिकार नहीं दिया जायेगा।

सभापति महोदय, हम जानते है कि ओलंपिक या दूसरे किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उस देश के हवाई-जहाजों को आफिशियल कैरिअर कहा जाता है। अमरीका में जब आंलपिक्स होगा तो क्या इंडियन एअर लाइंस या एअर इंडिया को कभी आफिशियल कैरिअर बनाया जाएगा। इनकी हवाई जहाज की कंपनी आफिशियल कैरिअर, बनेगी, जापान में अन्तराष्ट्रीय खेल होंगे तो जापान की हवाई जहाज की कंपनी आफिशियल कैरिअर बनेगी, तो फिर खेल के मामले में वहीं चीज क्यो बदल जाती है, इसलिए कि अमरीकी लोग कहीं भी पहुंच सकते है और हम अमरीका की शरण में जाने को तैयार है, इसलिए ये चीजें इस तरह से बदल जाती हैं परसों भी हमने इस मामले को यहां पर शून्य-काल में उठाया था, उस वक्त मंत्री जी यहां पर नहीं थे। शून्य-काल की बात भी लगता है कि शून्य हो जाती है क्योंकि उसका जवाब देने की किसी पर जिम्मेदारी नहीं है, सवाल जहां उठता है, वहीं तक सीमित रह जाता है। आज मंत्री जी बैठे है और उनसे मैं इस बारे में जवाब चाहूंगा। इसके साथ-साथ पिछले एक हफ्ते में दूरदर्शन में कुछ घटनाएं घटी है, हमने अखबार में पढ़ा है। आप जांच करने के लिए किसी अधिकारी के पास गए और उसने आपको भीतर आने से रोक दिया। शायद ज्वाइंट सेक्रेट्री रैंक का वह आफिसर था, मुझे याद नहीं, मैंने अखबार में पढ़ा था। इसके बाद आपने सिर्फ यह काम किया कि मंत्रालय को लिखा कि इनको कही और भेज दिया जाए। अखबार में यह भी पढ़ा कि वह अधिकारी भ्रष्ट है, इसके खिलाफ भ्रष्टाचार के और गलत कामकाज करने के आरोप है, बहुत भ्रष्टाचार वह करता है और बहुत ज्यादा अकड़ु भी है। यह भी देखा गया है कि जो सबसे अधिक भ्रष्टाचार करता है, वहीं सबसे अधिक अकड़ू भी बन जाता है और ऐसे अधिकारियों के साथ सिर्फ इतनी कार्रवाई की जाती है कि दूसरे मंत्रालयों में इनको भ्रष्टाचार करने के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि संविधान की धारा 311 में प्रावधान है। ये सारी बाते अखबारों में छपती हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। वह अधिकारी भ्रष्ट है और अकड़ने की बात यहां तक है कि उसने आपको अंदर घुसने नहीं दिया और आप कुछ नहीं कर पाए।

एक बात मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप कोई पहली बार मंत्री नहीं बने हैं और सत्ता से हटने के बाद भी अपने मूल्यों को बनाए रखने का काम किया हैं मैं जानता हूं कि इस व्यवस्था में यदि कोई ईमानदारी से काम करेगा तो वह इतना आसान नहीं है, उसको धकेलने का काम किया जाता है, लेकिन आपको इसके खिलाफ खड़े रहने का काम करना होगा, कम से कम आपसे हम यह अपेक्षा करते है और जहां भी इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं, उन हरकतों का सामना करने के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके लिए आप तैयार रहेगे।

सभापति महोदय, आखिरी बात कहूंगा जो अखबारों में काम करने वाली, विशेषकर पत्रकारों से संबंधित है। एक सिलसिला ऐसा बन गया है कि अखबार वाले अब अखबार को केवल अखबार के अधार पर कंपनी नहीं चलाते, हमारे पास कुछ बैलेंस शीट्स हैं, अखबार चलाने के साथ-साथ अखबार का पैसा सीमेंट कंपनी में भी चला जाता है और जो मुनाफा है वह सीमेंट कंपनी में चला जाता है, दूसरे उद्योग लगाने में चला जाता है और अखबार के कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दिया जाता, इसके लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे कि हम तो इस कलाज में कवर होते, हम तो इस कलज़ में कवर होते हैं।

इस पर रोक लगानी होगी। कुछ मिलाकर समाज में, हर क्षेत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में बेरोजगारी की कमी नहीं है भले ही आप देश में कितने भी अखबार बढ़ाएं। ऐसी स्थिति में मालिकों की तरफ से जो जुल्म चलता है। तो इसको माफ करने के लिए कोई उपाय निकालना होगा। प्रेस काउंसिल के मामले में हम लीपापोती करने का काम करेंगे। लेकिन बुनियादी चीजें हैं जैसे-मालिक अपने पैसे और ताकत का इस्तेमाल करेंगे और अपने पत्रकारों को मारेंगे और जो पैसे कमायेंगे उससे नए उद्योग लगाने का काम करेंगे और हमारे जैसे लोगों को महंगा अखबार बेचने का काम करेंगे। एक अखबार एलान करता है कि हम सबसे कम दामों पर सप्ताह में छह दिन आपको अखबार देंगे। आपके लिब्रेलाईजेशन के अंदर एमआरटीपी का कानून खत्म कर दिया। सप्ताह में छह दिन हमको डेढ़ रूपए में अखबार मिलेगा और सातवें दिन सात रूपए में मिलेगा। कैसे दे सकते हो? यह कंज्युमर कानून के विरुद्ध है। अगर आप मे एक चीज सप्ताह में छह दिनें डेढ़ रूपए में बेचने की शक्ति हैं तो सातवें दिन किस आधार पर ज्यादा पैसे ले रहे हो? लेकिन अब अदालतें भी इतने काम के बोझ में फंसी हुई है कि कोई भी वहां पर ले जाने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। अब अखबारों के मालिक संपादक बनकर अखबार चला रहे हैं, जिनको रत्तीभर जानकारी नहीं है कि क्या लिखना है। जानकारी न होने वाला आदमी मुख्य संपादक इसलिए बना है चूंकि बाप-दादा से अखबार बन दिया था हिन्दुस्तान की पत्रकारिता के साथ जुल्म आज हो रहा है। जुल्म को रोकने के लिए पत्रकारों के हाथ में शक्ति नहीं है। संसद और सरकार के पास शक्ति है कि इस विधेयक के साथ शक्ति को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। 13-(2) (आई) की ओर आपकी नजर खींचता हूं चूंकि वह अधिकार आपके हाथ में हैं। उस अधिकार का इस्तेमाल आपको करना चाहिएं इस विधेयक के पास करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो बुनियादी सवाल हमने आपके सामने रखे है तो उन सवालों के बारे में मंत्री जी यहां पर स्पष्ट नीति बताने का काम करेंगे तब इस विधेयक का मतलब रहेगा वरना कोई मतलब नहीं रहेगा।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सभापति महोदया, सर्वप्रथम मैं सदन के ध्यान में विशेषकर माननीय मंत्री महोदय, जो कि विधेयक के प्रभारी है, के ध्यान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि मुझे इस विधेयक के पारित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु मुझे यह कहने पर विवश होना पड़ रहा है कि यह विधेयक अप्रासंगिक है और केवल समस्या की बाहरी बातों से ही सम्बन्धित है। यह वियधेक हमारे देश के प्रेस की मूल समस्याओं से संबंधित नहीं है और इससे हमारे प्रेस की सामान्य समस्याओं का भी समाधान नहीं हो पाएगा।

मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए माननीय मंत्री महोदय का ध्यान कतिपय मूल विषयों और कतिपय मूल

नीति के सम्बंधी व्यवस्थाओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा और यदि इन मूल विषयों और मूल नीति सम्बंधी व्यवस्थाओं का समाधान नहीं किया जाता और उसको निर्धारित नहीं किया जाता तो मैं समझता हूं कि यदि इस विधेयक को स्वीकृत भी कर दिया जाता है। तो भी इससे कोई लाभ नहीं होगा।

मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहूंगा कि आज एक व्यापक तथा सुविचारित मीडिया नीति बनाएं जाने की बहुत आवश्यकता है। सरकार की वर्तमान मीडिया नीति क्या ? कई माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये है और कई माननीय सदस्यों ने इससे होने वाले प्रभावों की ओर भी संकेत किया है। परन्तु हमारी सरकार की मीड़िया नीति का वास्तविक मौलिक आधार क्या है। अतः विश्व में, हमारे देश में और सूचना प्रौद्योगिकी में जो परिर्वतन हुए है उनको ध्यान में रखते हुए सरकार को एक सुनियोजित एवं सुविचारित मीडिया नीति बनाये जाने की आवश्यकता है। अतः प्राथमिकता सबसे पहली आवश्यकता यही है कि आज देश में एक व्यापक मीडिया नीति बनाई जाये। देश में कई परिवर्तन हुए हैं, देश के समक्ष नयी चुनौतियां पैदा हो गई है, संस्कृति को विकृत करने और इसके ह्रास की नयी कुरीतियां सामने आयी है। और जब तक इन नीतिगत परिवर्तनों के प्रति अर्थात् स्थिति में हुये वास्तविक परिवर्तनों के प्रति कारगर प्रतिक्रिया नहीं होगी तब तक यह मीडिया नीति उस मीडिया नीति का मुकाबला प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती जो कि देश के अहित के लिए कार्यरत है। अतः देश की वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए एक व्यापक, सुविचारित नीति तैयार करने की आवश्यकता है।

कई सदस्यों ने सीमा-पार का अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया स्रोतों से उत्पन्न खतरों की ओर संकेत किया है और हमें इन खतरों का सामना करना है। इन खतरों का सामना सेना के द्वारा नहीं किया जा सकता। इन खतरों का सामना एक विशेष मीड़िया नीति तैयार करके किया जा सकता है। सांस्कृति ह्रास का सामना एक वैकल्पिक सांस्कृति नीति तैयार करके किया जा सकता है। अतः हमारे देश के लिए एक नई नीति बनाने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि मीडिया नीति ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारे देश में विदेश में हुए परिवर्तनों और बाहर के खतरों और चुनौतियों का सामना करने में समुचित रूप से सक्षम हों।

5.17 म.प.

(श्री पी. सी. चाको पीठासीन हुए)

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस मीडिया नीति को तैयार करते समय हमें इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए कि विदेशी संस्कृति का संभावित आक्रमण हमारी संस्कृति पर हमारे समाज पर एवं हमारे सामाजिक ढांचे पर न होने पाये। चूंकि कई सदस्यों ने विभिन्न खतरों के बारे में पहले ही संकेत कर दिया हे अतः मैं उन खतरों के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। इस नई मीडिया नीति में अन्य पहलुओं के साथ निम्नलिखित पहलू भी समाविष्ट है। पहली बात यह है कि प्रेस परिषद अधिनियम को सुदृढ़ बनाने के लिए पर्याप्त उपाय किये जाने चाहिए। जब तक प्रेस परिषद को और सदृढ़ नहीं बनाया जाता तथा इसे और अधिकार नहीं प्रदान किये जाते तब तक वर्तमान चुनौतियों का सामना नहीं किया जा सकता तथा इस क्षेत्र में जो विकृतियों पैदा हो गई हैं, उनको दूर नहीं किया जा सकता। अतः इस नई मीड़िया नीति में प्रेस परिषद तंत्र के पुनर्गठन और प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में भी स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? आज की प्रेस की स्वतंत्रता, एक

दशक से भी पहले की प्रेस की स्वतंत्रता की संकल्पना और व्याख्या से सम्बद्ध नहीं हो सकतीं है। जहां तक प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध है, मैं इस सदन का ध्यान केवल इस मौलिक व्याख्या की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि इसमे मुझे आपसे अलग विचार रखने का अधिकार दिया गया है।

इसी तरह से इसमें यह भी प्रावधान है कि आपका भी अधिकार है कि आप मुझसे अलग विचार रखें सकते हैं। यही वाक स्वतंत्रता का मौलिक सार है। मुझे आपसे अलग विचार रखने का अधिकार है और साथ ही, मुझे यह भी बात याद रखनी चाहिए कि आपको मुझसे अलग विचार रखने का अधिकार है। मुझसे अलग विचार रखने के आपके अधिकार की रक्षा करना भी मेरा कर्त्तव्य है। इसी व्याख्या को वाक स्वतंत्रता का मौलिक आधार होना चाहिएं इसे मीड़िया नीति में समाविष्ट करना चाहिए।

महोदय, इस नीति में समाचार पत्रों की स्वामित्व संबंधी आधारभूत समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान होने चाहियें। मेरे पास यह कहने के लिए कई तथ्य एवं आंकड़े है कि समाचार पत्र उद्योग पर एकाधिकारवादी घरानों का एकाधिकार होता जा रहा हैं हमारे यहां पश्चिम बंगाल में पटसन व्यापरी (बैरन) समाचार पत्र उद्योग में निवेश करते हैं अतः यहां इसे प्रेस नहीं अपितु (जूट) प्रेस कहा जाता है। हो सकता है यदि आप इस 'जूट' शब्द का हिन्दी में उच्चारण करोगे तो जूट प्रेस 'झूठ' प्रेस बन जाता हैं अतः समाचार पत्र उद्योग के स्वामित्व ढांचे को भी नई मीडिया नीति के ढांचे के अन्तर्गत लाया जाना चाहियें और यही समाचार पत्र उद्योग में निवशे की गई धनराशि के लोकतंत्रीकरण और विकेन्द्रीकरण की समस्या उत्पन्न होती है।

महोदय, नई मीडिया नीति में पत्रकारों के आचरण तथा संपादकीय स्वतंत्रता को भी शामिल किया जाना चाहिये। अनेक सदस्यों ने इस बात की ओर संकेत किया है कि किस तरह से समाचार पत्र का स्वामी, जब संपादक बन जाता है तो वह संपादकों को और संपादकीय कर्मचारी वर्ग (स्टाफ) को अपनी मर्जी से जब मन चाहें नौकरी से निकाल देता हैं। यदि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाये रखना है तो मीडिया नीति में इस बारे में भी आधारभूत दृष्टिकोण स्पष्ट किया जाना चाहिये। मीडिया नीति तब तक मीड़िया नीति नहीं बन सकती जब तक कि इनको उस मीडिया नीति में शामिल नहीं किया जाता।

कई संदर्भों में हम पाते हैं कि विधान मण्डल और वाक व अभिव्यक्ति-स्वतंत्रता के बीच संघर्ष चल रहा है ऐसी बहुत सी बाते हैं जिनका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता। हाल ही में महाराष्ट्र में ऐसी एक घटना घटी है। अतः विधायी विशेषाधिकारों और वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संहिता बद्ध किये जाने की आवश्यकता हैं। मैं उन घटनाओं का उल्लेख नहीं करना चाहता। अतः भाषणं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में और वैधानिक विशेषाधिकार के भी हित में, इसका संहिताकरण होना चाहिए और इन दोनों का विभाजन करने के लिए एक सीमा-रेखा, इन दोनों को अलग करने वाली एक सीमा-रेखा और अधिक स्पष्ट बनाई जानी चाहिए ताकि कोई एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप न कर सकें।

महोदय, दूसरी बात विदेशी प्रेस के प्रवेश और साम्या (इक्विटि) भागीदारिता के बारे में है जहां तक मुझे जानकारी है अनेक विदेशी समाचार पत्र भारत में प्रवेश करने और अपने समाचार पत्र प्रारम्भ करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि यह नीति ढांचा, जिसका मैंने पहले भी उल्लेख किया है, बनाया जाना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इसके लिए एक प्रेस आयोग बनाया जाना चाहिए जो इन मामलों पर चर्चा करें और

इन समस्याओं पर विचार करे और इन उपबन्धों के बारे में विशिष्ट सिफारिशें दे सकें उस प्रेस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नई मीडिया नीति तैयार की जानी चाहिए जिसमें प्रेस आयोग की सिफारिशें भी शामिल की जाए, जैसाकि मैंने पहले कहां। यह पता चला है कि कतिपय विदेशी कम्पनियों के प्रकाशन भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। टाईम, दि सन, दि फाइनेंसियल टाइम्स, डी.पी.ए. भारत से अपने प्रकाशन प्रारम्भ करने के लिए हमारी सरकार को अपने औपचारिक प्रस्ताव पहले ही पेश कर चुके हैं। इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, मुझे बताया गया कि ''दा आनन्द बाजार पत्रिका'' लन्दन से प्रकाशित ''दि फाइनेंसियल टाइम्स'' के साथ सहयोगी योजना में पहले ही प्रवेश कर चुकी है। मुझे बताया गया कि इसे स्वीकृति दी जाने वाली है यह हमारी सरकार की मीडिया नीति का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है।

सभापति महोदय, वास्तव में मैं केवल इस बारे में सरकार की नई नीति की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं 23 मई, 1956 को हुई राष्ट्रीय मीडिया नीति संबंधी मंत्रीमंडलीय बैठक के कार्यवाही सारांश के अंश उद्धृत करता हूँ। इसमें औपचारिक रूप से अभी तक कोई परिवर्तन नही किया गया है।

''विदेशी समाचार एजेन्सियों का प्रवेश विषयनिष्ठता और भारतीय समाचार एजेन्सियों की व्यापार सम्भावनाओं के लिए हानिप्रद होगा।''

क्या सरकार ने इस बदलने करने का निर्णय लिया हैं यदि उन्होंने इसमें परिवर्तन लाने का निर्णय लिया है तो कि किस अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत, उन्होंने इस संसद से बाहर यह काम किया है, मैं समझता हूं कि मंत्रीमण्डल में कुछ माननीय सदस्यों, जैसीकि सूचना मिली है की इस तथाकथित नई आर्थिक नीति, अन्तर्राष्ट्रीयकरण और उदारीकरण के अन्तर्गत इनके प्रवेश को अनुमति दिलाने में अत्याधिक दिलचस्पी है। वास्तव में इसी को आधार मानते हुए 'दि फाइनेशियल टाइम्स' के एशियाई संस्करण के संपादक एलेक्जेंडर निकल के अनुसार ''उनका समाचार पत्र भारत सरकार द्वारा उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के बाद ही भारत में प्रकाशन की सम्भावना बिन्दु पर विचार करने लगा है।''

उन्होंने कहा है कि वे महसूस करते हैं कि भारत सरकार की उदारीकरण और अन्तर्राष्ट्रीयकरण की नीति से ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई है कि विदेशी समाचार पत्रों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही हैं....**(व्यवधान)**

मैं नहीं समझता और आपको भी ऐसा नही समझना चाहिए कि मंत्री महोदय को उनके पद से हटा दिया जाए। कृपया इसकी जाँच करें। आपको ऐसी मीडिया नीति जो राष्ट्र के हित में है को बदलने के दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए।

वे कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही मौलिक तत्व है-.संवेदना । अब उनको कहना है कि स्पर्धा होनी चाहिए। लेकिन हमें समझना चाहिए कि संवेदना और स्पर्धा साथ-साथ नहीं चल सकते। हमारी भारतीय संस्कृति संवेदना की है। हमारी स्पर्धा नहीं करते। लेकिन अब हमें प्रत्येक क्षेत्र स्पर्धा ही दिखाई पड़ती है।

अतः मैं इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ कि यही उचित समय हैं जब हमें अपने देश की मीडिया

नीति की उचित पुनरीक्षा करनी चाहिए जो परिवर्तनों के अनुरूप हो, जो नई सूचना तकनीकी के प्रति पर्याप्त रूप से उत्तरदायी हो, मजबूत हो, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अनाचार समाप्त करने में कारगर हो, जो यह देख सके कि समाचार पत्र उद्योग पर किसी का एकाधिकार न हो और जो प्रभावी रूप से राष्ट्र का हित कर सके और देश में विदेशी संस्कृति के प्रवेश का विरोध कर सकें

मैं इसके लिए दूसरा प्रेस आयोग बनाने के लिए उचित कदम उठाने हेतु सरकार से निवेदन करता हूँ। नये प्रेस आयोग को इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर सिफारिशें करनी चाहिए और उन सिफारिशों के आधार पर सरकार को एक नई मीडिया नीति की घोषणा करनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपका आभारी हूँ मैं जानता हूं कि इस विधेयक का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। लेकिन चूंकि इस विधेयक का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वभाव-स्वरूप माननीय सदस्य कुछ उन मौलिक प्रश्नों पर अपने विचार जो सम्पूर्ण देश के लोगों को उत्तेजित कर रही है।

महोदय, मैं लम्बे वाद-विवाद में नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करता हूँ कि वह एक दो बातों को ध्यान में रखते हुए उन पर विचार करें और यदि सम्भव हो तो आज ही इसका प्रत्युत्तर दें। प्रेस परिषद के बारे में आशा की जाती है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। हम कहते हैं कि हम प्रेस को नियमित करने अथवा नियन्त्रित करने अथवा इसके कार्यों में हस्तक्षेप करने में विश्वास नहीं रखते क्योंकि इस देश में प्रेस की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार माना जाता हैं। लेकिन ऐसे कई मौके आए हैं और वे मौके कम नहीं थे, जब हमने पाया कि प्रेस के एक वर्ग ने गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार किया हैं। प्रेस के विरुद्ध की गई शिकायतों की जाँच करना और अर्ध न्यायिक कार्यवाही के बाद अपने निष्कर्ष पेश करना हैं परिषद की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के एक सेवा निवृत न्यायाधीश करते है।

महोदय, मैंने एक बार प्रेस परिषद के समक्ष शिकायत की थी। यहां तक कि संबंधित समाचार पत्र वाले हाजिर नहीं हुए। उनके पास बचाव के लिए कोई उपाय नहीं थां मैंने प्रेस परिषद के सामने साक्ष्य दिया था। उन्होंने मेरे पक्ष में निर्णय दिया। यह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रिपोर्ट पूर्णतः शरारतपूर्ण थी और इसके प्रकाशन के लिए दिशा निर्देश दिए थें और वह प्रकाशन पुनः विकृत तरीके से किया गया जिससे मुझे पुनः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का एक और अवसर मिला लेकिन मैंने यह व्यर्थ की कार्यवाही नहीं की।

इस सदन के पूर्व माननीय सदस्यों के विरुद्ध, जो अब दूसरे सदन के माननीय सदस्य हैं, धन का दुरूपयोग करने के आरोप लगाए गए थें वह प्रेस परिषद में गये। प्रेस परिषद ने समाचार पत्र को नोटिस दियें। अनेक नोटिसों के बावजूद समाचार पत्र वालों को हाजिर होने की हिम्मत नहीं हुई। और जब समाचार पत्र के विरुद्ध यह कहते हुए रिपोर्ट दी गई कि यह गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता थी, उस समाचार पत्र में एक लाइन भी प्रकाशित नहीं हुई थीं क्या प्रेस परिषद इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता पर नियंत्रण रखने में समर्थ है।

अतः मैं यह कहना चाहूँगा कि अब प्रेस परिषद के कार्यकरण के परिणामों का गहराई से अध्ययन करना होगा। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि समाचार पत्रों के साथ किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो,

हम समाचार पत्रों पर नियंत्रण करने अथवा सम्पादकों अथवा उनकी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं कर रहे है। लेकिन, महोदय, यह सही है कि पहले से ही मानी हुई कुछ प्रकार की जिम्मेदारी है। जैसाकि श्री जार्ज फर्नान्डीज कह रहे थे कि चरित्र हनन का आरोप इतनी सहजता से नहीं लगाना चाहिए। यह अनुभव करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कुछ समाचार पत्र भाग्य से सभी नहीं- उद्देय प्राप्ति, राजनैतिक विचारों के आधार पर जानबूझकर कहानियाँ गढ़ रहे हैं और मिथ्यावाद लगा रहे हैं लेकिन मैं नहीं चाहता कि उन्हें और उकसाना चाहिए। पत्रकारिता के व्यवसाय में मेरे अनेक मित्र हैं। मुझे उनकी परेशानियाँ भी मालूम है। उनकी अपनी परेशानियाँ है। उन्हें लिखने के लिए विवश किया जाता है। उनमें से कुछ को वे बात लिखने के लिए मजबूर किया जाता है जिन्हें वे भी लिखना नहीं चाहते। इन बेरोजगारी के दिनों में, वैकल्पित रोजगार के अभाव में, जब किसी व्यक्ति को एक अच्छे समाचारपत्र में अच्छी नौकरी मिल जाती है तो उन्हें अपनी नौकरी बनाए रखनी होती है। लेकिन सभी व्यक्ति समझौता-प्रवृति वाले भी नहीं होते हैं। कुछ लोग इसके विरुद्ध आवाज भी उठाते हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करता हूं और उनके प्रति मेरी अगाध श्रद्धा है, कि वह एक महत्वपूर्ण मंत्रालय की अध्यक्षता कर रहे है। मुझे मालूम है कि उसके विचार सही है। वह भी परिस्थितियों के दास है। मैं नहीं चाहता कि वह अपना पद खोएं अतः मैं कहना चाहता हूं कि एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में वह एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी और फुटबाल खिलाड़ी भी हैं उन्हें यहाँ कुछ महत्व के काम करना चाहिए और इन बातों से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। अतः जब आप प्रेस परिषद को अधिकार प्रदान करने की बात कहते हैं, मैं समझाता हूं कि मैं बहुत ही सहजता से नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें किसी तरह का संरक्षण दिया जाना चाहिएं जैसा कि हम प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा उत्साहपूर्वक करना चाहते हैं हम अधिकार के दुरूपयोग और प्रेस की स्वतंत्रता के दुरूपयोग को भी जोरदार ढंग से विरोध करना चाहते है। इसके अतिरिक्त मैं उन मौलिक मुद्दों का अध्ययन कर रहा हूँ जिन्हें यहां उठाया गया है, जैसे विदेशी और अन्यों द्वारा हमारी प्रेस को अधिकार में लेने का प्रयास करना। आज हम अमरीका की सनक, इच्छाओं और स्वेच्छाचारी के शिकार हो गए है। हम कहाँ तक स्वतंत्र हैं, इस बारे में हमें एक बार पुनः गम्भीरता से विचार करना होगा। यह एक लम्बा वाद-विवाद है। अभी मैं इसकी चर्चा में नहीं पड़ रहा है। हाल ही में, एक प्रवृत्ति विकसित हुई है जिसमें बड़े समाचारपत्रों के स्वामी जो उद्योग के वास्तविक चालक हैं, अचानक ही सम्पादक अथवा पत्रकारों का लिबास पहन लेते है। हम सभी जानते हैं कि एक बोरी बंडर की एक वृद्धा के मामले में क्या घटित हुआ था। उस मामले में सदमा देने वाली एक बात घटित हुई थी। एक महान प्रतिष्ठा वाले सुस्थापित पत्रकार के साथ क्या घटित हुआ था। आज, कम्पनी के स्वामी की विश्वसनीयता का एक मात्र दावा उसकी सम्पति के रूप में है और वही वास्तविक सम्पादक बन जाता है। अन्य अनुभवी और सुप्रतिष्ठित पत्रकारों और रिपोर्टरों को जाना पड़ता है। श्री चंदुलाल चन्द्राकर एक पत्रकार भी थे। मुझे नहीं मालूम कि वह आज भी पत्रकार हैं अथवा नही।....*(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उनके विचार पूछ रहा हूँ। मैं उनका सम्मान करता हूँ।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : वह उस अवस्था को पार कर चुके हैं। उन्हें आपके प्रमाण पत्र की, आवश्यकता नहीं है।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : लेकिन मुझे विश्वास है कि उन्हें मेरे स्नेह की आवश्यकता है।

कुछ भी हो यह बहुत ही खतरनाक बात हो रही है। हमारी धन और इससे भी अधिक विदेशी धन के प्रति जी हजूरी हमारे देश की जड़ों को खा रही है और यही कारण है कि हम समुचित सांस्कृतिक जीवन के अपने परिप्रेक्ष्य को खो बैठे हैं।

हमारे नैतिक मूल्यों को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है और, इसी कारण श्री जार्ज फर्नान्डीज जैसे माननीय सदस्य को गुस्से और वेदना में चिल्लाना पड़ता है।

मंत्री महोदय को एक बैठक बुलानी पड़ी थी और मुझे प्रसन्नता है कि वर्तमान हिंसा और सैक्स संबंधी प्रवृत्तियों का प्रभाव, उन सनसनीखेज बातें पर जो हमारे देश में आ चुकी हैं और हमारे लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को निगल रही है, पर विचार करने के लिए कल बैठक बुलाई थी। युवा पीढ़ी जो जीवन के विकासकाल में हैं, सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। यह सबसे बड़ा खतरा हैं हम इस तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे इस देश में धन ही सब कुछ हैं और यदि यह विदेशी धन है तो भी यह उचित है।

इसलिए, महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इस विषय पर गम्भीरता से विचार करने के लिए निवेदन करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस बारे में एक पहल की है। इए संबंध में कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर उन्हें देश को प्रदूषित करने की स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। भारतीय संस्कृति में उत्तम बातों को जिन पर हमें गौरव है छोड़ने की स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। एक ऐसी परिस्थिति नहीं पैदा की जानी चाहिए। जहाँ एक परिवार विघटित होता हो क्योंकि ऐसी स्थिति में माता-पिता और बच्चे इकट्ठे बैठकर कार्यक्रम नहीं देख सकते। आज हम इस स्थिति में पहुंच गए है।

हमारा गौरव यह है कि हमारे देश में मूल्यों की कुछ समझ है। हमारे देश में सत्यजीत राय, मृणाल सेन और ऋतिक घटक जैसे फिल्म निर्माता थे जिन्होंने देश को सम्मानित किया। सम्पूर्ण विश्व में उनका सम्मान किया जाता हैं। हमें उनका संदेश अपने देश में और साथ-साथ विदेशों में भी फैलाव चाहिए। माननीय मंत्री जी एक उद्यमशील मंत्री हैं मैं उनसे निवेदन है कि वे इन मामलों की गम्भीरता से जाँच करेंगे और यह सुनिश्चित करें प्रेस परिषद एक कारगर अंग बने। यदि आवश्यक हो तो मंत्री महोदय इसके क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते है कि इसे तत्संबंधी कार्यवाही करने और कारगर कदम उठाने का अधिकार हैं इसके कार्य केवल रिपोर्ट पेश करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए क्योंकि इन रिपोर्टों पर कार्यवाही करने की तो दूर की बात है इन्हें कोई पढ़ता तक नहीं हैं अतः, महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। आखिरकार, हमारे देश गंभीर संकटों से गुजर रहा है। हमारे देश में असंतोष व्याप्त हैं धर्म आदि के आधार पर इस देश के लोगों को विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। यहां प्रेस को एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। दुर्भाग्यवश प्रेस में जोड़ने वाले पहलुओं की अपेक्षा प्रवृत्तियों को अधिक प्रमुखता मिल रही है।

अतः सभापति महोदय, जहाँ तक इस विधेयक का संबंध है, यह अनपकारी लगता है। लेकिन आप बड़े, मझोले और छोटे समाचार पत्रों के मध्य किस प्रकार भेद करेंगे ? ये दिशा निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके साथ ही इस देश में प्रेस की वास्तविक स्वतंत्रता और संस्कृति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इन्हें अन्तिम विदाई नहीं दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय (श्री पी.सी. चाको) : इससे पहले कि मैं अगले वक्ता को बुलाऊँ, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूँगा कि हमें आज ही इस विधेयक को पारित कर देना चाहिएं हमने इस पर कल चर्चा प्रारंभ की थीं इस विधेयक के लिए 2घंटे के समय का आवंटित किया गया था। और हम पहले ही तीन घंटे और 35 मिनट ले चुके हैं अभी भी चार और माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते है। इसके बाद मंत्री महोदय जवाब देंगे। यदि सदन की सहमति होगी तो हम समय बढ़ा देंगे और इस विधेयक को पारित करेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : हाँ।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : सभापति महोदय, यह एक अनपकारी और सीमित उद्देश्य वाला विधेयक है और इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

यह विधेयक समाचारपत्रों के परिचालन के आधार पर विभिन्न समाचार पत्रों के वर्गीकरण जैसे बड़े, मझोले और छोटे, का प्रावधान करता हैं इससे आगे, सरकार यह काम समय-समय पर अधिसूचना जारी करके कर सकती है। अतः सरकार को सदन में मुख्य अधिनियम में बार-बार संशोधन पेश करने की आवश्यकता नहीं है। इस विधेयक से इस काम से बचा जा सकता है।

मेरे भाजपा मित्रों की ओर से कुछ विरोध भी हुआ है। वे कह रहे थे कि इस विधेयक से छोटे समाचार पत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अतः इस मंत्रालय की अनुदान मांगों पर वाद-विवाद के अभाव में यह नितान्त स्वाभाविक है कि इससे जनता के प्रतिनिधियों को इस बारे में विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने का एक अवसर मिला है। मैं अनुभव करता हूँ कि हमारी मीडिया नीति के विभिन्न पहलुओं पर, इलेक्ट्रानिक मीडिया और इस नए अन्तर्राष्ट्रीय टेलीविजन संस्कृति के परिणामस्वरूप हमारी संस्कृति के लिए आसन्न खतरे सहित मीडिया-स्तर पर परिपूर्ण बहस होनी चाहिए।

महोदय, इस कार्य में निरन्तरता होनी चाहिए। विश्व बदल रहा हैं कोई भी परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं रोक सकता। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हम परिवर्तन का स्वागत करते हैं लेकिन यह परिवर्तन बुरे के लिए न होकर बेहतरी के लिए होना चाहिए। अतः हमारी सहत्र संसंति बनी रहनी चाहिए उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बुद्धिजीवी और अन्य इन विषयों पर अपनी ही बात करते हैं।

अब, मैं, प्रेस परिषद पर आऊँगा। मैं वह बात उद्धृत करना चाहूँगा जो जस्टिस सरकारिया, वर्तमान प्रेस परिषद के चेयरमैन ने कहीं थी। उन्होंने कहा था :

''कि परिषद की चेतावनी देने, निन्दा करने अथवा पत्रकार के व्यवहार का निरानुमोदन करने संबंधी शक्तियाँ अपर्याप्त हैं ''

मैं अपने आप को इसके लिए राजी नहीं कर सकता।

आपने अभी वरिष्ठ माननीय सदस्य, श्री सोमनाथ चटर्जी को सुना, जो राष्ट्रीय ख्याति के अनुभवी अधिवक्ता है। उन्होंने भी कुछ उदाहरण दिए थे। प्रेस परिषद के वर्तमान चेयरमैन इसे दण्डात्मक शक्तियाँ नहीं देना चाहते। इस समय, प्रेस परिषद के पास केवल एक नैतिक अधिकार है।

बदलती परिस्थितियों में वर्तमान परिदृश्य में मुझे आशंका है कि केवल नैतिकता से ही अपेक्षित परिणाम हासिल हो जाए। इस देश में, कोई भी आपात काल घोषित कर सकता हैं केवल आपातकाल के दौरान, कर्मचारी गण अपने दफ्तरों में समय पर आते थे और रेलगाड़ियाँ समय पर चलती थी। यदि यह परिस्थिति है जब अपराध तेजी से बढ़ रहे हों तो हमें अपने कानून को मजबूत करना होगा, हमें नई परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें हर स्थान पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने की व्यवस्था करनी होगी।

मध्य पूर्व में, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का बलात्कार करता है, उसके हाथ काट दिए जाते है। यहाँ कोई भी व्यक्ति जघन्य अपराध करने के बाद भी वरिष्ठ वकील के माध्यम से वकालत कराकर बरी हो सकता है। ऐसा समय आ रहा है जब इस प्रकार के अपराधियों की संख्या में अत्याधिक वृद्धि होगी। अतः यह स्वाभाविक है हमें प्रेस परिषद सहित अपने कानूनों, उनके, विभिन्न उपबन्धों, आदि पर नए सिरे से विचार करना होगा। हमारे यहाँ प्रेस परिषद की तरह चिकित्सा परिषद, बार काऊन्सिल जैसे अन्य परिषद भी है। यदि हम उनके उपबन्धों पर विचार करें तो हम पाएँगे कि उनके पास दण्डात्मक शक्तियाँ हैं। यदि उनके पास ऐसे उपबन्ध हैं तो प्रेस परिषद के पास क्यों नहीं, उनकी प्रर्याप्तता के संबंध में न्यायमूर्ति सरकारिया की टिप्पणियों के प्रकाश में अध्ययन किया जाना चाहिए। कितने मामलों में उन्होंने निन्दा की है और कितनों में जीते हैं और उन विशेष मामलों पर, और बाद में उन विशेष पत्रिकाओं अथवा समाचार पत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

इसके साथ-साथ हमारे देश में हर क्षेत्र की अपनी-अपनी कठिनाइयाँ है। कोई भी क्षेत्र लीजिए। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रेस अपवाद नहीं हैं यद्यपि स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में प्रेस ने विदेशी शासन के विरुद्ध जनता को संगठित करने के उद्देश्य से एक बहुत ही प्रशंसनीय भूमिका निभाई थी। गाँधीजी ने भी पत्रकारिता प्रारम्भ की थीं उन्होंने पत्रिकाओं और अन्य चीजों का प्रकाशन किया था। श्री अरविन्द समाचारपत्रों का सम्पादन करते थे। अमृत बाजार पत्रिका का जन्म इसी प्रकार हुआ था। अतः, स्वाभाविक रूप से गोखले जी, तिलकजी, लालजी- इन सभी राष्ट्रीय नेताओं ने स्वयं समाचार पत्र और पत्रिकाएँ निकाली ताकि बिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का उनका संदेश जनता तक पहुँच सकें इस प्रकार प्रेस ने यह एक अत्यंत ही राष्ट्रवादी और प्रशंसनीय भूमिका निभाई।

लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है। इसलिए, यह कार्य व्यापार बन गया है। कुछ समाचार पत्रों का विशेष दर्जा दिया जाने लगा। माननीय मंत्री उड़ीसा के रहने वाले है। मैं भी उड़ीसा से हूं। उड़ीसा में, कुल मिलाकर, सभी मुख्य मंत्री स्वयं ही इस मनोवृत्ति से प्रारम्भ हुए समाचारपत्रों के जन्म के लिए उत्तरदायी हैं। इससे पहले, उन दिनों एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय व्यक्तित्व ये स्वर्गीय गोविन्द दास जिन्हें उचित ही ''उड़ीसा के गाँधीजी'' कहा जा सकता था। उन्होंने समाज समाचार पत्र भी प्रारम्भ किया था। कतिपय राज्यों में यह कार्य आज भी व्यापार के तौर पर नहीं चल रहा है, आज भी वे घाटे में चल रहे हैं, इसके पश्चात वे चन्दा और अंशदान लेने के लिए भी निकलते है। आज तक कोई लाभ नहीं हैं। आप इन समाचारपत्रों की तुलना राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों- दि टाईम्स ऑफ इंडिया, दि हिन्दुस्तान टाईम्स- इत्यादि के साथ नहीं कर सकते, जहाँ बहुमंजिले भवन हैं और उनके द्वारा अर्जित धन कुछ अन्य कार्यों के लिए भी लगाया जाता हैं इस बारे में मेरा एक और विचार है। बिक्री प्रसार के संदर्भ में इस विचार का समर्थन करता हूँ कि इसे बढ़ाकर 15000 से बढ़ाकर 25000 तथा

तत्पश्चात् 50000 से बढ़ाकर 75000 जाएगा और ऐसे ही इसमें वृद्धि होती रहेगी।

इसके बाद, हमारे यहाँ विभिन्न क्षेत्र है- पिछड़े क्षेत्र और अपेक्षाकृत विकसित क्षेत्र। मैं यह निवेदन करूँगा कि पिछड़े क्षेत्रों में इस संबंध में अध्ययन किया जाना चाहिए जिससे समाचार पत्रों को हानि न हो सभी क्षेत्रों में असंतुलन और असमानता व्याप्त है। स्वाभाविक तौर पर केवल पिछड़े क्षेत्रों से प्रकाशित हो रहे छोटे समाचार पत्रों के लिए कुछ रियायतें दी गई है।

प्रेस जिस कि हम चौथा स्तम्भ कहते हैं लोकतंत्र का आधार है तथा जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक है। जिस तरह से समाचार पत्रों का विकास हुआ है, यह एक सकारात्मक संकेत हैं इसका 400 प्रतिशत विकास हुआ है। जो स्वागत योग्य लक्षण हैं इसका संबंध साक्षरता स्तर से भी हैं लेकिन जब हम छोटी सिंचाई, मझोली सिंचाई अथवा बड़ी सिंचाई की बात करते हैं तो इनका निर्धारण क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यही बात उद्योग के मामले में हैं छोटे उद्योग, मझोले उद्योग और बड़े उद्योग है। इनका भी आंकलन भारी धनराशि के संदर्भ में धनशक्ति के ह्रास और मुद्रास्फीति के कारण हुई आय और इसी प्रकार की कुछ बातों के आधार पर किया जाता हैं लेकिन यहाँ, मैं समझाता हूं कि शायद यह साक्षरता दर से जुडी है। मुझ नहीं मालूम है कि वे क्या कर रहे हैं।

महोदय, जैसा कि आपको मालूम है कि कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है। इसलिए कलम का इस्तेमाल उचित रूप से किया जाना चाहिए। शेक्सपीयर की कलम नेपोलियन अथवा हिटलर की तलवार से अधिक शक्तिशाली थी। इसीलिए, शेक्सपीयर के साहित्य का साम्राज्य आज भी अस्तित्व में है। यह कल भी रहेगा और आने वाली शताब्दियों तक रहेगा जब कि नेपालियन अथवा हिटलर का साम्राज्य आज लुप्त हो चुका है। एक पत्रकार, जिसके हाथ में कलम है उसे इसका इस्तेमाल उचित रूप से करना चाहिए। हमें यह देखना है कि वह इसका दुरूपयोग न करें। अतः हमारे कानून में इसका प्रावधान होना चाहिए जिससे कि इसके दुरूपयोग को रोका जा सके।

मैं भारतीय समाचार पत्र पंजीक के सम्बंध में एक विशेष बात की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। दिल्ली के आर. के. पुरम कार्यालय में स्थित केवल एक ही भारतीय समाचार पत्र पंजीयक हैं एक बार मैं वहां गया था। उसका कार्यालय अव्यवस्थित था। प्रेस परिषद के कार्यकरण को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और इसके साथ-साथ भारतीय समाचार-पत्र पंजीयक को भी उचित रूप से कार्य करना चाहिए।

हमारे अच्छे मित्र श्री चन्दुलाल चन्द्राकर ने उनके कार्य के बारे में बताया है कि वे किस प्रकार उचित रूप से निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं। मुझे मालूम है कि आपका अनुभव भारतीय समाचार पत्र पंजीयक के बारे में कुट हैं समाचार पत्र का पंजीकरण कराना और इसका स्वामित्व प्राप्त करना एक जटिल प्रक्रिया है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले असीम तथा महाद्वीपीय आकर के देश में यदि केरल का कोई व्यक्ति एक समाचार पत्र का पंजीकरण करना चाहता है अथवा कोई पत्रिका साप्ताहिक अथवा मासिक प्रकाशित करना चाहता है तो उसे हजारो रूपए खर्च करने पड़ेगे और भारतीय समाचारपत्र पंजीयक के कार्यालय में अनेक बार आना पड़ेगा। इसका विकेन्द्रीकरण क्यों नहीं किया जा सकता। इतने बड़े आकार वाले देश में केवल एक ही कार्यालय हो यह कैसे हो सकता है। इसलिए इसका विकेन्द्रीयकरण किया जाना चाहिए।

राज्य सरकारों के अधिकारियों को अधिकार क्यों नहीं दिए जा सकते? यदि कोई अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट एक समाचारपत्र के नाम की सिफारिश करता है तो दिल्ली में स्थित भारतीय समाचारपत्र पंजीयक तुरन्त बन्द कर देता है।

6.00 म. प.

वे केवल यह कहते है कि यह नाम उपलबध नहीं हैं लेकिन यदि हम उनसे झगड़ा करते हैं तो प्रक्रिया में अन्य बातों के पश्चात दो अथवा तीन महीनों में वे काम कर देतें है। अतः इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त अध्ययन आदि करवाने के बारे में भी मैंन उल्लेख किया है। मैं समझता हूँ कि विज्ञापन दरों में भी समय-समय पर उचित रूप से संशोधन किया जाना चाहिए। अन्यथा, छोटे समाचार पत्रों का अस्तित्व नहीं रह सकता।

महोदय, क्या मैं पत्रकारों की स्थिति मैं पत्रकारों की स्थिति का उल्लेख कर सकता हूँ? पिछड़े क्षेत्रों से प्रकाशित होने वाले छोटे समाचारपत्रों से जुड़े पत्रकारों को कठिनाई से ही कोई वेतन मिलता हो। इसके विपरीत वे डाक-टिकट आदि पर अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं, केवल इसलिए कि उनमें पत्रकार कहलाने की सनक अथवा रूचि है। कुछ अन्य बातें भी है जिनका वे लाभ उठाते हैं। यह स्थिति है।

मैं वेतन बोर्ड की सिफारिशों के संबंध में अन्य मुद्दों पर नहीं जाऊँगा उनका कार्यान्वयन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है और बिना कुछ लिए वे वेतन आदि पर हस्ताक्षर करते हैं ये सब बातें हो रही हैं अतः हमारे जैसे देश में हमें इन मुद्दों पर गौर करना होगा। चूँकि समय कम है और आप मुझे भाषण-समाप्ति के लिए स्मरण दिलाते रहे हैं, इसलिए मैं अपना भाषण और नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन मैं इस मुद्दे पर एक बात कहूँगा । यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है विशेषकर नई टेलिविजन संस्कृति के आर्विभाव के संदर्भ में यह प्रश्न हमें आन्दोलित करता रहा है। सरकार और माननीय मंत्री महोदय के प्रयासों के बावजूद टेलोविजन की स्थिति अस्त व्यस्त है।

सभापति महोदय : नए विषय पर जाइए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : अन्य चैनलों तथा इसके साथ जुड़े अन्य कारणों से टेलीविजन ठीक से कार्य नहीं कर रही है।

इन शब्दों के साथ, ही मैं समय देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ और विधेयक का समर्थन करता हूँ और इस बात पर पुनः जोर देता हूँ कि मेरे द्वारा और अन्य माननीय सदस्यें द्वारा व्यक्त विचारों पर उचित विचार करने की आवश्यकता है।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं जिसे माननीय मंत्री महोदय ने घोर निराशा में रखा है और ऐसा बहुत ही छोटा सा विधेयक केवल एक कर्मठ मंत्री जो कि मेरे अच्छे मित्र है, ला सकते हैं। यद्यपि मैं विधेयक का महत्व घटाना नहीं चाहता लेकिन प्रेस विधेयक और मीडिया के महत्व को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मूल विधेयक वर्ष 1978 में पारित हुआ था, एक व्यापक विधेयक काफी दिनों से लम्बित पड़ा है जिसे दुर्भाग्यवश, अपनी क्षमता होने के बावजूद, कर्मठ सूचना और प्रसारण मंत्री महोदय इस सदन में प्रस्तुत न कर सकें। मुझे विश्वास है कि वे अवसर

मिलते ही एक ऐसे व्यापक विधेयक लायेंगें इस सदन में पूर्ण चर्चा हेतु लायेंगे।

महोदय, इस सदन के अनेक माननीय सदस्य लगभग प्रत्येक बात का पहले ही उल्लेख कर चुके हैं लेकिन मैं संक्षेप रूप से केवल दो अथवा तीन बातों पर अपने आपको केन्द्रित करना चाहूँगा।

पहली बात है कि श्री सुशील चन्द्र वर्मा, प्रेस परिषद के माननीय सदस्य ने इस सदन के सम्मुख है निवेदन किया है कि प्रेस परिषद को केवल एक नैतिक प्राधिकरण बनाया जाना चाहिए। एक नैतिक प्राधिकर के रूप में नहीं समझता कि प्रेस परिषद, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 द्वारा प्रदत्त कार्यों को पूरा करने में समर्थ होगा।

मैं सदन के सामने यह भी विनीत करना चाहूँगा कि यह इस सदन पर निर्भर करता है कि वह इस तथ्य की जाँच करे कि कया प्रेस परिषद ने इसे सौंपे गए कार्यों को पूरा किया है। मैं प्रेस परिषद के सभापति महोदय, का बहुत सम्मान करता हूं जो एक प्रसिद्ध न्यायविद् हैं, जो अब सेवानिवृत्त हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं और जो सौंपी गये दुर्भर उत्तरदायित्व को निभा रहे है। जब तक इस प्रेस परिषद को दाण्डात्मक शक्तियां नहीं दी जाती, प्रेस परिषद अपने कर्त्तव्य पूरा करने में समर्थ नहीं होगी। यहां मैं धारा 13 का उल्लेख करना चाहूंगा जिसके बारे में श्री जार्ज फर्नान्डीज ने सविस्तार उल्लेख किया है। मैं धारा 13 (2) (ग) को उद्धृत करना चाहूँगा :

"समाचार पत्रों, समाचार ऐजेंसियों और पत्रकारों पर जनता के उच्च स्तरीय विश्वास को बनाए रखने और नागरिकता के अधिकारों और कर्त्तव्यों की एक नई भावना विकसित करने को सुनिश्चित करना।"

वर्तमान परिस्थितियों में यदि ऐसा कोई महत्वपूर्ण कार्यकरण प्रेस परिषद को सौंपा गया है तो वर्तमान परिषद अपने कार्य करने में समर्थ नहीं होगी।

हम अपने पत्रकारों पर अत्यधिक गर्व कर सकते है। जब अमरीकावासी अपने उन पत्रकारों पर अत्यधिक गर्व कर सकते हैं जिन्होंने वाटरगेट मामले का पता लगाया था तो अपने उन पत्रकारों पर गर्व कर सकते हैं जिन्होंने मेग्म घोटाला और प्रतिभूति घोटाला और ऐसे अनेक घोटाले का पता लगाया हैं हमें उन पर भी गर्व है। उन्हें संरक्षण अवश्य दिया जाना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन अवश्य किया जाना चाहिए और उन्हें सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ यह कहना कदापि दुर्भाग्यपूर्ण हैं कि कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो कि किन्हीं परिस्थितियों के कारण इस व्यवसाय में हैं।

वकीलों के बारे में एक कहावत है कि वे "दुष्ट व्यक्तियों का अन्तिम सहारा" है। यद्यपि, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अब क्या यह "दुष्ट व्यक्तियों का अन्तिम सहारा" कुछ उन लोगों के लिए लागू होगा जो पत्रकारिता के व्यवसाय में आये हैं। मैं नहीं जानता। हमें एक बात का विश्लेषण करना होगा और हमें पता लगाना होगा कि ऐसे लोग जो पत्रकारिता के व्यवसाय में है, वे कहां तक देश की सेवा और हमारे राष्ट्रीय हित की रक्षा करने में सफल होंगे।

महोदय, मैं एक बात पूछना चाहूंगा। इस देश में घटित घटनाओं के बारे में कुछ समाचार पत्रों की कारगुजारी कैसी थी? हमें अपने उन कुछ राष्ट्रीय समाचार पत्रें और मीडिया पर गर्व है जो कि 6 और 7 दिसम्बर को हुई घटनाओं के संदर्भ में इस देश में धर्मनिरपेक्षता और प्रजातंत्र के सिद्धान्त के प्रति दृढ़ रहें उन्होनं धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ाई लड़ी हम सभी को इस पर गर्व हैं। लेकिन इसी समय ऐसे कुछ समाचार पत्र,

विशेषकर क्षेत्रीय समाचारपत्र भी है जिन्होंने झूठी खबरें प्रकाशित की। कुछ समय पहले, उत्तर प्रदेश में 20 समाचार पत्रों ने एक विशेष संस्करण प्रकाशित किया जिनमें यह झूठी खबरें थी कि श्री मुलायम सिंह के नेतृत्व में तत्कालीन सरकार ने गोली चलाई थी और इसके परिणामस्वरूप 200 या इससे अधिक लोग मारे गए थे। यह सफेद झूठ है। यह एक झूठी अफवाह है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह प्रेस परिषद क्या कर सकतीं थी। जब एक छोटे से अपराध के लिए प्रशासन ने अनेक लोगों को सजा दी गई थी तब उस समय ऐसा निर्णय क्यों नहीं लिया गया अथवा ऐसी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? निश्चय ही यह सूचना तथा प्रसारण मंत्री का कर्त्तव्य नहीं है। लेकिन अब यहां केवल गृह मंत्रालय में उपमंत्री राम लाल राही बैठे हैं। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उस वक्त सरकार ने क्या किया जब बम्बई में एक नेता एक समुदाय के खिलाफ उस समुदाय को बदनाम करते हुए तथा उस समुदाय की निन्दा करते हुए बोल रहे थे। मैं बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि नहीं तो मुझे भी उनके साथ शामिल कर दिया जाएगां जब इस देश के सबसे अल्पसंख्यक समुदाय के साथ नाजी जर्मनी में यहूदियों के साथ किए गए व्यवहार जैसा व्यवहार किया गया तब सरकार ने क्या किया? यह हमारी भावनाएँ है और इसमें लोगों के एक बड़े वर्ग का आक्रोष है। सरकार को इसका सम्मान करना चाहिए। सरकार को इन भावनाओं पर विचार करना चाहिए। मंत्रालय के लोगों में विद्रोह है। यदि ऐसे प्रावधान नहीं है और प्रेस परिषद तथा अन्य किसी ऐजेंसी को कोई अधिकार नहीं दिए जाते है। तो वे अथवा सरकार उनके विरुद्ध कैसे कदम उठाएगी ? मैं यहीं प्रश्न पूछ रहा हूँ।

महोदय, मैं यह अच्छी तरह समझ सकता हूँ समाचार पत्रों के बारे में यह कि जब कोई कुत्ता आदमी को काटता है तो यह कोई समाचार नहीं है लेकिन यदि एक आदमी कुत्ते को काटता है तो वह उनके लिए समाचार बन जाएगा। और दुर्भाग्ववंश, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो केवल ऐसे ही समाचारों को प्रस्तुत करते हैं।

इस देश की समूची समस्या यही है। सभा के एक वरिष्ठ सदस्य , श्री सोमनाथ चटर्जी ने प्रेस परिषद के साथ अपने कटु अनुभवों के कारण इस तरह के विचार प्रस्तुत किए है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे अनुभव किसी और पर न दोहराए जायें। हमें प्रेस को प्रजातंत्रात्मक अधिकार, स्वतंत्रता तथा संरक्षण प्रदान करना चाहिए और प्रेस की स्वतंता को बनाए रखना चाहिए। लेकिन साथ ही गलत तथा आधारहीन आरोप लगाकर पत्रकारों को मौलिक आधिकरों का उल्लंधन करके ऐसे जनतंत्रात्मक अधिकारो, ईमानदारी तथा अंखडता का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए।

महोदय, मैं उस राज्य से संबंध रखता हूँ जहाँ स्वदेशाभिमानी रामकृष्ण पिल्लै, केसरी तेलाकृष्णा पिल्लै, दरधीज मापिला, वक्कम मौलवी, सहोदरन अयप्पन, मौहम्मद अब्दुल रहीम जैसे दिग्गजों ने निरंकुश शासकों और उपनिवेशवाद सत्ता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है।

महोदय, इस देश में सात हजार से अधिक समाचार पत्र है लेकिन मुझे इस बात पर फक्र है कि इन में केरल से प्रकाशित एक समाचार पत्र देश में सबसे अधिक बिकता हैं। उस राज्य में जो लोग इस समाचारपत्र के प्रबंधन से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत कठिनाई और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे एक मामले का उल्लेख श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही ने भी किया था।

माननीय सभापति महोदय, मेरी तरह आप भी मध्यम स्तर के समाचार-पत्रों के प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। इस

देश में मध्यम स्तर के समाचार-पत्रों की क्या स्थिति है? परिचालन के संबंध में छोटे दर्जे के समाचार पत्रों के विरुद्ध आरोप लगाए जाते है। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि इस देश में छोटे दर्जे के कई अच्छे समाचार-पत्र है।

महोदय, छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को सरकार की आय पर निर्भर रहना पड़ता है। मध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों को जो कि 25 हजार से पचहत्तर हजार तक की संख्या में परिचालित हैं। सरकार की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है बड़े-बड़े समाचार-पत्र अंग्रेजी समाचार पत्र इत्यादि अपने स्त्रोतों के सहारे चल सकते है। लेकिन छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार-पत्र को सरकार से प्राप्त सहायता पर ही पूर्णत: निर्भर रहना पड़ता हैं इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि वे लघु तथा मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों की सहायता करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगें और सरकारी विज्ञापनों की शीघ्र अदायगी करेंगे।

महोदय, मैं एक बार फिर दिल्ली में समाचार रजिस्ट्रार के बारे में श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही का समर्थन करता हूँ। यह विभिन्न क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत होना चाहिए। अब, मुझे रजिस्ट्रार के दफ्तर जाने का अवसर मिला था। उनकी अपनी पैतृक सम्पत्ति है। केवल तभी मैंने वहां न जाने का निर्णय लिया।

मैं रजिस्ट्रार की कोई गलती नहीं समझता। इनके लिए ऐसी स्थिति बनाई गई है जिसके अन्तर्गत उन्हें कार्य करना पड़ता है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि वे उस कार्यालय की दशा सुधारने के लिए शीघ्र कदम उठायें।

अन्त में जब तक कि सरकार प्रेस परिषद को दोषी समाचार-पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अधिकार प्रदान नहीं करती है विशेषकर तब जबकि निरपेक्ष और गणतंत्रात्मक राज्य तनावग्रस्त में हो तब तक हम देश के हित में राष्ट्र के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेंगे।

इन शब्दो के साथ, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : सभापतिजी, एक महत्वपूर्ण किन्तु संक्षिप्त मामले पर हम यहां पर विचार कर रहे है। प्रेस परिषद संशोधन विधेयक 1993 के बारे में यहां चर्चा चल रही है। इसका उद्देश्य बहुत छोटा और सीमित है। उसमें यह तय करना है समाचार पत्रों के प्रसारण के आधार पर कि मध्यम कौन है और बड़ा कौन है। यह बात प्रेस परिषद सरकार को तय करने के लिए छोड़ दे तो बात बहुत छोटी है।

किन्तु छोटी बात में कुछ बात और फिर कुछ बात होती हैं इसलिये जिस बात का प्रसारण होता है, उसके जजबात में जाने की जरूरत हैं मुश्किल यह है कि हमारे देश में प्रजातंत्र है और यह उसकी व्यवस्था की प्रणाली हैं। हमारा संविधान है जिसके माध्यम से हमें स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति मिली हुई है। हर आदमी को हर आदमी तक अपनी बात पहुंचाने का हक है और वह कैसे पंहुचे, उसका जरिया क्या हो, यह देखने की बात है।

सभापति महोदय, जहां तक समाचार पत्रों का मामला है, पढ़े-लिखे लोगों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण जरिया हैं। परन्तु यह जरिया नीचे के लोगों तक पहुंचे, उसके लिये बड़े बड़े समाचार पत्र तो नीचे तक जाते नहीं हैं। उनकी कीमत ज्यादा होती है और जब ज्यादा होती है तो छपी हुई सामग्री से कोई सरोकार नहीं होता है। तो

यह सामाजिक, राजनैतिक जीवन में महत्वपूर्ण है कि आदमी तक यह बात किस प्रकार से पहुंचनी हैं बड़े समाचार-पत्रों को चलाने और चलने के लिये बहुत सारे माध्यम हैं और सशक्त भी है और वे अपनी अभिव्यक्ति ठीक से कर सकते हैं प्रजातंत्र के अंदर यह देखा गया हैं कि प्रेस सरकार पर और सरकार प्रेस पर नियंत्रण करना चाहती है तो परस्पर जो खींचातानी है, इसके कारण शायद यह बात सामने आती हो तो नियंत्रण करने का कोई उचित उपाय करना चाहिये। यदि नहीं है तो अच्छी बात है किन्तु सरकार पर और सरकार के द्वारा यह परस्पर नियंत्रण की स्थिति ठीक नहीं है। स्वतंत्रता, स्वायत्ता ठीक बात है, इसलिये स्वाधीनता के अंदर हम सब लोग परस्पर जिमेदार हैं और प्रेस भी जिम्मेदार है और सरकार भी जिम्मेदार है। इसमें लोग भी शामिल है।

सभापति महोदय, हमारे भारत के संविधान में कहा गया है कि हम सब भारत के लोग, भारत में एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विशेष धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। यह हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इस दृष्टि से यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सब लोगों तक जानी चाहिये। यह कहा गया है कि हम लोगों का लोकतंत्र इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसमें लोगों द्वारा इसकी रचना की गयी है। समाचार पत्रों की बातें लोगों तक किस प्रकार से पहुंचानी चाहिये? जब नीचे के समाचार पत्र छोटे है, इनको चलाना कितना कठिन है, इसके अनुभव से मैं परिचित हूँ। जब कोई समाचार पत्र चलाना हो तो पहले रजिस्ट्रेशन की बात आती है और फिर ए.डी.एम. के पास, टाइटल के लिये सारी बातें कहीं गयी हैं कुछ समाचार पत्र सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और राजनैतिक दृष्टि से रजिस्ट्रेशन कराना चाहते है और जिसकी पहुंच हो जाये, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। मैं एक समाचार पत्र का हवाला दे रहा हूं कि अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिये पिछले 6 महीने से भेज रहे हैं लेकिन हुआ नहीं और मुझे बताया गया कि इसमें अमुक कमियां हैं लेकिन कमियां पूरी होने के बाद भी यह नहीं हो रहा है। तो मेरा कहना यह है कि इन आदतों का या इस प्रणाली को किस प्रकार से शुद्ध किया जाये कि रजिस्ट्रेशन के लिये कम से कम समय में काम हो जाये। इस प्रकार के उपाय करने चाहिये। दिल्ली के अंदर होता है जिस प्रकार से पास पोर्ट के लिय रीजनल आफिस में यह सुविधा दी गयी है, क्या यह समाचार पत्रों के लिये संभव है कि उनके लिये रजिस्ट्रेशन कराना आसान हो जाये या इसको सैंट्रलाईजशन कर दिया जाये? यदि ऐसा कर सकते हैं छोटे छोटे समाचार पत्रों को दिल्ली आने की जरुरत नहीं है। उनका काम प्रदेश में हो सकता है और इस प्रकार से समाचार पत्रों के रजिस्ट्रेशन का काम सुविधा से किया जा सकता हैं। कभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बड़े समाचार पत्रों और कभी मझोले समाचार पत्रों का मामला है।

वह ऐस्टेबलिश होते हैं पर विज्ञापन के मामले में कहीं न कहीं यह होता है कि जो ऐस्टेबलिश अखबार होते हैं, उनको विज्ञापन निजी कंपनियों से और सरकार से मिल जाते है और वह अधिक समृद्ध होते जाते हैं समाचार-पत्रों में विज्ञापन देने का मामला यदि ठीक न हुआ और उनको पेमेंट समय पर नहीं हुई तो वह खतरे में पड़ जाते हैं। पहले तो समाचार हैण्ड कंपोज हुआ करते थे और अब फोटो कंपोजिग होने लगी है। समाचार पत्रों का आधुनिकीकरण होने के बाद उसमें पूंजी भी अधिक चाहिए। उसके लिए जानकारी के स्रोत अधिक चाहिए। उन सारी बातों का उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास क्या उपाय है? यह बात जरूर है कि लोगों

तक समाचार पहुंचाने के लिए अब दूरदर्शन एक माध्यम बन गया है किन्तु आज भी समाचार पत्रों को पढ़ा जाता है। छोटे समाचार-पत्रों को तो ज्यादा पढ़ा जाता है। उनकी संख्या तय करने के लिए कोई लिमिटेशन करने वाली बात है कि 15 हजार है तो इसको बढ़ाना चाहिए। समाचार-पत्रों की संख्या भी बढ़ी है तो उसी अनुपात में उनका सर्कुलेशन आपस में बढ़ जाएगा और इस दृष्टि से भी इस बारे में ठीक प्रकार का विभाजन करने का काम किया जाना चाहिए छोटे समाचार-पत्रों का पोषण किस प्रकार से हो सके यह भी देखना चाहिए। यह बात जरूर है कि समाचार-पत्रों के मालिकों द्वारा भी कर्मचारियों का शोषण हो सकता है उनको इससे मुक्त कराने के लिए क्या उपाय होने चाहिए यह भी देखना है। समाचार पत्रों के काम में पहले कंपोजिंग होती है, फिर प्रूफ रीडिंग होती है। फिर प्रिंटिंग होती है और उसके बाद उसकी कटिंग होती है, फिर सर्कुलेशन होती है। समाचार को देने वाला संवाददाता होता है उस पत्रकार की वर्किंग कंडीशन्स क्या है किसी को पता नहीं है। हमने इसको छोड़कर रख दिया है कि तुम्हारे मन में जैसे आए करते जाओ, और जब हमें इसको लिमिट करने के लिए कोई कानून बनाना होगा तो हम लाएंगे। इसके लिए सारी बातों को समग्र रूप से सोचना चाहिए। समग्र रूप का मतलब है कि सब बातों पर एक साथ समान रूप से विचार किया जाना चाहिए। तभी निश्चित रूप से किसी अच्छे निष्कर्ष पर हम पहुंच पाएंगे। इसलिए समाचार पत्रों के बारे में जब हम विचार करते हैं तो उसके कर्मचारियों के बारे में भी सोचना चाहिए। समाचार-पत्रों की सूचनाएं किस प्रकार से आएंगी उसके बारे में भी विचार करना चाहिए। ये सारे का सारा मीडिया के बारे में विचार करने का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

समाचार-पत्रों के साथ जैसा कि कहा जा रहा है विदेशी पूंजी का प्रभाव आने वाला है। अब यह विदेशी कहां-कहां आना चाहते हैं? हमारे वैचारिक धरातल पर वह विदेशी आ गए और हम यदि सभी को आर्थिक और वित्तीय आधार पर तय करना शुरू कर दें तो हमारे राष्ट्र की अस्मिता का क्या होगा? हमारे राष्ट्र की पहचान का क्या होगा यह खतरा बना हुआ है। जो अपने देश में आएगा उस पर वहां का प्रभाव जरूर होगा। कोई भी पूंजी लेकर आएगा तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। इस दृष्टि से जो प्रभाव पड़ेगा उसको हम नकार कैसे सकते हैं और इस दृष्टि से बहुत जरूरी है कि समाचार-पत्रों के क्षेत्र में विदेशी प्रभाव को रोका जाना चाहिए। लोकतंत्र की बात स्वाधीता पर निर्भर है। हमारे देश में स्वाधीनता हमारे नियंत्रण में होनी चाहिएं हमारे देश की बातों को तय करने के लिए, वैचारिक मानसिकता बनाने के लिए कोई विदेशी आएगा और हमको जैसा बताएगा वैसा ही करेंगे तो वह राष्ट्र के लिए उपयुक्त नहीं होगा और इसलिए देश की समाजिक संरचना के लिए देश की आर्थिक संरचना के लिए, देश की राजनैतिक संरचना के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसको ठीक प्रकार से तय करें क्योंकि कुछ भी समाजिक परिवर्तन होते हैं तो धीरे-धीरे होते है, पता ही नहीं लगता है। आर्थिक परिवर्तन होते हैं तो पता नहीं लगता हैं राजनैतिक परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं कि सत्ता में फेरबदल होता है और कोई आता है और कोई चला जाता है। परंतु सामाजिक परिवर्तन बहुत धीमी प्रक्रिया है और धीरे-धीरे सारी बातें उसको प्रभावित करती है। इसलिए समाचार पत्र ठीक प्रकार से लोगों को ऐजूकेट कर सके, उनको शिक्षण दे सके इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए।

आज दूरदर्शन को हमने मोटे तौर पर मनोरंजन का पर्याय ही मान लिया है। किसी भी प्रकार का सिनेमा उसमें आना चाहिए चाहे वह गुजराती हो, मराठी हो, उड़िया हो, तेलुगू हो, तमिल हो, सिनेमा आना चाहिए।

सिनेमा से हम मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं पर मनोरंजन ही सब कुछ नहीं है। इसके साथ विज्ञान, शिक्षण, संस्कृति और राष्ट्र की बातें उसमें अपनी चाहिए और इसलिए व्यक्ति को उसकी संस्कृति से जोड़ने के लिए कुछ न कुछ विचार होना चाहिए। हम बहुत ज्यादा गरिष्ठ बात न करें, ज्ञान-विज्ञान की बात न करें पर उसको लक्ष्य बनाकर उस तक पहुंचने के लिए अनेक प्रकार के उपाय कर सकते हैं। ऐसा उपाय करें जैसे कोई नाटक दिखाया तो उसका अंतिम लक्ष्य क्या है वह समाज को क्या शिक्षा देना चाहता है इस प्रकार के शिक्षाप्रद कार्यक्रम उसमें आने चाहिए।

जो दूसरा खतरा दूरदर्शन पर आ रहा है वह विदेशी सभ्यता का है। जैसा कि जार्ज साहब ने बताया उसमें न जाने क्या क्या होता है। तो यह हमारे देश में होता है क्या?

हमारे देश में, हम जैसा चाहेंगे, वैसा होना चाहिये। "न जाने" होने के लिये हम नहीं हैं। हमें तो अपनी सीमायें तय करनी हैं आज स्थिति यह है कि हमारे देश में दूरदर्शन के कारण बच्चों के शिक्षण में बाधा पड़ रही हैं वैचारिक दृष्टि से भी हमारी स्वतन्त्रता प्रतिबंधित हो यगी है। यदि एक बार आदमी दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखने के लिये बैठ जाये तो फिर उसके यहां भले ही कोई अतिथि आये, मिलने वाला आये, वह बैठा दूरदर्शन के कार्यक्रम देखता रहता है और उससे बात भी नहीं हो पाती। हमारे जो रिश्ते हैं, सामाजिक रिश्ते इसके कारण प्रभावित हो रहे हैं। वैचारिक दृष्टि से भी ये सारी बातें प्रभावित करने वाली हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी विधा, कोई भी कला, दूरदर्शन के प्रसारण में बाधक न बने बल्कि साधक बन जायें इसलिये समाचार पत्रों की ग्रेडेशन के संबंध में विधेयक में जो प्रावधान किया जा रहा है, इस संदर्भ में उस पर विचार होना चाहिये क्योंकि हमारा देश निश्चित रूप से महान हैं :-

हम कौन थे, क्या हो गये और क्या होंगे अभी,
आओ विचारे आज मिलकर यह समस्याएं सभी,
यद्यपि इतिहास अपना ज्ञात पूरा है नहीं,
हम कौन थे इस ज्ञान का फिर भी अधूरा है नहीं।
भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य पूजा स्थल कहां,
फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल जहां।
सम्पूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष हैं,
उसका कि जो ऋषि भूमि है, वह कौन भारतवर्ष हैं।

भारतवर्ष की पहचान बनाने के लिये, हमें निश्चित रूप से इसे संस्कारित करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि हम किसी भी विद्या के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण की दिशा में अपने प्रयास कर सकेंगे।

अगर तूफां में किश्ती हो तो हो सकती हैं तदबीरें
गर किश्ती में तूफां हो तो खुदा हाफिज है किश्ती का।

इसलिये राष्ट्र निर्माण की दिशा तय करने का काम हम स्वीकार करें। ठीक प्रकार से राष्ट्र-निर्माण का

काम हम करना चाहते हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है, हम उसके मौन साक्षी नहीं हो सकते। हमें वर्तमान की संरचना करनी है ताकि हम राष्ट्र-निर्माण कर सकें। हम इसी दिशा में आगे बढ़ें, यही मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस समय सभी दलों के सचेतकों द्वारा दिए गये नाम समाप्त हो चुके है। क्योंकि उमराव सिंह जी आप बोलना चाहते हैं तो मैं आपको विशेष मामले के तौर पर बोलने का अवसर दे रहा हूँ। परन्तु आपको पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करनी पड़ेगीं।

श्री उमराव सिंह : (जालन्धर) सभापति महोदय, इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कुछ मौलिक मुद्दों को उठाया गया है, यद्यपि यह विधेयक सर्वदा अहानिकारक है। परन्तु कुछ मुद्दों को छुआ नहीं गया है।

राज्य विधान सभाओं को भंग करने सभा की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है तथा धर्म निरपेक्षता को संविधान का मूल तत्व स्वीकार किया गया है प्रेस सम्बंधी नई नीति पर विचार करते समय हमें उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई संविधान की नई अवधारणा पर भी विचार करना चाहिए।

महोदय, हमारे समाज में ऐसी अनेक बुराईयाँ हैं जो कि साम्प्रदायिक प्रेस की देन है। घृणा की भावना फैलाई जा रही है, भड़काऊ भाषण दिए ही नहीं जाते अपितु उनका प्रकाशन भी होता है। परन्तु ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण हमारे देश में अनेक समस्यायें पैदा हुई हैं। मेरे अपने राज्य में जिसने भारतीय इतिहास के सर्वाधिक त्रासदीपूर्ण दिनों को झेला है, यह कहा जाता है कि साम्प्रदायिक प्रेस राजय में ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये निर्णय तथा धर्मनिर्पेक्षता की संविधान के मौलिक तत्व के रूप में व्याख्या का लाभ उठाते हुए प्रेस काऊंसिल के सम्पूर्ण ढांचे तथा देश की प्रेस नीति के ढांचे का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए।

ऐसे समाचार पत्र जो कि साम्प्रदायिक दलों से सम्बद्ध हैं, साम्प्रदायिक भावनायें तथा हिंसा भड़काते हैं, उन पर तुरंत नियंत्रण किया जाना चाहिए। यद्यपि हमारे यहां प्रेस को स्वतंत्रता है परन्तु प्रेस की आजादी की आड़ में सभी प्रकार के समाचार प्रकाशित किये जाते हैं इसका लाभ उठाकर हमने देश में एक ऐसी स्थिति पैदा कर ली हैं, जिसमें एक समुदाय की दूसरे समुदाय के विरुद्ध भावनायें ऐसे भड़काई जाती है कि कई बार हिंसा तथा दंगे फैल जाते हैं तथा काफी कठिन स्थिति पैदा हो जाती है।

पंजाब में आतंकवाद को हमने झेला है। अभी भी कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में आतंकवाद जारी है। ऐसी स्थिति में प्रेस को किस प्रकार समाचार देने चाहिये। यह काफी महत्वपूर्ण है। हमने यह देखा है। कि आतंकवादी समाचार पत्रों के कार्यालयों में जाते हैं तथा सभी प्रकार के समाचार, प्रेस नोट, उनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, अपने भड़काऊ भाषण प्रकाशित करवाते रहते हैं। भारत सरकार तथा राज्य सरकार मूक दर्शक बने रहते हैं। केवल इतना ही नहीं कि उनके पक्षपातपूर्ण समाचार प्रकाशित हो जाते हैं बल्कि अनेक मामलों में मीडिया के लोग मारे भी गये हैं। दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के अधिकारी मारे गये हैं। कुछ सम्पादक, समाचार पत्र कार्यालयों में कार्य करने वाले कुछ लोग, एक विशेष समाचार पत्र के कुछ हॉकर मारे गये।

मेरा निवेदन यह है कि देश में समस्त मीडिया नीति इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि यह देश धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार करे जो कि भारत के संविधान की उद्‌दोशियकन में निहित हैं। मेरे विचार में अगर इसके विरुद्ध जनमत तैयार किया जाये तो देश में हमारी बहुत सी समस्यायें आसानी से हल हो सकती है।

मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज ने गोल्ड कप के संबंध में कुछ कहा है। मैं भी खेलों से जुड़ा हुआ हूँ तथा मैं खेलों से जुड़ी समस्याओं से बाकिफ हूँ। ऐसी बात नहीं है कि हम विदेशी प्रचार माध्यमों को और विदेशी टेलीविजन को कवरेज के लिए आमंत्रित करते है। सभी संगठन जो भी वर्ल्ड कप या एशियाई खेल या ओलम्पिक खेलों का आयोजन करते हैं उन्हें बहुत अधिक धनराशि की जरूरत होती है। मैं कह सकता हूं कि ओलम्पिक खेलों के लिए आय का मुख्य स्रोत टेलीविजन कवरेज का अधिकार है। इस संबंध में विज्ञापन दिया जाता है और विश्व की बहुत सारी कम्पनियां बोली लगाने के लिए आती है। वे से आती हैं और कुछ कम्पनियां इसके लिए संघ बनाकर बोली लगाती है। जो अधिक बोली लगाते हैं उन्हें यह अधिकार मिल जाता है। इसी प्रकार यदि हम अपने देश में विश्व कप की तरह की कोई अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित करना चाहते हैं तो ऐसी प्रतियोगिता के आयोजन के लिए हमें बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। अतः हमें वित्तीय पहलू को भी देखना होता है। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार के पास इतना धन नहीं है कि यह आयोजन समिति को बहुत अधिक धन दे सकें जिससे वह कोई प्रतियोगिता आयोजित कर सके। इसी तरह से एशियाई खेल हुये और हम इस देश में बहुत से खेल आयोजित करने का प्रस्ताव कर रहे है।

यदि यह दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो निश्चित रूप से कोई भी विदेशी टी वी कम्पनी खेलों के प्रसारण के लिए नहीं आएगी और इस तरह से हम अपने खेलों को पूरे विश्व को कैसे दिखा सकते हैं कुछ भी हो खेल केवल भारत में ही नहीं देखें जाते हैं बल्कि पूरे विश्व में देखें जाते हैं और पूरे विश्व में हर एक व्यक्ति 'वर्ल्ड कप' देखने का इच्छुक होता है चाहे वह क्रिकेट हो, फुटबाल या अन्य कोई खेल-कूद हो। जब हर देश देखने का इच्छुक हो तो क्या हमारा प्रचार माध्यम इस तरह के प्रबंध कर सकता है कि पूरा विश्व इसे देख सके ? सुविधाएं कहां हैं? ऐसी बड़ी प्रतियोगिता की कवरेज के लिए उपकरण कहां है? खेलों के हित में और अधिकाधिक प्रतिस्पर्धा आमंत्रित करने के लिए खेलों के अधिकारों पर और कापीराइट या टेलीविजन कवरेज के अधिकारों पर किसी तरह की कोई नियंत्रण लगाना औचित्यपूर्ण नहीं है। दूरदर्शन एक वाणिज्यिक संगठन है। यदि वह आगे आना चाहे तो कोई भी उसे नहीं रोक सकता है।

मैं सांस्कृतिक आयोजनों के बारे में एक शब्द कहना चाहता हूं। संस्कृति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है।

[हिन्दी]

हमारा कल्चर इतना कमजोर नहीं हैं, मुझे इकबाल का एक शेर याद आ गया।

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,

सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा।

[अनुवाद]

पूरे विश्व में हमारे लोग रहते हैं। लेकिन वह लोग हमारी संस्कृति को हम लोगों से बेहतर ढंग से बनाए हुए है। वे हम लोगों से अधिक भारतीय हैं चाहे लंदन में रह रहें हों या न्यूयार्क में रह रहे हों वे भारतीयों की रहते हैं और भारतीय विरासत को संजोए होते हैं और अपने पूर्वजों के भारतीय धर्म का अनुपालन करते हैं। हमारी संस्कृति इतनी शमक्त है कि कोई भी इसे प्रभावित नहीं कर सकता है कोई भी हमारी संस्कृति की मूल परम्पराओं को बदल नहीं सकता है। हमें इस बात पर गर्व है।

मैं अपने माननीय मंत्री का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र जालंधर को दूसरे चैनल की मंजरी देने की कृपा की हैं मुझे आशा है कि दूसरे चैनल को शीघ्र ही कार्य करना आरंभ देगा।

दूरदर्शन के कार्यकरण के बारे में बहुत सी अनियमितताओं का जिक्र किया गया है।

[अनुवाद]

मुझे आशा है कि सही उपाय किये जायेंगे और जन संचार माध्यम, चाहे वह दूरदर्शन हो गया या आकाशवाणी या अन्य कोई माध्यम, के कार्य में सुधार किया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : ये इनके व्यक्तिगत विचार हैं या कांग्रेस के विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : व्यक्तिगत विचार हैं । ये यूमैन हॉकी ओर्गनाईजेशन के प्रेजीडेन्ट हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय, सबसे पहले माननीय सदस्यों को उनकी उत्तम भागीदारी, विद्वतापूर्ण योगदान, स्पष्ट और मूल्यवान सुझावों, उनकी सृजनात्मक आलोचना और विशेष रूप से उच्च स्तरीय चर्चा के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। यह लोकतांत्रिक संस्थाओं के संचालन के लिए, जिसके प्रति हम समर्पित हैं तथा जिस पर हमें विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण गर्व है। जिसकी अपनी चुनाव प्रणाली है, अति महत्वपूर्ण है।

इस संदर्भ में मैं, जो प्रश्न रखे गये हैं उनका अक्षरश और पूर्ण विनम्रता से जवाब देना चाहता हूं तथा यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मंत्रालयों के साथ-साथ भारतीय प्रेस परिषद के साथ गहन जांच, विश्लेषण तथा विचार-विमर्श किया जायेगा। मैं माननीय सभा तथा सदस्यों के विचारों से भारतीय प्रेस परिषद के साथ-साथ संबंधित प्राधिकारियों को भी अवगत कराऊंगा।

अब इस विशेष संशोधन के बारे में बोलना चाहता हूँ। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, यह एक बहुत ही छोटा सा संशोधन है और इसकी शुरूआत जनवरी, 1991 में हुई थी। अगर कोई इसके मूल में जाये तो पता चलेगा कि यह समाचार संघों तथा भाषायी समाचार संघों की सिफारिशों का आधार रूप था जिन्होंने 1988-89 में यह प्रश्न सरकार को भेजा था और उसके परिणाम स्वरूप सरकार समाचारपत्रों के वर्गीकरण में संशोधन करने के लिए सहमत हो गई थी और छोटे समाचार पत्रों की प्रतियाँ 15000 से 25000 : मध्य आकार के समाचार पत्रों

की 75,000 तथा बड़े समाचार पत्रों की प्रति की संख्या 75,000 तथा इससे ऊपर कर दी गई है। फरवरी 1991 में भरतीय प्रेस परिषद ने अपने सचिव श्री जी.एल आहुजा के पत्र संख्या 15/33/90, 1 फरवरी, 1991 के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री इमतियाज़ अहमद को इसकी सूचना दे दी थी। आपकी अनुमति से मैं इसको उद्धृत करना चाहता हूं। प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5 परिषद के गठन से संबंधित है। खंड (3) के उपखंड (ख) के अन्तर्गत दिए गये स्पष्टीकरण में कहा गया है :

''कोई समाचार पत्र''—

(1) '' बड़ा समाचार पत्र'' समझा जाएगा यदि उसका परिचलन हर एक अंक की पचास हजार प्रतियों से अधिक का हो:

(2) ''मध्यम समाचारपत्र'' समझा जाएगा यदि उसका परिचलन हर एक अंक की पन्द्रह हजार प्रतियों से अधिक का हो, किन्तु पचास हजार प्रतियों से अधिक का न हो।

(3) ''छोटा समाचार पत्र'' समझा जाएगा यदि उसका परिचलन हर एक अंक की पन्द्रह हजार प्रतियों के अधिक का न हो।

उपरोक्त वर्णित और प्रेस परिषद अधिनियम 1978 में निबद्ध बड़े, मध्यम तथा छोटे समाचारों की परिभाषायें संभवत: उस समय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना के अनुसार भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

हाल ही में यह बात हमारे नोटिस में लाई गई कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत के असाधरण राजपत्र में सूचना संख्या 2/13/86- एम. यू. सी. दिनाँक 23.5.89 को जारी की है जिसके अनुसार प्रेस तथा पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 में दी गई परिभाषा के अनुसार समाचारपत्र तथा पत्रिकाओं को जैसाकि नीचे दर्शाया गया है, 1.4.89 से प्रभावी उनके परिचलन के आधार पर बड़े, मध्यम तथा छोटे समाचारपत्र की श्रेणियों में वगीत किया जायेगा:

प्रति प्रकाशन-दिन परिचलन

श्रेणी	वर्तमान	संशोधित
छोटे	15.000 प्रतियों में कम	25.000 प्रतियों तक
मध्यम	15.000 से 50.000 प्रतियां	25.000 से अधिक तथा 75.000 प्रतियों तक
बड़े	50.000 प्रतियों से अधिक	75,000 प्रतियों से अधिक

संचलनात्मक भाग इस प्रकार है:

''भारतीय प्रेस परिषद ने 21, 22 जनवरी, 1991 को हुई अपनी बैठक में इस मामले पर विचार किया। परिषद ने यह निर्णय किया है कि दिनांक 1.4.89 से बड़े, मध्यम तथा छोटे समाचार पत्रों को दिनांक 23.5.89 की अधिसूचना के अनुरूप उनका अद्यतन वर्गीकरण करने हेतु स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रेस परिषद्

अधिनियम, 1978, उपर्युक्त विधान द्वारा यथा संशोधित, की धारा 5 (3) के अन्तर्गत सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में जायें।''

अग्रेतर, भारतीय प्रेस परिषद को तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित करने की प्रक्रिया की शुरूआत हम पहले ही कर चुके है। अन्य बातों के अलावा धारा 5 (3) के अन्तर्गत बड़े, मध्यम तथा छोटे समाचारपत्रों के प्रबंध का स्वामित्व रखने या चलाने वाले व्यक्तियों में से नामों के पैनल मार्च के अंत में या अप्रैल, 1991 के आरम्भ में आमंत्रित किये जाने हैं। उस समय बड़े, मध्यम तथा छोटे समाचार पत्रों की अद्यतन परिभाषायें होना बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए यह अनुरोध किया गया है कि इस मामले में तत्काल कार्यवाही की जाये''।

महोदय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जुलाई, 1991 में, जब मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी ने 16 जून, 1991 को कार्यभार संभाला, तत्काल कार्यवाही की। उस समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, उस दिन से पहले दूसरी सरकार थी। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। यह विधेयक 1992 में राज्य सभा में लाया गया था। दिसम्बर, 1993 में उस माननीय सभा ने मुझे इसे पारित करने की अनुमति दे दी और आज, 12 मई, 1994 को इस माननीय सभा ने मुझे अनुमति दी है। अतः, मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय प्रेस परिषद के विशेष निवेदन पर मंत्रालय ने समय पर कार्यवाही की थी। यह प्रेस को दबाने अथवा उस पर नियंत्रण रखने के लिए जल्दबाजी में बनाई गई कोई कठोर योजना नहीं थी जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी ने बताने का प्रयास किया है। सरकार की प्रेस को दबाने की कोई मंशा नहीं है। यह प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति वचनबद्ध है और यह उसी का पालन कर रही है। अन्यथा, 1978 में, आपातकाल के परिणामस्वरूप जब यह विधेयक लाया गया था और जिसका अनेक सदस्यों ने उल्लेख किया है तब श्रीमती गांधी जो 1980 में तीन-चौथाई बहुमत के साथ सत्ता में आई अथवा श्री गांधी के लिए, जो 4/5 बहुमत से सत्ता में वापिस आये, उनके लिए इसमें संशोधन करना अथवा इसे रद्द करना ज्यादा आसान रहा होता। अतः हम लोकतंत्र के कार्यसंचालन के प्रति वचनबद्ध हैं। इसीलिए हमने सहभागिता वाला लोकतंत्र अपनाया हैं। हम प्रेस की स्वतंत्रता, भारत सरकार के विभिन्न कार्यों में अभिव्यक्ति तथा विचार की स्वतंत्रता के प्रति वचनबद्ध हैं। चाहे वह साक्षरता अभियान हो, चाहे विभिन्न विकास कार्यक्रम चाहे जवाहर रोजगार योजना, चाहे पंचायती राज हो, नगर पालिका हो तथा पी.आई.बी., डी.ए.वी.पी. तथा आर.एन.आई. की सेवाओं का विस्तार हो हर क्षेत्र में विकेन्द्रिकरण की चर्चा की जा रही है जैसा कि सदस्य चाहते थे, हमने विभिन्न संगठनों के क्षेत्रीय कार्यालय शुरू किये हैं। ऐसा उनकी इच्छा, स्थिति और माहौल के अनुसार किया गया था। हम वही कर रहे हैं।

प्रत्येक सदस्य ने दूरदर्शन तथा आकाशवाणी की आलोचना की है। हालांकि यह आज के वाद-विवाद का विषय नहीं था। लेकिन इसके साथ ही प्रत्येक सदस्य कम क्षमता वाले अथवा अधिक क्षमता वाले ट्रांसमीटर अथवा अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इन सेवाओं के विस्तार की मांग कर रहा है। आज यह वास्तविकता है। फिर भी हम खुश है कि जिन लोगों को दूरदर्शन अथवा टेलीविजन के संबंध में चिन्ता थी वहीं लोग अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इन सेवाओं के विस्तार की मौंग कर रहे हैं। मरे विचार से यह एक राजनीतिक मुद्दा नहीं हैं और किसी के अपने निर्वाचन-क्षेत्र में कम क्षमता वाले ट्रांसमीटर के होने में सम्मान का प्रश्न नहीं है।

यह संशोधन महत्वपूर्ण है, इसलिए नही कि मैं ऐसा कह रहा हूं बल्कि इसलिए कि प्रेस परिषद ने अपने

पत्र में इस बारे में कहा है। मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। यद्यपि यह एक छोटा सा संशोधन है - जालंधर निर्वाचन क्षेत्र के मेरे श्री उमराव सिंह ने कहा है कि यह संशोधन हानिकर नहीं है यह उनका अपना विचार है - लेकिन फिर भी यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण हैं जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा था कि महाराष्ट्र सरकार की भांति विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को अनेक सुविधाएं दी जा रही है। मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगा।

"यदि कोई सन् 1956 से तुलना करे तो पिछले दशक में प्रेस का असाधारण विकास हुआ है।"

यह एक शुभ संकेत है कि लोग चाहते है कि उन्हें समाचारों के बारे में जानकारी हो। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का कार्य है कि हमारे गणतंत्र के सफलतापूर्वक कार्यकरण के लिए जनता को सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन प्रदान करना। उत्साहपूर्ण, ज्ञान संपन्न और शिक्षित जनता की राय प्राप्त करना अच्छी बात हैं जब एक बार यह विकृत हो जाती है तब उनमें ईर्ष्या की भावना आ जाती है जो कि पक्षपात पूर्ण है जिसमें निहित स्वार्थ होते हैं। जिसके बारे में बहुत से सदस्यों ने सभा में विचार व्यक्त किए हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूँ।

मुझे बहुत खुशी है कि राज्य सभा में जो हल्ला -गुल्ला मैंने देखा उसकी तुलना में इस सभा के सदस्य बहुत सहनशील है। सदस्यों ने स्पष्ट पीपत्रकारिता पर दुःख व्यक्त किया हैं मैं समझता हूं कि राज्य सभा के सदस्य बिना कुछ सोचे कुछ भी कह सकते हैं जबकि लोक सभा के सदस्यों को स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सावधान रहना पड़ता है।

31 दिसम्बर 1956 तक अंग्रेजी में समाचार-पत्रों की संख्या 1, 133, हिन्दी के समाचार पत्रों की संख्या 1,254 तथा अन्य भाषाओं के समाचार पत्रों की संख्या 4,183 थी जो कि कुल मिलाकर 6,570 थी। उसी अवधि में अंग्रेजी के समाचार पत्रों का परिचालन 24,74,000 हिन्दी के समाचार पत्रों का परिचालन 22,20,000 तथा अन्य भाषाओं के समाचार-पत्रों के परिचालन की संख्या 62,58,000 थी जो कि कुल मिलाकर 1,09,52,000 थी। 31 दिसम्बर 1990 को अंग्रेजी समाचार पत्रों की संख्या 1133 की तुलना में 4,777 थी हिन्दी के समाचार पत्रों की संख्या 1254 की तुलना में 9,695 थी तथा अन्य समाचार पत्रों की संख्या 4,183 के स्थान पर 14,019 थी, जो कि कुल मिलाकर 28,491 थी। अंग्रेजी के समाचार-पत्रों की.परिचालन संख्या 72,13,000 थी, हिन्दी के समाचार पत्रों की परिचालन संख्या 1,91,50,000 थी और अन्य भाषाओं के समाचार-पत्रों की संख्या 2,67,97,000 थी यह संख्या कुल मिलाकर 5,31,60,000 है। इस तरह समाचार पत्रों की संख्या में 400 प्रतिशत की तथा उनके परिचालन में 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इसके साथ ही अनेक सदस्यों ने कहा है कि छोटे और मध्यम स्तर के समाचार पत्रों को सहायता प्रदान करनी चाहिए। मेरे साथी श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही ने भी पिछड़े, अविकसित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया है। इस मंत्रालय द्वारा छोटे और मध्यम समाचार-पत्रों को दी गई सुविधाएँ इस प्रकार है। सर्वप्रथम उन्हें प्रेस सूचना कार्यालय द्वारा सुविधाएं दी गई है। प्रेस सूचना ब्यूरो ने छोटे तथा मध्यम समाचार पत्रों को अधिक से अधिक सुविधाएँ प्रदान करने की अपनी नीति के अन्तर्गत उन्हें समाचार तथा आलेख प्रदान करने की अपनी सामान्य सेवाओं के साथ-साथ अनेक विशेष सुविधाएँ भी दी हैं। वे एबनार्यड ब्लाक, उर्दू समाचार पत्रों के लिए चर्बास तथा सचित्र लेखों जैसे अन्य प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहें हैं। छोटे समाचार-पत्रों के अनुरूप

तैयार किए गए समाचार तथा अन्य सेवांएं आरम्भ की गई तथा विज्ञान, आर्थिक विकास, कृषि, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यों को शामिल करके साधारण तथा संग्रह के रूप में कहानियां भी तैयार की गई और देश की सभी प्रमुख भाषाओं में उन तक पहुंचाई गई तीसरी सुविधा है, चित्र सेवाएं। यह ब्यूरो छोटे समाचार पत्र को सचित्र लेख तथा एबनायेंड ब्लॉक तथा चर्बास सेवा जिसमें उर्दू लिथो प्रिंट में इस्तेमाल में लाए जाने वाले ब्लाक शामिल होते हैं और अब यह बहुत प्रचलित हैं, भी प्रदान करती है। चौथी सेवा विशेष सेवा कक्ष है। ब्यूरों ने बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में मुख्यालयों में विशेष सेवा कक्ष स्थापित किये हैं। इस सेल को फील्ड पर आधारित विकास कहानियों को तैयार करने और उन्हें विभिन्न भाषाओं के समाचार-पत्रों को उपलब्ध करवाने का कार्य सौंपा गया है स्थानीय संबंधित चित्रों, मानचित्रों तथा एबनॉयड ब्लाक प्रदान करने पर अधिक जोर दिया गया हैं ब्यूरों का एक अन्य कार्य है विभिन्न केन्द्र सरकार की परियोजनाओं के लिए पत्रकार दलों को ले जाना जो कि देश के विभिन्न भागों मे चल रहे विकास कार्यों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी रखते है। विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को इस प्रकार की विशेष सेवा के लिए गिनी चुनी परियोजनाओं के लिए समय-समय पर ले जाया जाता है। छोटे और मध्यम समाचार पत्रों का भी इन संचालित दौरों में प्रतिनिधितव होता हैं पिछला दौरा एक सप्ताह पहले लगाया गया था।

छोटे तथा मध्यम समाचार-पत्रों को अधिक सुविधाएँ देने के लिए प्रत्यायन नियमों को उदार बनाया गया है। नियमानुसार, केवल 5,000 प्रतियों से अधिक के परिचालन वाले समाचार पत्रों को ही मान्यता प्रदान की जाती है तथापि छोटे समाचार-पत्रों को सहायता के उद्देश्य से इस शर्त में छूट दी गई हे और अब दो अथवा दो से अधिक समाचार पत्र संयुक्त रूप से संवाददाता के लिए मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। नियमों में यह प्रावधान भी है कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित समाचार-पत्रों तथा पहाड़ी अथवा पिछड़े क्षेत्रों से प्रकाशित अथवा सूचना तथा संचार के संबंध में अविकसित क्षेत्रों से प्रकाशित समाचार-पत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएं। ब्यूरों की डाक सूची में उनके द्वारा अधिकृत संवाददाताओं के साथ-साथ बड़ी संख्या में छोटे तथा मध्यम समाचार पत्र भी शामिल है। यह सुविधाएं भाषायी समाचार-पत्रों को भी दी गई है।

महोदय, अब मैं श्रवण-दृष्य प्रचार निदेशालय, डी ए वी पी, द्वारा दी गई सुविधाओं का उल्लेख करूंगा। अब 2000 प्रतियों के परिचालन वाले समाचार-पत्र भी सरकारी विज्ञापन दे सकते है। पिछड़े तथा दूर-दराज के जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय पाठकों के लिए सभी जनजातीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को भी यदि उनकी परिचालन संख्या न्यूनतम 500 है, सरकारी विज्ञापनों के लिए पात्र माना गया हैं। यह छूट यह जम्मू तथा कश्मीर से प्रकाशित समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं को भी दी गई है। अब चार महीने से निरन्तर प्रकाशित हो रहे समाचार-पत्र तथा पत्रिकायें भी सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने के पात्र बन गए हैं जबकि पूर्व विज्ञापन नीति में यह अवधि छः महीने की थी। मानक प्रिंट तो समाप्त कर दिया गया हैं अब 2000 प्रतियों के परिचालन वाले समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं को चार्टर्ड एकाउन्टेट का प्रमाणपत्र देना आवश्यक नहीं है। विज्ञापन को दरों के संबंध में डी. ए. वी. पी. की मूल्य संरचना छोटे तथा मध्यम समाचार-पत्रों के लिए स्वतः ही महत्व का है।

महोदय, सन् 1992-93 में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने दूरदर्शन तथा आल इण्डिया रेडियों दोनों के

लिए समाचार सेवाएं प्राप्त करने के लिए पी. टी. आई. को 2,10,00,000 रु० अदा किए हैं अंग्रेजी के समाचार प्राप्त करने के लिए 1.55 लाख रु० और हिन्दी के समाचार प्राप्त करने के लिए 25 लाख रु० और टेलीप्रिन्टर शुल्क 30 लाख रु० पी. टी. आई. को दिए गए तथा यू. एन. आई. को 121 लाख रु० हिन्दी समाचारों के लिए 25 लाख रु०, उर्दू के लिए 6 लाख रु० तथा टेलीप्रिन्टर शुल्क के 25 लाख रु० दिए जो कि कुल मिलाकर 177 लाख रु० हुए ।

यह केवल उदाहरण है, यह दर्शाने के लिए कि हमने छोटे तथा मध्यम स्तर के समाचार-पत्रों को कुछ सहायता प्रदान की है। महोदय, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि माननीय सदस्यों, जो कि हमारे मंत्रालय को समाचार पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं, के विचारों से हमें छूट के संबंध में निर्णय लेने के लिए मार्ग निर्देश मिलता रहेगा। **(व्यवधान)** अधिकतर सदस्यों ने समान मुद्दे ही उठाये हैं वे मुद्दे- मीडिया नीति, विदेशी मीडिया प्रसार भारती, समाचार-पत्रों सुविधाओं में वृद्धि परिचालन तथा आर. एन. आई. द्वारा पंजीकरण; वेतन बोर्ड पत्रकारों के लिए मकान, क्षेत्रीय समाचार पत्र, विज्ञापन पत्रकारिता के प्रकार- खोजी, पीत, मान-हानि, ब्लैकमेल, साम्प्रदायिक, वाणिज्यिक, एकाधिकारिकता, संपादक के रूप में बाहरी व्यक्ति, संपादन की स्वतंत्रता, अन्तर-मीडिया भागीदारीता, भारतीय प्रेस परिषद संरचना तथा पुनर्संरचना के बारे में कहा कि उसे प्रजातंत्र का प्रहरी होना चाहिए, समय पर कदम उठाए जाने चाहिए और कार्यवाही की जानी चाहिए, अपीलीय न्यायालय होना चाहिए और प्रेस परिषद को विभिन्न अधिकार सौंपे जाने चाहिए, जिसमें स्वतः..... **(व्यवधान)**

7.00 म.प.

अधिक धनराशि दी जानी चाहिए, क्षेत्रीय आधार होना चाहिए तथा भारतीय प्रेस परिषद को शिकायतों पर निर्भर रहने की बजाए स्वतः विचार करना चाहिए। इसे और अधिक अधिकार दिए जाने चाहिएं जहां तक इन प्रावधानों के कार्यान्वयन का संबंध है माननीय जार्ज फर्नान्डीज ने इस बारे में बताया है। मेरे साथी, श्री अहमद जी ने कहा है कि यह विधेयक प्रभावी होना चाहिए। श्री सोमनाथ चटर्जी जी का कहना है कि यह विधेयक और अधिक क्षेत्र में प्रभावी होना चाहिए। अधिकतर सदस्यों ने व्यापाक विधेयक लाये जाने के बारे में कहा है।

मैं यह कहते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता हूँ कि व्यापक विधेयक पर राज्य सभा एवं लोक सभा दोनों ही सदनों की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए हम निश्चित रूप से इस विधेयक की समग्र रूप में जांच करेंगे। इसकी जांच करने के बाद, मैं सभा के समक्ष इसे पेश करना चाहता हूं मैं कोई आश्वासन नहीं देना चाहता।

श्री चित्त बसु जी मीडिया नीति के बारे में जानना चाहते थे। मेरे विभाग से सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठक में मीडिया नीति चर्चा की विषय-वस्तु बनी रही है। चर्चा के परिणामस्वरूप हमने मीडिया नीति पर परामर्शदात्री समिति की दो बैठकें आयोजित की हैं। कुछ सदस्यों ने यह महसूस किया है कि यह नीति मीडिया नीति की बजाय सूचना नीति होनी चाहिए। जब हम इस विषय पर बातचीत कर रहे थे, तो मुझे विभिन्न संपादकों तथा यहाँ तक कि भारतीय प्रेस परिषद से पत्र प्राप्त हुए वे जिसमें उन्होंने आशंका व्यक्तओं की थी तथा वे यह जानना चाहत थें कि ससंदीय परामर्शदात्री समिति मीडिया नीति पर चर्चा के बारे में क्या कार्रवाई करने जा रही है। यह आशंका व्यक्त की गई थी कि प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा सकता है। अतः, हमने उन्हें

बताया कि यह सूचना एवं प्रसारण से सम्बद्ध सभी पार्टियों की औपचारिक परामर्शदात्री समिति की उप-समिति थी। इसे छह महीने तक कार्य करना है। यह समिति भारतीय प्रेम परिषद के साथ बैठक करेगी। यह समिति भारतीय संपादक संघ से परामर्श करेगी प्रेस के लोगों- कार्यरत पत्रकारों के साथ बैठक करेगीं।

इस परामर्शदात्री समिति के समक्ष जो प्रमुख मुद्दा चिंता का विषय बना हुआ था वह यह था कि सदस्यों की राय थी कि भारत के कुछ भारतीय लोकाचार भारतीय व्यक्तित्व, हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारे सामाजिक मूल्य तथा हमारे नैतिक मूल्य अवश्य होने चाहिये। इसी उद्देश्य से परामर्शदात्री समिति ने उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया थां मध्य-समिति परामर्शदात्री समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तथा इससे पूर्व की हम मीडिया नीति जैसे विषय पर कोई कार्रवाई करें, इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। किसी स्वतंत्र लोकतंत्र में, कोई मीडिया नीति नहीं होती। किसी नियंत्रित लोकतंत्र अथवा लोकतात्रिक केन्द्रीयवाद में ऐसी मीडिया नीति बनाई जाती है। अतः मीडिया नीति पर चर्चा करते समय हम अत्यंत सचेत रहना चाहते हैं। इससे गलत संकेत प्राप्त होते हैं। यह सरकार अथवा संसद की सूचना नीति के अधिक अनुरूप है, जो कि मीडिया नीति से प्रेस के विचारों से अधिक सामंजस्य रखती हैं। उप-समिति गठित की गई हैं मुझे विश्वास है कि यह समिति कार्य करना शुरू कर देगीं। छह महीने की समयावधि में, हमें पहले परामर्शदात्री समिति के साथ इस पर विचार-विमर्श कर लेना चाहिये। तत्पश्चात, हमें इस मुद्दे को यहाँ सभा में रखना चाहेंगे।

जहाँ तक इस छोटे-से अहानिकर संशोधन के माध्यम से मीडिया पर नियंत्रण करने का संबंध है, श्री उमराव सिंह जी ने इस संशोधन प्रस्ताव के बारे में कहा है। मैं **दि पायनियर** के संपादक श्री विनोद मेहता के कथन को उद्धृत करना चाहता हूं। वह सरकार के विख्यात आलोचक हैं। वास्तव में हम दोनों ही छोटे एवं मध्यम श्रेणी के समाचार-पत्रों के एक छोटे-से वार्षिक उत्सव में उपस्थित थें **दि टाईम्स ऑफ इण्डिया** के भूतपूर्व सम्पादक श्री दिलीप पाडगांवकर भी उस में उपस्थित थे। उस उत्सव में सरकार की कटु आलोचना की गई थी। यहां पर दूरदर्शन आकाशवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में भी इसकी थी कटु आलोचना की गई थी। लेकिन श्री विनोद मेहता ने जो कहा था, मैं उसे उद्धृत करता हूँ।

''मैं सरकार का आलोचक हूँ लेकिन मैं इस माननीय सम्मेलन मैं यहाँ सबके समक्ष यह कहना चाहता हूँ कि वर्तमान प्रधान मंत्री तथा इस सरकार ने कभी भी प्रेस को मोहरा बनाने की कोशिश न की है और न ही ऐसा कर रही है।''

मैं यह बात माननीय सदस्यों के विवेक पर छोड़ देता हूँ कि वे यह सुनिश्चित करें कि क्या इस संशोधन प्रस्ताव के माध्यम से हम प्रेस अथवा प्रेस की स्वतंत्रता पर अकुंश लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं अथवा नहीं या फिर श्री विनोद मेहता जी ने जो बात कही है वह अंसगत है।

सभापति महोदय, भारतीय प्रेस परिषद 29 सदस्यों वाली एक संस्था है तथा इसमें भारत सरकार का एक भी सदस्य नहीं हैं। मात्र पांच संसद सदस्य- तीन लोक सभा से तथा दो राज्य सभा से इसके सदस्य है। तीन सदस्यों में से दो संसद सदस्य श्रीमती गीता मुखर्जी तथा श्री चन्दूलाल चन्द्राकर यहाँ बैठे हुए हैं एक सदस्य श्री मुरली भंडारी पहले ही रिटायर हो चुके हैं। इस परिषद के अन्य सदस्यों में प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे बार-कांऊसिल ऑफ इण्डिया के सदस्य आदि शामिल है। सरकार केवल अधिसूचना जारी करती है। ये सदस्य

संपादक कार्यरत पत्रकारों एवं अन्य श्रेणियों के विभिन्न प्रतिनिधि निकायों में से चुने जाते है। यहां इन सभी बातों का उल्लेख किया गया है।

मैं श्री फर्नान्डीज जी का अत्यंत आभारी हूं कि उन्होने इस बारे में बताया कि ये विधान पहले ही उपलब्ध है महोदय, मैं यह बात स्वीकार करता हूँ कि यह विधेयक वर्ष 1978 में भिन्न परिस्थितियों में पारित किया गया था। उस समय की आवश्यकताएँ, आज की जरूरतों से कुछ भिन्न थी। कल, हमारे कुछ साथियों- जिसमें एक महिला संसद सदस्य, सेंसर बोर्ड, फिल्म फेडरेशन, सूचना एवं प्रसारण संबंधी परामर्शदात्री समिति के सदस्य शामिल थे- ने चर्चा में भाग लिया था और सभी ने हमारे नैतिक एवं अध्यात्मिक मूल्यों तथा हमारे लोकाचारों और मानस पर हमले पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की थी। हमें इसका मुकाबला करना होगा। इसके लिए हम सभी को एकत्रित होना पड़ेगा। यह 'मेरे' अथवा 'आपके' करने का प्रश्न नहीं है। इसका मुकाबला हम सभी को एक साथ मिलकर करना है साढ़े चार घंटे की चर्चा के पश्चात् यह आम राय उभरकर सामने आई थी।

मैं परामर्शदात्री समिति तथा प्रेस के विभिन्न सदस्यों के साथ वार्ता करना चाहता हूँ यदि संसद के दोनों सदनों के सदस्य यह महसूस करते हैं कि प्रेस परिषद को 1978 के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आज की परिस्थितियों के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए तो में प्रेस परिषद से भी परामर्श करना चाहता हूँ। जो लोग यहां उपस्थित नहीं हैं, उनके दृष्टिकोण के बारे में तय करना हमारे लिए अनुचित होगा। मैं संसद सदस्यों, संपादक संघ तथा मीडिया के अन्य लोगों से बातचीत करना चाहूंगा। हम यह प्रयास करेंगे कि क्या हम इसका पुनर्गठन कर सकते है, ताकि इसे और अधिक कारगर बनाया जा सके।

अनेक माननीय सदस्यों ने खोजी-पत्रकारिता के बारे में बातचीत की है। उन्होंने इसकी प्रशंसा की है तथा साथ ही उन्होंने पीत पत्रकारिता, ब्लैकमेलिंग तथा चरित्र हनन के बारे में भी बातचीत की थीं यह एक गम्भीर मामला है, उतना ही गम्भीर जितना कि फिल्मों में सैक्स, हिंसा तथा अश्लीलता दिखाई जा रही हैं भारतीय प्रेस परिषद से परामर्श किये बिना, मैं कोई निर्णय नहीं लेना चाहता। मैं हमेशा भारतीय प्रेस परिषद से परामर्श करने के बाद ही कोई निर्णय लेता हूं। प्रेस अथवा भारतीय प्रेस परिषद के कार्यकरण में सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। विदेशी मीडिया के बारे में प्रश्न माननीय सदस्यों के मन को परेशान कर रहा है। पहले भी लोकसभा एवं राज्य सभा दोनों ही सदनों में यह कहा है कि सन् 1955-56 में मंत्रीमंडल ने यह निर्णय लिया था कि विदेशी मीडिया को हमारे देश में प्रवेश करने की अनुमति न दी जाए। मेरे विचार से श्री चन्द्रजीत यादव जी ने पण्डित नेहरू जी का कथन उद्धृत किया था। यह कथन हमारे लिये भागवत गीता के समान है। यदि डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय जी खुशी अनुभव करें, तो मैं कहूंगा कि यह हमारे लिए रामायण के समान है। स्वतंत्रता-प्राप्ति से पहले जो हमारी नीति थी, उसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया हैं जैसा कि मैंने राज्य सभा में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति सरकार को इस बारे में लिखता है, तो सरकार का यह कर्त्तव्य है कि इस पर या तो विचार करें। अथवा इसे अस्वीकार कर दे अथवा इसमें संशोधन करें।

अमरीका के **दि टाईम, दि फाइनैंसियल टाईम्स** तथा कुछ अन्य समाचार-पत्रों में कुछ प्रस्ताव रखें हैं। महोदय, यदि कोई व्यक्ति पत्र लिखता है, तो उसका उत्तर देना एक सामान्य कर्त्तव्य हो जाता है। इस सभा में जो बहस हुई है, यदि हम गइराई में जायें, तो यहां जो अनेक प्रकार के विचार प्रकट किये गये हैं वह एक दूसरे

के बिलकुल विपरीत है। अत: सरकार को देश की सुरक्षा, अखंडता, स्थिरता एवं एकता से जुड़े विभिन्न प्रभावों का अध्ययन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ अपने ही पक्ष में यह देखा है कि सदस्य चाहते हैं कि यहां विदेशी टेलीविजन आये तथा विदेशों के खेल कार्यक्रम प्रसारित हों दूसरी तरफ इतनी ही जोरदार आवाज यह भी उठ रही है कि विदेशी समाचार पत्र यहां नहीं आने चाहिये। एक के साथ जो बात हो दूसरे के साथ भी वही होनी चाहिए। हम विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न विचार अभिव्यक्त करते हैं अत: इन सभी बातों पर अत्यंत गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। हमें उदार बनना पड़ेगा। हमें विश्लेषक बनना पड़ेगा। ऐसा इस वजह से है कि इन प्रभावों का असर अत्यंत व्यापक हो सकता है तथा मैं तो यही कहूंगा कि यह एक बृहत रूप धारण कर सकता हैं अत: विभिन्न दलों से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उन पर विचार किया जा रहा है। तथा किया जाता रहेगा। ऐसा इस वजह से है कि कोई प्रस्ताव पेश करने के लिए कोई तिथि नियत नहीं की जा सकती। कोई भी व्यक्ति भारत में एक प्राईवेट नागरिक के रूप में आ सकता है। वह मीडिया पर धावा बोल सकता है। फिर यह कहा गया है कि कोई नवाब, कोई राजकुमार और कोई राजा बन कर आया था। ऐसे खिताब न तो मैंने दिये हैं और न ही सरकार ने दिये है। यदि प्रेस किसी को नवाब अथवा सम्राट अथवा राजकुमार अथवा **महाराजा** कहना पसंद करती हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। विभिन्न लोगों को कुछ विशेषक अथवा उपाधियाँ दी गई है। उन्होंने जन सम्पर्क कार्य किया था। वे प्रधानमंत्री सहित विभिन्न लोगों से मिले थें इस मामले में प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि जो प्रेस में प्रकाशित हुआ है। उनका भारत सरकार अनुमोदन नहीं करती। यह हमारे लोगों की संवेदनशीलता, भावुकता और अपने देश के लोकाचार और सांस्कृतिक मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। यद्यपि कल की बैठक में, जो एनेक्सी में हुई थी, भारी आलोचना की गई थी- इस मंत्रालय ने माननीय सदस्यों की इच्छाओं का पालन करते हुए और दोनों सदनों के माननीय सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारे उन देशों में हमारे उच्चायुक्तों को लिखने के लिए पहल की थी जहाँ पर ये विदेशी टेलीविजन चैनल स्थित हैं और उनके ध्यान में यह बात लाने के लिए कहा गया था। कि संसद प्रेस और हमारे देश की जनता इस प्रकार की बातों पर प्रतिक्रिया करती रही है जो हमारे लोकाचार और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति पूर्णत: विरोधात्मक है। अत: वे सोचते थे कि केवल पत्र लिखने से कुछ नहीं होता। महोदय, किसी भी व्यक्ति को कहीं से तो प्रारम्भ करना पड़ता है। इसलिए हमने उस देश में जहाँ इसका निर्माण होता है, जाने का प्रयास किया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे भारतीय कानून इन्हें छू नहीं सकते। ये बाहर से आने वाले उपग्रह (सैटेलाइट) चैनल हैं। हम किसी भी चीज पर प्रतिबन्ध या रोक नहीं लगाना चाहते क्योंकि हम किसी भी चीज को रोकने में विश्वास नहीं रखतें। हमारा महात्मा गांधी का देश है जो विश्व की सभी संस्कृतियों के लिए अपनी खिड़कियाँ खुली रखता है और फिर भी इनके प्रभाव में नहीं आया। यह गांधी जी के मूल्य थे यह संश्लेषण के आत्मसात्करण और अच्छे मूल्यों को स्वीकार करने का भारतीय लोकाचार है और हम किसी सांस्कृतिक आक्रमण से नहीं डरते हैं अत: समुद्री मार्ग से और भूमि मार्ग से अनेक हमले हुए और अब उपग्रहों से हमले हो रहे है। हमने उनका मुकाबला किया है। हम सांस्कृतिक लोकाचार के रूप में 5000 वर्ष तक जीवित रहे। यह इकट्ठा रखने का काम रामायण, महाभारत, भागवत गीता अथवा कुरान या बाईबल ने नहीं किया तो यह भारतीय संस्कृतिक ही है, जिसने हमें 5000 वर्ष तक इकट्ठा रखा। जब हम इतिहास रखते थे तो कुछ देशों के पास भूगोल नहीं था। अब वे कुछ चीजों का आयात करने और कुछ चीजों को लाने का प्रयास कर रहे हैं तो हम

आतंकित स्थिति में दिखाई देते हैं मैं नहीं समझता कि यह इतनी आतंकित स्थिति है। लेकिन हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए और हमें इस बारे में जागरूक होना चाहिए । हम इसका सामना करने के लिए तैयार है। हम इस पर काबू पाने तक के लिए भी तैयार है। वास्तव में यही काम मीडिया यूनिट कर रही है।

जहाँ तक विदेशी मीडिया का संबंध है, हमने अभी तक इसे अनुमति नहीं दी है, यद्यपि उदारीकरण की भावना है, नई आर्थिक नीति आदि आई है। लेकिन आज की तारीख में हमने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। जो भी प्रस्ताव आता है उस पर हम चर्चा करेंगे और विभिन्न आशयों और प्रभावों से इसका निरीक्षण करेंगे और जो राष्ट्रीय हित में नहीं होगा, नहीं किया जाएगा।

प्रसार भारती के बारे में, जैसा कि मेरे विद्वान पूर्ववक्ता ने विश्वास दिलाया था, उनके अनुसार मैं दोनों सदनों के सभी विपक्षी नेताओं से मिला।

मैं सभी संघों से मिल चुका हूँ। जो कर्मचारी जो प्रसार भारती में सम्मिलित होने जा रहे हैं। उनके मन में कुछ आशंकाए हैं कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में प्रसार भारती का उल्लेख है। हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। लेकिन, इस संबंध में विभिन्न प्रभावों का पता लगाना होगा क्योंकि जब वर्ष 1990 में यह पारित हुआ था तो एक चैनल था। 6 दिसम्बर 1992 की घटनाएं नहीं हुई थी।

अब, श्री उपेन्द्र जी ने यह विधेयक पिछले मास राज्य सभा में रखा था, जब वह चर्चा कर रहे थें तो उनका प्रेस व्यक्तव्य छपा था। मैं उनका राज्य सभा में दिया भाषण उद्धृत करना नहीं चाहता। मुझे मालूम है कि मुझे उनका कोई उद्धरण नहीं देना चाहिए। लेकिन उनका प्रेस वक्तव्य कहता था कि उन्हें भी प्रसार भारती के लिए सभी चैनल देने की आशंकाएं थी। उन्होंने कहा, जिस वातावरण में हम आज रह रहे हैं उसे देखते हुए "सरकार को विभिन्न कारणों से एक चैनल अवश्य रखना चाहिए" श्री जार्ज फर्नान्डीज चिल्ला के बारे में जानना चाहते थे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के इंजीनियरों ने 20 एफ. एम. चैनल दिए हैं एफ. एम. से तात्पर्य फ्रीक्वेंसी फॉडयूलेशन हैं। इस बारे में निर्णय इस सभा द्वारा वर्ष 1977-78 में लिया गया था जब मेरे मित्र मंत्री महोदय थे। उनकी सरकार और विद्वान सम्मानीय सदस्य श्री, लालकृष्ण आडवाणी, जो उस समय सूचना और प्रसारण मंत्री थे, ने कहा था कि भारत में वर्ष 1978 के बाद एफ. एम. चैनल होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन द्वारा फ्रीक्वेन्सी आवंटित की जाती है, यह यूनियन 'सेगफा' के रूप में जानी जाती है । और ए. एम. रेडियों का चलन समाप्त हो रहा है। यह मीडिया वेव थी अतः आपके पास एक एम रेडियो है और इन्सैट दो बी. से एफ. एम. रेडियो के 20 चैनल एक अप्रैल से चालू हैं। और कोई भारतीय भारत में कही भी बैठा हो, कहीं भी किसी भी भाषा में अपनी पसन्द का कोई भी कार्यक्रम सुन सकता है। इस प्रकार आकाशवाणी के अनुसंधान और विकास विभाग ने यह अत्याधिक समंकित कार्य किया हैं। इसी इन्सैट--दो-बी. पर, उसी डिजिटल तकनीक के द्वारा हमें 15 अगस्त से दूरदर्शन के 20 चैनल प्राप्त होने की आशा है। इस प्रकार ऐसी तकनीकी उन्नति हो रही हो जिसे आज वह सुपर हाईवे कहा जाता हे, और अब अमेरिका के उप-राष्ट्रपति को 'इन्फॉरमेशन सुपर हाईवे' की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहां तक आपका टेलीप्रिंटर, आपका टी. वी. आपका टेलीग्राफ आपकी खरीदारी सूची, आपकी डाक सूची, इस विश्व के प्रत्यंक चीज इसके द्वारा लाई जा सकती है और यह ऐसी चीज है जिसके लिए हमें विचार करना चाहिए क्योंकि भविष्य की तकनीक हमारे देश को ऐसी स्थिति में ला सकती है।

आज, मैं समझता हूँ कि लगभग 118 इलेक्ट्रानिक बीम भारत में छोड़े जा रहे हैं जिन्हें एक उचित दिश द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। हम केवल पाँच अथवा छह डिश देखते हैं जिन्हें डिश केबल आप्रेटर हमें देता है। लेकिन मीडिया, प्रेस दावा करते हैं कि 118 उपग्रह बीम भारत में आ रहे हैं। यह हमारी सुरक्षा पर और हमारे आस्तित्व पर क्या प्रभाव डालेंगे और हमारी सांस्कृतिक विरासत पर क्या असर होगा, यह सब ऐसी बाते हैं जिन पर पूर्ण चर्चा होनी चाहिए। और मैं इससे सहमत हूं और हमारे पास जो भी जानकारी उससे माननीय सदस्यों को अवगत कराएंगे। और इस मामले में हम दोनों सदनों के विवेक द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहेंगें यह कुछ ऐसी चीज नहीं है जिस पर भारत सरकार के किसी मंत्री अथवा विभाग को चिन्तित होना पड़े। यह बात हरेक के लिए है, संसद, संसद से बारह जनता को इस बारे में अवश्य चिन्तित होना चाहिए, क्योंकि यह सम्पूर्ण भारतीय लोकाचार है, जिस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, इस नए माहौल में, मैं समझता हूं कि मीडिया नीति, विदेशी मीडिया प्रसार भारतीय का अध्ययन किया जाना चाहिए और यही काम वास्तव में सरकार कर रही है, यह सभी प्रभावों का अध्ययन कर रही है। हस प्रसार भारती के प्रति वचनबद्ध हैं। यह कांग्रेस के वर्ष 1990-91 के चुनाव घोषणा पत्र में है। सरकार द्वारा इस पर निर्णय लेने में समय लगेगा। क्योंकि हम ऐसा कुछ भी प्रारम्भ करना नहीं चाहते कि बाद में इस पर नियंत्रण करने का प्रयास करें। बाद में उपचार करने की अपेक्षा पहले ही रोक-थाम करना कहीं बेहतर है।

मैंने पत्रों की वृद्धि के बारे में उल्लेख किया है। सुविधाओं के बारे में, मैंने सदन को सूचित किया है। जहां तक परिचलन और भारतीय समाचारपत्र पंजीयक का संबंध है तो भारतीय समाचारपत्र पंजीयक ने पंजीकरण के मामलों के शीघ्र निपटान और कतिपय प्रशासनिक कार्यवाही के लिए अगस्त 1992 से कतिपय कदम उठा हैं। लेकिन हम इसमें और सुधार लाना चाहते हैं, और जहां तक पंजीकरण और परिचालन का संबंध है हम भारतीय समाचार पत्र पंजीयक का और अधिक आत्म विश्लेषण करेंगे।

मुझें विश्वास है कि देरी भ्रष्टाचार को जन्म देती है, देरी का अर्थ न्याय देने से मना करना है। हमारी यह कोशिश होगी कि जहां तक हो सके देरी में कमी की जाए।

जहां तक अन्य मीडिया चीजों का संबंध है, हम इसका कंप्यूटरीकरण कर रहे हैं। हम इसे यथा सम्भव पारदर्शी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उपग्रह चैनलों के लिए भी, जब भी किसी कार्यक्रम का चयन किया जाता है, यह कंप्यूटर की मदद से खुलआम किया जाता है। कोई भी आ सकता है और देख सकता है। इसलिए हम जहां तक व्यवहारिक होगा वहां तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता लाना चाहेंगे।

वेतन बोर्ड के बारे में, मैं अपने मित्र, श्री पी.ए. संगमा को अवश्य बधाई देता हूं। दो बार कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद वे इसे कैबिनेट में लाए। कैबिनेट ने निर्णय लिया क्योंकि वेतन आयोग और अन्य चीजें विचाराधीन थी। वेतन बोर्ड के लिए कुछ विरोध था लेकिन अब वेतन बार्ड आ रहा है और मैं समझता हूं कि मेरे मित्र, श्रम मंत्री महोदय इस बारे में विभिन्न निकायों से विचार-विमर्श करेंगे। जब कल इस बारे में माननीय सदस्य श्रीमती गीता मुखर्जी ने मुझसे पूछा मैंने उनसे अनुरोध किया था कि वह संगमा जी से संपर्क करें। छोटे, मझौले और बड़े समाचार-पत्रों तथा अनेक श्रेणियों के श्रमजीवी पत्रकारों के प्रति हमारा दृष्टिकोण उदार है। मेरे

मंत्रालय में ही अनेक श्रेणियां हैं। हम इस बात के इच्छुक हैं कि वेतन बोर्ड बनना चाहिए और लोगों को उनका हक मिलना चाहिए जो कि उनका अधिकार है ताकि उन्हें उनके अधिकार से वंचित न किया जा सके।

मैं क्षेत्रीय समाचार-पत्रों का पहले ही उल्लेख कर चुका हूं।

विज्ञापन के बारे में मेरा यह कहना है कि इस विषय में हमारी एक नीति है। यह संरक्षण या राजनीतिक अधिकार का साधन नहीं है बल्कि विज्ञापन अनेक मंत्रालयों की आवश्यकता के अनुसार दिए जाते हैं जो उनके लिए भुगतान करते हैं चूंकि व्यापक कवरेज और प्रचार किया जाता है इसको ध्यान में रखा जाता है जो मैं पढ़कर सुनाता हूं। कि छोटे, मझौले और क्षेत्रीय भाषाओं के दैनिक समाचार -पत्रों, विशेषरूप से पिछड़े क्षेत्रों में, पर उचित ध्यान दिया जाता है और उन्हें उचित सहायता दी जाती हैं, लेकिन बने रहने के लिए इसे संरक्षण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। यह समाचार पत्र के जीवित रहने का साधन नहीं है। यह सूचना देने, रोजगार और सरकार की अन्य विकास योजनाओं के प्रचार के लिए है और इसी के लिए मुख्य रूप से विज्ञापन दिया जाता है इस पर पुनर्विचार करते समय सदस्यों के विचारों का निश्चित रूप से ध्यान रखा जाएगा और हम यह सुनिश्चित करने के लिए इस पर पुनर्विचार करेंगे कि माननीय सदस्यों ने इस सभा में जो प्रश्न उठाए हैं, उस दिशा में हम कदम उठा सकें।

मैंने अनेक प्रकार की पत्रकारिता जो हो रही है का उल्लेख किया है और जिसके बारे में सदस्यों ने भी कहा है। इस बारे में मैं अपनी उप समिति की सिफारिशों पर निर्भर करूंगा। यह समिति छः माह के अंतर्गत सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद ही मैं संसद में कुछ कह सकूंगा और इस पर पूर्ण चर्चा हो सकेगी। यह अतिमहत्वपूर्ण ही नहीं है बल्कि इसमें और भी कई उलझने हैं और प्रेस की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने के बीच, प्रेस का उपयोग और प्रेस का दुरूपयोग के बीच एक सूक्ष्म विभाजक रेखा है जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा भी है। अतः मैं इस पर सभा की राय जानना चाहता हूं।

मैंने प्रेस परिषद् के गठन और पुनर्गठन के बारे में उल्लेख किया है। इस संबंध में कुछ भी कहने से पहले मैं उनसे परामर्श करना चाहता हूं। हमारा एक अपील न्यायालय है और उस पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है। उपलब्ध शक्तियों और अनेक कानूनों को कार्यान्वयन को भी माननीय सदस्य श्री जॉर्ज फर्नान्डीज बहुत अच्छी तरह से सामने लाए हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत ने प्रेस, इलैक्ट्रनिक प्रचार माध्यमों, प्रसार भारती, सी.एन.एन. का उल्लेख किया और साथ ही उन्होंने पंडित नेहरू के कथन को भी उद्धत किया। श्री चन्दूलाल चन्द्राकर ने भी पूछा कि इन 37,936 से अधिक समाचार-पत्रों के पंजीकरण में कितना समय लगता है। हम इसे युक्ति संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यदि आवश्यक हुआ तो हम और सहायता के लिए वित्त मंत्रालय से कहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी मंत्रालयों में अधिक लोगों की भर्ती पर रोक लगी हुई है। हम देखेंगे कि प्रबंधन की आधुनिक विधि से हम कागजी काम को कम कर सकते हैं, सत्यापन के साथ-साथ पंजीकरण में विलम्ब को कम कर सकते हैं दोष हमेशा आर.एन.आई. का ही नहीं होता है जो दूरदर्शन की तरह आमतौर पर टीका टिप्पणी का निशाना बनता है।

इस देश की किसी भी बुराई के लिए दूरदर्शन को दोषी ठहराया जाता है, यही बात आर.एन.आई. के लिए भी है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। यदि कोई त्रुटिपूर्ण और अपर्याप्त जानकारी देता है और यदि कोई आर. एन.आई. से दायित्व ले लेता है और उसको दबाकर बैठ जाता है तो क्या किया जा सकता है। अत: मैं इस संपयबद्ध कार्यक्रम का स्वागत करता हूं जिसका कि कुछ सदस्यों ने उल्लेख किया है कि यदि कोई स्वामित्व लेता है और यदि वह कतिपय अवधि में उसे पूरा नहीं करता है तो यह स्वत: निरस्त हो जाना चाहिए।

मैं श्री चन्द्राकर के सुझाव पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मंत्री और संसद सदस्य होने के साथ-साथ एक सम्पादक और समाचार पत्र से जुड़े व्यक्ति होने की वजह से मैं उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहता हूं। हम इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं।

वेतन बोर्ड के बारे मे उल्लेख किया गया, मैं इसका पहले ही उत्तर दे चुका हूं।

यह सुझाव भी दिया गया था कि भारतीय प्रेस परिषद् को और अधिक कानूनी शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन प्रेस परिषद् स्वयं ही यह महसूस करती है कि उसके पास पर्याप्त शक्तियां हैं जैसा कि माननीय सदस्या श्रीमती गीता मुखर्जी ने कहा है। उन्हें आप और शक्तियां देना भी चाहें तो भी वह उन्हें लेना नहीं चाहती। जब तक हम बात चीत नहीं करते हैं तब वह दुविधापूर्ण स्थिति में रहेगी। मैं नहीं समझता हूं कि यह हमारे लिए या उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन मैं माननीय सदस्यों की नाराजगी निश्चित रूप से बताना चाहूंगा। जो चरित्र हनन और उनकी प्रतिष्ठा पर आक्षेप के प्रभावों मे चिन्तित हैं। आखिर प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लोगों के साथ समाज में रहना है और एक स्त्री के सम्मान और गरिमा की भांति प्रतिष्ठा किसी भी व्यक्ति की महत्वपूर्ण संपत्ति है।

हमने दूरदर्शन पर कृषि कार्यक्रमों का समय बढ़ा दिया है। श्री चन्द्राकर जी ने इस बारे में जिक्र किया था।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : इतना ही पर्याप्त नहीं है।

श्री के.पी. सिंह देव : मैं मानता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है। मैं स्वयं इससे प्रसन्न नहीं हूं। लेकिन हमने इसे सप्ताह में तीन दिन से बढ़ाकर सप्ताह में पांच दिन कर दिया है। यह काम कॉफी बेचने की मशीनों की तरह नहीं है जिसमें टिकट पंच करने से कॉफी या टिकट बाहर आ जाता है। हमें कर्मचारियों की जरूरत होती है, समझदार लोगों की जरूरत है। घटिया कार्यक्रम प्रसारित करने का कोई फायदा नहीं है। हम इसे सूचनाप्रद, शिक्षाप्रद और मनोरंजक बनाना चाहते हैं।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : आप उन्हें समाचारों में शामिल नहीं कर रहे हैं।

श्री के.पी. सिंह देव : हम कृषि पर भी समाचार शुरू करना चाहते हैं। हम इस पर विचार करेंगे।

श्री जी.एम. सी. बालयोगी (अमालापुरम) : यह केवल शहरी क्षत्रों को ही कवर करता है ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं।

श्री के.पी.सिंह देव : श्री चन्द्रजी यादव भी प्रेस परिषद्, क्षेत्रीय समाचार पत्रों, विदेशी प्रचार माध्यमों और अशिष्टता के बारे में बोले। मैं उनका पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में परामर्श करने के उनके सुझाव पर भी मैंने प्रतिक्रिया व्यक्त की हैं। इसके अलावा मैंने विज्ञापनों का भी जिक्र किया है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य चाहती थीं कि प्रसार भारती और भारतीय प्रसारण परिषद् को लागू किया जाए। उन्होंने यंग प्रेस का भी जिक्र किया और कहा कि उसमें विकेन्द्रीकरण और लोकतंत्रीकरण होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने यह बात महसूस की कि एकाधिकारीवादी प्रवृत्ति है, प्रचार माध्यमों में परस्पर भागीदारी है जिसकी 1992 तक अनुमति नहीं थी। इससे कुछ समस्याएं खड़ी हुई हैं। मैं समझता हूं कि हमें संचार माध्यमों में परस्पर भागीदारी पर गौर करना होगा। दूसरे देशों में कहीं भी ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ शक्तियों ने यह निर्णय लेना ठीक समझा।मैं निश्चित रूप से इस विषय पर सदस्यों की भावनाओं को संप्रेषित कर दूंगा और मैं स्वयं इसकी पुनरीक्षा करना चाहता हूं और हो सकता है मैं इस संबंध में सरकार से फिर बात करूं।

जहां तक विदेशी प्रचार माध्यमों के चैनलों का सवाल है, इस बारे मे बहुत गर्मा गर्मी हुई है। हमने कल इस बारे में साढ़े चार घन्टे तक चर्चा की। यह महसूस किया कि यह उचित समय नहीं है। हम अपनी बैठक के बाद कतिपय प्रस्तावों को लेकर इस सभा में उपस्थित होने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि यह हम सबके लिए चिन्ता की बात है।

श्री के.डी. सुल्तानपुरी ने भी उन क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों के बारे में बात की जो हर एक राज्य में काम कर रहे हैं हम उनकी सहायता करना चाहते हैं लेकिन संरक्षण के रूप में नहीं बल्कि जानकारी देने के साधन के रूप में क्योंकि हमें आम आदमी तक पहुंचने के कारण क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों का और छोटे तथा मझौले समाचार पत्रों का महत्व मालूम है।

श्री सुशील चन्द्र वर्मा ने कुछ सुझाव दिए हैं और उन्होंने राज्य सरकारों की भूमिका का उल्लेख भी किया है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 23 और 24 जून को राज्यों के सूचना मंत्रियों का द्विवार्षिक सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें हम समाचार पत्रों तथा श्रमजीवी पत्रकारों द्वारा जिन अनेक समस्याओं का सामना किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा को जो खतरा है, उनके सामने जो केबिल विधेयक और दूरदर्शन के कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम हैं, जो कि शुरू होने वाले हैं के साथ-साथ व्यवसायिक बाधा है, उनके ध्यान में लाएंगे। मुझे इन कार्यक्रमों के कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता की आवश्यकता है क्योंकि इन अधिकांश बातों का कार्यान्वयन या प्रवर्तन राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। केन्द्र सरकार की कोई एजेन्सी नहीं है और हम ऐसा करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते।

श्री सैयद शहाबुद्दीन ने भारतीय प्रेस परिषद् की प्रशंसा की। यह संच है कि समिति संसाधनों के अंतर्गत वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ ने बहुत अच्छा काम किया है और उनमें से कुछ को सभा के रोष का भी सामना करना पड़ा है। अतः कोई भी किसी बात के बारे में परिपूर्ण वक्तव्य नहीं दे सकता है। लेकिन भारतीय प्रेस परिषद् अति आत्मसंयम से, अपने नैतिक जिम्मेदारी से यह काम करती रही है। मैंने इस सत्र में सभा में ऐसे कई मामलों के बारे में उत्तर दिया है जिनमें भर्त्सना, निन्दा और कड़ी निन्दा की गई है।

एक मामले में, राजस्थान सरकार ने कुछ कार्रवाई की थी। अन्यथा, प्रेस परिषद् यह अनुभव करती है कि दण्डात्मक अथवा किसी अन्य प्रकार की कार्रवाई से नैतिक अधिकार श्रेष्ठतम अधिकार है। यह कोई सामान्तर विधि न्यायालय नहीं होना चाहिए। अन्यथा, इसका प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। मेरे विचार से, जब हम

विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, तो उस समय यह देखा जा सकता है कि क्या भारतीय प्रेस परिषद् कुछ और भी करना चाहेगी? और उस पर हमें बातचीत करनी होगी।

पुनः, श्री सैयद शहाबुद्दीन ने भारतीय प्रेस परिषद् के प्रसार एवं रंचना के बारे में उल्लेख किया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी ने प्रेस परिषद से प्राप्त सिफारिशों का उल्लेख किया है। विदेशी समाचार-पत्रों के बारे में उन्होंने कहा है कि वे कोई शक्तियां नहीं चाहते। उन्होंने विज्ञापन एवं वेज-बोर्ड के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं।

श्री आर. अन्बारासु जी ने इस संशोधन का स्वागत किया है तथा कहा है कि समाचार पत्रों के लिए यह अनिवार्य था। उन्होंने इनके वर्गीकरण, पीत-पत्रकारिता तथा मानहानि करने के अपराध को संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध बनाये जाने के बारे में अपने विचार रखे हैं। यह मेरे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। यह मामला गृह मंत्रालय अथवा विधि मंत्रालय को भेजना पड़ेगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव जी ने भी अपने विचार रखे हैं। श्री पासी जी ने भी इन्हीं मुद्दों पर अपने विचार रखे हैं। श्री रमेश चेन्नितला जी व्यापक विधेयक की मांग कर रहे थे क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता की जोकि लोकतंत्र का चतुर्थ स्तम्भ है पत्रकार वर्ग है उसका समुचित स्थान अवश्य दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वह क्षेत्रीय भाषा को प्रतिनिधित्व एवं पारदर्शिता के रूप में अपनाया जाना चाहते थे।

तत्पश्चात्, श्री जार्ज फर्नान्डीज जी ने अनेक सुझाव पेश किये हैं, जोकि अत्यंत विचार-उत्तेजक हैं तथा विशेष तौर पर उनका संविधि संबंधी विचार बड़ा उत्तेजक है और उन्होंने यह पूछा है कि इसे लागू क्यों नहीं किया गया। उन्होंने दो मुद्दों- एक दूरदर्शन तथा दूसरा विश्व-कप पर विशेषतौर पर जोर दिया हैं मैं इन मुद्दों पर थोड़ी देर में अपने विचार रखूंगा। जिस घटना का उन्होंने उल्लेख किया है, उसके बारे में पहले ही कदम उठाये जा चुके हैं तथा समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है, यह घटना इस घटना का अंश मात्र है। लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जेसा कि आप जानते ही हैं कि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में न्याय प्रक्रिया में थोड़ा अधिक समय लगता है। अभियुक्त को पकड़ने में समय लगता है। किसी भी व्यक्ति को अपने बचाव में सफाई देने का उचित मौका देना पड़ता है। श्री जार्ज फर्नान्डीज जी मंत्री पद पर रहे हैं तथा उन्हें भली प्रकार से विदित है कि कानून को अपराधी को पकड़ने के लिए कितना समय लगता है। हमने महात्मा गांधी, श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा अन्य व्यक्तियों की हत्या के मामले देखे हैं, जिनमें अपराधी की पकड़ने में अनेक वर्षों का समय लगा है लेकिन, मुझे उम्मीद है कि इसमें इतना लम्बा समय नहीं लगेगा क्योंकि गम्भीर मुद्दे उठाये गये हैं। हम चाहेंगे कि इस मामले का कोई तर्कसंगत हल निकले। श्री चित्त बसु मीडिया नीति के बारे में जानना चाहते थे। इस बारे में मैंने पहले ही जवाब दे दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी जी ने बहुत उत्तम सुझाव दिये हैं, जिनके बारे में मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही ने भी एक प्रश्न उठाया था, जिसका मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं।

श्री ई. अहमद जी ने एक व्यापक विधेयक की मांग करते हुए धारा 13(2) का उल्लेख किया था, जिसके अंतर्गत कुछ शक्तियों का प्रयोग विभिन्न व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जा सकता।

श्री उमराव सिंह यह जानते हैं कि विदेशी टी.वी. भारत में प्रविष्ट करे। इस बारे में मैं उत्तर देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, इस विधेयक पर जिन सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, मैंने उनमें से हरेक सदस्य द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख प्रश्नों का उल्लेख किया है।

अब, मैं विश्व कप, 1996 के प्रश्न को लेना चाहता हूं। मैंने दूसरे सदन में प्रेस परिषद अधिनियम पर चर्चा के दौरान इस बारे में एक वक्तव्य दिया है। जहां तक इसके प्रसारण हेतु लाइसेंस दिये जाने का प्रश्न है वह संचार मंत्रालय द्वारा दिया जाना है। डिश लगाने का लाइसेंस भी संचार मंत्रालय द्वारा किया जाता है, लेकिन जहां तक उपकरण लाने की अनुमति का संबंध है, वह वित्त मंत्रालय द्वारा दी जाती है।

जहां तक देश की सुरक्षा संबंधी पहलू का संबंध है, इसकी अनुमति गृह मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय द्वारा दी जाती हैं, इसमें सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय कहीं नहीं आता। लेकिन, हमारे देश का कानून अर्थात्, बेतार अधिनियम, 1785 तथा तार अधिनियम, 1930 के अंतर्गत सरकार एवं सरकारी एजेंसियों के लिए यह अनिवार्य हो जाता है- उस समय केवल तार एवं बेतार ही थे, यह अधिनियम में 1959 में जब इस देश में टी.वी. तथा सन् 1928 में जब सन् 1927 में रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था उस समय मामूली सा संशोधन किया गया था- कि 12 मई, 1994 से दूरदर्शन के अलावा कोई अपलिंक नहीं कर सकता। इस देश का कानून यही है तथा यही सांवैधानिक स्थिति हैं हीरो कप घोटाले के दौरान दूरदर्शन ने यही दृष्टिकोण अपनाया था। न्यायालय के निर्णय के कारण ही, दूरदर्शन को मजबूर होकर सहयोग करना पड़ा था। न्यायालय ने सभी विभागों को निर्देश दिये थे कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ सहयोग करें। किसी विदेशी टेलीविजन कंपनी को विदेशी उपग्रह के माध्यम से गुवाहाटी से अपलिंक करने की अनुमति देकर मातृभूमि की प्रभुसत्ता पहली बार समर्पित की गई थी। ऐसा विश्व के किसी अन्य देश में नहीं होता। यदि आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अथवा दूरदर्शन को विश्व कप प्रतियोगिता के प्रसारण के लिए नहीं कहा जाता तो मैं समझता हूं तो श्री अमराव सिंह की बात गलत साबित हो जाएगी उन्होंने उदाहरण यह दिया है कि अधिक धन बटोरने तथा स्पाट दिखाने की कोशिश में दूरदर्शन ने दिल्ली में वर्ष 1982 में आयोजित एशियाई खेलों तथा वर्ष 1987 में हुई विश्व क्रिकेट प्रतियोगिता के प्रसारण में काफी अच्छा कार्य किया जबकि दूरदर्शन ही इन कार्यक्रमों का मेजबान प्रसारक था। विश्वभर के 168 देशों में से मात्र 19 देशों में क्रिकेट का खेल खेला जाता है। इन देशों में से नौ पूर्ण सदस्य हैं तथा शेष अन्य देश पूर्ण सदस्य नहीं हैं। श्री उमराव सिंह जी कह रहे थे कि समूचा विश्व क्रिकेट का खेल देखना चाहता है, लेकिन मेरे विचार से पूरे विश्व की मात्र एक अथवा दो प्रतिशत जनसंख्या ही क्रिकेट का खेल देखती है। विश्व के लोग हमारे देश के लोगों की तरह क्रिकेट का खेल देखने तथा पांच दिन क्रिकेट के मैदान में व्यतीत करने के दीवाने नहीं हैं मैं क्रिकेट का दीवाना हूं, इसलिए मुझे यह पता है। लेकिन हाल ही में हुए डेविस कप मैचों के प्रसारण के लिए दूरदर्शन को बी.बी.सी. अमेरीकन टी.वी. तथा आस्ट्रेलियाई टी.वी. से सर्वाधिक मुबारकबाद मिली। अतः, जहां तक कार्यक्रमों के प्रसारण की गुणवत्ता का संबंध है, दूरदर्शन किसी से कम नहीं है। दूरदर्शन स्टेट-ऑफ-दि आर्ट उपकरण आयात करने तथा खरीदने को तैयार है। यह अपने कैमरामैनों तथा कर्मीदल को भेजने तथा यहां तक कि उसी कंपनी से सलाहाकार प्राप्त करने को भी तैयार है, लेकिन देश की प्रभुसत्ता को दावं पर लगा कर नहीं। आज तो देश के कानून की यही स्थिति है। कल क्या होगा, मैं नहीं जानता-यद्यपि यह पुराना

कानून जो 1785 का है किसी अंग्रेज ने इस कानून को पुरातन कानून कहा है। यह भद्रपुरूष मेग्नाकार्टा के 1215 के अधिनियम से नियंत्रित है तथा वह इसे 1785 का पुरातन अधिनियम कहते हैं। अमेरीकी तार अधिनियम हमारे अधिनियम से मात्र दो वर्ष कम पुराना है तथा उन्होंने अभी तक इसमें संशोधन नहीं किया है। विश्व में कोई भी देश किसी भी प्रसारण माध्यम को अपने देश में प्रवेश की अनुमति नहीं देता बशर्ते सरकार द्वारा इसकी अनुमति दी गई हो तथा यह निर्धारित रास्ते से अर्थात्, विदेश संचार निगम लिमिटेड के जरिए आया हो। लेकिन मुझे लगभग तीन दिन पहले ही यह बताया गया है कि विश्व टेलीविजन का जिसे कि यह समझा जाता है कि पाकिस्तान-भारत-श्रीलंका समिति (पीलकोम) से एक संविदा प्राप्त हो गई है- जिसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अथवा पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि यह एक संयुक्त प्रबंधन समिति है, दूरदर्शन के साथ विचार-विमर्श चल रहा है तथा उम्मीद है कि इनके बीच ऐसा कोई समझौता हो जाएगा, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन मेजबान प्रसारक होगा और पूरा भारतवर्ष एवं इस देश के क्रिकेट प्रेमी इसे देख पायेंगे क्योंकि ऐसा करना इस देश के संविधान एवं वर्तमान कानून के परिप्रेक्ष्य में उचित होगा। लेकिन यदि कल कानून में परिवर्तन कर दिया जाता है, तो कोई भी विदेशी प्रसारण माध्यम हमारे देश में आ-जा सकता है तथा अपने उपकरण स्थापित कर सकता है। यह बात मैंने तब कही थी जब मुझे से यह पूछा गया था कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हजरत बल में कोई चीज ले जाता है तथा वहां से प्रसारण शुरू कर देता है, जैसा कि जब उन्होंने अपने हथियार डाल दिये थे, हो रहा था तब क्या होगा? इसका राज्य सभा में लोगों के पास कोई उत्तर नहीं था। अतः यह हमारे देश की प्रभुसत्ता एवं एकता का सवाल है। मैं अपने परम मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी के दवाब में नहीं आऊंगा। अपनी मातृभूमि की प्रभुसत्ता को जिसके दस्तावेज पर मैंने हस्ताक्षर किए हैं, बरकरार रखने के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। मैंने सशस्त्र बलों में सेवा की है। मैं अपनी मातृभूमि भारत की प्रभुसत्ता के समर्पण की कभी भी अनुमति नहीं दूंगा। मुझे रास्ते से हटाकर ही कोई ऐसा कर सकेगा।

दूरदर्शन पर आलोचनात्मक टिप्पणियां की गई हैं। लेकिन वे टिप्पणियां सामान्य प्रकार की हैं। यदि कोई आंकड़ों का अध्ययन करें तथा टिप्पणियों पर गौर करें, तो मेरे विचार से ये आलोचनाएं पुरानी हैं। ये आलोचनाएं दो-तीन वर्ष पुरानी होंगी। वे आज की स्थिति को प्रदर्शित नहीं करतीं।

[अनुवाद]

वे संसाधनों की कमी होने के बावजूद इन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वे अब तक 6 चैनल चला रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि 6 चैनलों पर दूरदर्शन 14,400 घंटे या 44 घंटे प्रति दिन कार्यक्रम तैयार नहीं कर सकता है। यह एक ऐसा मंच है जो दूरदर्शन वैज्ञानिक और इनसेट 2-बी भारत की जनता, एफ.टी.आई. आई. की युवा एवं सृजनात्मक प्रतिभाओं, जामिया मिलिया की प्रतिभाओं और कार्यक्रम बनाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्थापित संस्थानों के व्यक्तियों को उपलब्ध कराता है। एक मंच उपलब्ध कराया जा रहा है जिस पर 90 करोड़ भारतीय अपनी सृजनात्मक क्षमता दिखा सकते हैं तथा, हम पर जो सांस्कृतिक हमला किया जा रहा है जिस पर हम सभी चिन्तित हैं उसका सामना करें।

धन्यवाद महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : मंत्री महोदय ने काफी समाधानकारक जवाब दिया है लेकिन दो बातें अनुत्तरित रह गई है। रजिस्ट्रेशन किस आधार पर समाचार पत्रों का करते हैं? दूसरा, प्रमाणीकरण की विधि इतनी दोषपूर्ण है कि छोटे-छोटे समाचार पत्र सरकारी विज्ञापनों से वंचित रह जाते हैं। क्या उस विधि में परिवर्तन करने जा रहे हैं? दूसरी बात रजिस्ट्रार कार्यालय को विभाजित और विकेन्द्रित करने को उठायी गई। क्या क्षेत्रीय कार्यालय आंचलिक दृष्टि से करने जा रहे हैं या नहीं।

श्री के.पी.सिंह देव : वंचित करने की कोई बात नहीं है। हरेक न्यूजपेपर को इसका हक मिलेगा। विज्ञापन पैट्रेनेज के हिसाब से नहीं दिये जाते हैं। गवर्नमेंट इनफौर्मेशन डिसएमिनेट करने के लिए हरेक मिनिस्ट्री बताती है कि क्या-क्या करना चाहिये, कितना सर्कुलेशन करना चाहिए? इस आधार पर ही सब कुछ होता है। हम छोटे और मध्यम दर्जे के अखबारों को प्रधानता देंगे क्योंकि उनकी पहुंच लोगों से ज्यादा है। बनिस्बत बड़े अखबार वालों से। रजिस्ट्रेशन जल्दी करके, उसमें तरक्की लाने की हम कोशिश कर रहे है। इसके पूरे फंक्शनिंग में जायेंगे तो और समय लगेगा। इस संबंध में कुछ स्टैप्स लिये हैं। आर.एन.आई. और मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ इसमें तरक्की हुई है। इसमें और भी आधुनिकीकरण कर रहे है। इसको कम्प्यूटराइज कर रहे हैं जिससे कम से कम समय लगेगा। जितना डिले कम होगा, उतना भ्रष्टाचार भी कम होगा। ऐसे में इन लोगों को दिल्ली बार-बार दौड़ना नहीं पड़ेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंड-वार विचार करेंगे। खण्ड 2 प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंश बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1 विधेयक का संक्षिप्त नाम

संशोधन किया गया

"1993" के स्थान पर "1994" प्रतिस्थापित करें(2)

(के.पी.सिंह देव)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 1

"चवालीसवां" **के स्थान पर** " पैतालीसवां" **प्रतिस्थापित करें(1)**

(श्री के.पी.सिंह देव)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियम सूत्र, संशोधन रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री के.पी.सिंह देव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

" कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : कार्य सूची में अगली मद संख्या 14 है, यह केयर उद्योग (संशोधन) विधेयक है।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डये (मंदसौर) : सभापति महोदय, यह विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इस पर कल चर्चा कर सकते है।

सभापति महोदय : ठीक है, अब सभा कल 13 मई, 1994 को 11.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

7.47. म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 13 मई, 1994/वैशाख, 23,1916 (शक)

को ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।